वार्षिक योजना 1978-79

और

योजना निष्पादन की समीक्षा

1977-78

भारत सरकार
योजना आयोग

वार्षिक योजना 1978-79

और

योजना निष्पादन की समीक्षा

1977-78

भारत सरकार
योजना आयोग

338·954
B 575 V

विषय-सूची

क्रम सं.		पृष्ठ
1.	1977-78 की समीक्षा और 1978-79 की योजना की रूपरेखा	1
2.	सरकारी क्षेत्र का योजना परिव्यय	10
3.	योजना की वित्त-व्यवस्था	14
4.	कृषि	24
5.	पशु-पालन, डेरी उद्योग और मीन उद्योग	34
6.	सहकारिता और सामुदायिक विकास	40
7.	ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम	45
8.	सिंचाई, नियन्त्रण क्षेत्र विकास और बाढ़ नियन्त्रण	51
9.	ऊर्जा, विद्युत्, कोयला और लिग्नाइट तथा पेट्रोलियम	55
10.	ग्राम और लघु उद्योग	65
11.	उद्योग और खनिज	72
12.	परिवहन और संचार	81
13.	शिक्षा	88
14.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	91
15.	शहरी विकास, आवास और जल पूर्ति	98
16.	समाज कल्याण और पोषाहार	102
17.	पिछड़े वर्गों का विकास	105
18.	विज्ञान और शिल्प विज्ञान	110
19.	दस्तकारों का प्रशिक्षण और श्रमिक कल्याण	114
20.	पुनर्वास	117
21.	सूचना और प्रचार	119
22.	सांख्यिकी	120
23	अनुलग्नक	121

अध्याय 1

1977-78 की समीक्षा और 1978-79 की योजना की रूपरेखा

1

पिछले वर्षों की तरह, इस वार्षिक योजना के सर्वेक्षण में 1977-78 के लिए योजना के निष्पादन की समीक्षा और साथ ही चालू वर्ष की योजना की मुख्य-मुख्य बातें प्रस्तुत की गई हैं। राज्य और केन्द्रीय योजनाओं में स्कीमों पर वित्तीय परिव्ययों और अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वास्तविक उपलब्धियों के बारे में पूरी सूचना किसी वित्त वर्ष के समाप्त होने के बाद 3 से 6 महीनों में ही उपलब्ध हो पाती है, इसलिए इस सर्वेक्षण को इससे पहले प्रस्तुत करना संभव नहीं हुआ है। स्पष्ट ही यह वांछनीय हैं कि किसी भी वर्ष के लिए वार्षिक योजना संसद और लोगों को वर्ष के आरंभ में ही उपलब्ध हो जानी चाहिए। अगले वर्ष (1979-80) से योजना आयोग का वार्षिक योजना के सर्वेक्षण की जगह ये दो दस्तावेज प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है, अर्थात्

(1) वार्षिक योजना, जिसमें उस वर्ष में अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए समष्टि आर्थिक आधार स्वरूप, उस वर्ष की योजना का पंच वर्षीय योजना के साथ संबंध, अर्थ-व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों के लिए अनुमान और केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारी क्षेत्र की योजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परिव्यय और वास्तविक लक्ष्य दिए जाएंगे।

(2) पिछले वर्ष की योजना के निष्पादन की समीक्षा, जो अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्रों के संदर्भ में होगी और सरकारी क्षेत्र की योजनाओं में वास्तविक लक्ष्यों और वित्तीय परिव्ययों के संदर्भ में भी होगी।

2. इनमें से पहला दस्तावेज संसद के बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा और दूसरा दस्तावेज संसद के शरदकालीन सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

2

3. वर्ष 1978-79 नए आयोजना पंचाब्द का पहला वर्ष है। 1978-83 की योजना प्रारूप के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद् को मार्च, 1978 में प्रस्तुत की गई। इस योजना के प्रारूप में तैयार किए गए उद्देश्यों, विकास कार्यनीति और अंतर-क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा सामान्य रूप से अनुमोदित किया गया; परिषद् ने योजना आयोग को संबंधित सरकारों के परामर्श से विस्तृत केन्द्रीय और राज्य योजनाओं को तैयार करने का निदेश दिया। सरकारी क्षेत्र के लिए विस्तृत योजनाओं को अंतिम रूप देने के ये अभ्यास चल रहे हैं। 1978-79 की वार्षिक योजना को पंच वर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का काम पूरा कर देने से पहले तैयार करना था, परन्तु योजना के प्रारूप की प्राथमिकताओं और सामान्य क्षेत्रगत संसाधन आवंटनों को परियोजनाओं और कार्यक्रमों को चुनने में तथा केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारी क्षेत्र की योजनाओं के लिए परिव्ययों को निर्धारित करने में ध्यान में रखा गया। अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश में विभिन्न पक्वनावधि के अंतरों के कारण, एक मध्यावधि निवेश योजना से दूसरी योजना में क्षेत्रों के बीच में प्राथमिकताओं में किसी परिवर्तन को प्रभावी होने में कुछ समय लगता है। इस-लिए 1978-79 की योजना एक अर्थ में पंच वर्षीय योजना (जो 31 मार्च, 1978 को समाप्त कर दी गई) से इस नई योजना में एक परिवर्तन या संक्रमण को प्रकट करती है।

4. 1978-79 की वार्षिक योजना में सरकारी क्षेत्र में परिव्ययों को पांचवीं योजना की संसाधन-आवंटन प्रणाली के आधार पर ही केन्द्र और राज्यों के बीच वितरितकिया गया था। पांचवीं योजना की अवधि में शुरू किए गए कार्यक्रमों पर व्यय की 1978-79 में पूरी तरह से योजना परिव्यय के रूप में माना जा रहा है, और इन परिव्ययों का 'योजनाबत' और 'योजनेतर' के बीच वितरण 1979-80 से किया जाएगा, यह आशा है कि उस समय तक सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संसाधनों का फिर से आवंटन हो जाएगा और इस नई योजना के लिए राज्यों के बीच में केन्द्रीय योजना सहायता के वितरण की स्कीम राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निर्धारित हो जाएगी।

3

5. अर्थ-व्यवस्था की जो सामान्य स्थिति 1978-79 की योजना को तैयार करने के समय प्रकट होती थी वह यह थी कि अर्थ-व्यवस्था में जो स्फीतिकारक दबाव और वृद्धि की कम दर 1976-77 में बनी हुई थी वह ठीक होकर 1977-78 में अर्थ-व्यवस्था काफी संतोषजनक हो गई थी। इस प्रवृत्ति की पुष्टि हो गई है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में 1976-77 में केवल 1.6 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले, 1977-78 में यह वृद्धि लगभग 7.24 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह ज्यादातर कृषि मूल्य संवर्धित उत्पादन में प्रभावी प्रतिप्राप्ति के कारण था, जो 1976-77 में 5.5 प्रतिशत की कमी की स्थिति से 1977-78 में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि की स्थिति में पहुँच गया।

6. खाद्यान्न उत्पादन 1977-78 में 1256 लाख टन के सबसे अधिक स्तर तक पहुंच गया। यह गेहूं और चावल दोनों की ही अधिक अधिप्राप्ति से प्रकट हुआ। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अधिक कुल खरीद के कारण (जो 1976-77 में 102 लाख टन के मुकाबले 1977-78 में 120 लाख टन थी), सार्वजनिक अभिकरणों के पास खाद्यान्न के भंडार में कमी होकर 1-4-1977 को 180 लाख टन से 31-3-1978 को 154 लाख टन हो गया। कपास का उत्पादन पिछले वर्ष के 58 लाख गांठों के उत्पादन से 1977-78 में 12.6 लाख गांठें अधिक हुआ, यद्यपि वह 1974-75 के 71.6 लाख गांठों के स्तर से कम रहा। तथापि, कपास के भंडार और आयात दोनों को मिलाकर 1977-78 में कपास की पूर्ति की स्थिति बिल्कुल ठीक थी। 1977-78 में पटसन और मेस्ता का 70.99 लाख गांठों का सम्मिलित उत्पादन पिछले वर्ष में 70.89 लाख गांठों के उत्पादन से कुछ अधिक था। पांच प्रमुख तिलहनों का जो उत्पादन 1975-76 में 99 लाख टन से कम होकर 1976-77 में 78 लाख टन हो गया था, उसमें 1977-78 में लगभग 11 लाख टन की वृद्धि हो गई। गन्ने का उत्पादन भी पिछले वर्ष के 1530 लाख टन के सबसे अधिक उत्पादन जितना ही बना रहा।

7. तथापि, कुछ क्षेत्रों में विद्युत् की कमी, कुछ निवेश तेलों की अपर्याप्त पूर्ति और औद्योगिक अशांति के कारण, 1977-78 में समग्र औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में मंदन रहा। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में 1976-77 में 9.5 प्रतिशत के मुकाबले केवल 3.9 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई।

8. 1977-78 में प्रमुख औद्योगिक समूहों की वृद्धि दरें नीचे दी गई हैं:—

	(प्रतिशत)
खनन और उत्खनन	2.5
विनिर्माण	4.2
बिजली	3.4

9. उत्पादन की प्रवृत्तियों के उत्पादवार विश्लेषण से यह दिखाई दिया कि कुछ उद्योगों में (जिनमें अर्ध-तैयार इस्पात, अल्यूमीनियम, वाहन, वस्त्रोद्योग की मशीनें और कुछ ओषधियां शामिल हैं) उत्पादन में कमी हुई; नमक, फास्फेटिक उर्वरक, डीजल इंजन, बायलर और डिटरजेन्ट्स जैसे उद्योगों में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई; और गेहूं का आटा और शिशु खाद्य जैसी वस्तुओं में, रेडियो रिसीवर्स और रेजर ब्लेड जैसे उत्पादों, तथा रेल के उपस्कर में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

10. 1976-77 में लगभग 72 करोड़ रु० के थोड़े अधिशेष से देश के व्यापार शेष में 1977-78 में 690 करोड़ रु० का पर्याप्त घाटा हुआ। तथापि, आवक प्रेषित धन की सतत् प्राप्ति के कारण, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में 1637 करोड़ रु० की और अधिक वृद्धि हुई तथा वह मार्च, 1978 के अंत में लगभग 4500 करोड़ रु० हो गई।

11. अंतिम आंकड़ों के अनुसार, भारत के निर्यात का जो कुल मूल्य पिछले वर्ष 5146 करोड़ रु० था, वह 1977-78 में 5376 करोड़ रु०[1] हो गया और इस प्रकार उसमें 4.5 प्रतिशत वृद्धि हुई। 1977-78 में कुल आयात का मूल्य 6066 करोड़ रु० था; इस प्रकार इसमें 1976-77 में 5074 करोड़ रु० के आयात से 19.5 प्रतिशत वृद्धि हुई थी।

12. 1977-78 में निर्यात की वृद्धि दर में मंदन के ये कारण थे—औद्योगिक देशों में मंदी की दशाएं जिनसे लौह अयस्क और अन्य खनिज अयस्क, तथा रसायन और संबद्ध उत्पाद जैसी निर्यात की हमारी अनेक वस्तुओं पर प्रभाव पड़ा, आंतरिक औद्योगिक उत्पादन में मंद समग्र वृद्धि दर, निर्यात की कुछ वस्तुओं की कम इकाई-मूल्य की प्राप्ति तथा अधिक आंतरिक उपलब्धता के लिए खली और तिलहन, कपास, वनस्पति, चावल, सीमेंट आदि, के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध।

13. 1977-78 में आयात के मूल्य में पर्याप्त वृद्धि का कारण था वनस्पति तेलों, कपास, कृत्रिम रेशों, सीमेंट, मोतियों, मूल्यवान और अर्ध-मूल्यवान पत्थरों तथा रासायनिक तत्वों और सम्मिश्रणों के आयात में योजनाबद्ध वृद्धि। खाद्यान्नेतर आयात का जो मूल्य 1976-77 में 4203 करोड़ रु० था वह बढ़कर 1977-78 में 5940 करोड़ रु० हो गया, और इस प्रकार उसमें 41 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई। खाद्यान्न के आयात[2]

---

1. इस आंकड़े में परिशोधन की संभावना है और यह 5400 करोड़ रु० तक हो सकता है जिससे वृद्धि दर 5 प्रतिशत होगी।

2. दालों सहित।

का जो मूल्य 1976-77 में 871 करोड़ रुपए था वह कम होकर 126 करोड़ रुपए हो गया।

14. 1976-77 में थोक कीमतों के सूचकांक में 12 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले मार्च, 1978 के अन्त में यह सूचकांक प्रायः एक वर्ष पहले के स्तर पर ही बना रहा। इस वर्ष के अन्त में, चावल, खाद्य-तेल, चीनी, चाय और वनस्पतियों जैसी अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें इस वर्ष के आरम्भ की कीमतों से कम थीं। इस वर्ष तिलहनों और कपास की थोक कीमतों में भी गिरावट आई परन्तु दालों की कीमतों में 40 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हो गई। खाद्य उत्पाद के अलावा अन्य विनिर्माणों की कीमत के सूचकांक में लगभग 1 से 6 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। यद्यपि 1977-78 में थोक कीमतों में काफी स्थिरता बनी रही, परंतु उपभोक्ता कीमत सूचकांक में लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो दालों की कीमतों में अधिक वृद्धि तथा मोटे अनाज और सूती कपड़े की कीमतों में सामान्य वृद्धि के कारण हुई थी।

15. मुद्रा पूर्ति में मार्च 1970 के अंत से मार्च, 1978 के अंत तक की अवधि में 14.7 प्रतिशत विस्तार हुआ। यह 1976-77 में हुई 20.2 प्रतिशत वृद्धि से कम था, परन्तु यह कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 7.2 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि की तुलना में अधिक ही था।

16. 1977-78 में (वर्तमान कीमतों पर) आंतरिक बचत 19498 करोड़ रु० होने का अनुमान है जबकि यह पिछले वर्ष 18538 करोड़ रु० थी। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में आंतरिक बचत का जो अनुपात 1976-77 में 23.35 प्रतिशत था वह कम होकर 1977-78 में 22.44 प्रतिशत हो गया, और सकल राष्ट्रीय उत्पादन से निवेश का अनुपात 22.14 प्रतिशत से बढ़कर 22.51 प्रतिशत[1] हो गया।

4

17. नीचे दी गई सारणी में, पांचवीं पंच वर्षीय योजना में 1978-79 तक प्राप्त किए जाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निर्धारित किए गए लक्ष्यों[2] के मुकाबले 1977-78 में विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक उत्पादन या प्राप्ति बताई गई है:—

1. इस अध्याय में दिए गए बचत और निवेश के अनुमान योजना आयोग के अनुमान हैं। योजना आयोग के बचत के कुल अनुमान और केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के बचत के कुल अनुमान मिलते हैं, परन्तु विदेशों से निवल प्राप्ति की गणना करने के लिए प्रयुक्त की गई विभिन्न संकल्पनाओं के कारण निवेश के आँकड़े कुछ अलग-अलग हैं।
2. ये आंकड़े अंतिम पंच वर्षीय योजना के दस्तावेज में बताए गए लक्ष्यों से सम्बन्धित है। इन्हें बाद में 1978-79 की वार्षिक योजना को अंतिम रूप देते समय परिशोधित किया गया था। क्षेत्रगत अध्यायों में 1978-79 के लिए वास्तविक लक्ष्य (परिशोधित लक्ष्य) दिए गए हैं।

क्रम सं०	क्षेत्र/विषय	इकाई	लक्ष्य 1978-79	उपलब्धि 1977-78
1	2	3	4	5
	कृषि			
1.	खाद्यान्न	दस लाख टन	125.00	125.60
2.	तिलहन	”	12.00	8.93
3.	गन्ना	”	165.00	181.63
4.	कपास	हरेक 170 कि० ग्रा० की दस लाख गांठें	8.00	7.10
5.	पटसन और मेस्ता	हरेक 180 कि० ग्रा० की दस लाख गांठें	7.70	7.12
6.	**अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम**			
	(1) धान	दस लाख हैक्टेयर	18.00	15.60
	(2) गेहूं	”	15.00	15.50
	(3) मक्का	”	1.20	1.20
	(4) ज्वार	”	2.50	3.10
	(5) बाजरा	”	3.30	2.60
7.	सकल फसल क्षेत्र	”	174.40	172.70
8.	छोटी सिंचाई	”	28.10	27.30
9.	कृषि भूमि पर भू-संरक्षण	लाख हैक्टेयर	20.90	20.10

1	2	3	4	5
	बड़ी और मझौली सिंचाई			
	सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता	दस लाख हैक्टेयर सकल	5.8	4.3
	विद्युत्			
1.	स्थापित क्षमता	मेगावाट	12,500*	7,484**
2.	जिन गांवों में बिजली पहुंचाई गई	संख्या	81,000	60,169
3.	पंपसेट बिजलीचालित किए गए	,,	13,00,000	8,82,861
	ग्राम और लघु उद्योग			
1.	सूती कपड़ा—हथकरघा और बिजलीचालित करघा	दस लाख मीटर	4,700	4,100
2.	खादी—मात्रा	,,	बताया नहीं गया	71.00
	मूल्य	करोड़ रु०	,,	64.2
3.	ग्राम उद्योग	,,	,,	186.62
4.	कच्चा रेशम	लाख कि० ग्रा०	46.45	36.93
	उद्योग और खनिज			
1.	**खनन**			
	(1) कोयला	दस लाख टन	124.00	100.9
	(2) लिग्नाइट	,,	4.50	3.6
	(3) कच्चा तेल	,,	14.18	10.73
	(4) लौह अयस्क	,,	56.00	41.00
2.	**मूल धातुएं**			
	(1) बिक्री के लिए कच्चा लोहा	दस लाख टन	2.50	1.64
	(2) इस्पात शिलिका	,,	11.32	8.65
	(3) तैयार इस्पात (बिक्री योग्य इस्पात)	,,	8.80	7.01
	(4) मिश्र धातु और विशेष इस्पात	हजार टन	570.00	540.00
	(5) अल्यूमीनियम	,,	310.00	178.5
	(6) तांबा	,,	37.00	21.0
	(7) जस्ता	,,	80.00	43.1
	(8) सीसा	,,	16.00	7.5
3.	**धातु उत्पाद**			
	(1) इस्पात ढलाई	,,	100.00	65.0
	(2) इस्पात गढ़ाई	,,	130.00	90.0
4.	**अधात्विक खनिज उत्पाद**			
	(1) सीमेंट	दस लाख टन	20.80	19.3

* 1974-79 की पांचवीं योजना की अवधि में उत्पादन क्षमता में वृद्धि का लक्ष्य ।

** 1974-78 की अवधि में प्राप्ति ।

1	2	3	4	5
5.	**पेट्रोलियम उत्पाद**			
	(स्नेहक सहित)	दस लाख टन	27.00	23.29
6.	**मूल रसायन**			
	(1) गंधक अम्ल	हजार टन	2700.00	2076.00
	(2) कास्टिक सोडा	,,	610.00	521.1
	(3) सोडा भस्म	,,	710·00	572.5
7.	**कृषि रसायन**			
	(1) उर्वरक (नाइट्रोजनीय)	,,	2900.00	2000.0
	(2) उर्वरक (फास्फेटिक)	,,	770.00	670.0
8.	**कृत्रिम रेशे और माध्यक**			
	(1) डी०एम०टी०	हजार टन	24.00	25.5
	(2) कैप्रोलेक्टम	,,	20.00	15.8
9.	**खाद्य उत्पाद**			
	(1) चीनी	दस लाख टन	5.40	6.47*
	(2) वनस्पति	हजार टन	610.00	572.2
10.	**वस्त्र**			
	(1) सूती धागे	दस लाख कि०ग्रा०	1150.00	1057.5
	(2) सूती कपड़ा (मिल क्षेत्र)	दस लाख मीटर	4800.00	4162.4
	(3) सूती कपड़ा (विकेन्द्रित क्षेत्र)	,,	4700.00	4100.0
	(4) पटसन उत्पादन	हजार टन	1280.00	1178.0
11.	**कागज और कागज उत्पाद**			
	(1) कागज और गत्ता	,,	1050.00	965.0
	(2) अखबारी कागज	,,	80.00	56.0
12.	**औद्योगिक मशीनें**			
	(1) मशीन औजार	दस लाख रु०	1300.00	1027.00
	(2) धात्विक मशीनें (इस्पात संयंत्र उपस्कर सहित)	,,	380.00	288.0
	(3) सीमेंट की मशीनें	,,	150.00	226.00
	(4) चीनी की मशीनें	,,	400.00	513.20
	(5) सूती वस्त्रोद्योग की मशीनें	,,	1300.00	1365.00
	(6) रसायन और औषधि की मशीनें	,,	650.00	695.40
	(7) छपाई की मशीनें	,,	60.00	72.00
13.	**बिजली के उपस्कर**			
	(1) स्टीम टर्बाइन	दस लाख कि०वा०	2.50	1.61
	(2) हाइड्रो टर्बाइन	,,	1.40	0.88
	(3) ट्रांसफार्मर	,,	20.00	15.6
	(4) मोटर	दस लाख अश्व शक्ति	4.50	4.0

* ये आंकड़े चीनी के वर्ष से संबंधित हैं।

1	2	3	4	5
14.कृषि की मशीनें				
(1) ट्रैक्टर		'000 संख्या	55	41
15. रेल परिवहन				
(1) माल गाड़ी के डिब्बे		,,	15	12.2
16. सड़क परिवहन				
(1) वाणिज्यिक वाहन		,,	60	41,08
शिक्षा				
अतिरिक्त उपलब्धि				
1. आयु वर्ग (6-11) कक्षाएं (1-5)		लाख	130[1]	69*
2. आयु वर्ग (11-14) कक्षाएं (6-8)		,,	58[1]	29*
स्वास्थ्य				
1. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम				
(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		संख्या	208	178
(2) उप केन्द्र		,,	11036	5101
(3) ग्रामीण अस्पताल		,,	1293	212
2. मेडीकल कालेज				
(1) डाक्टर		('000)	38	32
(2) नर्स		,,	35	20
3. हैजा नियंत्रण कार्यक्रम				
हैजा नियंत्रण दल		संख्या	54	41
3. रोहे नियंत्रण कार्यक्रम				
खंड/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		,,	2509	2509

[1] 1974-79 से संबंधित हैं।
* 1974-78 से संबंधित हैं।

5

18. इस प्रकार आपेक्षिक मूल्य-स्थिरता, सरकारी अभिकरणों के पास खाद्यान्न के पर्याप्त भंडार और विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के संतोषजनक स्तर की पृष्ठभूमि में 1978-79 की वार्षिक योजना तैयार की गई। नई पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति के अनुसार, संसाधनों की उपलब्धता और साथ ही अर्थ-व्यवस्था में निवेश के स्तर को बढ़ाने की तात्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, योजना के आकार और संरचना को तथा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन के लक्ष्य को वास्तविक आधार पर निर्धारित किया गया है। यद्यपि उद्योग और खनन के क्षेत्र में पर्याप्त अधिक उच्च वृद्धि दर की आशा की जा सकती थी, परन्तु अनुकूल मानसून के होते हुए भी कृषि उत्पादन में वृद्धि से 1977-78 में प्राप्त हुए सबसे अधिक स्तर से काफी अधिक वृद्धि प्राप्त कराने की आशा नहीं की जा सकती थी। इसलिए यह अनुमान रखा गया है कि 1978-79 में सकल आंतरिक उत्पादन में लगभग 4 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है। इसमें कृषि उत्पादन में 1.5 से 2 प्रतिशत तक वृद्धि और औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 7 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है।

19. 1978-79 की वार्षिक योजना में आंतरिक बचत में 19,498 करोड़ रु० से लगभग 21,388 करोड़ रु० की वृद्धि,

अर्थात् 9.7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वस्तुओं और सेवाओं के निवल आयात की गुंजाइश रखते हुए, निवेश के लिए संसाधनों का अनुमान 22,053 करोड़ रु० लगाया गया है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन से आंतरिक बचत का अनुपात प्रायः पिछले वर्ष के अनुपात जितना ही, लगभग 22 प्रतिशत रहने की आशा है। अधिक आयात अधिशेष के कारण, निवेश का अनुपात 1977-78 के अनुपात से 23 प्रतिशत से कुछ अधिक हो सकता है। सरकारी क्षेत्र का निवेश 1977-78 में लगभग 8600 करोड़ रु० के मुकाबले 1978-79 में 10368 करोड़ रु० होने का अनुमान है। 1281 करोड़ रु० के चालू परिव्यय सहित, 1978-79 के लिए सरकारी क्षेत्र की योजना पर कुल परिव्यय 11,650 करोड़ रु० निश्चित किया गया है। वित्तीय संस्थाओं से धनराशि की अधिक प्राप्ति, आवश्यक निवेशों की अधिक अच्छी उपलब्धता और 1978-79 के बजट में घोषित वित्तीय रियायतों सहित नीति संबंधी उपायों के कारण निजी निगमित्र क्षेत्र में निवेश के 1978-79 में बढ़कर 2160 करोड़ रु० हो जाने का अनुमान है, जबकि 1977-78 में 1900 करोड़ रु० था और 1976-77 में 1674 करोड़ रु० था।

सरकारी क्षेत्र की योजना का आकार और संरचना

20. 1978-79 के लिए कुल योजना परिव्यय नीचे बताए अनुसार 11,660 करोड़ रु० रखा गया है (जिसका ब्यौरा अनुलग्नक 1.1 से 1.5 तक देखा जा सकता है) :—

	(करोड़ रु०)
केन्द्र	5664
राज्य	5571
संघ राज्य क्षेत्र	215
जोड़ :	**11650**

1977-78 की वार्षिक योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए 9965 करोड़ रु० के कुल परिव्यय से यह योजना परिव्यय 16.9 प्रतिशत अधिक है।

21 विकास के प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत योजना परिव्यय के वितरण का सामान्य स्वरूप नीचे दिखाया गया है :—

(आंकड़े करोड़ रु० में)

	1977-78	1978-79	प्रतिशत वृद्धि
1 2	3	4	5
1. कृषि और संबद्ध कार्यक्रम	1264.10	1745.16	38.0
2. सिचाई और बाढ़ नियंत्रण	1058.03	1160.60	9.7
3. विद्युत्	1890.26	2196.86	16.2
4. ग्राम और लघु उद्योग	145.12	219.45	51.3
5. उद्योग और खनन	2364.47	2413.50	2.1
6. परिवहन और संचार	1597.65	1794.23	12.3
7. सामाजिक सेवाएं और अन्य	1645.73	2120.37	28.8
जोड़ :	**9965.36**	**11650.17**	**16 9**

नई स्कीमों और शुरू किए जाने वाले नए कार्यों के लिए 1184 करोड़ रु० के कुल परिव्यय में से 828 करोड़ रु० (लगभग 70 प्रतिशत) ग्रामीण जनसंख्या के लाभ के लिए कृषि और अन्य स्कीमों के लिए है।

22. ऋण की सुविधाओं में निवेश के लिए योजना में की गई धनराशि की व्यवस्थाओं के अलावा इन ऋण की सुविधाओं का विस्तार बड़े पैमाने पर किसानों के लिए भी किया जाना है। सहकारी ऋण संस्थाओं से जो अल्पावधि और मध्यावधि ऋण 1977-78 में 1435 करोड़ रु० था उसे बढ़ाकर 1978-79 में 1795 करोड़ रु० कर देने का लक्ष्य रखा गया है, तथा कृषि को जो दीर्घावधि ऋण पिछले वर्ष 291 करोड़ रु० था उसे बढ़ाकर 432 करोड़ रु० किया गया है। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा 1977-78 में 234 करोड़ रु० के संवितरण के मुकाबले 1978-79 में 325 करोड़ रु० के संवितरण की आशा है। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 1977-78 में की गई 175 करोड़ रु० की व्यवस्था को बढ़ाकर 1978-79 में लगभग 272 करोड़ रु० कर दिया है।

23. ग्राम और लघु उद्योगों के लिए 219.45 करोड़ रु० के बढ़े हुए परिव्यय में से उसका लगभग दो-तिहाई भाग हथकरघा, खादी और ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और रेशम उद्योग जैसे रोजगार-प्रधान कार्यक्रमों के लिए आवंटित किया गया है। लघु उद्योगों के लिए परिव्यय को 43.1 करोड़ रु. से बढ़ाकर 73.4 करोड़ रु० कर देने, अर्थात् उसमें लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि कर देने का भी प्रस्ताव है। इसके आलावा, ग्राम और लघु उद्योगों के विकास के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से धनराशि की प्राप्ति को बढ़ाया जाएगा तथा उपांत और बीज धन के लिए योजना में उपयुक्त व्यवस्थाएं की गई हैं।

24. व्यापक ग्रामीण विकास कार्यक्रम की कार्यनीति के एक अभिन्न भाग के रूप में, इस समय लघु कृषक विकास अभिकरण,

सूखा-प्रवृत्ति क्षेत्र कार्यक्रम और नियंत्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत समाविष्ट खंडों में से 2000 खंडों का गहन विकास करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 300 खंड और भी समाविष्ट किए जाएंगे।

25. पिछड़े क्षेत्रों और गरीबी से ग्रस्त समूहों पर विशेष जोर देते हुए, मुख्य क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय योजना में आवंटन इस प्रकार हैं :—

	(करोड़ रु०)
सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम	76.50
नियंत्रण क्षेत्र विकास	44.00
लघु और सीमांत कृषक विकास अभिकरण	115.00
रेगिस्तान विकास	20.00
पूर्ण रोजगार के लिए क्षेत्र आयोजना	20.00

26. इस वार्षिक योजना की एक उल्लेखनीय विशेषता है ग्रामीण गरीबों की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिव्यय में वृद्धि। परिशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय योजना में 69.50 करोड़ रु० के परिव्यय के अलावा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं में 524.64 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। परिव्ययों और वास्तविक लक्ष्यों की संघट-कवार स्थिति का सारांश निम्नलिखित सारिणी में दिया गया है :—

(करोड़ रु०)

	प्रत्याशित व्यय 1977-78	वार्षिक योजना 1978-79	
	(करोड़ रु०)	अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रु०)	वास्तविक लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	
प्राथमिक शिक्षा	85.16	138.98+4.00F·	अतिरिक्त 38 लाख बच्चों का नामांकन।
प्रौढ़ शिक्षा	—	7.02+5·50F·	15 लाख प्रौढ़ निरक्षरों को साक्षर बनाना।
ग्रामीण स्वास्थ्य	29.48	39.72	अतिरिक्त 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 1817 उप केन्द्रों और 97 ग्रामीण अस्पतालों की स्थापना।
ग्रामीण जलपूर्ति	84.41+38.20F·	114.20 +60.00F·	अतिरिक्त 27496 गांवों का समावेशन।
ग्रामीण सड़कें	68.67	120.12	1500 और इससे अधिक जनसंख्या वाले अतिरिक्त 2200 गांवों को और 1000 से 1500 तक की जनसंख्या वाले 1300 गांवों को सड़कों द्वारा जोड़ना।
ग्रामीण विद्युतीकरण	39.41	51.46	अतिरिक्त 4530 गांवों को विद्युत् की पूर्ति।
ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए आवास सहायता	14.10	15.54	2.07 लाख परिवारों को सहायता देना।
शहरी गंदी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार	12.36	11.46	7.64 लाख अतिरिक्त गंदी बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या को लाभ होगा।
पोषाहार	23.50	26.14	13 लाख अतिरिक्त अधिक लाभानुभोगी।
जोड़ :	357.09+38.20F·	524.64+69.50F·	

F ये उन परिव्ययों के द्योतक हैं जिनकी व्यवस्था केन्द्रीय क्षेत्र में की गई है।

17. योजना में ऊर्जा क्षेत्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए धनराशि की व्यवस्था इस प्रकार की गई है :—

(करोड़ रु०)

	1977-78	1978-79
विद्युत्	1890.26	2196.86
कोयला	232.55	266.96
पेट्रोलियम (पैट्रो-रसायनों को छोड़कर)	599.14	586.24
जोड़ :	**2721.95**	**3050.06**

18. पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में परिकल्पित निवेश के स्वरूप में परिवर्तन के अनुरूप, बड़े और मझौले उद्योगों तथा खनन के लिए धनराशि की व्यवस्था 1977-78 के स्तर पर ही रखी गई है। यह अधिकतर जारी स्कीमों के लिए है और नए शुरू किए जाने वाले कार्यों के लिए धनराशि की व्यवस्था ऐसी स्कीमों के लिए है, जिनसे कृषि और ग्रामीण विकास को सहायता मिलेगी तथा ग्रामों और लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी है। धनराशि की ये व्यवस्थाएं, सीमेंट, कागज, वस्त्र, दवाओं और औषधियों जैसे सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की इकाइयों के लिए उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए की गई है। निजी क्षेत्र के उद्योगों की प्रतिस्थापना और आधुनिकीकरण का कार्य करने के लिए सहायता करने की दृष्टि से, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक पुनर्वित्त निगम जैसी आवधिक ऋण देने वाली संस्थाओं के संसाधनों में भी 1978-79 में पर्याप्त वृद्धि की जाएगी।

अध्याय 2

सरकारी क्षेत्र का योजना परिव्यय

1. 1978-79 के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय, प्रमुख क्षेत्रों के अनुसार नीचे दिए गए हैं। 1977-78 में अनुमोदित परिव्यय भी तुलना के लिए दिखाए गए हैं।

1978-79 की वार्षिक योजना—केन्द्र

(करोड़ रु०)

क्र०सं०	विकास का शीर्ष	1977-78 अनुमोदित परिव्यय	1978-79 बजट परिव्यय
1	2	3	4
1.	**कृषि और संबद्ध कार्यक्रम**	**567.09**	**871.62**
	1. कृषि	220.22	300.72
	2. खाद्य	43.20	44.70
	3. ग्रामीण विकास	166.04	314.96
	4. कृषि अनुसंधान और शिक्षा	36.74	51.00
	5. नागरिक पूर्ति और सहकारिता	24.64	29.12
	6. बैंकिंग (कृषि पुनर्वित्त निगम)	76.25	131.12
2.	**सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण**	**17.79**	**23.42**
3.	**विद्युत्**	**234.32**	**243.71**
	1. परमाणु ऊर्जा	52.12	46.98
	2. विद्युत्	130.58	155.13
	3. दामोदर घाटी निगम	51.62	33.60
	4. कोयला	—	8.00
4.	**ग्राम और लघु उद्योग**	**86.95**	**139.93**
	वाणिज्य	30.58	—
	औद्योगिक विकास	56.37	139.93
5.	**उद्योग और खनिज**	**2218.92**	**2267.53**
	1. परमाणु ऊर्जा	38.93	49.10

1	2	3	4
	2. नागरिक पूर्ति और सहकारिता	7.32	5.67
	3. कोयला	232.55	266.96
	4. वाणिज्य	43.64	15.50
	5. इलेक्ट्रानिक्स	10.64	22.57
	6. उर्वरक और रसायन	332.19	283.15
	7. वित्त		
	आर्थिक कार्य	4.95	5.09
	राजस्व और बीमा	0.62	1.18
	बैंकिंग	38.71	36.94
	8. भारी उद्योग	68.34	82.30
	9. औद्योगिक विकास	113.97	176.44
	10. खान	93.77	103.45
	11. पेट्रोलियम	677.09	629.88
	12. जहाज निर्माण	25.71	22.30
	13. इस्पात	530.49	567.00
6.	**परिवहन और संचार**	**1237.71**	**1328.36**
	1. संचार और डाक-तार	354.24	355.10
	2. प्रसारण	21.14	21.12
	3. फ़रक्का बराज	6.37	7.00
	4. रेलें	480.00	535.30
	5. सड़कें	89.74	103.87
	6. सड़क परिवहन	2.14	5.55
	7. पत्तन (बड़े और छोटे)	92.23	93.80
	8. प्रकाश स्तंभ	4.69	2.75
	9. अंतर्देशीय जल परिवहन	3.16	3.00
	10. नौवहन	93.00	97.61
	11. पर्यटन	7.67	5.48
	12. नागर विमानन	72.97	82.02
	13. मौसम विज्ञान	10.36	15.76
7.	**शिक्षा**	**91.64**	**115.76**
8.	**विज्ञान और शिल्प विज्ञान**	**107.05**	**138.35***
	1 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्	19.50	19.83
	2 परमाणु ऊर्जा	41.26	35.26
	3. अंतरिक्ष	30.20	54.92‡
	4. विज्ञान और शिल्प विज्ञान	15.50	27.64
	5. पूर्ति	0.59	0.70
9.	**स्वास्थ्य**	**83.14**	**146.48**
10.	**परिवार कल्याण**	**98.61**	**111.72**

* भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह के लिए 22.84 करोड़ रुपए इसमें शामिल हैं।

1	2	3	4
11.	**पोषाहार**	**5.43**	**7.34**
	1 खाद्य	3.00	3.41
	2. ग्रामीण विकास	2.43	3.93
12.	**जल पूर्ति और स्वच्छता**	**42.95**	**62.70**
	1. त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति		60.00
	2. अन्य कार्यक्रम	42.95	2.70
13.	**आवास और शहरी विकाश**	**77.56**	**112.92**
	1 आवास	23.88	33.48
	2. शहरी विकास	47.15	44.63
	3 गोदी श्रमिक आवास	0.08	0.06
	4. पुलिस	6.25	7.25
	5. आवास निर्माण अग्रिम	—	27.50
	6. दिल्ली विकास प्राधिकरण	—	—
	7. पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों का विकास	—	—
14.	**पिछड़े वर्गों का कल्याण**	**18.23**	**24.05**
15.	**समाज कल्याण**	**12.87**	**20.11**
16.	**श्रम और श्रमिक कल्याण**	**4.65**	**4.99**
17.	**अन्य**	**33.87**	**45.10**
	1. पुनर्वास	21.23	30.00
	2. **सांख्यिकी**		
	महापंजीकार का कार्यालय	0.40	1.50
	पूर्ति	0.01	0.02
	केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन	2.16	5.74
	3. सूचना	3.48	4.50
	4. योजना आयोग	5.23	1.79
	5. कार्मिक	0.20	0.25
	6. मुद्रण आदि	1.16	1.30
	जोड़	**4938.58**	**5664.09**

2. बाद में दिए गए दो विवरणों में यह दिया गया है :—

(क) 1978-79 के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय (1977-78 में सें अनुमोदित परिव्यय और संभावित व्यय तुलना के लिए दिखाए गए हैं) ।

(ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंगभूत विषयों के लिए राज्यों की वार्षिक योजनाओं में की गई धनराशिशि की व्यवस्थाएं ।

1978-79 की वार्षिक योजना

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (करोड़ रु०)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1977-78 अनुमोदित परिव्यय	1977-78 प्रत्याशित व्यय	1978-79 अनुमोदित परिव्यय
1. आंध्र प्रदेश	369.75	372.03	449.00
2. असम	119.39	106.24	155.00
3. बिहार	306.94	265.88	384.14
4. गुजरात	291.58	332.41	335.00
5. हरियाणा	154.40	153.61	210.00
6. हिमाचल प्रदेश	56.85	55.26	73.00
7. जम्मू और कश्मीर	89.68	89.69	108.00
8. कर्नाटक	243.50	239.78	309.00
9. केरल	142.52	154.60	176.00
10. मध्य प्रदेश	357.77	347.34	413.00
11. महाराष्ट्र	663.80	691.99	735.00
12. मणिपुर	23.19	22.35	28.26
13. मेघालय	24.46	24.46	29.11
14. नागालैंड	19.27	22.31	24.53
15. उड़ीसा	155.50	148.83	191.00
16. पंजाब	265.50	199.74	260.00
17. राजस्थान	175.30	191.27	235.00
18. सिक्किम	12.47	13.45	15.80
19. तमिलनाडु	260.12	260.36	305.00
20. त्रिपुरा	15.78	13.40	22 70
21. उत्तर प्रदेश	654.75	663.67	755.00
22 पश्चिम बंगाल	316.42	332.07	371.40
जोड़—राज्य	**4717.94**	**4690.74**	**5584.94‡**
1 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.29	6.53	10.44
2 अरुणाचल प्रदेश	14.13	16.31	23.40
3. चंडीगढ़	11.04	9.80	12 12
4 दादरा और नगर हवेली	2.61	2.61	3 20
5. दिल्ली	90.10	88.94	108.00
6. गोआ, दमण और दीव	21.06	21.48	27.50
7. लक्षद्वीप	1.67	0.97	2.44
8. मिजोरम	11.07	11.26	16.65
9. पांडिचेरी	8.43	8.16	10.50
जोड़ संघ राज्य क्षेत्र	**168.30**	**166.06**	**214.25**
कुल जोड़	**4886.34**	**4856.80**	**5799.19‡**

‡ ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को दिया गया 27.85 करोड़ रुपए का अतिरिक्त एक मुश्त आवंटन इसमें शामिल नहीं है।

अध्याय 3

योजना की वित्त-व्यवस्था

1977-78 की समीक्षा

1977-78 में योजना परिव्यय और उसकी वित्त-व्यवस्था से संबंधित स्थिति निम्नलिखित सारणी में दी गई है :—

सारणी 1

1977-78 में सरकारी क्षेत्र में योजना की वित्त-व्यवस्था करना

(करोड़ रु०)

	वार्षिक योजना के अनुमान			अद्यतन अनुमान ‡		
	केन्द्र	राज्य	जोड़	केन्द्र	राज्य	जोड़
I. करों, किराए, भाड़े और प्रशुल्क की 1973-74 की दरों पर आंतरिक बजट संसाधन						
1. वर्तमान राजस्व से बकाया	276	642	918	288	209	497
2. सरकारी उद्यमों का सकल अधिशेष	**432**	**—240**	**192**	**597**	**—247**	**350**
(1) रेलवे	—370	—	—370	—315	—	—315
(2) डाक-तार	48	—	48	41	—	41
(3) अन्य उद्यम	754	—240	514	871	—247	—624
3. सरकार, सरकारी उद्यमों और स्थानीय निकायों द्वारा बाजार से लिए गए ऋण	1000	430	1430	1183	436	1619
4. छोटी बचत	135	290	425	150	290	440
5. राज्य भविष्य निधि	268	206	474	203	251	454
6. वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण (निवल)	—	**139**	**139**	—	**141**	**141**
(1) जीवन बीमा निगम से	—	143	143	—	147	147
(2) भारतीय रिजर्व बैंक से	—	24	24	—	23	23
(3) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से	—	69	69	—	70	70
(4) वित्तीय संस्थाओं को वापस की जाने वाली राशि को घटा कर	—	—97	—97	—	—99	—98
7. विभिन्न पूंजीगत प्राप्तियां	668	—243	425	760	—20	740
8. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के उपयोग के बदले लिया गया ऋण	800	—	800	—	—	—
9. 1974-78 में अतिरिक्त संसाधनों का जुटाना	**1739**	**1957**	**3696**	**1739**	**1705**	**3444**

1978-79 की वार्षिक योजना

परिशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए परिव्यय—राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

राज्य	प्राथमिक शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा	ग्रामीण स्वास्थ्य	ग्रामीण जल पूर्ति	ग्रामीण सड़कें	ग्रामीण विद्युतीकरण	ग्रामीण भूमि-हीन मजदूर परिवारों के लिए आवास	शहरी गंदी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार	पोषाहार कार्यक्रम	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	360	40	173	435	50	300	500	100	150	2108
असम	557	216	205	240	535	255	24	—	51	1883
बिहार	1450	100	511	785	598	550	100	35	140	4269
गुजरात	691	25	111	810	637	—	30	30	127	2461
हरियाणा	278	20	43	450	72	—	7	—	14	874
हिमाचल प्रदेश	170	7	56	336	522	60	Neg	4	38	1193
जम्मू और कश्मीर	230	15	65	533	162	190	10	28	13	1246
कर्नाटक	495	24	268	950	500	75	50	100	349	2811
केरल	530	25	88	190	177	—	130	10	80	1230
मध्य प्रदेश	720	20	180	600	615	900	85	45	250	3415
महाराष्ट्र	780	25	400	1310	2200	—	130	270	336	5451
मणिपुर	60	3	44	100	130	35	5	2	6	385
मेघालय	99	6	24	41	55	109	—	5	19	358
नागालैंड	96	2	19	72	95	75	—	—	25	384
उड़ीसा	657	22	164	400	600	780	50	12	155	2840
पंजाब	900	12	97	450	1380	—	100	—	20	2959
राजस्थान	850	25	148	912	800	400	5	30	43	3213
सिक्किम	64	6	34	30	45	25	1	—	22	227
तमिलनाडु	838	44	51	610	475	—	100	200	48	1966
त्रिपुरा	90	15	43	39	130	135	6	5	13	476
उत्तर प्रदेश	1500	135	434	1490	1825	500	5	40	166	6095
पश्चिम बंगाल	2050	45	420	350	306	545	200	170	440	4526
जोड़ (राज्य)	**13055**	**632**	**3578**	**11132**	**11909**	**4934**	**1538**	**1086**	**2505**	**50370**

सारणी जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10
संघ राज्य क्षेत्र										
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	56	1	3	20	40	—	—	—	3	123
अरुणाचल प्रदेश	180	2	37	60	—	90	—	—	13	382
चंडीगढ़	38	3	7	—	—	—	—	—	8	56
दादरा और नगर हवेली	10	2	5	6	—	1	—	—	3	27
दिल्ली	434	50	3	50	9	—	3	50	55	654
गोआ, दमण और दीव	27	6	15	56	2	6	1	4	4	121
लक्षद्वीप	7	1	3	—	—	—	—	—	1	12
मिज़ोरम	44	4	18	88	48	115	—	—	12	327
पांडिचेरी	47	1	6	7	6	—	12	6	10	95
जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	**843**	**70**	**97**	**287**	**103**	**212**	**16**	**60**	**109**	**1797**
कुल जोड़	**13898**	**702**	**3675**	**11420**	**12012**	**5146**	**1554**	**1146**	**2614**	**52167**
(राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)										

(करोड़ रु०)

	वार्षिक योजना के अनुमान			अद्यतन अनुमान*		
	केन्द्र	राज्य	जोड़	केन्द्र	राज्य	जोड़
(क) **केन्द्र**						
(1) 1974-75 में किए गए उपाय	1060	58	1118	1060	58	1118
(2) 1975-76 में किए गए उपाय	293	135	428	293	135	428
(3) 1976-77 में किए गए उपाय	268	38	306	268	38	306
(4) 1977-78 में किए गए उपाय	118	9	127	118	9	127
जोड़ (क)	**1739**	**240**	**1979**	**1739**	**240**	**1979**
(ख) **राज्य**						
(1) 1974-75 में किए गए उपाय	—	791	791	—	744	744
(2) 1975-76 में किए गए उपाय	—	346	346	—	361	361
(3) 1976-77 में किए गए उपाय	—	301	301	—	287	287
(4) 1977-78 में किए गए उपाय	—	279*	279*	—	73*	73*
जोड़ (ख)	—	**1717**	**1717**	—	**1465**	**1465**
कुल आंतरिक बजट संसधान	**5318**	**3181**	**4899**	**4920**	**2765**	**7685**
I **विदेशी सहायता (निवल)**						
(क) तेल और विशेष ऋणों के अतिरिक्त						
(1) ऋण	894	—	894	481	—	481
(2) अनुदान	234	—	234	344	—	344
(3) संयुक्त राज्य अमरीका रु० निधि	—45	—	—45	—37	—	—37
जोड़ (क)	**1083**	**—**	**1083**	**788**	**—**	**788**
(ख) तेल ऋण	124	—	124	114	—	114
(ग) विशेष ऋण	50	—	50	80	—	80
जोड़ II	**1257**	**—**	**1257**	**982**	**—**	**982**
III. घाटे की वित्त-व्यवस्था	84	—	84	975	83	1058
IV. **कुल संसाधन** (I+II+III)	**6659**	**3181**	**9840**	**6877**	**2848**	**9725**
V. राज्य योजनाओं के लिए सहायता	—1552	1552	—	—1967	1967	—
VI. योजना के लिए संसाधन	**5107**	**4733**	**9840**	**4910**	**4815**	**9725**

* योजनेतर व्यय में मितव्ययिता और कुछ राज्यों के मामलों में प्राप्तियों में कमी को पूरा करने की अधिक क्षमता सहित । 73 करोड़ रुपए जो वास्तविक निष्पादन के हैं उनका संबंध करों, प्रशुल्क और भाड़े आदि में परिवर्तन की निवल प्राप्ति से है और इसलिए जो 279 करोड़ रुपए के योजना के लक्ष्य से पूरी तरह से तुलनीय नहीं हैं ।

‡ केन्द्र के लिए परिशोधित अनुमान और राज्यों द्वारा बताए गए अद्यतन अनुमान ।

2. 1977-78 के लिए शुरू में योजना परिव्यय के लिए 9840 करोड़ रु० की परिकल्पना की गई थी। बाद में बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रु० का अतिरिक्त परिव्यय, छोटी सिंचाई के निर्माण-कार्यों के लिए 9.5 करोड़ रु० का अतिरिक्त परिव्यय और सड़कों के लिए 3.42 करोड़ रु० का अतिरिक्त परिव्यय अनुमोदित किया गया। बाढ़, सूखे और अन्य प्राकृतिक विपत्तियों के कारण आवश्यक विकास व्यय के लिए मंजूर किए गए 150 करोड़ रु० के और अतिरिक्त परिव्यय के साथ कुल अनुमोदित योजना परिव्यय बढ़कर 10103 करोड़ रु० हो गया। इसके मुकाबले केन्द्र के लिए परिशोधित अनुमानों और राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए पहले के अनुमानों के आधार पर संभावित व्यय 9725 करोड़ रु० रखा गया है, जिससे मूल अनुमान की तुलना में 378 करोड़ रु० की कमी दिखाई देती है। इस परिव्यय की वित्त-व्यवस्था करने में आंतरिक बजट संसाधनों का अंशदान 7685 करोड़ रु० होने का अनुमान है। यह वार्षिक योजना के अनुमान से 814 करोड़ रु० कम है जिसके मुख्य कारण ये हैं—विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि के बदले रिजर्व बैंक से 800 करोड़ रु० का परिकल्पित ऋण नहीं लिया गया, कर की रियायतों, सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की परिलब्धियों के परिशोधन और अतिरिक्त योजनेतर देयताओं के कारण राज्यों के संसाधनों में पर्याप्त कमी हो गई; परन्तु विविध पूंजीगत प्राप्तियों में सुधार, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के अधिक बड़े अंशदान और केन्द्र द्वारा बाजार से अधिक ऋण प्राप्ति से इसे पूरा कर दिए जाने की आशा थी। निवल विदेशी सहायता में 275 करोड़ रु० की कमी दिखाई देती है। इसके आधार पर 1058 करोड़ रु० की घाटे की वित्त-व्यवस्था की गई। तथापि 1977-78 के लिए आंकड़ों में योजना परिव्यय में और अधिक कमी दिखाई दे सकती है और इसलिए घाटा कम हो सकता है। वित्त-व्यवस्था के अलग-अलग साधनों के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणियां नीचे दी गई हैं।

वर्तमान राजस्व से शेष

3. करों की 1973-74 की दरों पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों के वर्तमान राजस्व से योजना के लिए शेष से मूल अनुमान की तुलना में 421 करोड़ रु० की कमी दिखाई देती है। केन्द्र के शेष से 12 करोड़ रु० की सीमांत वृद्धि दिखाई देती है और राज्यों के शेष से 433 करोड़ रु० की कमी दिखाई देती है।

केन्द्र में, मुख्य रूप से अधिक ब्याज की प्राप्तियों के कारण, सकल राजस्व प्राप्तियों से 126 करोड़ रु० की वृद्धि दिखाई देती है, परन्तु मुख्य रूप से निर्यात, खाद्यान्न और उर्वरकों पर उपदान में वृद्धि और सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की स्वीकृति के कारण योजनेतर व्यय में वृद्धि होने से यह अधिकांशत: निष्प्रभावित हो गई।

राज्यों में वर्तमान राजस्व से शेष में कमी अधिकांशत: कर्मचारियों के लिए राहत की मंजूरी, अतिरिक्त योजनेतर वित्तीय आश्वासनों को स्वीकार करने और कई राज्यों द्वारा करों में अनेक रियायतें देने की घोषणा के कारण हुई।

सरकारी उद्यमों का सकल अधिशेष

4. 1973-74 के किराए, भाड़े और अन्य दरों पर केन्द्रीय उद्यमों का सकल अधिशेष मूल रूप से परिकल्पित अधिशेष से 165 करोड़ रु० अधिक होने की आशा है। अधिक सकल यातायात प्राप्तियों और कम कार्यकारी व्ययों के कारण रेलवे की संसाधनों की स्थिति में 55 करोड़ रु० की अधिक राशि प्राप्त हुई। राजस्व अर्जित करने वाले भाड़े के यातायात के मूल अपेक्षा तक न हो पाने और रेल कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता मंजूर किए जाने के बावजूद यह अच्छी स्थिति प्राप्त हुई। मुख्य रूप से नए टेलीफोन कनेक्शनों के कम लगाए जाने के कारण डाक-तार के अंशदान में 7 करोड़ रु० की कमी दिखाई देती है। मुख्य रूप से क्षमता के अधिक उपयोग और अधिक अच्छे प्रबंध के कारण अन्य केन्द्रीय उद्यमों के संसाधनों में 117 करोड़ रु० की वृद्धि दिखाई देती है।

5. केन्द्रीय सरकार के 135 विभागेतर उद्यमों से संबंधित आंकड़ों से 1975-76 में चल रहे 121 प्रतिष्ठानों के 306 करोड़ रु० के लाभ के मुकाबले 476 करोड़ रु० का कर-पूर्व निवल लाभ दिखाई देता है जो क्षमता के अधिक अच्छे उपयोग, भंडार में कमी और प्रचालन दक्षता में अन्य सुधारों के कारण हुआ था।—92 उद्यमों में 602 करोड़ रु० का करपूर्व निवल लाभ हुआ, परन्तु बाकी के 43 उद्यमों में 126करोड़ रु० की हानि हुई। कर देयता के लिए व्यवस्था करने के बाद, 1975-76 में हुए 129 करोड़ रु० के लाभ के मुकाबले 240 करोड़ रु० का निवल लाभ हुआ। इन आंकड़ों में राष्ट्रीय वस्त्र निगम और उसके सहायक प्रतिष्ठानों के प्रचालन परिणाम नहीं दिए गए हैं, इन प्रतिष्ठानों की जो निवल हानि 1975-76 में 60 करोड़ रु० थी, वह कम होकर 1976-77 में 33 करोड़ रु० हो गई।

1977-78 के लिए उपलब्ध सूचना से स्थिति में और अधिक सुधार दिखाई देता है।

6. बिजली के प्रभार, बस किराए आदि की 1973-74 की दरों पर राज्य सरकारों के प्रतिष्ठानों के अंशदान में 7 करोड़ रु० की कमी दिखाई देती है। राज्य बिजली बोर्डों से 17 करोड़ रु० की वृद्धि दिखाई देती है। परन्तु सड़क परिवहन निगमों

से 25 करोड़ रु० की कमी दिखाई देती है। राज्यों के अन्य उद्यमों से 1 करोड़ रु० की वृद्धि दिखाई देती है।

बाजार से ऋण

7. 1977-78 में योजना के लिए बाजार ऋण से केन्द्र और राज्यों की निवल प्राप्तियों में मूल अनुमाव से 189 करोड़ रु० की वृद्धि दिखाई देती है। यदि रिजर्व बैंक द्वारा दीर्घावधि सरकारी प्रतिभूतियों की निवल बिक्री के लिए समायोजन किया जाए तो निवल प्राप्तियां लगभग 268 करोड़ रु० अधिक थीं जिसका मुख्य कारण बैंक जमा में वृद्धि और भविष्य निधि में अभिवृद्धि आदि है।

अल्प बचत

8. अर्थ-व्यवस्था की अधिक वृद्धि दर, स्थिर मूल्य की स्थितियों और अल्प बचत को बढ़ावा देने के लिए किए गए विभिन्न उपायों के कारण कुल निवल संचय में 1977-78 में पर्याप्त वृद्धि हुई। परिशोधित अनुमानों में इसकी धनराशि 440 करोड़ रु० या मूल अनुमान से 15 करोड़ रु० अधिक है, परन्तु अद्यतन सूचना से इसमें और भी वृद्धि दिखाई देती है।

राज्य भविष्य निधियां

9. केन्द्र में राज्य भविष्य निधि में निवल जमा राशि 268 करोड़ रु० के मूल अनुमान की तुलना में 203 करोड़ रु० होने का अनुमान है। 65 करोड़ रु० की कमी मुख्य रूप से, अतिरिक्त महंगाई भत्ते की दूसरी किस्त को कर्मचारियों के भविष्य निधि के लेखे में जमा करने की बजाए नकद भुगतान करने के निर्णय के कारण हुई है। राज्यों में भविष्य निधियों में निवल जमा राशि में 45 करोड़ रु० की वृद्धि होने का अनुमान है, जो मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा मंजूर किए गए अतिरिक्त महंगाई भत्ते के एक भाग को उनके कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखे में जमा करने के कारण है।

वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण

10. आवधिक ऋणों में (अदायगी के निवल) 139 करोड़ रु० के मूल अनुमान से कुछ वृद्धि दिखाई देती है।

विविध पूँजीगत प्राप्तियां

11. 1977-78 में निवल विविध पूंजीगत प्राप्तियां 740 करोड़ रु० होने का अनुमान है जिनसे मूल अनुमान से 315 करोड़ रु० की वृद्धि दिखाई देती है। जमा राशियों और निधियों के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण केन्द्र में निवल प्राप्तियों में 92 करोड़ रु० की वृद्धि हुई जो उर्वरक के लेन-देन पर अधिक परिव्यय और सरकारी उद्यमों को उनके घाटे को पूरा करने के लिए दिए जाने वाले योजनेतर ऋणों के कारण आंशिक रूप से निष्प्रभावित हो गई। राज्यों में निवल व्यय में 223 करोड़ रु० की कमी हुई थी जो मुख्य रूप से राज्य व्यापार के अंतर्गत अधिक प्राप्ति, योजनेतर ऋणों के कम संवितरण और राज्यों द्वारा प्रतिभूतियों की बिक्री के कारण थी।

अतिरिक्त संसाधन जुटाना

12. पांचवीं योजना के आरंभिक वर्षों में, राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार तथा उनके उद्यमों ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए पर्याप्त प्रयत्न किए थे। 1974 से 1978 तक के चार वर्षों की अवधि के लिए 3444 करोड़ रु० की प्राप्ति का अनुमान है। 1977-78 में इस प्रयत्न में शिथिलता आ गई और कई राज्यों ने आवश्यक सीमा तक संसाधन नहीं जुटाए। इसके अलावा वर्तमाय और नए उपायों से हुई प्राप्ति का एक भाग करों और उपशुल्क आदि में रियायतों के कारण निष्प्रभावित हो गया।

विदेशी सहायता

13. 1257 करोड़ रु० की निवल विदेशी सहायता के मूल अनुमान के मुकाबले 1977-78 के लिए 982 करोड़ रु० की निवल विदेशी सहायता का परिशोधित अनुमान है जिससे 275 करोड़ रु० की कमी प्रकट होती है। अनुदानों से 110 करोड़ रु० की वृद्धि दिखाई देती है और ऋणों तथा उधार से 385 करोड़ रु० की कमी दिखाई देती है। ऋणों और उधार के उपयोग में यह कमी इस कारण रही क्योंकि इस सहायता का अधिकांश अनुपात विशिष्ट परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

14. 1977-78 के लिए राज्य योजनाओं, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों तथा उत्तर-पूर्वी परिषद् के कार्यक्रमों के लिए मूल रूप से आवंटित केन्द्रीय सहायता 1552 करोड़ रु० की थी। बाद में चुनी हुई सिंचाई परियोजनाओं/स्कीमों के निष्पादन को तेज करने के लिए, प्राकृतिक विपत्तियों के कारण शुरू किए गए विकास कार्यों की लागत को पूरा करने के लिए और वर्ष में हुई गतिविधियों के कारण उत्पन्न हुए राज्यों के संसाधनों में अंतर के एक भाग को पूरा करने के लिए 414 करोड़ रु० की अतिरिक्त सहायता दी गई।

1978-79 में योजना की वित्त-व्यवस्था

15. 1978-79 की योजना में सरकारी क्षेत्र में 11650 करोड़ रु० के परिव्यय की परिकल्पना है जिससे 1977-78 के स्तर के अद्यतन अनुमानों से 1925 करोड़ रु० या 19.3 प्रतिशत की वृद्धि प्रकट होती है। इसकी वित्त-व्यवस्था इस प्रकार की जानी है :—

सारणी 2

1978-79 के लिए सरकारी क्षेत्र में योजना के वित्तीय संसाधनों के अनुमान

(करोड़ रु०)

		केन्द्र	राज्य	जोड़
1	2	3	4	5
i.	**करों, किराए, भाड़े और प्रशुल्क की 1973-74 की दरों पर आंतरिक बजट संसाधन**			
	1. वर्त्तमान राजस्व से बकाया	318	333	651
	2. सरकारी उद्यमों का सकल अधिशेष	**704**	**—294**	**410**
	(1) रेलवे	—349	—	—349
	(2) डाक-तार	70	—	70
	(3) अन्य उद्यम	983	—294	689
	3. सरकार, सरकारी उद्यमों और स्थानीय निकायों द्वारा बाजार से लिए गए ऋण	1650	473	2123
	4. छोटी बचत	160	300	460
	5. राज्य भविष्य निधि	248	201	449
	6. वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण (निवल)	—	**178**	**178**
	(1) जीवन बीमा निगम से	—	160	160
	(2) भारतीय रिजर्व बैंक से	—	27	27
	(3) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से	—	109	109
	(4) वित्तीय संस्थाओं को वापस की जाने वाली राशि को घटा कर	—	—118	—118
	7. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	741	—363	378
	8. 1974-78 में अतिरिक्त संसाधनों का जुटाना	**1848**	**1880**	**3728**
	(क) **केन्द्र**			
	(1) 1974-75 में किए गए उपाय	1117	61	1178
	(2) 1975-76 में किए गए उपाय	313	148	461
	(3) 1976-77 में किए गए उपाय	284	40	324
	(4) 1977-78 में किए गए उपाय	134	13	147
	जोड़ (क)	**1848**	**262**	**2110**
	(ख) **राज्य**			
	(1) 1974-75 में किए गए उपाय	—	810	810
	(2) 1975-76 में किए गए उपाय	—	390	390
	(3) 1976-77 में किए गए उपाय	—	323	323
	(4) 1977-78 में किए गए उपाय	—	95	95
	जोड़ (क)	—	**1618**	**1618**

(करोड़ रु०)

1	2	3	4	5
	9. 1978-79 में अतिरिक्त संसाधनों का जुटाना			
	(क) केन्द्र	336	92	428
	(ख) राज्य	—	452*	452*
	जोड़	**336**	**544**	**880**
	कुल आंतरिक बजट संसाधन	6005	3252	9257
II.	**विदेशी सहायता (निवल)**			
	(क) तेल और विशेष ऋणों के अतिरिक्त			
	(1) ऋण	833	—	833
	(2) अनुदान	377	—	377
	(3) संयुक्त राज्य अमरीका रुपया निधि	—42	—	—42
	जोड़ (क)	**1168**	—	**1168**
	(ख) तेल ऋण	4	—	4
	(ग) विशेष ऋण	150	—	150
	जोड़ II	**1322**	—	**1322**
III.	**घाटे की वित्त-व्यवस्था**	1071	—	1071
IV.	**कुल संसाधन**	**8398**	**3252**	**11650**
V.	**राज्य योजनाओं के लिए सहायता**	—2519	2519	—
VI.	**योजनाओं के लिए संसाधन***	**5879**	**5671**	**11650**

*योजनेतर व्यय में मितव्ययिता और प्राप्तियों में कमी को पूरा करने की अधिक क्षमता सहित।

16. सरकारी क्षेत्र में बढ़े हुए योजना परिव्यय की वित्त-व्यवस्था करने के लिए आंतरिक बजट संसाधनों को 1977-78 में 7685 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1978-79 में 9257 करोड़ रुपए करना है। विदेशी सहायता के उपयोग में भी 982 करोड़ रुपए से बढ़कर 1322 करोड़ रुपए हो जाने की आशा है। 1978-79 में 1071 करोड़ रुपए की राशि के योजना परिव्यय के शेष को घाटे की वित्त-व्यवस्था द्वारा पूरा करने का प्रस्ताव है। वित्त-व्यवस्था के अलग-अलग साधनों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं :

वर्तमान राजस्व से शेष

17. कराधान की 1973-74 की दरों पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों के वर्तमान राजस्व से 1978-79 में योजना के शेष के 651 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष से 154 करोड़ रुपए अधिक है—जिसमें केन्द्र में 30 करोड़ रुपए और राज्यों में 124 करोड़ रुपए हैं। इसमें उत्पादन, आय और आर्थिक कार्यकलाप की वृद्धि तथा अन्य संबंधित उपादानों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय और राज्य सरकारों के राजस्व की प्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखा गया है। व्यय की दृष्टि से केन्द्रीय और राज्य सरकारों की सब्याज देयताओं के आधार पर ऋण सेवा की गणना की गई है।

18. केन्द्र में सर्वाधिक मितव्ययिता को प्राप्त करने के उद्देश्य से योजनेतर व्यय की पूरी तरह से समीक्षा और काट-छांट की गई है। राज सहायताओं की भी समीक्षा की गई है और उन्हें यथावश्यक समायोजित किया गया है। यदि रक्षा संबंधी व्यय, ब्याज की अदायगियों और राज्यों को अनुदान छोड़ दिए जाएं तो केन्द्र में अन्य योजनेतर व्यय 1978-79 में 1977-78 से कम होगा।

19. राज्य सरकारों ने बकाया राशियों के अधिक संचयन, वर्तमान प्राप्त राशियों के अधिक तथा तेजी से संचयन और योजनेतर व्यय में मितव्ययिता करके वर्तमान राजस्व से अपने शेष को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। राज्यों द्वारा संसाधनों में ऐसे सुधार तथा वृद्धि को अतिरिक्त संसाधन जुटाने के रूप में माना जा रहा है।

सरकारी उद्यमों का सकल अधिशेष

20. 1973-74 के किराए, भाड़े और प्रशुल्क पर 1977-78 में सरकारी उद्यमों के 350 करोड़ रुपए के सकल अधिशेष के मुकाबले 1978-79 में 410 करोड़ रुपए के सकल अधिशेष का अनुमान है, जिससे 60 करोड़ रुपए की वृद्धि प्रकट होती है। 1974-75 से किराए, भाड़े और प्रशुल्क के संशोधन से हुई प्राप्ति के लिए जमा को अतिरिक्त संसाधनों के जुटाने के अंतर्गत अलग से लिया गया है।

21. किराए और भाड़े प्रभारों की 1973-74 की दरों पर 1978-79 में योजना के लिए-349 करोड़ रुपए की धन-राशि के रेलवे के संसाधनों का अनुमान लगाया गया था, जबकि 1977-78 में ये संसाधन-315 करोड़ रुपए के थे। रेलवे द्वारा 1974-75 से किराए और भाड़े के प्रभारों में किए गए परिशोधन से 1978-79 में 587 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। इसके परिणामस्वरूप 1978-79 में योजना के लिए रेलवे का कुल अंशदान 238 करोड़ रुपए होगा, जबकि 1977-78 में यह अंशदान 247 करोड़ रुपए था।

रेलवे की आय के अनुमान इस आधार पर लगाए गए हैं कि 1978-79 में 2220 लाख टन का राजस्व अर्जित करने वाले भाड़े का यातायात होगा। यात्री यातायात में 1977-78 से 5 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार 1978-79 में रेलवे के सकल राजस्व में पिछले वर्ष के स्तर से 88 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की आशा थी। तथापि कार्यचालन खर्च में 90 करोड़ रुपए की वृद्धि के कारण यह अधिक हो जाएगा। केन्द्रीय सरकार को लाभांश की अदायगी में 6 करोड़ रुपए की वृद्धि होने का अनुमान है।

डाक-तार

22. 1973-74 की डाक और दूरसंचार की दरों पर 1978-79 में डाक-तार का सकल अधिशेष 70 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जबकि 1977-78 में यह 41 करोड़ रु० था। यह वृद्धि डाक और दूरसंचार की सेवाओं के विस्तार के कारण है। 1978-79 में लगभग 1.92 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की आशा है।

अन्य केन्द्रीय उद्यम

23. अन्य केन्द्रीय उद्यमों का सकल अधिशेष 1977-78 में 871 करोड़ रुपए की तुलना में 1978-79 में 983 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसमें उनके उत्पादन और बिक्री में प्रत्याशित वृद्धि तथा प्रचालन दक्षता में संभावित और अधिक सुधार को ध्यान में रखा गया है।

राज्य सरकारों के उद्यम

24. बिजली के प्रशुल्क, बस के किराए आदि की 1973-74 की दरों पर राज्य सरकारों के उद्यमों का अंशदान 1977-78 में—247 करोड़ रुपए के मुकाबले 1978-79 में -294 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसमें विद्युत् उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि और राज्य सड़क परिवहन निगमों द्वारा यातायात के संचालन को ध्यान में रखा गया है।

बाजार ऋण

25. बैंक जमा में और जीवन बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि, आदि के निवेशनीय संसाधनों में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए योजना के लिए केन्द्र और राज्यों के कुल निवल बाजार ऋण 1977-78 में 1619 करोड़ रुपए के मुकाबले 1978-79 में 2123 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। केन्द्र के निवल बाजार ऋण की धनराशि 1650 करोड़ रुपए और राज्य बिजली बोर्डों तथा राज्यों में अन्य अर्ध-सरकारी निकायों के ऋणों समेत राज्यों के बाजार ऋण की धनराशि 473 करोड़ रुपए मानी गई है।

अल्प बचत

26. निवल अल्प बचत संचयन 1977-78 के लिए 440 करोड़ रुपए के परिशोधित अनुमान के मुकाबले 1978-79 के लिए 460 करोड़ रुपए माना गया है। 1977-78 में वास्तविक संचयन में वृद्धि और बाद में अच्छी फसल को ध्यान में रखते हुए इसमें वृद्धि होनी चाहिए।

राज्य भविष्य निधियां

27. अनिवार्य जमा की विस्तारित स्कीम के अन्तर्गत जमा की गई अतिरिक्त महंगाई भत्ते की पहली किस्त की भविष्य निधि लेखे में सामान्य वृद्धि और अदायगी को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र में राज्य भविष्य निधि में निवल जमा राशि के 1977-78 में 203 करोड़ रुपए के मुकाबले 1978-79 में 248 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। राज्यों में 1977-78 में 251 करोड़ रुपए की निवल जमा राशि के मुकाबले 1978-79 में निवल जमा राशि के 201 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो मुख्य रूप से 1977-78 में मंजूर किए गए अतिरिक्त महंगाई भत्ते के एक भाग को कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखे में जमा करने से 1977-78 में प्राप्तियों में हुई वृद्धि के कारण है।

वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण

28. विद्युत् परियोजनाओं, आवास और जल

पूर्ति के लिए जीवन बीमा निगम से, सहकारी समितियों की हिस्सा पूंजी में सहभागिता के लिए, रिजर्व बैंक से और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से निवल ऋण के 178 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिससे 1977-78 के स्तर से 37 करोड़ रुपए की वृद्धि प्रकट होती है ।

विविध पूंजीगत प्राप्तियां

29. जो निवल विविध पूंजीगत प्राप्तियां 1977-78 में 740 करोड़ रुपए थीं, उनके 1978-79 में 378 करोड़ रुपए होने का अनुमान है । यह कमी मुख्य रूप से राज्यों में ऋणों और अग्रिम धन राशि की कम वसूलियों, बढ़े हुए योजनेतर ऋणों और सरकारी व्यापार से कम प्राप्तियों तथा केन्द्र में जमा और धनराशियों के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण है। 1977-78 में राज्यों द्वारा प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्तियों में वृद्धि हुई थी ।

अतिरिक्त संसाधन जुटाना

30. 1978-79 में केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए उपायों से नीचे बताए अनुसार 428 करोड़ रुपए की प्राप्ति की आशा है ।

सारणी 3

केन्द्र द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाना

(करोड़ रुपए)

	1978-79 में अनुमानित प्राप्ति
1. आयकर	—5.2
2. निगम कर	21.9
3. सीमा शुल्क	10.3
4. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	472.5
5. ब्याज कर	—108.0
6. डाक की दरें	11.4
7. अनिवार्य जमा में वृद्धि	25.0
जोड़	227.9

इस प्राप्ति में राज्यों का भाग 91.5 करोड़ रुपए होने का अनुमान हैं, इसलिए केन्द्र को निवल प्राप्ति 336.4 करोड़ रुपए की होगी ।

31. प्राप्तियों में कमी को पूरा करने की अधिक क्षमता और योजनेतर व्यय में मितव्ययिता सहित अतिरिक्त संसाधन जुटा करके 1978-79 में 452 करोड़ रुपए की कुल धनराशि जुटाने के आश्वासनों पर राज्यों की योजनाएं आधारित की गई हैं । तथापि उपलब्ध सूचना से यह मालूम होता है कि करों, प्रशुल्कों और अन्य दरों में राज्यों द्वारा घोषित किए गए परिवर्तनों से नीचे बताए अनुसार इस वर्ष केवल 137 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे :

सारणी 4

1978-79 में राज्यों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाना

(करोड़ रु०)

	1978-79 में अनुमानित प्राप्ति
1. भूमि राजस्व	4.23
2. बिक्री कर	25.98
3. राज्य उत्पादन शुल्क	9.11
4. मोटर वाहन कर	9.99
5. यात्री और माल कर	3.90
9. स्टाम्प और पंजीकरण	2.57
7. मनोरंजन कर	1.88
8. सिंचाई की दरें	0.71
9. वन	0.84
10. खनिजों की रायल्टी	0.65
11. बिजली प्रशुल्क	35.68
12. बस किरायों का संशोधन	0.69
13. अन्य मद	41.09
जोड़	137.32

वृद्धि या सुधार, प्राप्तियों और योजनेतर व्यय में मितव्ययिता द्वारा बचत के सम्बन्ध में पूरी सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है ।

विदेशी सहायता

32. अधिक अनुदान और परियोजना ऋणों के अधिक उपयोग को मानते हुए पिछले वर्ष में 982 करोड़ रुपए के मुकाबले 1978-79 के लिए निवल विदेशी सहायता 1322 करोड़ रुपए रखी गई है ।

घाटे की वित्त-व्यवस्था

33. घाटे की वित्त-व्यवस्था की राशि 1071 करोड़ रुपए रखी गई है । उचित आर्थिक प्रबंध और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति को बनाए रखकर, घाटे की वित्त-व्यवस्था की इस मात्रा से अर्थ-व्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव उत्पन्न होने की आशा नहीं है । तथापि स्थिति पर ध्यानपूर्वक निगरानी रखी जा रही है और आकस्थकता होने पर तत्काल सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे ।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

34. राज्य योजनाओं, पहाड़ी और जन जातीत क्षेत्रों तथा उत्तर-पूर्वी परिषद् के कार्यक्रमों के लिए आबंटित केन्द्रीय सहायता 1977-78 में 1967 करोड़ रुपए के मुकाबले 1978-79 के लिए 2519 करोड़ रुपए है ।

अध्याय 4

कृषि

फसल उत्पादन

1977-78 में हुई प्रगति की समीक्षा

महत्त्वपूर्ण फसलों के संबंध में 1977-78 के लिए लक्ष्य और प्रत्याशित उपलब्धियां तथा उपलब्ध अनुमानित उत्पादन नीचे दिए गए हैं :—

फसल	इकाई	1976-77	1977-78	
			लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि
खाद्यान्न	दस लाख टन	111.57	118.00	125.60
तिलहन	दस लाख टन	8.16	10.80	(121.00)
				8.93
				(10.00)
गन्ना	दस लाख टन	154.00	155.00	181.63
				(160.00)
कपास	दस लाख गाठें	5.78	7.00	7.10
	(प्रत्येक 170 कि०ग्रा० की)			(6.8)
पटसन और	दस लाख गाठें	7.08	7.40	7.12
मेस्ता	(प्रत्येक 180 कि०ग्रा० की)			(6.9)

(कोष्टकों में दिए गए आंकड़े राज्यों के जोड़ की तुलना में अखिल भारतीय प्रत्याशित स्तरों के द्योतक हैं।)

1977-78 के लिए 125.6 लाख टन खाद्यान्नों के उत्पादन के अंतिम अनुमान न केवल 1976-77 में उपलब्ध स्तर से पर्याप्त रूप से अधिक थे, बल्कि 1180 लाख टन के लक्ष्य से भी अधिक थे। खरीफ की फसल के लिए 1977-78 की वर्षा सामयिक, पर्याप्त और व्यापक थी; सभी प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग अधिक हुआ। यद्यपि दक्षिण में, विशेषकर आंध्र प्रदेश में तूफानों के कारण हानि हुई, फिर भी इन हानियों की तमिलनाडु के अनेक जिलों में हुई बहुत अच्छी फसल से पूर्ति हो गई। रबी के मौसम में भी उत्तर में कुछ जिलों में कड़ी सर्दी और ओला वृष्टि के बावजूद बुवाई के समय और फसल के बढ़ने की महत्त्वपूर्ण अवधियों में समय पर पर्याप्त वर्षा होने, पर्याप्त सिंचाई और नलकूपों को बिजली की उपलब्धता के कारण उत्पादन में कुल मिलाकर वृद्धि हुई।

यद्यपि गन्ने का उत्पादन लक्ष्य से काफी अधिक था, किन्तु वर्षा के कारण पटसन और मेस्ता का उत्पादन कम हुआ। 1977-78 में कपास का उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन से अधिक था और लक्ष्य से भी कुछ अधिक था। तिलहन का जो उत्पादन, 1976-77 में कम हो गया था, वह मौसम की अनुकूल स्थिति के कारण 1977-78 में काफी बढ़ गया।

1978-79 के लिए योजना

2. निम्नलिखित सारणी में विभिन्न फसलों के संबंध में उत्पादन के अखिल भारतीय लक्ष्य दिए गए हैं :—

फसल उत्पादन के लक्ष्य, 1978-79

फसल	इकाई	लक्ष्य
1. खाद्यान्न	दस लाख टन	126.00
2. तिलहन	दस लाख टन	10.80
3. गन्ना	दस लाख टन	166.00
4. कपास	दस लाख गांठें (प्रत्येक 170 कि०ग्रा० की)	7.50
5. पटसन और मेस्ता	दस लाख गांठें (प्रत्येक 180 कि०ग्रा० की)	7.60

1976-77 के लिए राज्यवार उपलब्धि, 1977-78 के लिए लक्ष्य और संभावित उपलब्धि, तथा 1978-79 के लिए उत्पादन के लक्ष्य अनुलग्नक 4.1 से 4.5 में दिए गए हैं।

पिछले निष्पादन, वर्तमान स्थिति के समग्र अनुमान, तथा साथ ही अगले वर्ष की संभावना को ध्यान में रखते हुए, खाद्यान्नों और प्रमुख वाणिज्यिक फसलों के लिए अखिल भारतीय लक्ष्यों को राज्यों के लक्ष्यों के जोड़ से कम रखा गया। खाद्यान्नों के लिए लक्ष्य को 1977-78 में लगभग प्रत्याशित स्तर के समान रखा गया। 1977-78 में मौसम की स्थिति बहुत ही अच्छी रही, लेकिन 1978-79 के लिए लक्ष्य, सामान्य मौसम की स्थिति की आशा और विस्तार तंत्र को बढ़ाने, सिंचाई के उपयोग में विस्तार और सुधार तथा विभिन्न निवेशों के अच्छे प्रबंध से अपेक्षित योगदान के आधार पर रखा गया है।

3. निम्नलिखित सारणी में कुछ महत्त्वपूर्ण वास्तविक लक्ष्य दिए गए हैं :—

सारणी 1

कार्यक्रम	1976-77	1977-78		1978-79
		लक्ष्य	संभावित उपलब्धि	लक्ष्य
1. अधिक उपज देने वाली किस्में (दस लाख हैक्टेयर) (अनुलग्नक 4.6)	33.6	37.0	38.0	42.0
धान	13.3	15.0	15.6	17.5
गेहूं	14.5	15.0	15.5	16.5
मक्का	1.1	1.3	1.2	1.3
ज्वार	2.4	3.0	3.1	3.5
बाजरा	2.3	2.7	2.6	3.2
2. उर्वरक (एन०पी०के०) (अनुलग्नक 4.8) (लाख टन)	34.3	42.0	41.84	50.0
एन०	24.5	30.5	28.88	34.0
पी०	6.5	8.0	8.27	10.0
के०	3.3	3.5	4.69	6.0
3. पौध संरक्षण (अनुलग्नक 4.9) (000 टन तकनीकी ग्रेड सामग्री)	50.5	60.0	59.2	65.0
4. भू संरक्षण (अनुलग्नक 4.11) (दस लाख हैक्टेयर)	19.6	20.1	20.1	21.0
5. सकल फसल क्षेत्र (अनुलग्नक 4.7) (दस लाख हैक्टेयर)	169.1	173.0	172.7	174.0

4. विभिन्न फसलों के उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सामान्य नीति यह रहेगी कि भूमि और (विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में तीव्र प्रगति पर अधिक बल देने के परिणाम-स्वरूप उपलब्ध हुए) जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जाए और उर्वरकों का संतुलित उपयोग, सिंचित क्षेत्र में बहु-फसल प्रणाली का उपयोग, क्षेत्र में और अन्य निवेशों का प्रभावी उपयोग और प्रबंध जैसे गहन उपायों पर निर्भर रहा जाए। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कार्यनीति मुख्यतः अधिक उपज देने वाली किस्मों के अंतर्गत क्षेत्र की वृद्धि करना और महत्त्वपूर्ण निवेशों की पूर्ति को बढ़ाने की होगी। 1977-78 में प्राप्त उत्पादन के स्तर के समान ही उत्पादन स्तर को केवल उर्वरकों के उपयोग में और सुधार करके और उन्नत

शिल्पविज्ञान का विशेष कर उन पूर्वी राज्यों में अंतरण करके बनाए रखा जा सकता है, जहां विस्तार तंत्र को बढ़ाने और भौम जल संसाधनों का विकास करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

5. दालों, तिलहनों और कपास के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उनके उत्पादन में वृद्धि को बहु-फसल प्रणाली कार्यक्रम में अल्पावधि किस्मों के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र को लाने, अधिक सिंचित क्षेत्र आवंटित करने, दालों के बीच की फसलें उगाने, गेंहू/जौ की सीमांत भूमि में चने की काश्त को बढ़ाने, प्रमाणित बीजों का विविधीकरण और वितरण करके तथा पौध संरक्षण के पर्याप्त उपायों समेत सस्य प्रणालियों के समुच्चय को अपनाकर प्राप्त करने का प्रस्ताव है। दालों और तिलहनों के बीज की अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास करने के लिए अनुसंधान को और अधिक बढ़ाया जाएगा। सामान्यत: व्यापक और गहन दोनों ही उपायों के जरिए वाणिज्यिक फसलों पर और अधिक बल दिया जा रहा है। अनाज की अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास करके, जिनकी उत्पादकता क्षेत्र की प्रत्येक इकाई में अपेक्षाकृत अधिक होती है, वाणिज्यिक फसलों के लिए अतिरिक्त क्षेत्र, विशेषकर सिंचित क्षेत्र का आवंटन करना संभव होगा। असिंचित भूमि में अधिक उत्पादन में सहायता करने के लिए, भू और आर्द्रता संरक्षण समेत जल संभर प्रबन्ध, फसल की सूखा और रोग प्रतिरोधक किस्मों का विकास करने और वर्षाधीन खेती करने के लिए उन्नत तकनीक पर बल दिया जाएगा; दालों और वाणिज्यिक फ़सलों को दिए गए मूल्य प्रोत्साहनों से किसानों को भी उत्साह प्राप्त होगा।

6. जल के उपयोग में दक्षता से संबंधित कार्यक्रमों को पर्याप्त महत्व दिया गया है। बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं में नियंत्रण क्षेत्र विकास का दृष्टिकोण अपनाया गया है। छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी यही दृष्टिकोण प्रचारित किया जाएगा। क्षेत्र जल निकासी के निर्माण और जल के उचित वितरण में सहायता करने के लिए चकबंदी के कार्यक्रम को, विशेषकर बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं के नियंत्रण क्षेत्रों में, बढ़ाया जाएगा।

चुनी हुई फसलों के लिए विशेष कार्यक्रम

अनाज

7. महत्वपूर्ण अनाज की फसलों की पहले से प्रचलित किस्मों और नई प्रचलित संभावना वाली किस्मों के विस्तार के लिए और फसल उगाने की प्रणालियों से परिवर्तन करने के लिए विशेष उपायों को और गहन किया जाएगा ताकि अधिक उत्पादकता सुनिश्चित हो सके। मिनीकिट चावल की किस्मों का जो कार्यक्रम चावल उगाने वाले चुने हुए लगभग 150 महत्वपूर्ण जिलों में चल रहा था उसे जारी रखा जाएगा। इसी प्रकार, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा और रागी की नई किस्मों को, जिनका 1977-78 में विस्तार किया गया था, लोकप्रिय बनाने के मिनीकिट कार्यक्रम को 1978-79 में भी जारी रखा जाएगा। जौ की नई किस्मों के थोड़े से अनुकूली परीक्षण और मिनीकिट कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। सामुदायिक चावल रोपणी कार्यक्रम में अब चावल उगाने वाले अनेक महत्वपूर्ण राज्य आते हैं। इस कार्यक्रम का अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विस्तार करने का प्रस्ताव है और साथ ही बाढ़ अथवा सूखे के कारण क्षति होने की स्थिति में भी विशेष सामुदायिक रोपणियां तैयार करने का भी प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के सफल प्रचालन से चावल की अधिक उत्पादकता हो सकेगी और इसके बाद राज्यों में शीघ्र पकने वाले गेहूं की विस्तृत खेती हो सकेगी। इन कार्यक्रमों की पर्याप्त सहायता करने के लिए इनमें से अधिकांश क्षेत्रों में अच्छी किस्म के बीजों की पूर्ति के प्रबंधों को व्यवस्थित किया गया है।

8. नये शिल्प विज्ञान के शीघ्र अंतरण में सहायता देने के उद्देश्य से विस्तार कर्मचारियों और किसानों के प्रचलित प्रशिक्षण कार्यक्रम के विस्तार के अतिरिक्त, 6 राज्यों के चावल उगाने वाले 70 महत्वपूर्ण जिलों में खेतिहर मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम की भी योजना बनाई गई है। 30 चुने हुए जिलों में एक गहन चावल जिला कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। कुछ राज्यों में पहले से ही चल रहे उन्नत उपस्करों की सहायता से प्रदर्शन के लिए स्कीम का अन्य राज्यों में भी इस उद्देश्य से विस्तार किया जाएगा कि जिन स्थानों में सीधा बीजारोपण अथवा बीज का प्रसारण किया जाता है वहां चावल को पंक्तिबद्ध बोया जा सके। प्रचार सामग्री के प्रकाशन और वितरण और जिस निदेशालय को बढ़ाने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है।

9. संबद्ध शिल्पविज्ञान और निवेशों के उपयोग सहित अनाज की फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। बाजरा और मक्का को छोड़कर, अनाज की अधिक उपज देने वाली किस्मों के संबंध में 1977-78 में समावेशन में समग्र प्रगति संतोषजनक रही है और गेहूं के मामले में यह लक्ष्य से कुछ अधिक हो है। तथापि संकर बाजरा और संकर मक्का के मामले में उपलब्धि लक्षित स्तर से कुछ कम रही है। बाजरे में यह कमी मुख्यत: इस बात के कारण हुई कि अधिकांश क्षेत्रों में संकर बाजरे की वर्तमान किस्मों में हरित बाली रोग महामारी के रूप में फैल गया था। मिनीकिट कार्यक्रम के जरिए नई संकर किस्मों का परीक्षण किया जाएगा।

10. अधिक उपज देने वाली किस्मों के समावेशन का 1978-79 में लक्ष्य 420 लाख हैक्टेयर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त परिकल्पित समावेशन में धान और गेहूं का प्रमुख भाग है।

अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के विस्तार से, विशेषकर चावल के संबंध में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल, गेहूं के संबंध में पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश तथा ज्वार के संबंध में आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में खाद्यान्नों के अतिरिक्त उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की आशा है।

दालें

11. गहन दाल विकास कार्यक्रम में, प्रदर्शन, उन्नत किस्मों के बीजों का विविधीकरण, फ़ास्फेट उर्वरक, राइजोबियम कृषि और पौध संरक्षण के उपाय समेत उन्नत संहत कृषि प्रणालियां शम्मिल हैं; यह कार्यक्रम चुने हुए 46 जिलों में चल रहा था और इसे 1978-79 में जारी रखा जाएगा। दाल की उन्नत किस्मों के केन्द्रिक, आधारिक और प्रमाणित बीजों के विविधीकरण के लिए सुविधाओं का एक अलग नई केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत विस्तार किया जा रहा है। संहत प्रणालियों के लाभ का बड़े क्षेत्र में विस्तार करने के लिए उपाय किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदर्शन में अन्तर-फसल उगाना, सह फसल उठाना और संहत प्रणालियों का प्रयोग शामिल है।

तिलहन

12. खाद्य तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उपायों का पता लगाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एक विशेष दल की स्थापना की गई। इस विशेष दल की सिफारिशों के आधार पर 1977-78 में तिलहनों के उत्पादन को बढ़ने के लिए कार्यनीति में चुने हुए अधिक क्षमता वाले क्षेत्रों में गहन कृषि के उपाय करके उत्पादन को बढ़ाने, तिलहनों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने और उपयुक्त सस्य संबंधी उपाय करके बहुत तेज घट-बढ़ से तिलहन के उत्पादन को सुरक्षित रखने तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत सूरजमुखी और सोयाबीन जैसे सूखा-रोधक और अपरंपरागत तिलहनों की फसलों का विकास करने की सामान्य रूप से परिकल्पना की गई।

13. चुने हुए जिलों में वर्तमान तिलहनों के क्षेत्र के कम से कम 75 प्रतिशत भाग को 1979 में केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 10 राज्यों में 29 जिलों में 23.56 लाख हैक्टेयर भूमि आयेगी जो 1977-78 में समावेशन से लगभग 25 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक होगी। उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अलावा, इस कार्यक्रम में महत्त्वपूर्ण नाशक कीटों विशेषकर मूंगफली पर प्रहार करने वाली सफेद दीमक से पौध संरक्षण कार्यों के संबंध में सहायता के लिए धनराशि की व्यवस्था की भी परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, फसल उगाने के उपयुक्त तरीकों को लोकप्रिय बनाकर नए क्षेत्रों में नए तिलहनों अथवा परम्परागत तिलहनों की शुरूआत करके चुने हुए जिलों में तिलहन के अंतर्गत क्षेत्र की वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 1978-79 में 4.60 लाख हैक्टेयर को सूर्यमुखी के अंतर्गत और 3.39 लाख हैक्टेयर को सोयाबीन के अंतर्गत लाने की परिकल्पना की गई है।

गन्ना

14. गन्ने के गहन विकास की केन्द्रीय स्कीम का, जिसे 1977-78 में कार्यान्वित किया गया, 245 चीनी के कारखानों से 277 चीनी के कारखानों के क्षेत्रों में विस्तार किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अच्छी किस्म के बीजों के उत्पादन और वितरण तथा व्यापक विस्तार समर्थन पर विशेष बल दिया गया है। 1977-78 में 326 हैक्टेयर क्षेत्र को आधारिक बीज रोपणियों के अंतर्गत लाया गया था और 1703 हैक्टेयर क्षेत्र को प्राथमिक बीज रोपणियों के अंतर्गत लाया गया था। 1978-79 में में आधारिक बीज रोपणियों के अंतर्गत संभावित क्षेत्र 325 हैक्टेयर होगा और प्राथमिक रोपणी का क्षेत्र 3500 हैक्टेयर और माध्यमिक बीज रोपणियों के अंतर्गत क्षेत्र 17000 हैक्टेयर होने की आशा है। इस स्कीम के अंतर्गत अन्य समर्थनकारी उपाय होंगे पौध और रतून गन्ने के लिए उन्नत प्रणालियों के प्रदर्शन का आयोजन करना तथा सामाजिक और प्रभावी पौध संरक्षण उपाय करना तथा गन्ना विकास कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।

कपास

15. 1977-78 में परम्परागत कपास उगाने के क्षेत्र में वर्तमान कपास विकास के गहन कार्यक्रम के अंतर्गत सकल क्षेत्र को 1978-79 में 11.95 लाख हैक्टेयर से बढ़ाकर 13.45 लाख हैक्टेयर किया जाएगा। इसमें से 6.85 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र होगा और 6.60 लाख हैक्टेयर वर्षा से सिंचित होगा। वर्षा से सिंचित होने वाले क्षेत्र के लिए कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के 8 नए जिले शामिल होंगे। नई सिंचाई परियोजनाओं के नियंत्रण क्षेत्र में कपास विकास के गहन कार्यक्रम के समावेशन का लक्ष्य 1977-78 में 3.40 लाख हैक्टेयर की तुलना में 3.55 लाख हैक्टेयर होगा। तथापि वास्तविक क्षमता को ध्यान में रखते हुए 1977-78 में अपरंपरागत क्षेत्रों के समावेशन का लक्ष्य कम रखने का प्रस्ताव है। 1977-78 के 0.25 लाख हैक्टेयर की तुलना में 1978-1979 के लिए अब प्रस्तावित लक्ष्य 0.40 लाख हैक्टेयर है।

16. विभिन्न राज्यों में संकर बीज के उत्पादन की गति तेज कर दी गई है ताकि इस फसल के अंतर्गत क्षेत्र का और विस्तार किया जा सके। 1978-79 में संकर बीज के उत्पादन के लिए 3.725 लाख हैक्टेयर के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। केन्द्रिक और आधारिक बीज के संबंध में, 1778-79 में केंद्रिक और आधाकि बीजों के उत्पादन के लिए क्रमशः लाख 76.25 हैक्टेयर क्षेत्र और 868 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बनाए रखने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम में सूविन, विष्णु, एस० आर० टी०-1, जे-205, डी० एच० वाई० 286, और ए० के० एच०-4 जैसी नई किस्में आएंगी।

पटसन और मेस्ता

17. पटसन/मेस्ता के गहन विकास कार्यक्रम को 3.88 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में कार्यान्वित किया गया जिसमें 1977-78 में 6 राज्यों के 20 चुने हुए जिले शामिल थे। इस कार्यक्रम का इन राज्यों में 4.20 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा। जिन मुख्य पहलुओं पर विशेष बल दिया जाएगा वे हैं अच्छी किस्म के बीजों की पर्याप्त पूर्ति को बढ़ावा देना, उर्वरकों और कीटनाशक औषधियों जैसे निवेशों की सामयिक उपलब्धता और शिल्पवैज्ञानिक सलाह देना तथा संहत प्रणालियों का प्रदर्शन करना। सिंचित पटसन के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने और अनुवर्ती फसल के रूप में चावल उगाने के लिए अल्पावधि किस्मों की काश्त पर भी बल दिया जा रहा है।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा

18. वर्ष 1977-78 में चालू अनुसंधान कार्यक्रमों को सामान्य रूप से तेजी से कार्यान्वित किया गया। वर्षा पर आधारित चावल के संबंध में गहन अनुसंधान करने पर विशेष बल दिया गया। उष्ण कटिबंधीय बागबानी में अनुसंधान बढ़ाने के अतिरिक्त शुष्क प्रदेश बागबानी की विशेष अनुसंधान से सहायता की गई और यह सहायता पश्चिमी भारत के शुष्क के क्षेत्रों के लिए खजूर की उपयुक्त किस्मों का पता लगाने के लिए विशेष रूप से की गई। पशु विज्ञानों के क्षेत्र में गहन प्रयासों के लिए ब्रौलरों संबंधी अनुसंधान निश्चित किया गया। मथुरा के समीप राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केन्द्र का विकास करने के लिए कार्रवाई की गई। बीकानेर और कारगिल में कराकुल भेड़ के प्रजनन में और प्रगति हुई। भोपाल में नव स्थापित केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान में आवश्यक अनुसंधान आधारभूत व्यवस्था के विकास में और प्रगति हुई।

19. विस्तार शिक्षा के क्षेत्र में, कृषकों को उन्नत कृषि कुशलताओं की शिक्षा प्रदान करने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र और प्रशिक्षक प्रशिक्षण के लिए तंत्र स्थापित किया गया है। नई आरम्भ की गई प्रचालन परियोजनाओं की विस्तार शिक्षा के लिए समग्र ग्राम कार्यनीति के संबंध में उनकी प्रभावकारिता में सुधार करने की दृष्टि से विवेचनात्मक समीक्षा की गई।

20. अनुसंधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने फिलिपिन्स कृषि अनुसंधान परिषद्, पश्चिम अफ्रीका चावल विकास एसोसिएशन और दक्षिण-पूर्व एशिया मीन उद्योग विकास केन्द्र के साथ सहयोग संबंधी करार किए हैं। वियतनाम में चावल और भैंस अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा सहायता प्रदान किये जाने के लिए भी कार्रवाई की गई है।

21. कृषि विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करके निकलने वाले अप्रबुद्ध कृषि स्नातकों और ग्रामीण महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गृह विज्ञान शिक्षा को नया रूप देने के विशेष संदर्भ में कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए 1977 78 में एक समिति स्थापित की गई।

22. 1978-79 में प्रमुख नव आरम्भ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय अनुसंधान क्षमताओं के संबंध में था जिसे विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय संस्थानों और समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के बीच अनुसंधान के अधिकार क्षेत्र की और साथ ही अनुसंधान की वित्त-व्यवस्था करने की पद्धति की समीक्षा करने का प्रस्ताव है जिससे कि अलग-अलग स्थानों में वैज्ञानिक जनशक्ति और अन्य सुविधाओं के युक्तिकरण और उचित समन्वय तथा उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए 1977-78 के लिए किए गए 38.74 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में 1978-79 में 51.00 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है।

कृषि प्रशासन, विस्तार और प्रशिक्षण :

23. कृषि के क्षेत्र में शिल्प विज्ञान के अंतरण की प्रक्रिया को बढ़ाने की समग्र कार्यनीति के अंग के रूप में, क्षेत्र स्तर पर विस्तार तंत्र को बढ़ाने की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कई राज्यों में 1977-78 में शुरू की गई। आरंभ में यह स्कीम चुने हुए राज्यों में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त चल रहे विस्तार सुदृढ़ीकरण कार्यक्रमों में सहायता करने के लिए शुरू की गई; यह स्कीम यथा समय देश भर में चलने लगेगी। जो कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों के जरिए कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम पंच वर्षीय योजना के आरंभ होने के समय 100 जिलों में चल रहा था 1977-78 के अंत में उसका विस्तार 138 जिलों में हो गया। राज्यों में अनुकूलन क्षेत्र परीक्षणों को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का सिद्धान्त रूप में अनुमोदन हो चुका है जिसकी प्रचालन कार्य नीति तैयार की जा रही है। 1977 के अन्त में पि प्रदर्शनी-

77' (एग्री एक्स्पो-77) नामक राष्ट्रीय स्तर के कृषि मेले का सफल आयोजन किया गया जो देश में अपने ढंग का पहला मेला था जिसमें कृषि के क्षेत्र में देश में हुई प्रगति में काफी स्थानीय और अन्तर्राष्ट्रीय अभिरुचि दिखाई दी। चल रही प्रशिक्षण और मध्यम स्कीमों को परिव्यय में सामान्य वृद्धि करके जारी रखा गया।

24. कृषि प्रशासन, शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी चालू कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को 1978-79 में तेज किया जा रहा है। राज्यों में अनुकूलन क्षेत्र परीक्षणों को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम लागू हो जाएगी। महिला विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए अग्रिम कार्रवाई करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1977-78 में 6.80 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में 1978-79 के लिए परिव्यय 8.15 करोड़ रुपये रखा गया है।

उर्वरक और खाद

25. वर्ष 1977-78 में रासायनिक उर्वरकों की खपत में पिछले वर्ष से 27 प्रतिशत वृद्धि हुई। एन०पी० और के० की लगभग 43 लाख टन की अनुमानित खपत इस वर्ष के लिए निर्धारित 42 लाख टन के लक्ष्य से अधिक थी। मौसम की अच्छी दशाओं, संवर्धनात्मक प्रयत्नों, उर्वरकों और ऋण की सरल उपलब्धता और इसके साथ 1976-77 में की गई मूल्यों में कमी के परिणामस्वरूप उत्पादन में यह अनुकूल वृद्धि हुई थी। फास्फेट और पोटास उर्वरकों के लिए राज्य सहायता से पोषक तत्वों के और अधिक संतुलित प्रयोग को बढ़ावा मिला है।

26. 1978-79 में संवर्धनात्मक प्रयत्न को और अधिक तेज किया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है ताकि इसके अंतर्गत अधिक क्षेत्र आ सकें। अतिरिक्त खुदरा बिक्री केन्द्र खोलकर और मध्यस्थ भंडारण केन्द्रों में वृद्धि करके वितरण प्रबन्धों को भी बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि इन्हें आसानी से लाया-लेजाया जा सके। फास्फेट और पोटास उर्वरकों के लिए राज सहायता जारी रखी जाएगी। इन उपायों और पिछले दो वर्ष में वृद्धि की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों की खपत में और वृद्धि होने की परिकल्पना है। 1978-79 के लिए 50 लाख टन की खपत का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमें 34 लाख टन 'एन', 70 लख टन 'पी' और 6 लाख टन 'के' है। (अनुलग्नक 4.8)

27. आर्गेनिक खादों के प्रचार और उपयोग पर विशेष बल दिया जा रहा है। शहरी कूड़ा-करकट, मल और कचरे के के उपयोग के लिए संयंत्रित सम्मिश्र और गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए कार्यक्रम पहले शुरू किए गए थे। आर्गेनिक खाद के संसाधनों के एकीकृत विकास की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत 2 यान्त्रिक सम्मिश्रण संयंत्र 1977-78 में चालू हो गए हैं। 18 और संयंत्रों के लिए परियोजना रिपोर्टों का अनुमोदन कर दिया गया है और इस प्रकार के 11 संयंत्रों के लिए संस्वीकृति जारी की गई है। 1978-79 के लिए 8 और सम्मिश्रण संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मल और कचरा उपयोग स्कीम के अन्तर्गत 50 ऐसी योजनाओं के लक्ष्य की तुलना में 1977-78 में 10 स्कीमों के लिए संस्वीकृति दी गई। वर्ष 1978-79 में और 25 शहरों को इस स्कीम के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है।

28. पंजाब, हरियाणा के राज्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों में गोबर गैस के कार्यक्रम में प्रगति हुई है। अनेक अन्य राज्यों में इस कार्यक्रम की अभी प्रगति होनी है। अभी तक देश में 60,000 गोबर गैस संयंत्र लगाए जा चुके हैं। वर्ष 1977-78 में लगभग 18,000 संयंत्रों के लिए संस्वीकृतियां जारी की गई हैं। इस कार्यक्रम को अगले वर्ष में और अधिक बढ़ाया जाएगा। वर्ष 1978-79 के लिए 30,000 अतिरिक्त संयंत्रों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सामुदायिक गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वर्ष 1978-79 के लिए इस प्रकार के 10 संयंत्रों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1977-78 में 2 नई स्कीमें शुरू की गईं जिनमें से एक शौच से 'बायोगैस' से संबंधित थी और दूसरी हरित खाद से संबंधित थी। वर्ष 1978-79 में, प्रायोगिक आधार पर 5 शौच डाईजेस्टर की स्थापना की जानी है। हरित खाद और नील हरित अलागे और अमोला के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।

उन्नत बीज

29. वर्ष 1977-78 में उन्नत बीजों के विकास, विविधीकरण और वितरण की ओर ध्यान दिया जाता रहा। राष्ट्रीय बीज निगम और राज्य फार्म निगम बीजों के उत्पादन और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। 1977-78 में राष्ट्रीय बीज निगम ने अतिरिक्त मांग की पूर्ति करने के लिए आधारिक बीज का लगभग 600 टन का और प्रमाणित बीज का 8,000 टन का आरक्षित भंडार बना लिया है। राज्य फार्म निगम ने 1976-77 (30 जून को समाप्त हुए वर्ष) में 62,000 टन बीजों का उत्पादन किया। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जो 4 राज्य बीज निगम 1976-77 में स्थापित किए गए थे, उन्होंने इस वर्ष में अपने संगठन बना लिए हैं। वर्ष 1978-79 में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तथा उड़ीसा राज्यों में और 5 राज्य बीज निगम स्थापित किए जाने हैं। 1978-79 में इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 300 लाख रु० का परिव्यय रखा गया हैं।

पौध संरक्षण

30. वर्ष 1977-78 में कीटनाशकों की खपत 60,000 टन के लक्ष्य की तुलना में लगभग 59,200 टन होने का अनुमान

है। 1978-79 के लिए कीटनाशकों (तकनीकी ग्रेड सामग्री) के 65,000 टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

31. महामारी क्षेत्रों में नाशक कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को 1978-79 में जारी रखा जाएगा। नाशक कीटों और राष्ट्रीय महत्व के रोगों अर्थात् ब्राऊन प्लांट होपर, गल मिज, ह्वाईट ग्रब, एपल स्केब और रोडेंट्स के नियंत्रण के लिए इस स्कीम के अधीन पांचवीं योजना में शुरू की गई उप स्कीम को जारी रखा जाएगा। इन स्कीमों में पौध संरक्षण रसायनों और हवाई और भूमि छिड़काव की लागत पर पर्याप्त राज सहायता के लिए व्यवस्था है। 1977-78 में आंध्र प्रदेश के चुने हुए जिलों को भी रोडेंट नियंत्रण अभियान में शामिल किया गया। मिजोरम में रोडेंट के खतरे को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया गया जिसके लिए कीटनाशकों की लागत पर शत प्रतिशत राज्य सहायता दी गई। मिजोरम और कर्नाटक में रोडेंट नियंत्रण कार्यक्रम जारी रखने का प्रस्ताव है। सेव के स्कैब रोग के नियंत्रण के लिए हिमाचल प्रदेश में अभियान शुरू किया जा रहा हैं। इसी प्रकार कर्नाटक और तमिलनाडु को 1978-79 में ब्राउन प्लांट होपर नियंत्रण के कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया गया है।

32. तीव्र भ्रमण सर्वेक्षण के लिए एक नई स्कीम और काजुओं के लिए हवाई पट्टियों के लिए एक स्कीम 1977-78 में शुरू की गई। इन सभी स्कीमों के लिए 1978-79 में परिव्ययों की व्यवस्था की गई है। नाशक कीटों और रोगों पर नियंत्रण रखने के केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अधीन 9 पौध-संरक्षण केन्द्र और 12 केन्द्रीय नियंत्रण केन्द्र कार्य करते रहे। 7 राज्यों में लगातार आठवें वर्ष में भी तदर्थ चावल सर्वेक्षण जारी रहा। इस स्कीम के अधीन महत्वपूर्ण भूमि स्थानों और समुद्र सीमाओं पर स्थित 22 पौध-संरक्षण और धूमन केन्द्र काम कर रहे है। 24,000 टन कीटनाशकों का निरीक्षण, और शोधन किया गया और दिया गया। लगभग 27,000 ताजा सूखे और प्रक्रमित पौधों/पौध सामग्रियों का भीनिरीक्षण किया गया। मिजोरम में चूहों के संकट के विशेष महत्व को ध्यान में रखते हुए एक पौध-संरक्षण केन्द्र का अनुमोदन किया गया है जो वहां 1978-79 में स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार नागालैंड, सिक्किम तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 1978-79 में वहां स्थापित करने के लिए एक पौध संरक्षण केन्द्र का अनुमोदन किया गया है।

कृषि उपकरण और मशीनें

33. कृषि के उन्नत उपकरणों और औजारों के विकास के लिए 1978-79 में 125 लाख रुपए के परिव्यय से एक नई स्कीम शुरू की जा रही है। यह स्कीम विशेषकर जनसंख्या के ऐसे कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई है जो विशेषकर उत्तर-पूर्वी राज्यों में रहते हैं और जहां कृषि की बहुत उन्नति नहीं हुई है। कृषि सेवा केन्द्रों की स्कीम के अन्तर्गत पांचवीं योजना के लिए प्रति वर्ष 500 कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लगभग 3000 स्थापित किए गए केन्द्रों के प्रगामी जोड़ को देखते हुए 1977-78 के लिए लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है। वर्ष में लगभग 4500 उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया गया है। बुदनी और हिसार में स्थित केन्द्रीय ट्रैक्टर प्रशिक्षण और परीक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण और परीक्षण की सुविधाएं 1878-79 में और बढ़ाई जानी हैं। 1977-78 में 2.81 करोड़ रुपए के प्रत्याशित व्यय की तुलना में 1978-79 में विभिन्न केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए 5.11 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

भू संरक्षण :

34. 1977-78 के अन्त तक, राज्यों में भू संरक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रत्याशित कुल समावेशन लगभग 201 लाख हैक्टेयर था। भू संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 1978-79 के लिए 9 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि भूमि के समावेशन का लक्ष्य है। 1978-79 की वार्षिक योजना के लिए 210 लाख हैक्टेयर के संचयित लक्ष्य के राज्यवार आँकड़े अनुलग्नक 4.11 में दिए गए हैं। 1978-79 से एकीकृत जल-संभर प्रबन्ध पर अधिक जोर दिया जाएगा जिसमें जल संभर आधार पर परियोजना आयोजन और महत्वपूर्ण क्षेत्रों का उपयुक्त भू और जल संरक्षण उपायों के द्वारा सुधार शामिल हैं।

35. राज्यों में भू संरक्षण उपायों को बढ़ाने के लिए केन्द्र और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों से एक महत्वपूर्ण स्कीम महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्र में भू संरक्षण से सम्बन्धित है। यह स्कीम 1977-78 में 30 अतिरिक्त घाटी जलग्रहण क्षेत्रों में चल रही थी और इसके अन्तर्गत लगभग 75,000 हैक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र आता था। 1978-79 में 83,000 हैक्टेयर क्षेत्र के समाविष्ट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके लिए 10 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

कृषि ऋण :

36. वर्ष 1977-78 में कृषि के लिए उपलब्ध किए गए संस्थागत ऋण में अधिक बड़ा भाग सहकारिता ऋण का था। ऐसा अनुमान है कि 1977-78 में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा 1340 करोड़ रुपए के अल्पावधि ऋण और 95 करोड़ रुपए के मध्यावधि ऋण दिए गए, जबकि लक्ष्य क्रमशः 1429 करोड़ रुपए और 103 करोड़ रुपए का था। जहाँ तक दीर्घावधि

ऋणों का सम्बन्ध है, यह बताया गया है कि 1977-78 में भूमि विकास बैंकों ने 377 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 291 करोड़ रु० के ऋण दिए।

37. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए की जाने वाली वित्त-व्यवस्था की स्कीम के अन्तर्गत 24 वाणिज्यिक बैंकों की 604 शाखाओं ने जून 1977 तक 3448 प्राथमिक समितियों के लिए वित्त की व्यवस्था की। ऐसी समितियों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वितरित किए गए जो ऋण 1975-76 में 18.87 करोड़ रु० थे, वे 1976-77 में 25.77 करोड़ रु० हो गए। जहाँ तक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सीधे वित्त-व्यवस्था करने का सम्बन्ध है, दिसम्बर, 1975 तक कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के लिए बकाया अग्रिम राशि 725 करोड़ रु० थी और यह दिसम्बर, 1976 तक बढ़कर 1003 करोड़ रु० हो गई। छोटे और मझौले किसानों समेत ग्रामीण समुदाय के प्रभावित होने वाले वर्गों को ऋण की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए जून, 1978 तक 48 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। इन बैंकों की 973 शाखाओं ने सितम्बर, 1977 तक 30.09 करोड़ रु० के ऋण दिए थे।

38. दीर्घावधि ऋणों के सम्बन्ध में, पुनर्वित्त और विकास निगम ने 1977-78 में भूमि विकास बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों को अधिक पुनर्वित्तीय सुविधाएं प्रदान कीं। इस वर्ष निगम ने 321 करोड़ रु० की 1794 स्कीमें मंजूर कीं। 260 करोड़ रु० के लक्ष्य की तुलना में इस वर्ष वास्तविक वितरण 234 करोड़ रु० का हुआ। कुछ राज्यों में पिछले ऋणों की कम वसूली होने के कारण मुख्य कमी भूमि विकास बैंकों के कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई। जून, 1978 के अन्त तक कृषि पुनर्वित और विकास निगम ने 1758 करोड़ रु० की 6224 स्कीमें मंजूर की थीं, जबकि वास्तविक संवितरण 1049 करोड़ रु० किया गया था। 1977-78 में निगम ने कम विकसित क्षेत्रों में स्कीमों के लिए 113.2 करोड़ रुपए संवितरित किए थे जो कि पिछले वर्ष में इसके द्वारा किए गए लगभग 46 प्रतिशत वितरण की तुलना में कुल वितरण का लगभग 48 प्रतिशत था। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की प्रयोजनवार तथा राज्यवार प्रगति अनुलग्नक 4.12 और 4.13 में दी गई है।

39. यह परिकल्पना की गई है कि 1978-79 में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के अल्पावधि अग्रिम बढ़कर 1676 करोड़ रु० और मध्यावधि अग्रिम बढ़कर 119 करोड़ रु० हो जाएंगे। भूमि विकास बैंकों द्वारा साधारण और विशेष ऋणों के लिए लक्ष्य 432 करोड़ रु० है। पिछले वर्ष में 17.50 करोड़ के प्रत्याशित व्यय की तुलना में, भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्रों के लिए केन्द्रीय सरकार के समर्थन के रूप में केन्द्रीय क्षेत्र में 24.5० करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

40. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिक समितियों के लिए वित्त-व्यवस्था करने की स्कीम का विस्तार किया जा रहा है। दाँतवाला समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार 1978-79 में अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए जाने की सम्भावना है। इन बैंकों की शेयर पूंजी में भारत सरकार के अंशदान के जरिये केन्द्रीय क्षेत्र में 1978-79 के लिए अस्थाई रूप में 1.12 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

41. कृषि पुनर्वित और विकास निगम के कार्यकलापों को 1978-79 में पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाना है। छोटी सिंचाई और अल्प-विकसित और अल्प-बैंकों वाले राज्यों में विस्तार कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों के विविधीकरण कार्य-संचालन पर बल दिया जाता रहेगा। यह परिकल्पना है कि 1978-79 में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम का कुल संवितरण 325 करोड़ रु० होगा जिसके लिए 130 करोड़ रु० के केन्द्रीय बजट के समर्थन की परिकल्पना है।

कृषि विपणन

42. पांचवी योजना के आरम्भ में केन्द्रीय क्षेत्र में आरम्भ की गई 'विनियमित बाजारों का विकास', 'बाजार सर्वेक्षण और अन्वेषण', 'एगमार्क और कोटिकरण की सुविधाएं' तथा 'अनुसंधान और प्रशिक्षण' जैसी स्कीमें 1978-79 में जारी रखी जा रही है। 1977-78 में 5.44 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। स्कीमवार आँकड़े अनुलग्नक 4.14 में दिए गए हैं।

43. चुने हुए विनियमित बाजारों और ग्रामीण बाजारों के विकास पर मुख्य बल दिया जाएगा जिसके लिए 6 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। विनियमित बाजारों के विकास के लिए पांचवीं योजना में दी गई दर से, अर्थात् आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों में प्रति बाजार 3 लाख रु०, वाणिज्यिक फसलों वाले बाजारों के लिए 4 लाख रु० और नियन्त्रण क्षेत्रों में प्रति बाजार 5 लाख रु० तथा फलों और सब्जियों के अंतस्थल बाजारों के लिए 15 लाख रु० की दर से दी जाएगी। एगमार्क और कोटिकरण की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा जिसके लिए 1978-79 में 50 लाख रु० की व्यवस्था की गई है। कुछ और जिंसों पर अनिवार्य कोटि नियन्त्रण लागू किया जाएगा और तम्बाकू, पटसन, कपास और नारियल जैसी वाणिज्यिक फसलों के कोटिकरण केन्द्र स्थापित करने के लिए कुछ बाजार समितियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

44. एगमार्क और कोटिकरण की सुविधाओं की सहायता और व्यवस्था करने के लिए तथा विपणन की आवश्यक आधार-

भूत व्यवस्था का विकास करने के लिए 1977-78 में 3.58 करोड़ रु० के प्रत्याशित व्यय की तुलना में राज्य क्षेत्र में 6.40 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई हैं। परिव्यय के राज्यवार आंकड़े अनुलग्नक 4.15 में दिए गए हैं।

खाद्य प्रक्रमण

45. 1977-78 में 373 लाख रु० के सम्भावित व्यय की तुलना में 1978-79 में खाद्य प्रक्रमण कार्यक्रम के लिए 50 लाख रु० के आंतरिक संसाधन समेत, 563 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। फलों के रस को बोतलों में भरने के दिल्ली स्थित संयंत्र की 1978-79 के अंत तक चालू हो जाने की सम्भावना हैं। कर्नाटक और बिहार में प्रस्तावित कृषि औद्योगिक परिसरों सम्बन्धी प्रस्तावों के बारे में विस्तृत बाजार सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। माडर्न बेकरीज इण्डिया लि० द्वारा इन्दौर, भुवनेश्वर और जयपुर स्थित 3 इकाइयों में शुरू किया गया कार्य 1978-79 में पूरा हो जाएगा।

46. आधुनिक चावल प्रक्रमण और शिल्प विज्ञान के अन्तरण के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 3 क्षेत्रीय विस्तार सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं। वर्ष 1978-79 में दो अतिरिक्त केन्द्र स्थापित किए जाने हैं।

भंडारण और भांडागार

47. कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि, अनाज की भारी वसूली और निकासी में कमी के कारण पिछले कुछ वर्षों में भंडारण की समस्याएं और गम्भीर हो गई हैं। खाद्यानों के लिए लगभग 180 लाख टन भंडारण क्षमता की अनुमानित आवश्यकता की तुलना में 1977-78 के अन्त तक सम्भावित उपलब्धता लगभग 140 लाख टन थी जिसमें सी०ए०पी० भंडारण शामिल है। 1978-79 में भंडारण और भांडागारों के लिए 40.35 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसमें से 30 करोड़ रु० भारतीय खाद्य निगम द्वारा भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए, और 5 करोड़ रु० केन्द्रीय भांडागार निगम द्वारा गोदामों के निर्माण के लिए हैं तथा 1.25 करोड़ रु० राज्य भांडागार निगमों को केन्द्रीय भांडागार निगम द्वारा शेयर पूँजी के लिए और बकाया राशि फार्म स्तर भंडारण के लिए है।

48. 35.75 लाख टन भंडारण के लिए खाद्यान्न भंडारण की जो परियोजना शुरू की जा चुकी है, चरणबद्ध रूप में 1981-82 तक पूर्ण की जानी है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1978-79 में भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए उपलब्ध कराए गए परिव्यय का अधिकांशतः इस परियोजना में उपयोग किया जाएगा। भंडारण की जगह की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकारी अभिकरणों के प्रयासों के अतिरिक्त प्राइवेट पार्टियों की भी भारतीय खाद्य निगम की विशिष्टताओं के अनुसार 3 से 5 वर्ष तक की 'कब्जा गारन्टी' के आधार पर गोदामों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

वन उद्योग

1977-78 में हुई प्रगति की समीक्षा

49. वर्ष 1977-78 में कुछ महत्वपूर्ण स्कमों के संबंध में वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नलिखत हैं संचयित :

स्कीमें	इकाई	1976-77 (उपलब्धि)	लक्ष्य	1977-78 प्रत्याशित उपलब्धि
1. जल्दी उगने वाली किस्मों का पौधरोपण	000 हेक्टेयर	261.09	400.08	398.04
2. आर्थिक और वाणिज्यिक पौध रोपण	,,	585.99	611.54	632.23
3. फार्म वन उद्योग	,,	507.78	624.65	560.11
4. संचार	000 कि०मी०	56.69	35.27	59.22

वास्तविक लक्ष्यों के राज्यवार आंकड़े अनुलग्नक 4.16 से 4.19 में दिए गए हैं।

राज्य और केन्द्रीय क्षेत्रों में वन उद्योग की स्कीमो के लिए वर्ष 1977-78 में 58.86 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई। प्रत्याशित व्यय 63.94 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

1978-79 के लिए योजना

50. केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में वन उद्योग की स्कीमों के लिए 1978-79 में 80.39 करोड़ रु0 के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण स्कीमों के वास्तविक लक्ष्य नीचे दिये गये हैं :

स्कीम	इकाई	लक्ष्य 1978-79
1. जल्दी उगनेवाली किस्मों का पौधरोपण	000 हेक्टेयर	450.38
2. आर्थिक और वाणिज्यिक पौधरोपण	,,	684.72
3. फार्म वन उद्योग	,,	692.33
4. संचार	000 कि०मी०	62.03

51. अभी तक 16 राज्यों ने वाणिज्यिक वन उद्योग के लिए वन उद्योग विकास निगम स्थापित किये हैं। अन्य राज्यों ने 1978-79 में इस प्रकार के निगम स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इन प्रस्तावित निगमों के इक्विटी शेयरों में केन्द्र अनुरूपयोजी अंशदान दे रहा है। इन निगमों द्वारा वाणिज्यिक कार्यकलापों के अलावा बड़े पैमाने पर वन रोपण का कार्य शुरू किया जायेगा।

सामाजिक वन उद्योग

52. सामाजिक बन उद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत, उपयुक्त पंचायत भूमि, सामुदायिक भूमि और बेकार भूमि पर मिश्रित पौधरोपण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नए क्षेत्रों में अवनत वनों में वन रोपण किया जाएगा और आश्रय पट्टिकाएं बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा। 1978-79 के लिए 15.90 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

संचार

53. 1978-79 में नई सड़कों और पगडंडियों के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा जिनकी कुल लम्बाई 62.030 कि०मी० होगी। इससे कुछ अनधिगम्य वनों में प्रवेश हो सकेगा तथा सामग्री का आवागमन सरल हो जायेगा।

54. चुने हुए राष्ट्रीय उद्यानों और पशु विहारों के विकास के लिए 1978-79 में परिव्यय में वृद्धि की गई है। 1973-74 में शुरू की गई परियोजना व्याघ्र (प्रोजेक्ट टाइगर) को बढ़ाया जा रहा है। यह परियोजना इस समय विभिन्न राज्यों में 9 चुने हुए क्षेत्रों में चल रही है। परियोजना व्याघ्र के लिए 125 लाख रु० के परिव्यय तथा राष्ट्रीय उद्यानों और पशु विहारों के लिए 85 लाख रु० के परिव्यय का आवंटन किया गया है।

55. वर्ष 1978-79 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में और केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमों में वन उद्योग क्षेत्र के लिए किए गए वित्तीय परिव्यय निम्नलिखित हैं :

(लाख रु०)

क्षेत्र	1978-79
राज्य	4878.00
संघ राज्य क्षेत्र	412.00
केन्द्रीय स्कीमें	909.00
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	1840.00
जोड़:	**8039.00**

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय क्षेत्र के लिए परिव्ययों के ब्यौरे अनुलग्नक 4.20 में दिये गये हैं।

1978-79 के लिए कृषि से संबंधित राज्यवार परिव्यय और 1978-79 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र परिव्यय तथा सरकारी क्षेत्र परिव्यय भी अनुलग्नक 4.21 से 4.23 में दिये गये हैं।

अध्याय 5

पशुपालन, डेरी उद्योग और मीन उद्योग

पशुपालन और डेरी उद्योग

1977-78 में हुई प्रगति की समीक्षा

चुने हुए कार्यक्रमों के लक्ष्य और उनमें संभावित उपलब्धियां नीचे सारणी में दी गई हैं :—

(स्तर संख्या)

क्रम-सं०	कार्यक्रम	1977-78	
		लक्ष्य	संभावित उपलब्धि
1	2	3	4
1.	गहन पशु विकास परियोजनाएं	7	5
2.	महत्वपूर्ण ग्राम खण्ड	34	27
3.	पशु प्रजनन फार्म	3	1
4.	तरल दुग्ध संयंत्र	8	6
5.	दुग्ध उत्पाद फैक्टरियां/ सम्मिश्र दूध संयंत्र	1	2
6.	गहन अंडा और मुर्गी उत्पादन एवं विपणन परियोजनाएं	8	4
7.	भेड़ और ऊन विस्तार केन्द्र	98	30
8.	पशु अस्पताल और औषधालय	288	477

इनमें से कुछ कार्यक्रमों के सम्बन्ध में राज्यवार लक्ष्य और संभावित उपलब्धियां अनुलग्नक 5.1 से 5.6 में बताई गई हैं। राज्यों और केन्द्रीय क्षेत्र में पशु पालन और डेरी उद्योग के कार्यक्रमों पर 1977-78 के लिए अनुमोदित 118.06 करोड़ रु० के परिव्यय के मुकाबले 103.03 करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान है।

2. विदेशी नस्ल के पशुओं के हिमशीतित वीर्य शिल्प-विज्ञान का प्रयोग करके स्थानीय संकर पशु-प्रजनन के काम की ओर विशेष ध्यान दिया जाता रहा और इसका अधिक क्षेत्रों में विस्तार किया गया। विदेशी पशु प्रजनन फार्मों के समूह को बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशों से विदेशी नस्ल के लगभग 460 पशु मंगाए गए थे। सांडों और उपकरण से सज्जित तीन हीमशीतित वीर्य केन्द्र आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में एक-एक स्थापित किए गए। हस्सारघट्टा स्थित केन्द्रीय हिम-शीतित वीर्य केन्द्र को इसकी प्रक्रमण सुविधाओं में विस्तार करने के उद्देश्य से और बढ़ाया गया। विभिन्न राज्यों में 5 नई गहन पशु विकास परियोजनाएं शुरू की गईं और इनमें 17 महत्वपूर्ण ग्राम खंडों को शामिल किया गया। पशु-संकरण, फार्म, वन उद्योग तथा छोटे और मझौले किसानों और खेतिहर मजदूरों को वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता देकर काम के बदले अन्न के एक एकीकृत कार्यक्रम को भारतीय कृषि उद्योग प्रतिष्ठान के सहयोग से कार्यान्वित करने के लिए अंतिम रूप दिया गया। पंजाब और केरल में क्षेत्र स्तर पर संकरित सांडों के संतति परीक्षण का एक कार्यक्रम शुरू किया गया। विदेशी नस्ल के 10 प्रजनन केन्द्रों की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई और उनकी स्थापना का काम विभिन्न चरणों में चल रहा था।

3. छोटे और मझौले किसानों और खेतिहर मजदूरों के लाभ के लिए पशुधन उत्पादन/प्रजनन की विशेष परियोजनाएं जारी रहीं और नई परियोजनाएं शुरू की गईं। इस समय सभी राज्यों के 183 जिलों में 268 परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं में संकर कलोर बछड़ों का पालना, मुर्गीपालन, सूअर पालन और भेड़ पालन के काम शामिल हैं।

4. विभिन्न राज्यों में 4 अतिरिक्त गहन मुर्गी पालन और विपणन परियोजनाएं शुरू की गईं। भुवनेश्वर और बंबई में यादृच्छिक नमूना परीक्षण इकाइयां शुरू की गईं। केन्द्रीय मुर्गीपालन प्रजनन फार्म, हस्सारघट्टा द्वारा वाणिज्यिक स्तर पर चूजे निकालने की प्रणाली का विकास एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। नाफेड द्वारा अलग से एक मुर्गी पालन विपणन प्रभाग खोलकर और दिल्ली को केन्द्र मानकर, उत्तरी क्षेत्र में अंडों और मुर्गियों का एक विपणन केन्द्र खोलने का निर्णय किया गया। मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक

और केरल के चुने हुए मुर्गी फार्मों में एक समन्वित मुर्गी प्रजनन परियोजना शुरू की गई।

5. राज्यों में भेड़ और ऊन विस्तार के 30 केन्द्र खोले गए। केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार, ने विभिन्न राज्यों को 800 कारीडेल मैमने और 250 संकर मेमने भेजे। भारत सरकार से इक्विटी सहयोग की सहायता से राजस्थान में एक भेड़ और ऊन विपणन संघ की स्थापना की गई।

6. पशुप्लेग उन्मूलन स्कीम के अंतर्गत 23 अतिरिक्त 'चैक पोस्ट' स्थापित किए गए। आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पशु जैविक उत्पाद केन्द्रों को बढ़ाया गया। राज्यों में 477 केन्द्रों में नए पशु अस्पताल और पशु औषधालय खोले गए।

7. दो नए बड़े आकार के दूध उत्पाद संयंत्र—एक पटना (बिहार) में और दूसरा संगमजागरलामुडी (आंध्र प्रदेश) में स्थापित किए गए। आन्ध्रप्रदेश में, विशाखापट्टनम और खम्माम में दो नए तरल दूध संयंत्र लगाए गए। चालू डेरी संयंत्रों की कुल संख्या 178 में बढ़कर 186 इकाइयां हो गईं जिनमें 92 तरल दूध संयंत्र, 26 दुग्ध उत्पाद फैक्टरियां और 68 प्रायोगिक डेरी स्कीमें/ग्रामीण डेरी केन्द्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त दूध की कुछ वर्तनाम स्कीमों के विस्तार सहित 52 डेरी परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में थीं। 84.87 लाख लीटर की कुल स्थापित क्षमता के साथ, इस वर्ष सभी दूध संयंत्रों के जरिए प्रतिदिन दूध उत्पादन का औसत 55.28 लाख लीटर था, जबकि इससे पिछले वर्ष भर में यही औसत 44.40 लाख लीटर था। इससे पिछले वर्ष के निष्पादन की तुलना में 24.7 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई दी।

8. कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, विश्व बैंक की सहायता से चलाई गई तीन पशु एवं डेरी विकास परियोजनाओं में संतोषजनक प्रगति हुई। इन तीनों परियोजनाओं के अंतर्गत काफी संख्या में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां और जिला संघ बनाए गए हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत नए डेरी संयंत्रों और दुग्ध-खाद्य मिश्रण संयंत्र के निर्माण का काम शुरू किया गया था। अन्य कार्य-कलापों में निवेशों और सेवाओं की व्यवस्था करना शामिल है, जैसे कृत्रिम गर्भाधान, कार्मिकों का प्रशिक्षण और दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों और संघों के निर्माण की व्यवस्था।

9. आपरेशन फ्लड प्रोजेक्ट के अंतर्गत, मार्च, 1977 के अंत तक 68.62 करोड़ रु० की व्यवस्था के मुकाबले मार्च, 1978 तक 88.98 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। चार महानगरों में डेरियों के विस्तार और नई डेरियों के लगाने से मार्च, 1978 तक दूध का कुल औसत उत्पादन बढ़कर 18.12 लाख लीटर हो गया, जबकि इससे पिछले वर्ष यही उत्पादन 17.17 लाख लीटर था। कलकत्ते में एक नई डेरी स्थापित की गई जिसकी दैनिक उत्पादन क्षमता लगभग 4 लाख लीटर है। दिल्ली, मद्रास और बंबई स्थित 'मदर डेरियों' का दैनिक कुल उत्पादन बढ़कर 4.62 लाख लीटर हो गया। 'आपरेशन फ्लड प्रोजेक्ट' की तरह ही सिक्कम के लिए भी, दूध का उत्पादन और विपणन के लिए डेरी विकास की एक नई परियोजना अनुमोदित की गई थी।

1978-79 के लिए कार्यक्रम

10. वर्ष 1978-79 के लिए पशुपालन और डेरी विकास के कार्यक्रमों के लिए 126.53 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। इसके लिए राज्यवार परिव्यय, और केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत की गई धनराशि की व्यवस्था अनुलग्नक 5.7 और 5.8 में बताई गई है।

योजना परिव्यय के क्षेत्रवार ब्यौरे निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं :

(करोड़ रु०)

क्रमसंख्या	क्षेत्र	योजना परिव्यय
1.	राज्य	63.30
2.	संघ राज्य क्षेत्र	4.86
3.	केन्द्रीय क्षेत्र	45.62
4.	केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र	12.75
	जोड़ :	**126-53**

11. कुछ महत्वपूर्ण स्कीमों के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :

क्रमसंख्या	मद	लक्ष्य
1.	गहन पशु धन विकास परियोजनाएं	3
2.	महत्त्वपूर्ण ग्राम खण्ड	20
3.	पशु प्रजनन फार्म	2
4.	तरल दूध संयंत्र	5
5.	दुग्ध उत्पादन फैक्टरियां	5
6.	गहन अंडा और मुर्गी उत्पादन एवं विपणन परियोजनाएं	2
7.	भेड़ और ऊन विस्तार केन्द्र	19
8.	पशु अस्पताल और औषधालय	286

12. **पशु धन विकास :** गहन पशु धन विकास परियोजनाओं, महत्त्वपूर्ण ग्राम स्कीमों और आपरेशन फ्लड परियोजना के अंतर्गत दूध शैडों वाली परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में विदेशी नस्ल के सांडों के हिमशीतित वीर्य शिल्पविज्ञान के जरिए

संकर किस्म के पशुओं के विकास को बढ़ाया जाएगा। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, तथा पश्चिम बंगाल में 5 नए हिमशीतित वीर्य केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। केन्द्रीय हिमशीतित वीर्य केन्द्र, हस्सारघट्टा में हिमशीतित वीर्य शिल्प-विज्ञान से संबंधित तकनीकी कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र का विकास करने हेतु अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में संकरण, फार्म वन उद्योग और काम के बदले अन्न की एक एकीकृत परियोजना चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित की जाएगी। इसके अलावा, हिम-शीतित वीर्य शिल्पविज्ञान पर आधारित पशु संकरण का एक पुरजोर कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय हिमशीतित वीर्य केन्द्र खोले जाएगे और पशुओं के गहन संकरण के उद्देश्य से उनकी सहायता के लिए कई वीर्य बैंक भी होंगे। पंजाब और केरल में शुरू किए गए क्षेत्र की दशाओं में संतति परीक्षण कार्यक्रम को अन्य राज्यों में बढ़ाया जाएगा। 99 परियोजनाओं में छोटे और मझौले किसानों और खेतिहर मजदूरों द्वारा संकर कलोर बछड़ों का पाला जाना जारी रहेगा और बढ़ाया जाएगा।

डेरी विकास

13. वर्ष में 5 नए तरल दूध संयंत्रों को शुरू करने का प्रस्ताव है; ऐसा अनुमान है कि 5 तरल दूध संयंत्र और एक दूध उत्पाद निर्माण संयंत्र चालू किया जाएगा। दिल्ली दुग्ध स्कीम को रोगाणु रहित दुग्ध संयंत्र लगाने के लिए और दुग्ध वितरण प्रणाली को विकसित करने के लिए अतिरिक्त उपकरणों की पूर्ति की जाएगी। आपरेशन फ्लड-1 परियोजना को जून, 1979 तक बढ़ा दिया गया है। इसी अवधि के बीच भारतीय डेरी निगम अतिरिक्त धनराशि जुटाने में सक्षम हो जाएगा और अपने अधीन चल रही परियोजनाएं पूरी कर लेगा। भारतीय डेरी निगम द्वारा एक नई व्यापक डेरी विकास परियोजना आप-रेशन फ्लड 2 के नाम से शुरू की जाएगी। इस परियोजना के शुरू करने से पहले, प्रक्रमण के लिए आधारभूत सुविधाएं विक-सित करने के लिए दूध को बिना फटे संरक्षित रखने की प्रणाली की शुरुआत और महानगरीय शहरों में थोक बिक्री की सुविधाओं की व्यवस्था आदि करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

14. असम, मेघालय, केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में दुग्ध उत्पादन व विपणन की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी जिन में दुग्ध उत्पादकों की सहकारी समितियों और जिला संघों के निर्माण की और दूध के प्रक्रमण और विपणन के लिए सुविधाएं जुटाने की संकल्पना सम्मिलित है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में चल रही एकीकृत पशुधन व डेरी विकास परियोजना के जरिए इन कार्यकलापों को तेज किया जाएगा, जैसे दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का निर्माण, द्रुत-शीतन संयंत्रों, डेरी संयंत्रों और दुग्ध-खाद्य मिश्रण संयंत्रों की स्थापना, तथा सांड तैयार करने वाली गायों के फार्मों की स्था-पना, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान और पशुओं की देखभाल के लिए केन्द्रों की स्थापना।

मुर्गीपालन विकास

15. छोटे और मझौले किसानों के जरिए मुर्गीपालन कार्य-क्रमों को जारी रखा जाएगा और उन्हें 68 परियोजनाओं के अन्तर्गत बढ़ाया जाएगा। उत्तरी क्षेत्र के लिए गुड़गांव में एक और यादृच्छिक नमूना परीक्षण इकाई शुरू की जाएगी। चण्डी-गढ़ स्थित मुर्गीपालन परिसर/केन्द्र, कृषि विभाग द्वारा एक और केन्द्रीय मुर्गी प्रजनन केन्द्र की स्थापना करने के लिए अपने हाथ में ले लिया जाएगा जहां कृषि मंत्रालय द्वारा ब्रायलर पक्षियों के लिए एक समन्वित प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। केन्द्रीय और राज्य मुर्गीपालन फार्मों के मुर्गीपालन के काम को वैज्ञानिक और वाणिज्यिक आधार पर संयोजित करने के उद्देश्य से भार-तीय मुर्गीपालन निगम की स्थापना किए जाने का अनुमान है। अंडों और मुर्गियों के व्यवस्थित रूप में विपणन के लिए नाफेड के कार्यकलापों को बढ़ाया जाएगा। हस्सारघट्टा स्थित केन्द्रीय बत्तख प्रजनन फार्म को पूरी तरह से स्थापित और विकसित किया जाएगा और उसमें विशुद्ध खाकी कैंपबैल बत्तखों की पर्याप्त मात्रा में रखा जाएगा।

भेड़ और ऊन विकास

16. विभिन्न राज्यों में 19 भेड़ और ऊन विस्तार केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। छोटे और मझौले किसानों और खेति-हर मजदूरों के जरिए भेड़ उत्पादन कार्यक्रम जारी रहेगा और उन्हें 51 परियोजनाओं के अधीन बढ़ाया जाएगा। केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार देशी नस्ल की भेड़ों के साथ कौरीडेल भेड़ों की मदद से भेड़ संकरण का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू करेगा। भेड़ और ऊन विपणन संघ, राजस्थान को पूरी तरह से व्यवस्थित किया जाएगा और गुजरात में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।

सूअर पालन

17. छोटे और मझौले किसानों तथा मजदूरों के जरिए सूअर पालन का काम जारी रहेगा और उस काम को 50 परि-योजनाओं के जरिए और बढ़ाया जाएगा। राज्यों में, विशेषकर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सूअरपालन को बढ़ावा देने और अच्छी विदेशी नस्ल के सूअरों की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से सूअर प्रजनन फार्मों का विस्तार किया जाएगा। कंकालों को एकत्र करने की

सर्वोत्तम विधि का पता लगाने के बाद प्रायोगिक आधार पर 5 कंकाल प्रयुक्तीकरण परियोजनाएं शुरू की जाएंगी ।

चारा विकास

18. हस्सारघट्टा (कर्नाटक) और बारबेट्टा (असम) में दो बड़े चारा-बीज उत्पादन फार्म स्थापित किए जाएंगे । इस वर्ष राज्यों में चारा विकास के कार्यक्रमों को शुरू किया जाएगा जिनमें बड़े पैमाने पर चारा बीजों के उत्पादन और पूर्ति तथा बाह्य प्रदर्शनियों आदि के जरिए चारा उत्पादन को बढ़ावा देने की भी संकल्पना सम्मिलित है । सामाजिक वन उद्योग कार्यक्रम के भाग के रूप में चारा वृक्ष उगाने पर भी बल दिया जाएगा ।

पशु स्वास्थ्य

19. राज्य योजना के अधीन 286 पशु अस्पताल और औषधालय खोले जाएंगे । इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों में क्षेत्रीय या जिले के आधार पर चलती-फिरती पशु चिकित्सा इकाइयां और चिकित्सा प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएंगी। पशुप्लेग उन्मूलन स्कीम के अंतर्गत बिहार में 3 अतिरिक्त चैक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे । इस रोग के मामलों में कमी करने के लिए निगरानी रखने और निरोधी टीकों के लगाने का कार्यक्रम तेजी से कार्यान्वित किया जाएगा । पैरों और मुँह पर लगाए जाने वाले टीकों के निर्माण के लिए एक निगम बनाया जाएगा । पशु चिकित्सा जैविकी उत्पादों के उत्पादन और उनकी पूर्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्यों में पशु चिकित्सा जैविकी उत्पादन केन्द्रों को बढ़ाया जाएगा ।

पशु पालन सम्बन्धी आंकड़े

20. विकास की स्कीमों की आयोजना के लिए तथा मूल्यांकन करने के लिए कृषि विभाग के केन्द्रीय सांख्यिकीय एकक में अतिरिक्त एकक जोड़ कर उसे बढ़ाया जाएगा । पशुधन और डेरी उत्पादों से सम्बन्धित कुछ तदर्थ अध्ययन किए जाएंगे ।

मीन उद्योग

1977-78 में हुई प्रगति की समीक्षा

समुद्री मीन उद्योग

जनवरी, 1977 में समुद्र तट से 200 मील के क्षेत्र को अपवर्जी व्यावसायिक क्षेत्र घोषित किए जाने के परिणामस्वरूप मछली पकड़ने की यांत्रिक नौकाओं के बेड़े का विस्तार करके और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बड़े जहाजों का इस्तेमाल आरम्भ करके समुद्री साधनों के इष्टतम उपयोग करने की आवश्यकता हो गई है । समुद्रवर्ती राज्यों ने राज्य योजना क्षेत्र में मछली पकड़ने की नौकाओं के यंत्रीकरण के कार्यक्रम पर पर्याप्त बल दिया । ऐसी आशा है कि यांत्रिक नौकाओं की जो संख्या 1976-77 में 13266 थी, वह बढ़कर 1977-78 में 14230 हो जाएगी । आयात किए जाने वाले 30 मेक्सीकन ट्रालरों में से 1977-78 के अंत तक 18 ट्रालर प्राप्त हुए थे। शेष ट्रालरों के 1978-79 के पूर्वार्ध में प्राप्त किए जाने की सम्भावना है । गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए मछली पकड़ने के 60 जहाजों के आयात करने और 40 देशीय जहाजों के निर्माण करने की स्कीम को जून, 1977 में अधिसूचित किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत, सम्भावित कमी को ध्यान में रखते हुए 113 जहाजों के आयात के लिए संस्वीकृति जारी की गई । जहाजों के देशीय निर्माण की प्रगति बहुत धीमी रही है । विदेशी सहयोग के जरिए मछली पकड़ने वाले जहाजों को किराये पर लेने और प्राप्त करने के लिए उदारतापूर्वक अनुमति दी गई ताकि समुद्री मीन उद्योग के उपयोग को बढ़ाया जा सके। मार्च, 1978 के अंत तक वाणिज्यिक क्षेत्र में कुल मिलाकर 52 अपतटीय जहाज/गहरे समुदी जहाज थे ।

2. अन्वेषी मीन उद्योग परियोजनाओं के 12 तटीय केन्द्रों से 25 जहाजों का उपयोग करते हुए मीन उद्योग संसाधनों का सर्वेक्षण जारी रखा गया । तल आनायन के अलावा पौष संपाशन, मध्य तल आनायन, दीर्घ पंक्ति बंधन और कलावा उपयोग जैसे अन्य तरीकों को भी शुरू किया गया ताकि स्तम्भी और वेलापवर्ती संसाधनों का अनुमान लगाया जा सके । 60 मीटर की पैलिश स्टर्न ट्रालर से 30 फैदम से परे भारत के उत्तर-पश्चिमी तट का सर्वेक्षण इस वर्ष में पूरा किया गया । इस सर्वेक्षण से केट मछलियों, हार्स मैकरेल, पामफ्रेट, रिबन मछलियों को पकड़ने के कुछ अच्छे स्थलों का पता चला है और कम मूल्य वाली मछलियों का बड़ी मात्रा में पता चला है जिन्हें अच्छे आर्थिक लाभ के लिए मछली भोजन में परिवर्तित किया जा सकता है। इस परियोजना के अधीन एकत्र किए गए आंकड़े मीन उद्योग को प्रकाशित रिपोर्टों के रूप में उपलब्ध करा दिए गए हैं ।

3 मदास, कोचीन और रायचौक में मछली पकड़ने के बड़े बंदरगाहों में निर्माण-कार्य जारी रहा । विशाखापट्टनम में मछली पकड़ने के बन्दरगाह का प्रथम चरण पूरा हो गया । सेसून डाक में मछली पकड़ने के सम्बन्ध में बन्दरगाह पर कार्य आरम्भ किया गया । कारवार, तूतीकोरन, पोर्टब्लेयर और धमरा (उड़ीसा) में मछली पकड़ने के छोटे बन्दरगाहों का कार्य पूरा किया गया । मलापी और रत्नागिरि जैसे मछली पकड़ने के अन्य छोटे बन्दरगाहों पर निर्माण-कार्य में काफी प्रगति हुई । निवेश-पूर्व सर्वेक्षण की परियोजना में अतिरिक्त स्थलों का आवीक्षी सर्वेक्षण किया गया । इस वर्ष तीन बंदरगाहों के सम्बन्ध में तीन परियोजना रिपोर्टें तैयार की गईं । विविध रूपायित मछली उद्योग

को बढ़ावा देने तथा प्रक्रमण और विपणन कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए राज्य ने मीन उद्योग निगमों को विकास सहायता देने का एक कार्यक्रम आरम्भ किया। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इस वर्ष कार्यक्रम को संस्वीकृति दी गई।

अन्तस्थलीय मीन उद्योग

4. मछली बीज के उत्पादन को बढ़ाने और सम्मिश्रित मछली पालन तकनीक और प्रजनन तकनीकों को अपनाने के लिए गहन जल कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य योजनाओं में सतत बल दिया जाता रहा। मछली बीज के उत्पादन के डिम के 28260 लाख के स्तर तक और पोना मछली/अंगुलिक मछली के 7730 लाख के स्तर तक पहुंचने की सम्भावना है। पहले शुरू किए गए 26 अभिकरणों के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में 24 मछली कृषक विकास अभिकरण मंजूर किए गए। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों में प्रायोगिक खारा जल मछली फार्म स्थापित करने के सम्बन्ध में कार्य शुरू किया गया। 8 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में चुने हुए 19 समुद्र तटीय मछली पकड़ने वाले गांवों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने का कार्य जारी रहा।

1978-79 के लिए परिव्यय और लक्ष्य

5. 1977-78 के लिए 50.67 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में 1978-79 में मीन उद्योग के विकास के लिए 82.38 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है। राज्यवार परिव्यय और केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के परिव्यय अनुलग्नक 5.16 और 5.17 में दिए गए हैं। क्षेत्रवार आंकड़े निम्नलिखित हैं :

(लाख रुपये)

क्षेत्र	1977-78 के लिए परिव्यय	1978-79
राज्य	1707.00	2156.00
संघ राज्य क्षेत्र	182.00	210. 6
केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र	3178.00	5871.00
जोड़ :	**5067.00**	**8237.86**

मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न निवेशों के सम्बन्ध में 1977-78 में उपलब्धियां और 1978-79 के लक्ष्य नीचे सारणी में दिए गए है :—

क्रम सं०	मद	इकाई	1977-78 प्रत्याशित उपलब्धि	लक्ष्य 1978-79
1.	यंत्रीकृत नौकाएं	संख्या	14230	15432
2.	डिम का उत्पादन/संग्रह	दस लाख	2826	35 28
3.	पोना और आंगुलिक मछली	,,	773	9:24
4.	संवर्धन क्षेत्र	हैक्टेयर	1152	13:40

इन निवेशों के वर्ष 1978-79 के लिए राज्यवार लक्ष्य अनुलग्नक 5.9 से 5.12 में दिए गए हैं।

1978-79 के लिए योजना

समुद्री मीन उद्योग

6. वर्ष 1978-79 में राज्य योजना में 1200 अतिरिक्त नौकाओं के यंत्रीकरण की परिकल्पना की गई है। 30 ट्रालरों के आयात की स्कीम के अंतर्गत, शेष 12 ट्रालरों के इस वर्ष में प्राप्त होने की संभावना है। पिछले वर्ष में 113 जहाजों के आयात के लिए जारी की गई संस्वीकृतियों में से, कम से कम 50 प्रतिशत मामलों में फर्म संविदा किए जाने की संभावना है। ट्रालर विकास सिधि के जरिए उनका आयात करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। आयात्त और किराए पर लेकर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए लगभग 100 जहाजों के 1978-79 के अंत तक प्रचालित हो जाने की आशा है।

7. अन्वेषी मीन उद्योग परियोजना के अधीन 3 नए जहाज प्राप्त किए जा ंगे और उनका प्रचालन आरंभ किया जाएगा। समुद्री तटों के साथ सर्वेक्षण के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए पूर्ण रूप से सज्जित अतिरिक्त सर्वेक्षण जहाज विदेशों से प्राप्त किए जाएंगे।

8. मद्रास और सेसून डॉक में मछली पकड़ने के बन्दरगाहों पर निर्माण-कार्य जारी रहेगा। परादीप (उड़ीसा) में एक बड़े मछली पकड़ने के बन्दरगाह का निर्माण-कार्य शुरू किया जाएगा। वर्तमान बन्दरगाहों को भी गहरा करने का प्रस्ताव है ताकि इनमें मछली पकड़ने के बड़े जहाजों के आने-जाने और ठहरने में सुविधा रहे। गुजरात में वेरावल और मंगरौल में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एकीकृत मीन उद्योग विकास परियोजना के अंतर्गत मछली पकड़ने के बन्दरगाह का वास्तविक निर्माण शुरू किया जाएगा। विश्व बैंक की सहायता से इसी प्रकार की

एकीकृत मीन परियोजना के आंध्र प्रदेश में आरंभ किए जाने की संभावना है जिसके अंतर्गत विशाखापट्टनम मछली बन्दरगाह के विस्तार और काकीनाडा तथा निजामापट्टनम में मछली पकड़ने के नए बन्दरगाहों के निर्माण की संकल्पना की गई है । बायानापाडु (आंध्रप्रदेश), पोरबंदर (गुजरात), नीदाकारा (केरल) और चीनामुत्तम (तमिलनाडु) में नए मछली पकड़ने के बन्दरगाह बनाए जाने की संभावना है ।

अंत: स्थलीय मीन उद्योग

9. मछली बीज उत्पादन में वृद्धि और गहन जल कृषि पर बल देना जारी रहेगा । मछली बीज फार्मों के विस्तार/स्थापना के लिए और प्रेरित प्रजनन तथा सम्मिश्रण मछली पालन की प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त परिव्ययों की व्यवस्था की गई है । संवर्धन के अंतर्गत क्षेत्र के बढ़कर 1340 हैक्टेयर हो जाने की आशा है । चालू वर्ष में, अब तक स्थापित मंजूर किए गए 50 मछली कृषक विकास अभिकरणों को जारी रखा जाएगा ।

शिक्षा और प्रशिक्षण :

10. केन्द्रीय मीन उद्योग, नाविक तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन, केन्द्रीय मीन उद्योग शिक्षा संस्थान, बम्बई, अंतर्देशीय मीन उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, बरकपुर और विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद में सुविधाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम बढ़ाए जाएंगे । केन्द्रीय मीन उद्योग, नाविक तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान में पर्याप्त समुद्री सेवाएँ उपलब्ध कराने की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि उम्मीदवार एम०एम०डी० प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पात्र बन सकें । द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत इन संस्थाओं के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण जहाज प्राप्त किए जाएंगे ।

C-16877

अध्याय 6

सहकारिता और सामुदायिक विकास

सहकारिता

1977-78 की वार्षिक योजना में प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों के संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई प्रगति नीचे बताई गई है :—

(करोड़ रु०)

मद	1976-77 प्रत्याशित उपलब्धि	1977-78 लक्ष्य	1977-78 प्रत्याशित उपलब्धि
(1) अल्पावधि ऋण	1180	1429	1340
(2) मध्यावधि ऋण	133	102	95
(3) दीर्घावधि ऋण	250	377	291
(4) उर्वरकों की खुदरा बिक्री	798	919	893
(5) कृषि उत्पाद की बिक्री	1189	1650	1650
(6) शहरी उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं की खुदरा बिक्री	565	680	650

राज्यवार आंकड़े अनुलग्नक 6.1 से 6.6 में दिए गए हैं।

अल्पावधि और मध्यावधि ऋण

2. 1977-78 में सहकारी ऋण का संवितरण योजना की अपेक्षाओं से कम था जिसका मुख्य कारण अनेक राज्यों में ऋणों की वसूली के प्रयत्नों में शिथिलता और अतिदेयताओं की स्थिति का खराब होना था। 1978-79 में वसूली मे सुधार करने और अतिदेयताओं को कम करने के लिए संहत उपाय किए जाएंगे। 1978-79 के लिए 1676 करोड़ रु० के अल्पावधि ऋणों और 119 करोड़ रु० के मध्यावधि ऋणों के लक्ष्यों की परिकल्पना है।

3. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की विकासक्षम इकाइयों के रूप में पुनर्गठित करने का कार्यक्रम अधिकतर आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पूरा हो गया है। शेष राज्यों में, 1978-79 में पुनर्गठन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। इस पुनर्गठन कार्यक्रम में शक्तिशाली विकासक्षम बहु-उद्देश्यीय आधार स्तरीय ऐसी संरचना के निर्माण पर जोर दिया जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए आवश्यक ऋण, पूर्ति और सेवाओं के कार्य कर सके। निवेशों और आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति के लिए तथा कृषि और अन्य उत्पादन की अधिप्राप्ति और विपणन के लिए, 1978-83 की पंचवर्षीय योजना में हरेक पुनर्गठित प्राथमिक समिति को एक गोदाम देने का प्रस्ताव है।

4. ऋण की प्राप्ति में व्याप्त एक खास कमजोरी है अनेक कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों का होना। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून, 1976 तक जिन 181 केन्द्रीय सहकारी बैंकों को कमजोर बैंकों के रूप में निर्धारित किया गया उनमें से ऐसे 123 बैंकों को जून, 1977 तक पुनः व्यवस्थापन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम की अंतर्गत ले लिया गया था। 1977-78 में एक करोड़ रु० के प्रत्याशित व्यय के मुकाबले इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 1978-79 की वार्षिक योजना में 2.5 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। जिन क्षेत्रों में शेष कमजोर केन्द्रीय सरकारी बैंक काम कर रहे थे उनमें 24 वाणिज्यिक बैंकों की 604 शाखाओं ने जून, 1977 तक 3488 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की वित्त-व्यवस्था की थी। परम्परागत सहकारी ऋण प्रणाली में अंतरों को पूरा करने के लिए, 1978-79 में वाणिज्यक बैंकों द्वारा प्राथमिक समितियों की वित्त-व्यवस्था करने की स्कीम का और अधिक विस्तार करने का प्रस्ताव है।

दीर्घावधि ऋण

5. 1977-78 में भूमि विकास बैंकों द्वारा कुल दीर्घावधि ऋण देने के कार्यक्रम की धनराशि 291 करोड़ रु० होने की आशा है जिससे 377 करोड़ रु० वार्षिक योजना के लक्ष्य की तुलना में काफी कमी प्रकट होती है। तथापि, इससे 1916-77

में भूमि विकास बैंकों द्वारा दी गई 250 करोड़ रु० की कुल दीर्घावधि अग्रिम राशि से 41 करोड़ रु० की वृद्धि प्रकट होती है भूमि विकास बैंकों के ऋण देने के कार्यों में 432 करोड़ रु० का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 1978-79 में पर्याप्त विस्तार करने का प्रस्ताव है। भूमि विकास बैंकों के ऋण देने के कार्यों में प्रमुख बाधा अनेक राज्यों में बहुत अधिक अतिदेयताओं का लगातार बने रहना है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए, केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों के लिए अपनी शाखाओं को अपनी अग्रिम धाराशियों को विनियमित करना आवश्यक है और प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के लिए अपने सदस्यों से ऋणों की वसूली के निष्पादन को ठीक करना आवश्यक है। यदि मांग का अतिदेयताओं से अनुपात पिछले वर्ष के अनुपात से 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाता है तो प्राथमिक बैंकों/शाखाओं को दी जाने वली अग्रिम धनराशियों में उत्तरोत्तर कमी करनी होती है। इस वसूली की व्यवस्था का पालन सामान्य परिस्थितियों में तो किया जाना चाहिए परन्तु सूखे, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक विपत्तियों के समय इस व्यवस्था से निवेश ऋण की प्राप्ति में बाधा आई। इसलिए भूमि विकास बैंकों को दी जाने वाली अग्रिम धाराशि के मानकों में इस प्रकार से उपयुक्त आशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उनके सामने आने वाली वास्तविक कठिनइयों का ध्यान रखा जाए।

छोटे किसानों के लिए ऋण की सुविधाएं

6. सहकारी ऋण नीति का एक प्रमुख उद्देश्य छोटे किसानों, मझौले किसानों, काश्तकारों, बटाईदारों, खेतिहर मजदूरों, शिल्पकारों और स्व-रोजगार वाले व्यक्तियों को संस्थागत ऋण की प्राप्ति में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित करना है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की ऋण की आवश्यकता को पूरी करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केवल अनुसूचित जातियों को ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई राज्यों में निगम स्थापित किए गए हैं। इन निगमों के संसाधनों को भी केन्द्रीय सहायता देकर बढ़ाया जाता है जिससे कि वे कृषि और संबद्ध कार्यकलाप सहित विभिन्न प्रकार के विकास कार्यक्रमों के लिए अनुसूचित जातियों की ऋण की आवश्यकताओ को पूरा कर सकें 1 जून, 1977 तक, लघु कृषक विकास अभिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में एकीकृत ऋण, पूर्ति और परामर्श सहित सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए, राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफ़ारिश के अनुरूप 512 कृषक सेवा समितियां संगठित की गई थीं। विशेष रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त कृषक सेवा समितियों के संगठन पर जोर दिया जाता रहेगा।

7. पांचवीं योजना में यह परिकल्पना की गई थी कि 1978-79 जिन व्यक्तियों के पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है उनको दी गई अग्रिम धनराशि प्राथमिक ऋण समितियों द्वारा दी गई कुल अग्रिम धनराशि का 40 प्रतिशत होना चाहिए। 1975-76 में कमजोर वर्गों को दी गई अग्रिम धनराशि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा दी गई कुल अग्रिम धनराशि का 34 प्रतिशत थी। 1978-79 में, शीर्ष बैंकों द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों को छोटे किसानों और कमजोर वर्गों को अधिकाधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता रहेगा।

कृषि निवेशों का उत्पादन और वितरण

8. भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी समिति द्वारा कांडला और कलोल में स्थापित सहकारी उर्वरक संयंत्रों में रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में 1977-78 में पर्याप्त वृद्धि हुई और वह स्थापित क्षमता के स्तर तक पहुँच गया। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी समिति द्वारा फूलपुर में स्थापित किए जा रहे संयंत्र का कार्य तेजी से चल रहा है और उसके 1979 के मध्य तक पूरा हो जाने की आशा है। इस परियोजना के लिए 1978-79 में केन्द्रीय क्षेत्र 4.7 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

9. 1977-78 में देश में रासायनिक उर्वरकों के वितरण के लिए सहकारी समितियां ही प्रमुख अभिकरण के रूप में बनी रहीं। 1978-79 में सहकारी समितियों द्वारा 1015 करोड़ रु० के उर्वरकों का कारोबार किए जाने की आशा है।

विपणन

10. 1977-78 में सहकारी समितियों के जरिए बेचे गए कृषि उत्पाद का मूल्य (जो 1650 करोड़ रु० है) 1976-77 में प्राप्त हुए स्तर से पर्याप्त अधिक है। 1978-79 के लिए 1906 करोड़ रु० के मूल्य के कृषि उत्पाद के विपणन का लक्ष्य रखा गया है।

11. 1978-79 में वर्तमान सहकारी विपणन समितियों के समेकन और सुदृढ़ीकरण पर बल दिया जाएगा। सभी पुनर्गठित प्राथमिक सहकारी समितियों को विपणन समितियों के अभिकर्ताओं के रूप में कृषि निवेशों की पूर्ति और उत्पाद के विपणन के कार्य से संबद्ध करने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। सहकारी समितियाँ, खाद्य निगम, कपास निगम और पटसन निगम के अधिप्राप्ति के कार्यों में भी सक्रिय रूप से संबद्ध रहेंगी। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र जैसे देश कम विकसित क्षेत्रों में सहकारी विपणन के विकास पर भी ध्यान दिया जायेगा।

प्रक्रमण

12. मार्च, 1977 तक स्थापित की गई सहकारी प्रक्रमण इकाइयों की संख्या 1741 बताई गई है जिसमें 1977-78 में बढ़कर 1800 हो जाने कीआशा है। 1978-79 के लिए अतिरिक्त 75 इकाइयों के लक्ष्य की परिकल्पना है। सहकारी प्रक्रमण कार्यक्रम के उपर्युक्त संगठन में सहायता करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी

विकास निगम के प्रबंध और परामर्शी एकक को बढ़ाया जाएगा। सहकारी कताई मिलों की शेयर पूंजी के लिए और पहले से हाथ में लिए गए सहकारी चीनी कारखानों को पूरा करने के लिए 1978-79 में केन्द्रीय क्षेत्र में 6.15 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गई है।

भंडारण

13. जून,1977 तक सहकारी क्षेत्र में भंडारण की क्षमता 40.6 लाख टन के स्तर तक पहुंच गई थी। 1977-78 में 3 लाख टन की भंडारण की अतिरिक्त क्षमता बन जाने की आशा है। 1978-79 के लिए 5 लाख टन की भंडारण की अतिरिक्त क्षमता के निर्माण के लक्ष्य की परिकल्पना है। इसके अलावा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा—इन तीन राज्यों में अतिरिक्त क्षमता वाले सहकारी भंडारण के विकास के लिए ऋण की व्यवस्था की जा रही है। इन परियोजनाओं का कार्य 1978-79 में शुरू किए जाने की आशा है।

उपभोक्ता सहकारी समितियां

14. 1977-78 में उपभोक्ता सहकारी समितियों के कार्यकलापों का पर्याप्त विस्तार और विविधीकरण किया गया जिससे कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंग के रूप में प्रभावी रूप से काम कर सकें। नए क्षेत्रों में, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने पर जोर दिया गया। 1978-79 में इन सहकारी समितियों के कार्यकलापों को काफी बढ़ाने का प्रस्ताव है जिसमें 800 करोड़ रु० के कारोबार का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों के तंत्र का विस्तार करने पर जोर दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण में प्राथमिक समितियों और विपणन समितियों के संबद्ध करने के प्रयत्न किए जाएंगे। ग्रामीण उपभोक्ता सहकारी समितियों के लिए सहायता की जो स्कीम अब तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा अपनी ही धनराशि में से सामान्य मात्रा में चलाई जाती थी, उसे 1978-79 से उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के साथ मिला दिया गया है। वर्ष 1978-79 के लिए शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास की स्कीम तथा ग्रामीण उपभोक्ता सहकारी समितियों के लिए सहायता की स्कीम के लिए 8 करोड़ रु० का कुल परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

कमजोर वर्गों के लिए सहकारी समितियाँ

15. कमजोर वर्गों के लिए समितियों, जैसे श्रमिक निर्माण सहकारी समितियों, धोबी सहकारी समितियों, रिक्शा चलाने वालों की सहकारी समितियों, डेरी सहकारी समितियों और सूअर पालन संबंधी सहकारी समितियों के संवर्धन पर अधिक जोर दिया जाएगा। हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों और अन्य औद्योगिक सहकारी समितियों तथा आवास सहकारी समितियों के कार्यक्रम पर भी अधिक ध्यान दिया जाएगा।

प्रशिक्षण और शिक्षा

16. सहकारी आंदोलन के विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती हुई और विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, सहकारी प्रशिक्षण कालेजों और सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों में सहकारी प्रशिक्षण और शिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा।

सहकारिता में क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करना

17. सहकारिता के क्षेत्र में 1978-79 की वार्षिक योजना का प्रमुख लक्ष्य होगा क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करना। सहकारी दृष्टि से कमजोर राज्यों में (1) सहकारी ऋण संस्थाओं; और (2) सहकारी विपणन, प्रक्रमण और भंडारण कार्यक्रमों के लिए सहायता देने की केन्द्रीय क्षेत्र की दो चल रही स्कीमों पर 1977-78 में होने वाला प्रत्याशित व्यय क्रमशः 3.25 करोड़ रु० और 5.25 करोड़ रु० है। 1978-79 में इन दोनों स्कीमों को काफी बढ़ाया जाएगा जिसके लिए क्रमशः 4.5 करोड़ रु० और 6.5 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

वास्तविक लक्ष्य

18. प्रमुख सहकारी कार्यक्रमों के संबंध में 1978-79 के लिए परिकल्पित लक्ष्यों का सारांश नीचे दिया गया है :

(करोड़ रु०)

मद	1978-79 के लिए लक्ष्य
1. अल्पावधि ऋण	1676
2. मध्यावधि ऋण	119
3. दीर्घावधि ऋण	432
4. उर्वरकों की खुदरा बिक्री	1015
5. कृषि उत्पाद की बिक्री	1906
6. शहरी उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं की खुदरा बिक्री	800

राज्यवार आंकड़े अनुलग्नक 6.1 से 6.6 में दिए गए हैं।

योजना रिव्यय

19 सहकारी समितियों के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम के लिए 1977-78 में 117.13 करोड़ रु० के अनुमोति परिव्यय और 122.39 करोड़ रु० के प्रत्याशित व्यय के मुकाले 1978-79 में 735.79 करोड़ रु० के कुल परिव्यय की व्यवस्था की गई है। परिव्ययों और व्यय के आंकड़े नीचे दि गए हैं :

(करोड़ रु०)

	1977-78		1978-79
	परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	परिव्यय
राज्य	75.96	80.35	82.71
संघ राज्य क्षेत्र	1.86	1.92	2.86
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें			
केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमें	39.31	40.12	50.22
जोड़	**117 13**	**122.39**	**135.79**

केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत स्कीमार परिव्यय अनुलग्नक 6.7 में दिए गए हैं और राज्य योजन क्षेत्र में परिव्ययों के राज्यवार आँकड़े अनुलग्नक 6.8 में दिए ए हैं।

सामुदायिक विकास और पंचायती राज

20. पंचायती राज निकायों को आनुक्रमिक योजनाओं के प्रमुख लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। ामीण विकास को सबसे अधिक प्रथमिकता दी गई है जिससे कि ामीण क्षेत्र में उत्पादन और रोजगार में वृद्धि हो और गरीबी दूर हो, इस कारण इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आयोजन और कार्यान्वयन में अधिकतम विकेन्द्रीकरण आवश्यक समझा गया है। इसलिए पचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण की जांच करने के लिए तथा आयोजना और विकास की विकेन्द्रित प्रणाली को प्रभावी बनाने की दृष्टि से उनको बढ़ाने के संबंध में उपाय सुझाने के लिए श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी।

21. सामुदायिक विकास खंडों में सामान्य विकास कार्य जारी रहेगा। राज्यों की योजनाओं में 1977-78 में 28.54 करोड़ रु० के परिव्यय के मुकाबले 1978-79 में 49.23 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। परिव्यय में वृद्धि का पर्याप्त भाग गुजरात और पश्चिम बंगाल के लिए है, जहाँ स्थानीय विकास निर्माण-कार्य चलाने का प्रस्ताव है और राजस्थान के अंत्योदय कार्यक्रम के लिए भी है। इसके अलावा पांचवीं योजना के शुरू में जो स्कीमें केन्द्रीय क्षेत्र में शुरू की गई थीं, जैसे (1) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान—विस्तार और अनुसंधान, (2) सम्मेलन, (3) सर्वोत्तम ग्राम सेवकों और पंचायतों के चयन के लिए पुरस्कार प्रतियोगिता, (4) स्वैच्छिक स ीमों और सामाजिक क्रियात्मक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन, और (5) संपूर्ण ग्राम विकास कार्यक्रम जारी रहेंगे। इन कार्यक्रमों के लिए 1977-78 में 1.30 करोड़ रु० का जो परिव्यय था उसे बढ़ाकर 1978-79 में 1.70 करोड़ रु० कर दिया गया है।

संपूर्ण ग्राम विकास कार्यक्रम

22. संपूर्ण ग्राम विकास कार्यक्रम को केन्द्रीय प्रायोगिक परियोजनाओं के रूप में बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश—इन 4 राज्यों में जारी रहेगी; मुख्य रूप से स्वैच्छिक अभिकरणों की सहायता से ग्राम या ग्रामों के समूहों के विकासऔर समग्र ग्राम समुदाय के विकास के कार्यकरण का पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से और देश भर में अजमाए जा सकने वाले कुछ निदर्शों का विकास करने के अंतिम उद्देश्य से ये परियोजनाएं शुरू की गई थीं। इस कार्यक्रम के लिए 1977-78 में 50 लाख रु० के परिव्यय के मुकाबले 1978-79 में भी 50 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

महिलाओं के कार्यक्रम

23. विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से कार्यान्वयन में सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों की महिलाओं की सहभागिता अधिकाधिक प्राप्त की जाएगी। इसमें मुख्य ध्यान इस प्रयोजन के लिए महिलाओं के संगठनों को बनाने और बढ़ाने पर रहेगा। ग्रामीण महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए, उनको शिल्पवैज्ञानिक प्रगति से परिचित कराने के लिए, उन्हें आर्थिक कार्यक्रम चलाने में समर्थ बनाने के लिए और नेतृत्व के गुणों को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए पर्याप्त तकनीकी सहायता दी जाएगी।

योजना परिव्यय

24. सामुदायिक और पंचायती राज के कार्यक्रमों के लिए 1977-78 में 29.79 करोड़ रु० के परिव्यय और 34.17 करोड़ रु० के प्रत्याशित व्यय की तुलना में 1978-79 में 50.93 करोड़ रु० के कुल परिव्यय की व्यवस्था की गई है। परिव्ययों और व्यय के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रु०)

	1977-78 परिव्यय	1977-78 प्रत्याशित व्यय	1978-79 परिव्यय
1	2	3	4
राज्य	27.36	31.87	49..10
संघ राज्य क्षेत्र	1.08	1.00	1..36
केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	1.26	1.30	1..70
जोड़	**29.70**	**34.17**	**52..16**

राज्यवार परिव्ययों के आंकड़े अनुलग्नक 6.9 में बताए गए हैं और केन्द्रीय क्षेत्र में स्कीमवार परिव्ययों के आंकड़े अनुलग्नक 6.10 में बताए गए हैं।

अध्याय 7

ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

1977-78 में हुई प्रगति की समीक्षा

1977-78 में, लघु कृषक विकास अभिकरण (ल कृ वि अ), सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम (सू प्र क्षे का), जनजातीय विकास अभिकरण (ज वि अ) और पहाड़ी क्षेत्र विकास अभिकरण (प क्षे वि अ) जैसे ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों को जारी रखा गया। इसके अतिरिक्त, एकीकृत ग्रामीण विकास, रेगिस्तान विकास, ग्रामीण सम्पर्क सड़कों और ग्रामीण बाजारों के कार्यक्रम आरम्भ किये गये। लाभकर रोजगार उत्पन्न करने के लिए काम के बदले अन्न कार्यक्रम भी शुरू किया गया। 1977-78 में ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत परिव्यय और व्यय नीचे दिये गये है :

(करोड़ रु०)

कार्यक्रम	केन्द्रीय क्षेत्र परिव्यय		
	1916-77	1977-78	
	व्यय	परिव्यय	व्यय
1. लघु कृषक विकास अभिकरण	27.50	44.96	44.96
2. सूखा-प्रवृत्तक्षेत्र	33.99	50.96	50.96
3. जनजातीय विकास अभिकरण	3.10	2.47	2.83
4. पहाड़ी क्षेत्र विकास अभिकरण	0.57	0.70	0.70
5. एकीकृत ग्रामीण विकास	0.50	8.00	8 32
6. रेगिस्तान विकास	—	6 10	6.10
7. ग्रामीण सम्पर्क सड़कें	—	20.0	19.85
8. काम के बदले अन्न कार्यक्रम	—	29.00	10.42

लघु कृषक विकास अभिकरण (ल कृ वि अ)

1977-78 में एक सौ साठ लघु कृषक विकास अभिकरण कार्य कर रहे थे। इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन में, छोटे और मझौले किसानों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के खेतिहर मजदूरों को निर्धारित करने पर बल दिया गया ताकि उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों में प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

इन परियोजनाओं में फसल विकास कार्य पर बल दिया गया है जिसमें गहन कृषि, बहु फसल उगाना, अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम का आरम्भ, बागबानी, छोटी सिंचाई का विकास, भूसंरक्षण, भूमि सुधार, भूमि विकास, शुष्क कृषि प्रणालियों को अपनाना और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में जल कृषि उपाय अपनाना शामिल है। इन अभिकरणों को, दुधारु पशुओं के वितरण, मुर्गीपालन, बकरी और भेड़ पालन तथा सूअर पालन जैसे सामान्य पशुपालन कार्यक्रमों के सीमित पैमाने पर कार्यान्वियन की भी अनुमति दी गई है जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र की पशुपालन स्कीमों के अन्तर्गत किये जा रहे प्रयासों को दोहराया नहीं जाएगा।

1977-78 तक हुई प्रगति नीचे बताई गई है :

कार्यक्रम	इकाई	उपलब्धि लाख में 1976-77	1977-78
(1)	(2)	(3)	(4)
1. निर्धारित सहभागी	संख्या	122.36	146.55
2. सहकारी समितियों के सदस्यों के रूप में दर्ज	"	50.77	62.18
3. इनके अंतर्गत लाभग्राही			
(1) छोटी सिंचाई	"	4.76	6.59
(2) दुधारू पशु कार्यक्रम	"	2.70	3.81
(3) मुर्गीपालन	"	0.15	0.17
(4) अन्य पशुपालन कार्यक्रम	"	1.41	1.77
(5) उन्नत कृषि प्रणालियाँ	"	—	44.89
4. संवितरित ऋण	(लाख रु०)		
(क) सहकारी समितियों के माध्यम से :—			
(1) अल्पावधि	"	6284.76	6974.78

(1)	(2)	(3)	(4)
(2) मध्यावधि	"	5383.22	7501.96
(3) दीर्घावधि	"	8031.67	10524.75
(ख) वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से :—			
(1) अल्पावधि	"	839.80	726.75
(2) आवधिक ऋण	"	5045.93	7692.92
5. दी गई राशि	"	11278.89	15774.89
6. उपयोग की गई राशि	"	11269.79	15206.37

छोटी सिंचाई और दुधारु पशुओं के वितरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की गई । मुर्गीपालन के अन्तर्गत प्रगति अपेक्षाकृत धीमी थी जिसका कारण मुर्गीदाने की कमी और इसकी ऊंची कीमत तथा विपणन सुविधाओं का अभाव था । अभिकरण सहकारी वाणिज्यिक बैंकों के जरिए विभिन्न स्कीमों के लिए भी पर्याप्त ऋण राशि जुटा सके ।

सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम (सू प्र क्षे का)

सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम 54 परियोजनाओं में चल रहा है जिसमें 13 राज्यों के पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से 74 जिले आते हैं । इस कार्यक्रम के मुख्य तत्वों में, सिंचाई संसाधनों का विकास तथा प्रबन्ध, भू-संरक्षण तथा नमी परिरक्षण सहित जल संभर प्रबंध, वन रोपण और चरागाह विकास, फसल उगाने की पद्धति की पुनः संरचना तथा कृषि-आर्थिक प्रणालियों में परिवर्तन, शुष्क भूमि विकास, पशुधन विकास और छोटे तथा मझौले किसानों तथा खेतिहर मजदूरों को उनके आर्थिक उत्थान के लिए सहायता शामिल है ।

1977-78 के लिए सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय योजना आवंटन 50.96 करोड़ रु० था जिसमें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मझौली सिंचाई स्कीमों के लिए 11.06 करोड़ रु० शामिल थे । मझौली सिंचाई परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है और शेष कार्यक्रमों के सम्बन्ध में राज्य सरकारें अनुरूपयोजी अंशदान की व्यवस्था करती हैं । राज्यों के भाग को शामिल करके 1977-78 में कुल व्यय 67.94 करोड़ रु० था । इस वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में व्यय का प्रतिशत वितरण इस प्रकार था :— सिंचाई 45 प्रतिशत, पशुपालन और डेरी उद्योग विकास 19 प्रतिशत, कृषि 14 प्रतिशत, परियोजना प्रशासन 3 प्रतिशत और अन्य स्कीमें 19 प्रतिशत ।

सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ कार्यक्रमों के संबंध में वास्तविक उपलब्धि नीचे दिखाई है :—

क्रम सं०	कार्यक्रम	इकाई	उपलब्धि 1977-78 में	कुल मार्च 1978 तक
1.	भू और नमी उपचार	(लाख हेक्टेयर)	3.00	8.00
2.	सम्मिश्र-फसल प्रदर्शन	(000 संख्या)	50.00	100.00
3.	सिंचाई की क्षमता का सृजन	(000 हेक्टेयर)	60.00	150.00
4.	वन उद्योग तथा चरागाह विकास	"	100.00	250.00
4.	दुधारु पशुओं का वितरण	(000 संख्या)	20.00	30.00
6.	दुग्ध उत्पादकों की समितियों का संगठन	(000 संख्या)	2.00	3.00
7.	भेड़ इकाइयों का वितरण	"	1.70	2.00

जनजातीय विकास अभिकरण

1977-78 में सभी आठ जनजातीय विकास अभिकरण काम करते रहे। इन अभिकरणों को चुने हुए क्षेत्रों में जनजातीय जनसंख्या के लिए लघु कृषक विकास अभिकरण की पद्धति पर प्रायोगिक आधार पर आरम्भ किया गया । इन परियोजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक विकास के मूल कार्यक्रम में कृषि विकास, बागबानी, भूमि विकास, भू-संरक्षण, छोटी सिंचाई, पशुपालन, सहकारी समितियों और विपणन की आधारभूत व्यवस्था को बढ़ाना, ऋणग्रस्तता से राहत, भूमि का पुनरुद्धार, महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण और कृषि तथा लघु वन उत्पादों पर आधारित ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देना प्रमुख रूप से शामिल हैं ।

जनजातीय विकास अभिकरणों द्वारा मार्च, 1978 के अन्त तक प्राप्य की गई वास्तविक प्रगति (संचयित) नीचे सारणी में दी गई है :-

क्रम सं०	मद	इकाई	प्रगति	
			1976-77	1977-78
1.	निर्धारित सहभागी	संख्या लाख में	3.43	3.78
2.	विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले सहभागी	,,	2.69	3.35
3.	भूमि उद्धार	क्षेत्र हैक्टेयर में	9286	9450
4.	छोटी सिंचाई के निर्माण-कार्य :—			
	(1) खोदे गये कुए	संख्या	4780	5587
	(2) स्थापित/विस्तरित पम्पसेट	,,	477	470
	(3) छोटी सिंचाई के अन्य निर्माण कार्य	,,	1438	2392
	(4) छोटी सिंचाई के सभी निर्माण-कार्यों के पूरे होने पर लाभान्वित क्षेत्र	हैक्टेयर	21378	24060
5.	पशु पालन			
	(1) दुधारू पशुओं का वितरण	संख्या	1613	1937
	(2) प्रजनन सांडों का वितरण	,,	87	88
	(3) मुर्गी पालन पक्षियों का वितरण	,,	17292	19341
6.	मीन उद्योग (स्टाक की गई आंगुलिमीन)	,,	476300	600000

सहकारी समितियों की संरचना को बढ़ाने की दिशा में सभी जनजातीय विकास अभिकरणों ने प्रयास किये। 1977-78 के अन्त तक इन अभिकरणों द्वारा बड़ी सत्ताईस बहुउद्देश्यीय समित्यों का गठन किया गया। सभी अभिकरणो के क्षेत्रों में बैंच मार्क सर्वेक्षण पूर्ण किये गये थे। अधिकांश अभिकरणों द्वारा ऋणग्रस्तता का सर्वेक्षण किया गया और पूरा कर लिया गया है। सभी क्षेत्रों में मूल्यांकन अध्ययन किये गये और छः अभिकरणों की रिपोर्टें तैयार की गई हैं। इन रिपोर्टों से यह प्रकट होता है कि इन अभिकरणों ने अभिप्रेत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में काफी सीमा तक सफलता प्राप्त की है और कुल मिलाकर लक्षित समूह को लाभ पहुंचे हैं।

पहाड़ी क्षेत्र विकास अभिकरण

पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए तीन प्रायोगिक परियोजनाएं हैं जिनमें से एक-एक पौढ़ी-गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) और मणिपुर के नूनगा उपमण्डल के लिए है। कृषि, बागबानी, पशुपालन और छोटी सिंचाई, भूमि विकास/ भू- संरक्षण, सम्पर्क सड़कों का निर्माण, भण्डारण, प्रक्रमण तथा विपणन जैसी अन्य आधार भूत मदों के एकीकृत और समन्वित कार्यान्वयन के जरिए जल संभर का विकास करना इन परियोजनाओं में विकास की प्रमुख कार्यनीति है। इन परियोजनाओं में परिवार आधारित कार्यक्रमों को ऐसे पहाड़ी किसानों के कमजोर वर्गों तक सीमित रखा गया है जिनकी प्रचालन जोत दो हेक्टेयर या इससे कम

है । इन परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग 1,20,000 पहाड़ी परिवार और लगभग 6 लाख कुल जनसंख्या आती है । इन परियोजनाओं के अधीन 1977-78 में प्राप्त की गई उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

सारणी

क्रम सं०	मद	इकाई	उपलब्धि
1.	कृषि से संबंधित विभन्न प्रकार के प्रदर्शन	हेक्टेयर	847
2.	उन्नत बीजों का वितरण	क्विंटल	316
3.	बहु फसलों की खेती का प्रारम्भ	हेक्टेयर	288
4.	बागबानी वैयक्तिक/सामुदायिक फल उद्यान	,,	226
5.	भूमि को समतल बनाना पौध टैरेसिंग	,,	483
6.	छोटी सिंचाई के निर्माण-कार्यों के जरिए सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र	,,	314
7.	पशुपालन और पक्षियों का वितरण	संख्या	10395

एकीकृत ग्रामीण विकास का प्रायोगिक कार्यक्रम

1976-77 में एकीकृत ग्रामीण विकास का प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसमें देश के सभी विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक समस्याओं वाले 20 जिले और पारिस्थितिक समस्या वाले क्षेत्र चुने गए थे । इस कार्यक्रम में दो चरण थे, अर्थात् (क) संसाधनों की सूची तैयार करना, समस्या और उपचार का विश्लेषण और क्रियात्मक योजनाएं तैयार करना ; और (ख) कार्यक्रम का कर्यान्वयन । 1977-78 में, 15 जिलों में ये कार्यक्रम चलाने के लिए धन राशि दी गई थी और जारी की गई । यह कुल धन राशि 8.32 करोड़ रु० थी ।

रेगिस्तान विकास कार्यक्रम

राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, 1977-78 में रेगिस्तान विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। रेगिस्तान विकास कार्यक्रम का उद्देश्य देश के गर्म और ठंडे शुष्क प्रदेशों में बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकना है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान, गुजरात और हरियाणा राज्यों के गर्म शुष्क क्षेत्र के 17 जिले, और ठंडे क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर का लद्दाख जिल तथा हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले का स्पीति उप मंडल शामिल किए गए थे । इस आर्थिक कार्यक्रम का उद्देश्य, वास्तविक, मानव, पशुधन तथा अन्य जैविकी संसाधनों के इष्टतम उपयोग के जरिए वहां के रहने वालों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके, उत्पादकता और आय में वृद्धि करके रेगिस्तानी क्षेत्रों का एकीकृत विकास करना है । रेगिस्तान विकास कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्य-कलाप सम्मिलित हैं :-

1) वृक्षारोपण, जिसमें रक्षक पट्टियों पर विशेष बल दिया जाना घास उगा सकने वाली भूमि का विकास और रेतीले टीलों का स्थिरीकरण करना,

2) भौम जल विकास और उसका उपयोग,

3) खादिनों, बांधों आदि जैसी जल-कटाव संरचनाओं का निर्माण,

4) ग्रामीण विद्युतीकरण, और

5) कृषि, बागबानी और पशुपालन का विकास/

इस कार्यक्रम के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुनदान दिया जाता है । इस के लिए 1977-78 में 6.30 करोड़ रु0 का परिव्यय निर्धारित किया गया था । यह कार्यक्रम, जहां सूखा-प्रवृत क्षेत्र कार्यक्रम/लघु कृषक विकास अभिकरण हैं वहां उनके जरिए चलाया जाता है । अन्य क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए नए अभिकरणों की स्थापना की परिकल्पना थी ।

काम के बदले अन्न कार्यक्रम

काम के बदले अन्न कार्यक्रम योजनेतर स्कीम के रूप में 1977-78 में शुरु किया था जिसका उद्देश्य निर्माण-कार्यों के रखरखाव के लिए राज्य सरकारों की धनराशि को बढ़ाना है जिस पर पहले पर्याप्त मात्रा में निवेश किए थे । बाद में, इस स्कीम को योजना स्कीमों में शामिल कर लिया गया तथा और इसके लिए 1977-78 के लिए 29 करोड़ रु0 का परिव्यय रखा गया था । इस स्कीम के क्षेत्र-विस्तार को भी बढ़ाया और उदार बनाया गया था जिससे कि जारी योजना स्कीमों और योजनेतर स्कीमों तथा निर्माण-कार्यों के रखरखाव सहित प्रमुख निर्माण-कार्यों के नए कामों को इसमें शामिल किया जा सके ।

यह स्कीम ग्रामीण गरीब लोगों को लाभकारी रोजगार दिलवाने, तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं में बेशी खाद्यान्न भंडारों का उपयोग करते हुए आधारभूत व्यवस्थाओं से और स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के विकास के जरिए उनके पोषण और आय के स्तरों में सुधार करने के लिए बनाई गई है ।

इस स्कीम के अन्तर्गत सहायता के लिए अर्हक निर्माण-कार्यों की श्रेणी में ये आते हैं—बड़ी, मझौली और सिंचाई के निर्माण-कार्य; भू और जल संरक्षण तथा सरकारी और सामुदायिक भूमियों पर वृक्षारोपण का कार्य; राज्य राजमार्गों सहित सड़कें; मध्यम और मुख्य नालियों का निर्माण; सिंचाई नियन्त्रण क्षेत्रों में जल निकासियों का निर्माण और भू-समतलीकरण; पंचायतों सहित सरकारी और स्थानीय निकायों से संबंधित स्कूल इमारतों और सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण ।

1977-78 के लिए निर्धारित किए गए 29 करोड़ रु० के परिव्यय में से लगभग 10 करोड़ रु० खर्च हुआ हैं । कुछ समय राज्यों से परामर्श करने में और क्षेत्र स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन को संयोजित करने में लगा । इस कार्यक्रम में अब काफी तेजी आ चुकी है ।

ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का कार्यक्रम

ग्रामीण आधारभूत व्यवस्था को बढ़ाने के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 1977-78 में ग्रामीण संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए एक केन्द्रीय स्कीम शुरू की गई थी । इसके लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई केन्द्रीय धनराशि का उपयोग गांवों को विपणन केन्द्रों, राजमार्गों या रेलवे स्टेशनों से जोड़कर पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास को तेज करने के लिए किया जाना था । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उन अधूरी रही सड़कों के निर्माण-कार्य को पूरा कर सकते हैं जिनका निर्माण पहले किसी भी कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किया गया था और वे धनराशि की कमी होने के कारण पूरी नहीं की जा सकी थीं । इन सड़कों के लाभानुभोगियों से भूमि जुटाने, मानक विनिर्दिष्टताओं के अनुसार मिट्टी का काम पूरा करने के लिए नकद या 'श्रमदान' करने में योगदान की अपेक्षा की गई थी । जहाँ स्थानीय सहयोग अपेक्षित स्तर पर प्राप्त करना संभव नहीं था वहाँ राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा अपने संसाधनों के जरिए आवश्यक धनराशि जुटाई जानी थी ।

इस वर्ष, इस कार्यक्रम के लिए किए गए कुल 20 करोड़ रु० के परिव्यय में से 18.5० करोड़ रु० की व्यवस्था विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए की गई थी । तथापि, दादरा और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कोई परिव्यय निर्धारित नहीं किया गया था क्योंकि दादरा और नगर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र में लोग इतने गरीब थे कि वे नकद या भूमि के रूप में कुछ नहीं दे सकते थे, तथा लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र में स्थानीय जलवायु के लिए उपयुक्त ग्रामीण सड़कें बनाने के लिए नई विनिर्दिष्टताएं तैयार की जानी थीं ।

1978-79 से यह केन्द्रीय स्कीम बन्द कर दी गई है और ग्रामीण संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि की व्यवस्था राज्य योजना क्षेत्र में की गई है ।

1978-79 के लिए कार्यक्रम

1978-79 के लिए ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों के लिए दिए गए परिव्यय नीचे बताए गए हैं:—

क्रम-सं०	कार्यक्रम	1978-79 के लिए परिव्यय (लाख रु०)
1.	एकीकृत ग्रामीण विकास	
	1) लघु कृषक विकास अभिकरण (नियन्त्रण क्षेत्र विकास में लाभानुभोगी-उन्मुख कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त धनराशि सहित)	11500
	2) सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रस	7648
	3) पूर्ण रोजगार के लिए क्षेत्र आयोजना	2000
2.	जनजातीय विकास अभिकरण	253
3.	पहाड़ी क्षेत्र विकास अभिकरण	100
4.	रेगिस्तान विकास कार्यक्रम	2000
5.	काम के बदले अन्न कार्यक्रम	3000

1978-79 में जनजातीय विकास अभिकरण, पहाड़ी क्षेत्र विकास अभिकरण और रेगिस्तान विकास कार्यक्रमों को जारी रखा गया है । काम के बदले अन्न कार्यक्रम का पर्याप्त विस्तार किया जा रहा है । एक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जैसा कि इसके बाद में बताया गया है ।

एकीकृत ग्रामीण विकास

1978-79 से एकीकृत ग्रामीण विकास (ए०ग्रा०वि०) का एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है । एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की आयोजना के लिए प्रारम्भिक इकाई एन०ई०एस० खंड होगी जिससे कि स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप क्षेत्र विशेष की परियोजना तैयार की जा सकें और उनका कार्यान्वयन किया जा सके । एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य बल ग्रामीण लोगों की प्रगति पर दिया जाएगा जिसमें छोटे और मझौले किसान,

बटाईदारों सहित भूमिहीन खेतिहर मजदूर और कारीगर शामिल है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, जिनकी ग्रामीण गरीब लोगों में बहुलता है, पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्षेत्र विशिष्ट योजनाओं के जरिए विकास और पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने के लिए स्थानीय साधनों का इष्टतम उपयोग करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ-साथ इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए ये प्रयत्न किए जाएंगे, जैसे :

(क) फसल उत्पादन/सुधार सहित कृषि, बागबानी, पशु-पालन, मीन उद्योग और वन उद्योग;

(ख) लघु और कुटीर उद्योग के साथ साथ छोटे उद्योग क्षेत्र;

(ग) सेवाओं की व्यवस्था के जरिए तृतीयक क्षेत्र रोजगार और उत्पादकों की पूर्ति और प्रक्रमण तथा विपणन; और

(घ) श्रमिकों का जुटाया जाना और उनकी दक्षता में सुधार करना।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कुछ चुने गए खंडों में शुरू किया जा रहा है। लघु कृषक विकास अभिकरण, सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र विकास और नियन्त्रण क्षेत्र विकास के क्षेत्र विकास कार्य-क्रमों को अब एक आयोजना तन्त्र के अंतर्गत लाने का निर्णय किया गया है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत इस समय आने वाले लगभग 3000 खण्डों में से 2000 खण्ड इन कार्यक्रमों की गहन और एकीकृत आयोजना के लिए तथा कार्यान्वियन के लिए चुने गए हैं। इनमें लघु कृषक विकास अभिकरण वाले 1093 खण्ड, सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र विकास वाले 322 खण्ड और नियन्त्रण क्षेत्र विकास वाले 585 खंड शामिल हैं। खण्डों का चयन करते समय अनुसूचित जाति के लोगों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों और कम उत्पादकता वाले तथा अल्प आय और अल्प रोजगार वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। अब इन चुने गए सभी खण्डों में चल रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत, विशिष्ट क्षेत्रों में उनकी उपयुक्तता के आधार पर इन दृष्टि-कोणों का उपयोग संभव होगा।

चुने गए खंडों में विकास के प्रयत्नों को बढ़ाने के लिए अति-रिक्त परिव्यय की व्यवस्था की गई है। लघु कृषक विकास अभिकरण और नियंत्रण क्षेत्र विकास के अंतर्गत आने वाले हरेक चुने गए खंड के लिए, 1977-78 में उनके लिए निर्धारित किए गए परिव्यय से 5 लाख रु० अधिक अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसमें सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में चुने गए खंडों को 4 लाख रु० प्रति खंड के हिसाब से केन्द्र से और 1 लाख रु० प्रति खंड राज्य से दिए जाने की परिकल्पना है। जहां तक लघु कृषक विकास अभिकरण, सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम और नियंत्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रमों वाले बाकी बचे खंडों का संबंध है, 1978-79 में संबंधित कार्यक्रमों को चलाने के लिए उतने ही परिव्यय की व्यवस्था की गई है जितनी कि उनके लिए 1977-78 में परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। इस अतिरिक्त धन आवंटन को ध्यान में रखते हुए लघु कृषक विकास अभिकरण कार्यक्रम वाले खंडों में इन कार्यक्रमों के लिए कुल 115 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसमें नियंत्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रम वाले खंडों में शुरू किए जाने वाले वैयक्तिक लाभग्राही कार्यक्रम के लिए धनराशि की अतिरिक्त व्यवस्था भी शामिल है। सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम वाले खंडों के लिए केन्द्रीय योजना में 76.48 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। सामान्य सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम के लिए राज्यों द्वारा भी लगभग उतने ही अंशदान की परिकल्पना है। इस परिव्यय में चुनी गई सभौली सिंचाई परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान के रूप में 8.84 करोड़ रु० की धनराशि भी सम्मिलित है।

1978-79 में एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए चुने गए 2000 खंडों के अतिरिक्त, गहन खंड स्तर आयोजना और उसके कार्यान्वयन के लिए 300 खंडों को चुनने का प्रस्ताव है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच खंडों के आवंटन के बारे में निर्धारित मानकों के आधार पर खंडों के चयन के लिए राज्यों को सूचित कर दिया गया है; इसमें सम्मिलित नहीं किए गए खंडों के चयन में, अनुसूचित जाति के लोगों की अधिक आबादी (20 प्रतिशत या अधिक) वाले जिलों और खंडों को प्राथमिकता दी जा रही है। खंड स्तरीय आयोजना और उसके कार्यान्वयन में स्वैच्छिक अभिकरणों के सक्रिय योगदान की परिकल्पना की गई है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमके अंग के रूप में पूर्ण रोज-गार के लिए क्षेत्र आयोजना के अंतर्गत 20 करोड़ रु० की व्य-वस्था की गई है। इस भाग के अंतर्गत, ऐसे खंडों को भी सम्मिलित करने का निर्णय किया गया है जिनमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रायोगिक परियोजना प्रभावी रूप में पहले से ही चलाई जा रही है।

आयोजना और कार्यान्वयन के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त राज्यों को भेजे जा चुके हैं। खंड स्तरीय आयोजना के लिए मार्ग-दर्शी सिद्धान्त तैयार करने के लिए प्रोफेसर एम० एल० दांतवाला की अध्यक्षता में बनाए गए कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की है, जो अब विचाराधीन है। खंड स्तरीय आयो-जना और उसके कार्यान्वयन में स्वैच्छिक अभिकरणों की सक्रिय सहभागिता के लिए, आधारस्वरूप तैयार करने के लिए योजना आयोग के सदस्य श्री बी० शिवरामन की अध्यक्षता में एक दल भी बनाया गया था। इस दल ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो अब सरकार के विचाराधीन है।

अध्याय 8

सिंचाई, नियंत्रण क्षेत्र विकास और बाढ़ नियंत्रण

1

सिंचाई

1797-78 में हुई प्रगति की समीक्षा

1977-78 के अंत तक 495 लाख हैक्टेयर का उपयोग कर लिए जाने के साथ देश में सिंचाई की क्षमता के बढ़कर 523 लाख हैक्टेयर हो जाने की आशा है। निम्नलिखित सारणी में बड़ी, मझौली और छोटी सिंचाई की स्कीमों के अंतर्गत प्रगति के आंकड़े दिए गए हैं :

(इस लाख हैक्टेयर)

मद	अंतिम क्षमता	1977-78 के अंत तक (प्रत्याशित)	
		क्षमता	उपयोग
1. भू पृष्ठ जल	72	32.8	30.0
(क) बड़ी और मझौली	57	25.0	22.2
(ख) छोटी	15	7.8	7.8
2, भौम जल	40	19.5	19.5
जोड़	**11.2**	**52.3**	**49.5**

2. 1977-78 में 26 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षमता और 26 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त उपयोग की वास्तविक उपलब्धि होने का अनुमान है। इसमें से क्रमशः अतिरिक्त क्षमता और अतिरिक्त उपयोग के 11 लाख हैक्टेयर छोटी सिंचाई के अंतर्गत आते हैं।

3. 1977-78 में बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं के लिए 888.79 करोड़ रु० का परिशोधित परिव्यय अनुमोदित किया गया था। सिंचाई परियोजनाओं के कार्य की गति को तेज करने के लिए बड़ी और मझौली परियोजनाओं के लिए धनराशि की आवश्यकताओं की इस वर्ष समीक्षा की गई। इसके परिणामस्वरूप कुछ बड़ी और मझौली परियोजनाएं निर्धारित की गईं और इस वर्ष राज्यों को 101.37 करोड़ रु० की अतिरिक्त सहायता दी गई। इसी प्रकार छोटी सिंचाई के विकास को तेज करने की दृष्टि से कुछ राज्यों को वार्षिक योजना के परिव्यय के अलावा 9 करोड़ रु० की अतिरिक्त सहायता दी गई।

4. इस वर्ष बड़ी और मझौली सिंचाई के कार्यक्रम के लिए प्रत्याशित व्यय 889 करोड़ रु० और छोटी सिंचाई के कार्यक्रम के लिए प्रत्याशित व्यय 237.18 करोड़ रु० होने की संभावना है। 1977-78 में छोटी सिंचाई के कार्यक्रम के लिए संस्थागत परिव्यय 245 करोड़ रु० होने की प्रत्याशा है।

1978-79 के लिए योजना

5. क्षेत्र के आधार पर बड़ी और मझौली सिंचाई स्कीमों के वर्गीकरण के लिए निर्धारित मापदंड को अब 1978-79 से छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी लागू कर दिया गया हैं। इस समय प्रयुक्त ये मापदंड इस प्रकार हैं :—

(क) छोटी स्कीमें—जिनमें कृष्य नियंत्रण क्षेत्र (सी०सी०ए०) 2000 हैक्टेयर तक हो।

(ख) मझौली स्कीमें—जिनमें कृष्य नियंत्रण (सी०सी०ए०) 2000 हैक्टेयर से अधिक और 10,000 हैक्टेयर तक हो।

(ग) बड़ी स्कीमें—जिनमें कृष्य नियंत्रण क्षेत्र (सी०सी० ए०) 10,000 हैक्टेयर से अधिक हो।

6. सिंचाई के विकास को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष चल रही स्कीमों के लिए तथा कुछ नई शुरू की जाने वाली स्कीमों के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। 1978-79 में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में जो निर्देशक विचार रहे हैं, वे नीचे दिए गए हैं :

बड़ी और मझौली सिंचाई

(1) चल रही परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन ।

(2) परियोजनाओं में जल निकासी के निर्माण-कार्यों का निष्पादन ।

(3) परियोजनाओं के विस्तृत प्रक्रमन और मूल्यांकन की ओर ध्यान तथा उनकी प्रगति का प्रबोधन ।

(4) कुछ बेसीनों के लिए व्यवस्था आयोजना अध्ययन शुरू करना ।

(5) जिन सिंचाई परियोजनाओं के नियंत्रण क्षेत्रों में सिंचाई की पूर्ति कम है, उनमें भूपृष्ठ और भौम जल का संयोजी उपयोग ।

छोटी सिंचाई

(1) भौम जल विकास में मुख्य बल पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा गंगा के मैदानी भाग और ब्रह्मपुत्र घाटी में पूर्वी राज्यों में दिया जाएगा जहां भौम जल के उपयोग के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है ।

(2) उपलब्ध भौम जल के अधिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए और जलक्रान्ति तथा उसके परिणामस्वरूप होने वाले खारेपन के कुप्रभाव को दूर करने के लिए भूपृष्ठ सिंचाई परियोजनाओं के नियंत्रण क्षेत्रों में भौम जल के विकास के लिए विशेष प्रयत्न ।

(3) भूपृष्ठ जल की स्कीमों का शीघ्र कार्यान्वयन जिसमें नदियों से उद्‌वहन सिंचाई और तालाबों का नवीकरण शामिल है ।

(4) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को तेज करना जिसमें कि जल-उद्‌वहन के लिए सबसे अधिक प्रभावी साधन उपलब्ध हों ।

(5) कार्यक्रम के लाभ जनजातीय क्षेत्रों और समुदाय के अन्य कमजोर वर्गों को पहुँचाने के लिए उपाय ।

(6) जिन भागों में छोटे किसानों की बहुलता है और जिन क्षेत्रों में निजी नलकूप लगाने में प्रगति होने की संभावना नहीं है उनमें सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए सार्वजनिक नलकूप लगाना ।

(7) सूक्ष्म स्तर सर्वेक्षणों और स्कीमों के कार्य को तेज करने के लिए अधिक सस्ते शिल्पविज्ञान का विकास करने के लिए अनुसंधान और विकास संबंधी प्रयत्नों को प्रोत्साहन देने, तकनीकी सहायता देने तथा किसानों को बोरिंग और ड्रिलिंग के काम में ग्राहक सेवा की व्यवस्था करने के लिए राज्य और केन्द्रीय संगठनों को बढ़ाना ।

(8) आंकड़ों के प्रबोधन, समन्वय, संचयन, और सूचित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध करना ।

7. निम्नलिखित सारणी में 1978-79 के लिए परिव्ययों और लक्ष्यों का सारांश दिया गया है ।

मद	परिव्यय 1978-79 (करोड़ रु०)	1978-79 के लक्ष्य (दस लाख हैक्टेयर) क्षमता	उपयोग
1 भूपृष्ठ जल			
(क) बड़ी और मझौली	1033.94	1.35	1.15
(ख) छोटी	234.99	1.45	1.45
2. भौम जल			
जोड़	**1268.93**	**2.80**	**2.60**

8. बड़ी और मझौली सिंचाई के कार्यक्रम के लिए परिव्ययों की पूर्ति पूरी तरह से सरकारी क्षेत्र से ही की जाती है, परन्तु छोटी सिंचाई की स्कीमों के लिए संसाधनों में निजी और संस्थागत साधनों से भी सहायता की जाती है । छोटी सिंचाई के विकास में कृषि और पुनर्वित्त विकास निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम तथा भूमि विकास बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण है । कुछ मझौली सिंचाई स्कीमों के लिए वित्त-व्यवस्था, सूखा-प्रवृत्त क्षेत्रों और पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए निर्धारित परिव्ययों में से की जाने की आशा है । महाराष्ट्र में राज्य की रोजगार गारंटी स्कीम से कुछ धनराशि कुछ बड़ी और मझौली स्कीमों के लिए दी जाती है ।

9. 1978-79 के अंत में, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर और पोचमपाद, बिहार में कोशी और गंडक परियोजनाओं गुजरात में उकई और कडाना, हरियाणा में जवाहरलाल नेहरू उद्‌वहन सिंचाई स्कीम, महाराष्ट्र में जयकवाडी चरण और कुकाडी चरण परियोजनाएं, उड़ीसा में महानदी डेल्टा परियोजना, व्यास यूनिट-I और 2, राजस्थान नहर चरण-I, उत्तर प्रदेश में शारदा सहायक परियोजना और पश्चिम बंगाल में कंगसावती परियोजना जैसी कुछ बड़ी परियोजनाओं के निर्माण-कार्य में काफी प्रगति हो गई होगी ।

10. 1978-79 में बड़ी और मझौली सिंचाई स्कीमों के लिए परिव्ययों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

मद	बड़ी	मझौली	जोड़
1. जारी स्कीमें	689.76	150.35	840.11
2. 1978-79 की नई शुरू की गई योजनाएं	102.19	41.18	143.37
3. जल विकास आदि			50.46
जोड़	**791.95**	**191.53**	**1033.94**

11. बड़ी, मझौली और छोटी सिंचाई की स्कीमों तथा बाढ़ नियंत्रण की स्कीमों के लिए परिव्यय के राज्यवार आँकड़े अनुलग्नक 8.1 में दिए गए हैं। कार्यान्वयन में भी योजना की प्राथमिकताओं को सामान्य रूप से बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्कीमों के लिए परिव्यय राज्य योजना में निर्धारित किए गए हैं।

2. बड़ी, मझौली और छोटी सिंचाई की स्कीमो से लाभों के राज्यवार आंकड़े क्रमशः अनुलग्नक 8.2 और 8.3 में दिए गए हैं। 1978-79 में सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता और उपयोग के लिए क्रमशः 28 लाख हेक्टेयर और 26 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य रखे गए हैं।

2

नियंत्रण क्षेत्र विकास

1977-78 में हुई प्रगति की समीक्षा

13. पांचवीं योजना में 16 राज्यों में 60 सिंचाई परियोजनाओं को नियंत्रण क्षेत्र विकास के लिए चुना गया था। मार्च, 1978 के अन्त तक 37 नियंत्रण क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किए जा चुके हैं। इनके अन्तर्गत 47 सिंचाई परियोजनाएं आ जाती हैं और ये 12 राज्यों में 102 जिलों में स्थित हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 140 लाख हेक्टेयर कृष्य नियंत्रण क्षेत्र आता है। 1977-78 तक नियंत्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए कुल प्रत्याशित परिव्यय केन्द्रीय क्षेत्र से 66.56 करोड़ रु० और राज्य क्षेत्र से 55.98 करोड़ रु० है। 1977-78 तक संस्थागत क्षेत्र से 10 करोड़ रु० का परिव्यय रहा था। 1977-78 के अंत तक खेत की नालियों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र लगभग 20 लाख हेक्टेयर और भूमि विकास (फार्म विकास निर्माण-कार्य) के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 7 लाख हेक्टेयर होने की आशा हैं।

1978-79 के लिए योजना

14. नियंत्रण क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पास उपलब्ध आधारभूत व्यवस्था के वर्तमान स्तर को तथा अतिरिक्त धनराशि की उपलब्धता से किस सीमा तक इस कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाया जा सकता हैं इसको ध्यान में रखते हुए 1978-79 के लिए कार्यात्मक कार्यक्रम तैयार किया गया। इस कार्यक्रम को इन दो चरणों में कर्यान्वित करने का प्रस्ताव है :

(क) जोत के पुनः अनुयोजन और समेकन के लिए प्रतीक्षा किए बिना बाद में किए जाने वाले समेकन कार्यक्रम के लिए पहले से निर्धारित किए बिना प्राथमिकता के आधार पर खेतों की नालियों का निर्माण, और

(ख) जोत के समेकन सहित भूमि को समतल करना और ठीक बनाना।

यह भी आशा है कि 1978-79 सौर उनके साथ यह कार्यक्रम बाकी चुनी हुई परियोजनाओं में चलाया जाएगा और कुछ अन्य परियोजनाओं में भी शुरू किया जाएगा। चालू वर्ष में खेत की नालियों के निर्माण के अंतर्गत 6·27 लाख हेक्टेयर को लाने और संहत खेत विकास निर्माण-कार्य के अंतर्गत 4.67 लाख हेक्टेयर को लाने का प्रस्ताव है।

15. नियंत्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित कार्यकलाप की गति को तेज करने की दृष्टि से वर्तमान संगठन को बढ़ाने के लिए चालू वर्ष में उपाय किए जाएंगे। पानी का प्रभावी और समान रूप से उपयोग करने के लिए जल निकासी के आधार पर 'वाराबंदी' शुरू करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। सिंचित कृषि से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए फसल आयोजन की ओर अधिक ध्यान दिया जाएगा। आधुनिकीकरण और जल-निकासी के निर्माण-कार्यों के आयोजन और निष्पादन की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा और नियंत्रण क्षेत्र के अंतिम भागों में भूपृष्ठ और भौम जल के संयोजी उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। वर्तमान कृषि विस्तार अभिकरण की पर्याप्तता की जांच की जाएगी और उसे यथावश्यक बढ़ाया जाएगा। विस्तार की 'प्रशिक्षण और दौरा' प्रणाली को अपनाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता पर विचार किया जाएगा और उस प्रणाली को चुनी हुई परियोजनाओं में शुरू किया जाएगा।

16. वर्ष 1978-79 के लिए प्रस्तावित परिव्यय केन्द्रीय क्षेत्र में 44 करोड़ रु० और राज्य क्षेत्र में 27.5 करोड़ रु० होंगे तथा संस्थागत क्षेत्र से 30 करोड़ रु० प्राप्त होने की आशा है। राज्यों के परिव्यय अनुलग्नक 8.4 में दिए गए हैं।

3

बाढ़ नियंत्रण

1977-78 में हुई प्रगति की समीक्षा

इस समय बाढ़ नियंत्रण के ये उपाय हैं—तटबंध, जल

निकासी नालियों में सुधार और बाढ़ विमंदन जलाशय। बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की लागत प्रभाविता में सुधार करने के लिए बाढ़ नियंत्रण सहित नदी तंत्रों के बहु-उद्देश्यीय और इष्टतम विकास पर बल दिया गया है। बाढ़ से प्रभावित हो सकने वाली जनसंख्या को बाढ़ के संबंध में पूर्वानुमान और पहले से चेतावनी देने के काम में पर्याप्त प्रगति हुई है। 1977-78 में परिशोधित अनुमोदित परिव्यय 87.6 करोड़ रु० था। केन्द्र ने 1977 की मानसून में हुए नुकसान के कारण बाढ़ नियंत्रण के निर्माण-कार्यों के लिए अग्रिम योजना सहायता भी अनुमोदित की।

1978-79 के लिए योजना

18. 1978-79 में और उसके बाद में जारी स्कीमों को पूर्ण करने, जो अन्य अंतर्राज्यीय नदियां बाढ़ पूर्वानुमान व्यवस्था के अंतर्गत अभी तक नहीं आती हैं उनके लिए भी बाढ़ पूर्वानुमान व्यवस्था का विस्तार करने, लंबी अवधि के व्यापक मास्टर प्लान तैयार करने और बाढ़कृत मैदान का मंडलन और विनिमयन करने पर जोर दिया जाएगा। बड़े बाढ़ नियंत्रण कार्यों और अंतर्राज्यीय परियोजनाओं का प्रबोधन शुरू करने का प्रस्ताव है। 1978-79 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अनुमोदित परिव्यय 109.21 करोड़ रु० और केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत अनुमोदित परिव्यय 17.45 करोड़ रु० है। हाल में आई बाढ़ के कारण, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गोवर्धन जल निकासी तंत्र तथा राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में साहिबी बेसीन-नजफगढ़ जल निकासी व्यवस्था जैसी कुछ नई स्कीमों की तात्कालिकता और महत्त्व बढ़ गया है और उनसे संबंधित प्रभावी बाढ़ नियंत्रण के उपायों से संबंधित प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

19. परिव्ययों के राज्यवार आंकड़े अनुलग्नक 8.1 में दिए गए हैं।

1978-79 के लिए परिव्ययों का सारांश

(करोड़ रु०)

मद	1978-79 के लिए परिव्यय			
	केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	जोड़
1. बड़ी और मझौली सिंचाई	5.97	1019.56	8.41	1033.94
2. छोटी सिंचाई	10.40	220.07	4.52	234.99
3. नियंत्रण क्षेत्र विकास	44.00	27.50	—	71.50
4. बाढ़ नियंत्रण	17.45	104·21	5.00	126.66

अध्याय 9

ऊर्जा

1978-83 की योजना के प्रारूप की एक मुख्य बात ऊर्जा क्षेत्र के लिए परिव्यय में अत्यधिक वृद्धि है। माँग प्रबंध और ऊर्जा संरक्षण-ये दीर्घावधि ऊर्जा नीति के आवयश्क अंग होते हैं, परन्तु तात्कालिक उद्देश्य हैं अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि की अनुमानित दरों के अनुरूप ऊर्जा की पूर्ति सुनिश्चित करना। 1978-79 की वार्षिक योजना में ऊर्जा क्षेत्र के लिए किए गये परिव्यय से पर्याप्त ऊर्जा की पूर्ति सुनिश्चित करना तथा ऊर्जा संरक्षण के लिए सावधानी रखना ये दोनों ही उद्देश्य प्रकट होते हैं। इस प्रकार विद्युत् उत्पादन और कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तथा हमारे तेल क्षेत्र की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए अधिक धनराशि की व्यवस्था की गयी है। 1978-79 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय 3050 करोड़ रु० का होगा जो वार्षिक योजना के लिए कुल परिव्यय का 26.2 प्रतिशत है। इसके अलावा, ऊर्जा के अपरंपरागत साधनों, विशेषकर बायो गैस और सौर ऊर्जा, के विकास के लिए अन्य क्षेत्रों में भी वित्तीय आवंटन किए गए हैं।

2. जैसी कि 1978-83 की योजना के प्रारूप में परिकल्पना की गई है, इस वर्ष से कोकिंग कोयले का आयात शुरू होगा। गुजरात तेल शोधक कारखाने का निर्माण वर्ष के मध्य तक पूरा हो जाने पर अंकलेश्वर तेल क्षेत्र से कच्चे तेल का उत्पादन कम हो जायगा, जो कि भारतीय पैट्रो-रसायन लिमिटेड के डिटर्जेंट ऐल्किलेट संयंत्र के लिए आवश्यक मात्रा में तेल की पूर्ति करने के लिए विशेषरूप से उपयुक्त है। ये उपाय देश के दुर्लभ संसाधनों को संरक्षित रखने की समग्र नीति के अंग के रूप में किए जा रहे हैं।

3. ईंधन नीति समिति के अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने के बाद ऐसी कई बातें हो गई हैं जिनके कारण देश की भावी ऊर्जा नीतियों, और योजनाओं को फिर से देखना आवश्यक हो गया। इसलिए देश में और देश से बाहर हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान ऊर्जा स्थिति की व्यापक समीक्षा करने, अगले 5से15 वर्ष के लिए भावी नीति तैयार करने और उपलब्ध ऊर्जा के स्रोतों का इष्टतम उपयोग करने के लिए उपयुक्त नीति विषयक उपायों की सिफारिश करने के लिए ऊर्जा नीति से संबंधित एक कार्यकारी दल बनाया गया है।

विद्युत्, कोयला और पैट्रोलियम के लिए कार्यक्रमों के ब्यौरे आगे के पैराग्राफ़ों में दिऐ गए हैं।

1 विद्युत्

1977-78 में हुई प्रगति की समीक्षा

4. 1977-78 के प्रारंभ में, देश में विद्युत् उत्पादन की संस्थापित क्षमता 240 लाख कि०वा० थी। वर्ष 1977-78 में, उत्पादन क्षमता में 3400 मेगावाट वृद्धि के लक्ष्य की तुलना में 1956 मेगावाट विद्युत् उत्पादन हो सका (अनुलग्नक 9.1 देखें)। इस वृद्धि के साथ मार्च, 1978 के अंत तक कुल उत्पादन क्षमता लगभग 260 लाख कि०वा० हो गई। लक्ष्य की प्राप्ति में कमी के लिए मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं :—

(1) सिविल निर्माण-कार्यों के पूरे होने में देर;

(2) उपकरण की प्राप्ति और स्थापना में देर;

(3) अशांत श्रम संबंध ; और

(4) विस्फोटकों, सीमेंट और इस्पात जैसी सामग्रियों की कमी।

संस्थापित क्षमता की संचयी वृद्धि इस प्रकार थी :

	1976-77 (वास्तविक) मेगावाट	1977-78 (वास्तविक) मेगावाट
पन-बिजली	9196	10017
तापीय (कोयला, तेल और लिग्नाइट सहित)	11979	13114
नाभिकीय	640	640
कुल प्रतिष्ठान	21815	23771
प्रतिष्ठानेतर	2225	2225
कुल जोड़	**24040**	**25996**

5. पिछले वर्ष से 1977-78 में विद्युत् के सकल उत्पादन में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि नीचे लिखे अनुसार हुई :—

(10 लाख किलोवाट)

	1976-77 (वास्तविक)	1977-78 (वास्तविक)
(क) प्रतिष्ठान		
पन-बिजली	34766	37963
तापीय	51181	51943
नाभिकीय	3253	2273
जोड़	89200	92179
(ख) प्रतिष्ठानेतर	6900	6900(प्रत्याशित)
कुल जोड़ :	**96100**	**99079**

पिछले वर्ष की तुलना मे, तापीय विद्युत् उत्पादन में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अच्छी वर्षा होने के कारण पन-बिजली उत्पादन के भंडार में अच्छी प्रगति हुई जिससे पिछले वर्ष की तुलना में पन-बिजली उत्पादन में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राणाप्रताप सागर परमाणु बिजलीघर (रा०प्र०बि०घ०) में विद्युत् इकाई के उपलब्ध न होने के कारण, जो कि जुलाई, 1977 में योजनाबद्ध रूप में मरम्मत/रखरखाव के लिए बंद कर दिया गया था, नाभिकीय विद्युत् उत्पादन काफी कम हुआ था।

6. वर्ष मे, तापीय विद्युत क्षमता में लगभग 1140 मेगावाट की वृद्धि हुई, फिर भी उत्पादन कम हुआ जिसके मुख्य कारण थे उपादानों का कम उपयोग, बिजली का बार-बार बंद हो जाना, स्थाई प्रचालन के लिए नई इकाइयों द्वारा लिया जाने वाला अधिक समय। नाभिकीय सहित तापीय बिजलीघरों के संयंत्र का उपयोग 1976-77 में 56 प्रतिशत हुआ था वह कम होकर 1977-78 में लगभग 51 प्रतिशत हो गया। कुछ बड़े बिजलीघरों, जैसे चंद्रपुर, बदरपुर, ओबरा, हरदुआगंज, राणा प्रताप सागर परमाणु बिजलीघर आदि में बिजली की कटौती को, काफी समय तक जारी रखा गया। 1976-77 में जो बाध्यकारी बिजली की कटौती की दर 13 प्रतिशत थी वह बढ़कर 1977-78 में 19 प्रतिशत हो गई जिससे संयंत्र उपलब्धता में कमी हुई। लगभग 12 बिजलीघरों को उनके बायलरों के अभिकल्प के लिए उपयुक्त किस्म का कोयला न मिलने के कारण प्रचालनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

7. पिछले वर्ष की तुलना में संचरण और वितरण के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के काम में सुधार हुआ। तीन नई अंतर्राज्यीय लाइनें बनाने का काम पूरा हुआ। अर्थात् मैसूर (कर्नाटक) से इदुक्की (केरल), नासिक (महाराष्ट्र) से नवसारी (गुजरात) और कोटा (राजस्थान) से उज्जैन (मध्य प्रदेश)। कुछ और लाइनों के बनाने के काम में समय-सारणी के अनुसार प्रगति नहीं हो सकी जिसके कुछ कारण थे—भूमि प्राप्त करने में होने वाली देर, विशेष कोटि के इस्पात की प्राप्ति में कठिनाइयां जिसके कारण बिजलीटावरों की पूर्ति होने में देर, बिजली संवाहकों की अनुपलब्धता, उपकरणों की पूर्ति में देर, और डाक-तार समन्वय समिति से अनुमोदन प्राप्ति में होने वाली देर। पूरी की गई प्रमुख संचरण लाइनों की सूची अनुलग्नक 9.2 में दी गई है।

8. ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत, अतिरिक्त 2.80 लाख पंपसेटों के लिए तथा 14003 और नए गांवों में बिजली पहुंचाई गई। इससे वर्ष के अंत में चालू पंपसेटों की संख्या 33 लाख तथा बिजली वाले गांवों की कुल संख्या 2.17 लाख हो गई। इसका यह अर्थ हुआ कि कुछ गांवों में से लगभग 38 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंचाई गई और लगभग 59 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को विद्युत् की सुविधा का लाभ मिला। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (कृ०पु०वि०नि०) जैसे वित्त संस्थाओं द्वारा ऋण देने की कार्यविधि को उदार बनाया गया। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, जो कि ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए वित्त जुटाने वाली मुख्य संस्था है, द्वारा पहाड़ी, रेगिस्तानी और जनजातीय क्षेत्रों सहित पिछड़े क्षेत्रों के लिए स्वीकृत की गई कुल स्कीमों में से 50 प्रतिशत से भी अधिक स्कीमों को वित्तीय सहायता दी गई।

9. वर्ष 1977-78 के लिए विद्युत् क्षेत्र के लिए 1925 करोड़ रु० का कुल परिव्यय अनुमोदित किया गया था जिसमें केंद्रीय क्षेत्र (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम सहित) के लिए 247.52 करोड़ रु० सम्मिलित था। अब केन्द्रीय क्षेत्र में लगभग 40 करोड़ रु० की कमी होने का अनुमान है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भी विद्युत् के उत्पादन और संचरण तथा वितरण में भी कमी होने की आशा है परन्तु इस समय निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। योजना की प्रगति की अर्धवार्षिक समीक्षा में, धनराशि की कमी होने से प्रभावित होने वाली विशिष्ट परियोजनाओं का पता लगाया गया और इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए तथा संचरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त 25 करोड़ रु० उपलब्ध कराए गए।

विद्युत् पूर्ति की स्थिति

10. इस वर्ष विद्युत् की पूर्ति की स्थिति उसकी मांग में वृद्धि तथा उपलब्ध उत्पादन क्षमता से कम विद्युत् उत्पादन दोनों से ही प्रभावित हुई। विद्युत् की उपलब्ध संस्थापित क्षमता उस की मांग की तुलना में अधिक थी, परंतु उसकी प्रभावी उपलब्धता अपर्याप्त थी। कुछ वर्तमान अंतर्राज्यीय तार सम्पर्कों का बेशी वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों में अंतरण अपर्याप्त सिद्ध हुआ। वर्ष के शुरू में विद्युत् पूर्ति की स्थिति संतोषजनक नहीं थी जिसके कारण अधिकांश राज्यों में बिजली के उपयोग पर रोक लगानी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में स्थिति में सुधार

हुआ। बिजली उत्पादन की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की गई जिनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण कार्रवाइयां इस प्रकार हैं :

(क) तापीय बिजलीघरों के रखरखाव में सुधार करने के लिए तथा इकाइयों की ओवरहालिंग के लिए लगाने वाले समय में कमी करने के लिए कार्रवाई की गई। अतिरिक्त कल-पुर्जों की पूर्ति करके समस्याओं का पता लगाने और सुधारात्मक उपाय करने के उद्देश्य से प्रचालन का प्रतिदिन प्रबोधन करके और तापीय बिजलीघरों के कार्मिकों को रखरखाव सम्बंधी उपयुक्त प्रशिक्षण दे करके बिजली का उत्पादन अधिकतम करने के लिए एक बहुदिशायी कार्यक्रम शुरू किया गया था;

(ख) उपकरणों के सुधार और नवीकरण के कार्यक्रम को योजनाबद्ध और समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में शुरू करने के लिए बहु-विषयी परियोजना सुधार दल बनाए गए थे। प्रारम्भ में, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 14 बिजलीघर और 3 पन-बिजलीघर शामिल किए गए हैं जिसके अंतर्गत सुधारात्मक कार्य 1978 तक पूरा होने की आशा है; और

(ग) तापीय बिजलीघरों के प्रचालन और रखरखाव की समस्याओं और कमियों का पता लगाने के लिए तथा उनमें सुधार के लिए सुझावों की सिफारिश करने के लिए पश्चिम जर्मनी से एक विशेषज्ञ दल इन परियोजनाओं को देखने के लिए आया।

इस वर्ष क्षेत्रवार विद्युत् की पूर्ति की स्थिति इस प्रकार थी :

उत्तरी क्षेत्र

12 हिमाचल प्रदेश को छोड़कर इस पूरे क्षेत्र में बिजली की पूर्ति की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। प्रमुख तापीय बिजलीघरों के बंद हो जाने के कारण उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बिजली में कटौती करनी पड़ी। देहर और पोंग बिजलीघरों के चालू हो जाने और तापीय बिजलीघरों के फिर से चालू हो जाने के बाद स्थिति में सुधार हुआ। इस वर्ष राणा प्रताप सागर परमाणु बिजली घर मुख्य रूप से श्रमिक अशांति के कारण फिर से चालू नहीं किया जा सका। वर्ष के अंत में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में बिजली की कटौती जारी रही।

पश्चिमी क्षेत्र

13 गुजरात में बिजली की स्थिति सामान्य रूप से संतोषजनक रही। तथापि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पूरे वर्ष 15 से 40 प्रतिशत तक बिजली की कमी बनी रही।

दक्षिणी क्षेत्र

14. कर्नाटक में पूरे वर्ष बिजली की कटौती की गई जो 25 से 50 प्रतिशत तक थी। केरल में बिजली बेशी मात्रा में उपलब्ध थी जिसने तमिलनाडु और कर्नाटक को कुछ राहत पहुंचाई। तमिलनाडु में बिजली पूर्ति की स्थिति, जुलाई, 1977 में संतोषजनक हो गई, तथापि वर्ष के शुरू में 25 से 40 प्रतिशत तक बिजली की कटौती की गई थी। आंध्र प्रदेश में, वर्ष के पूर्वार्ध में 30 प्रतिशत तक बिजली की कटौती की गई और वह कटौती अगस्त से बन्द कर दी गई।

पूर्वी क्षेत्र

15. उड़ीसा में बिजली की स्थिति सामान्य रही। बाकी क्षेत्र में, बिजली में लोड शैडिंग और अधिकतम भार के उपयोग पर रोक लगाई गई थी।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

16. मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बिजली की पूर्ति की स्थिति संतोषजनक थी। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड में बिजली की कटौती की गई थी और उसके उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाए गए थे।

1978-79 की वार्षिक योजना

17. वर्ष 1978-79 के लिए वार्षिक योजना में विद्युत् कार्यक्रम के लिए 2217 करोड़ रु० की नीचे बताए अनुसार व्यवस्था की गई है ;—

(करोड़ रु०)

	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्र	जोड़
विद्युत् उत्पादन	1012.70	3.67	195.99	1212.36
संचरण और वितरण	615.39	27.10	51.00	693.49
ग्रामीण विद्युतीकरण	266.98	5.00	—	271.98
सर्वेक्षण और अन्वेषण	24.36	0.75	14.22	39.33
जोड़ :	**1919.43**	**36.52**	**261.11**	**2217.16**

उपर्युक्त परिव्यय के राज्यवार/उप-शीर्षवार आंकड़े अनुलग्नक 9.3 में बताए गए हैं। यह व्यवस्था 1977-78 में किए गए 1925 करोड़ रु० के परिव्यय से 15.1 प्रतिशत अधिक है।

विद्युत् उत्पादन

18. केंद्रीय योजना में दामोदर घाटी निगम के लिए 33.60

करोड़ रु०, परमाणु बिजलौ कार्यक्रम के लिए 46.98 करोड़ रु० और प्रत्यक्ष रूप से विद्युत् विभाग के अधीन आने वाली परियोजनाओं के लिए 155.13 करोड़ रु० की व्यवस्था शामिल है। उत्तर प्रदेश में सिंगरौली, मध्य प्रदेश में कोरबा और तमिलनाडु में नेवेली की तापीय बिजलीघरों की परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय ताप बिजली निगम को सिंगरौली और कोरबा तापीय बिजलीघरों के निर्माण की परियोजनाएं सौंपी गई हैं और नेवेली परियोजना के निष्पादन का काम नेवेली लिग्नाइट निगम द्वारा किया जाएगा। राणा प्रताप सागर परमाणु बिजलीघर की दूसरी इकाई वाणिज्यिक स्तर पर बिजली की पूर्ति के लिए 1978-79 में चालू की जाएगी। नरौरा परमाणु बिजलीघर परियोजना के काम में तेजी आ गई है और 1978-79 में इस परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है।

19. राज्य क्षेत्र में, चल रही विद्युत् परियोजनाओं के लिए, उनमें हुई वास्तविक प्रगति और उनके पूरे होने की प्रत्याशित समय-सारणी को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए 100 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई हैं। विद्युत् उत्पादन की प्रमुख स्कीमों के लिए परिव्यय निर्धारित करने के साथ-साथ भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड को बड़े संयंत्रों और उपकरणों की पूर्ति के लिए धन की अदायगी की व्यवस्था की गई है। 1978-79 में उत्पादन क्षमता में प्रत्याशित वृद्धि के ब्यौरे अनुलग्नक 9.4 में बताए गए हैं। 1978-79 में, चालू करने के लिए लगभग 40 लाख कि० वा० (अतिरिक्त) कुल विद्युत् उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इससे मार्च, 1979 तक देश में कुल विद्युत् क्षमता लगभग 300 लाख कि०वा० हो जाएगी।

20. वर्ष 1978-79 में 1120 करोड़ कि०वा० बिजली ऊर्जा के उत्पादन का अनुमान है। प्रतिष्ठान और प्रतिष्ठानेतर क्षेत्रों में क्षेत्रवार विद्युत् उत्पादन निम्नलिखित रुप में होंगे :

(दस लाख किलोवाट)

	पन-बिजली	तापीय	परमाणु	जोड़
क. प्रतिष्ठान क्षेत्र				
उत्तरी	14827	14480	1000	30307
पश्चिमी	6435	21611	2100	30146
दक्षिणी	15811	9470	—	25281
पूर्वी	3039	15400	—	18439
उत्तरी-पूर्वी	247	610	—	857
उप-जोड़	40359	61571	3100	105030
ख. प्रतिष्ठानेतर				6900
जोड़ (अखिल भारत)				**111930**

संचरण और वितरण

21. वर्ष 1978-79 की योजना में संचरण और वितरण के लिए निर्धारित किए गए 694 करोड़ रु0 के परिव्यय की 1977-78 में निर्धारित किए गए परिव्यय से तुलना करने पर 28 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित होती है। इसमें अंतर्राज्यीय संपर्कतारों के लिए 22 करोड़ रु0, ग्रामीण वितरण प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त सहायता के जरिए संचरण लाइनों के लिए 4.75 करोड़ रु0 और प्रणाली सुधार और निम्न विभव संधारित्र स्कीमों के लिए 17.85 करोड़ रु0 की व्यवस्था सम्मिलित है। 1978-79 में चालू की जाने वाली प्रमुख अंतर्राज्यीय लाइनें हैं :-

1. देहर (व्यास परियोजना) — शिमला (हिमाचल प्रदेश)
2. चंद्रपुर (दामोदर घाटी निगम)—दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)
3. बीरपाड़ा—फुन्तसोहलिंग (पश्चिम बंगाल)
4. दीमापुर (नागालैंड)—मरियानी (असम)
5. दीमापुर (नागालैंड)—बोकाजन (असम)
6. लोकटक (मणिपुर)—दीमापुर (नागालैंड)
7. मुगलसराय (उत्तर प्रदेश)—देहरी (बिहार)
8. बेलगांव (कर्नाटक)—कोल्हापुर (महाराष्ट्र) ।। सी के टी

1978-79 में पूरी हो जाने की संभावना वाली 132 कि० वो० की अन्य महत्त्वपूर्ण संचरण लाइनें तथा उपर्युक्त लाइनों की सूची अनुलग्नक 9.5 में दी गई है।

22. स्थाई क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों के निर्माण के लिए, धनराशि की व्यवस्था की गई है, ये केन्द्र राज्य विद्युत् प्रणालियों का क्षेत्रीय तंत्र के साथ अनुकूलन करने के लिए आवश्यक हैं। 1978-79 में भार प्रेषण केन्द्रों के लिए इमारतों के निर्माण और उपकरणों की प्राप्ति तथा उनकी स्थापना के काम में पर्याप्त प्रगति होने की आशा है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

23. ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रम को अत्यधिक प्राथमिकता देने की नीति जारी है। इसके लिए 1977-78 में निर्धारित किए गए 175 करोड़ रु० के परिव्यय की तुलना में 1978-79 के लिए 272 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है जिससे लगभग 55 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित होती है। अनुपूरक रूप में वित्तीय संस्थाओं द्वारा धनराशि दी जाएगी। 1978-79 में अतिरिक्त 3.7 लाख सिंचाई के पंपसेटों के लिए बिजली पहुंचाने का अनुमान हैं। इससे 1978-79 के अंत में

प्रचालनाधीन पंपसेटों की कुल संख्या 36.7 लाख हो जाने का अनुमान है। 1978-79 में लगभग 25000 गाँवों मे बिजली पहुँचाने का अनुमान है। 1978-79 के अंत तक देश में बिजली वाले गांवों की कुल संख्या 2 4 लाख होने का अनुमान है जिसका अर्थ है देश के 43 प्रतिशत गांवों में बिजली का पहुंचना। पिछड़े क्षेत्रों, हरिजन बस्तियों और जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर अल्प विकसित और पहाड़ी क्षेत्रों के विद्युतीकरण पर विशेष बल दिया जाएगा।

24. पंपसेटों के लिए बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम के लिए विशेष कर उन राज्यों में जहां नलों के बिना ही पर्याप्त मात्रा में भू-जल उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में संस्थागत धनराशि आकर्षित करने के उद्देश्य से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, कृषि पुनर्वित्त विकास निगम (कृ०पु०वि०नि०) और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से धन लगाने की एक नई स्कीम शुरू की गई है। इस नई स्कीम के लिए 1978-79 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के योजना बजट के अंतर्गत 10 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है, जिसमें इस स्कीम के अधीन उपयुक्त परियोजनाओं के जरिए बैंकों और कृषि पुनर्वित विकास निगम का भी उतनी ही धनराशि का अंशदान होगा, बल्कि कृषि पुनर्वित्त विकास निगम और वाणिज्यिक बैंकों का यह अंशदान उससे अधिक भी हो सकता है। पहले से ही बिजली वाले क्षेत्रों में पंपसेटों के लिए गहन रूप में बिजली पहुंचाने के लिए तथा लघु और कुटीर उद्योगों के लिए बिजली की पूर्ति का विस्तार करने के लिए नई स्कीमें भी शुरू की जाएंगी।

परिशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (प०न्यू०आ०का०)

25. इस कार्यक्रम के अंतर्गत, अभी तक परिकल्पित जनसंख्या के समावेशन के मापदंड में परिवर्तन किया गया है और अब ग्राम समावेशन का मापदंड रखा गया है। वर्ष 1988 तक हरेक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम 50 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार विद्युतीकरण किए जाने वाले गांवों में से 40 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण वर्ष 1982-83 तक हो जाएगा। केवल वे ही राज्य और संघ राज्य क्षेत्र परिशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत आएंगे जिनमें मार्च, 1978 के अंत तक 50 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं को तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए परिशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त बना लिए गए हैं और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को परिशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए ऋण देने के लिए अपने मानकों को उदार बनाने के लिए कहा गया है।

1978-79 के लिए विद्युत् पूर्ति की संभावना

26. वर्ष 1978-79 में 40 लाख किलोवाट की क्षमता को बढ़ाने और विद्यमान तापीय बिजलीघरों के अधिक अच्छे प्रचालन, जिसके लिए पहले से ही उपाय किए गए है, के फलस्वरूप विद्युत् संबंधी स्थिति में सुधार होगा। हरेक क्षेत्र से संबंधित संभावना इस प्रकार है :

उत्तरी क्षेत्र

27. तापीय क्षमता में अपेक्षित वृद्धि होने के कारण इस क्षेत्र में विद्युत् संबंधी स्थिति अधिक अच्छी होने की आशा है, यद्यपि पन-बिजली के लिए मानसून पर निर्भरता बनी रहेगी। इस वर्ष संस्थापित क्षमता में कुल 1470 मे०वा० की वृद्धि हो जाने की आशा है। इसमें ये आयेंगे—देहर (2×165 मेगावाट), पौंग (2×60 मेगावाट), लोअर झेलम (2×35 मेगावट), ओबरा यूनिट-2 (200 मेगावाट), गुरु नानक तापीय यूनिट-4 (110 मेगावाट) और पानीपत तापीय (2×110 मे०वा०) बदरपुर विस्तार (200 मेगावाट) और राणा प्रताप सागर परमाणु बिजली घर (220 मेगावाट)। हरियाणा को अधिकतम क्षमता और ऊर्जा दोनों में कुछ मामूली कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिसे आसपास के राज्यों से सहायता प्राप्त करके पूरा किया जा सकता है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में विद्युत् संबंधित स्थिति संतोषजनक रहेगी। राजस्थान में स्थिति में पर्याप्त सुधार होगा। उत्तर प्रदेश को बराबर कमी का सामना करना पड़ सकता है।

पश्चिमी क्षेत्र

28. वर्ष 1978-79 में लगभग 1210 मेगावट की कुल क्षमता में वृद्धि होगी जिसमें से अधिकांश वृद्धि नासिक विस्तार (1×210 मेगावाट), भुसावल विस्तार (1×200 मेगावाट) सतपुड़ा (1×200 मेगावाट), उकई विस्तार (2×210 मेगावाट), और अहमदाबाद (110 मेगावट) की तापीय यूनिटों में होगी; उसके होने से विद्युत् की उपलब्धता सुधरने की आशा है। तथापि विद्युत् की कमी पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी, लेकिन गुजरात में अधिकतम ऊर्जा की पूर्ति हो जाने के बाद कुछ ऊर्जा बेशी रहेगी।

दक्षिणी क्षेत्र

29. यह क्षेत्र मुख्य रूप से पन-बिजली पर निर्भर बना रहेगा और इसके लिए मानसून की स्थिति महत्वपूर्ण होगी। वर्ष 1978-79 में 695 मेगावाट की कुल क्षमता की स्थापना किए जाने की संभावना है, जिसमें विजयवाड़ा (210 मेगावाट) (आन्ध्र प्रदेश) और तूतीकोरिन (210 मेगावट) (तमिलनाडु) की तापीय इकाइयां तथा कालीनदी (135 मेगावाट) और लिंगनमक्की (2×27.5 मेगावाट) (कर्नाटक), कुंदाह (50 मेगावाट) और सुरुलियार (35 मेगावट) (तमिलनाडु) की पन-बिजली इकाइयां शामिल हैं। उपर्युक्त क्षमता के अधिकतर भाग को अंतिम तिमाही में चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। केरल में विद्युत्

पूर्ति की स्थिति ठीक बने रहने की आशा है। कर्नाटक में विद्युत् की कमी बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश में स्थिति संतोषजनक बनी रहने की संभावना है, परन्तु ऊर्जा पूर्ति में मामूली कमी आ सकती है। तमिलनाडु में पिछले वर्षों की तुलना में स्थिति के सुधरने की संभावना है।

पूर्वी क्षेत्र

30. जहां तक ऊर्जा की उपलब्धता का संबंध है, इस क्षेत्र में कुल मिलाकर विद्युत् पूर्ति की स्थिति संतोषजनक बने रहने की आशा है। संस्थापित क्षमता में कुल 427 मेगावाट की वृद्धि किए जाने की संभावना है। वर्ष 1978-79 में जो नए बिजली-घर चालू किए जाने हैं, उनमें सुवर्णरेखा पन-बिजली घर (65 मेगावाट) (बिहार), संतालदीह तापीय बिजली घर (240 मेगावाट) (पश्चिम बंगाल) और चन्द्रपुर तापीय बिजली घर (120 मेगावाट) (दामोदर घाटी निगम) शामिल हैं। उड़ीसा में में बेशी विद्युत् की स्थिति जारी रहेगी। तापीय इकाइयों के प्रचालन को और अधिक अच्छा करने के उपाय किए जाने से बिहार और दामोदर घाटी निगम की विद्युत् की स्थिति सुधरनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में विद्युत् क्षमता में 15 से 20 प्रति-शत की कमी होने की संभावना है। इस क्षेत्र में गैस टर्बाइन इकाइयों की संस्थापना के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

31. यदि इस वर्ष चालू की जाने वाली इकाइयां काम करना आरंभ कर देती हैं तो इस क्षेत्र में वर्ष 1978-79 में स्थिति सुधर जाएगी। किन्तु अधिकतम क्षमता और ऊर्जा दोनों में कुल मिला कर कमी रहेगी। वर्ष 1978-79 में किरदेम्कुले पन-बिजलीघर (2×30 मेगावाट) और लक्वा में गैस इकाइयों (3×15 मेगावाट) की स्थापना से 105 मेगावाट की क्षमता की वृद्धि होने की संभावना है।

विविध स्कीमें

32. पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में चयनीय आधार पर नए बिजलीघरों के स्थलों के अन्वेषण और पन-बिजली स्कीमों के सतत् अन्वेषण के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। हाट लाइन प्रशिक्षण संस्थान, तापीय बिजलीघर प्रशिक्षण संस्थान, विद्युत् भार पारेषण केन्द्र आदि जैसी पूरक स्कीमों के लिए धन-राशि की व्यवस्था की गई है।

2. कोयला और लिग्नाइट

कोयला

1977-78 की समीक्षा

33. वर्ष 1977-78 में 1032 लाख टन कोयले के उत्पादन के लक्ष्य के मुकाबले इस वर्ष कोयले का वास्तविक उत्पादन 1009 लाख टन हुआ, जो 1976-77 में हुए 1014 लाख टन कोयले के उत्पादन से कुछ कम था। इसमें कोल इंडिया लिमिटेड के पिछले वर्ष के 494.8 लाख टन के योगदान की तुलना में 1977-78 में कम होकर 889.6 लाख टन हो गया। उत्पादन में यह कमी मुख्य रूप से खनन उद्योग के लिए विस्फोटक तैयार करने वाली फैक्ट्रियों में लम्बी हड़तालों, विद्युत् की कमी, असामान्य भारी वर्षा और औद्योगिक अशांति के कारण हुई।

34. दूसरी ओर कोयले के उत्पादन में शिथिल प्रवृत्ति के कारण कोयले की मांग में तेजी आ गई। मुख्य उपभोक्ता क्षेत्रों द्वारा उपभोग किए गए कोयले का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(दस लाख टन)

क्षेत्र	1976-77	1977-78
इस्पात	22.30	23.10
विद्युत्	27.70	28.80
	(1.6)	(1.8)
रेलवे	13.30	13.30
सीमेंट	4.70	5.10
उर्वरक	0.70	1.20
बाकी के अन्य क्षेत्र	31.10	32.10
	(0.62)	(0.90)
	99.80	103.70
	(2.22)	(2.71)

(कोष्टकों में दिए गए आंकड़े मध्यकों से संबंधित है)

35. कोल इंडिया लिमिटेड से विभिन्न उत्पादों की निकासी का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(दस लाख टन)

उत्पाद	1976-77	1977-78
क. प्रधान	11.48	11.77
ख. मध्यम	7.33	7.72
ग. अर्ध कोककारी	0.92	1.05
घ. नया कोककारी (अधात्विक उपयोग)	7.70	8.94
ङ. अकोककारी	59.60	61.80
जोड़	**87.03**	**91.28**
च. प्रक्षालित कोयला		
(1) कोककारी	8.62	8.70
(2) अकोककारी	0.27	0.14
छ. साफ्ट कोक	7.16	2.90

कोयले की बढ़ी हुई मांग को खान के मुहानों पर रखे भंडारों से कोयला लेकर पूरा किया गया। मार्च, 1977 के अंत तक हुए 145.10 लाख टन के सर्वाधिक भंडार में कमी होकर वह नवंबर में 93.80 लाख टन हो गया। वर्ष के अंतिम महीनों में उत्पादन के बढ़ जाने के कारण खानों के मुहानों पर रखा भंडार बढ़ कर मार्च, 1978 के अंत तक 121 लाख टन हो गया।

36. वर्ष 1976-77 की तुलना में 1977-78 में कोयला परिवहन के स्वरूप के संबंध में विशेष बात यह थी कि इस अवधि में कोयले के सड़क परिवहन के भाग में मामूली-सी वृद्धि हुई और इसके साथ कोयले के रेल परिवहन के भाग में गिरावट आई, जैसा कि नीचे की सारणी से दिखाई देगा :

(दस लाख टन)

परिवहन का प्रकार	1976-77		1977-78	
	मात्रा	कुल का प्रतिशत	मात्रा	कुल का प्रतिशत
रेल	75.58	79.50	77.85	77.52
सड़क	13.99	14.76	16.90	16.85
अन्य	5.51	5.89	5.55	5.53
जोड़	**95.08**	**100.00**	**100.30**	**100.00**

1978-79 की वार्षिक योजना

37. अगले कुछ दशकों में देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना जाने के कारण, 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में अगले 5 वर्षों में कोयले के उत्पादन में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इसमें हमारे कोकिंग कोयले के सीमित निक्षयों के संरक्षण पर भी बल दिया गया है। 1978-79 की वार्षिक योजना तैयार करते समय इन दोनों लक्ष्यों को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है।

38. वर्ष 1978-79 में कुल 1120 लाख टन कोयले की आवश्यकता होने का अनुमान है, जिसमें मुख्य क्षेत्रों द्वारा उपभोग के लिए उनकी मांग नीचे बताई गई है :

उपभोक्ता क्षेत्र	दस लाख टनों में आवश्यकता (1978-79)
इस्पात	25.0
विद्युत्	33.8
रेलें	13.1
उर्वरक	1.5
सीमेंट	5.25
अन्य क्षेत्र	33.25
	111.90

इस आवश्यकता की तुलना में, 1978-79 में कंपनीवार कोयले के उत्पादन के अनुमान नीचे बताए गए हैं :

(दस लाख टन)

खान वर्ग	एन०ई०सी०	ई०सी०एल०	बी०सी० सी०एल०	सी०सी० एल०	डब्ल्यू० सी०एल०	जोड़
1. **कोल इन्डिया लि० (सी०आई०एल०)**						
1. मौजूदा खानें	0.16	23.05	23.00	16.38	17.46	80.05
2. स्वीकृत की गई खानें						
(क) पुनर्निर्माण	0.50	2.68	—	3.84	3.86	10.88
(ख) नई खानें	—	2.20	0.30	1.17	1.32	4.99
उप जोड़	0.50	4.88	0.30	5.01	5.18	15.87
3. प्रस्तावित की गई खानें						
(क) पुनर्निर्माण	0.02	—	—	2.31	1.71	4.04
(ख) नई खानें	—	0.50	—	—	0.15	0.65
उप जोड़	0.02	0.50	—	2.31	11.86	4.69
जोड़	0.68	28.43	23.30	23.70	14.50	100.61
2. सिंगरैनी कौलियरीज कम्पनी लिमिटेड						10.00
3. टिस्को/इस्को						3.00
कुल जोड़ :						113.61

(एन०ई०सी० :—नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्ज लिमिटेड,
ई०सी०एल० :—ईस्टर्न कोलफील्ड्ज लिमिटेड,
बी०सी०सी०एल० :—भारत कोकिंग कोल लिमिटेड,
सी०सी०एल० :—सेन्ट्रल कोलफील्ड्ज लिमिटेड,
डब्ल्यू०सी०एल० :—वैस्टर्न कोलफील्ड्ज लिमिटेड)

39. कोयले के उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बहुमुखी नीति तैयार की गई है जिससे कि मौजूदा खानों की पूरी क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग हो सके और पुनर्निर्माण वाली खानों और नई खानों का निर्माण किया जा सके और अपेक्षाकृत कम समय में उत्पादन दे सकने वालीं नई खानों की परियोजनाओं के चयन को प्राथमिकता दी जा सके। नई कोयला खानों की परियोजनाओं की मंजूरी के लिए शुरू किए जाने वाले विशेष उपायों के अतिरिक्त उन परियोजनाओं के लिए अग्रिम कार्रवाई शुरू की जा रही है जिनका सम्बन्ध तापीय बिजलीघरों और इस्पात संयंत्रों की आवश्यकताएं पूरी करने से है। विभिन्न कोयला कम्पनियों के उत्पादन के लक्ष्य नीचे बताए गए हैं :

(टन/श्रमपारी)

कम्पनी	1977-78 (वास्तविक)	1978-79(लक्ष्य)
ई०सी०एल०	0.58	0.64
बी०सी०सी०एल०	0.57	0.67
डब्ल्यू०सी०एल०	0.85	0.90
सी०सी०एल०	0.84	0.90
एस०सी०सी०एल०	0.72	0.72

40. विस्फोटकों की पूर्ति के सम्बन्ध में उसकी कमी को दूर करने के उद्देश्य से देश में नए विस्फोटक संयन्त्र लगाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। कोल इन्डिया लिमिटेड और आयुध निर्माणी महा निदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से लगाए जा रहे 5000 टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले भंडार संयन्त्र द्वारा 1979 में उत्पादन शुरू कर देने का अनुमान है।

41. रेल द्वारा कोयले की ढुलाई में वृद्धि करने के उद्देश्य से रेलवे साइडिंगों के विस्तार करने, कोयला लादने-उतारने के स्थानों का यन्त्रीकरण करने, और धुलाई बढ़ाने के अन्य उपायों को करने के लिए 1978-79 की वार्षिक योजना में पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है। कोयले की ढुलाई की परियोजनाओं में निवेश के लिए 19.74 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है जिसका उद्देश्य है अगले कुछ वर्षों में इस्पात संयन्त्रों द्वारा की जाने वाली धुले हुए कोयले की अधिक मांग को पूरा करने के लिए कोयले की धुलाई क्षमता में वृद्धि करना।

42. देश के कोककारी कोयले के निचयों को दीर्घावधि तक संरक्षित रखने के उद्देश्य से 1978-79 में लगभग 10 लाख टन कोककारी कोयले का आयात शुरू किया जाएगा। इष्टतम संसाधनों और मिश्रण प्रणालियों का निर्धारण करने के लिए पहले परीक्षण किए जायेंगे। इसके साथ-साथ कोककारी कोयले की मांग को कम करने के लिए वैकल्पिक उपायों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

43. कोयला उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करनेके लिए, अगले 15 वर्षों में कोयला निकालने का भावी कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसमें 1978-79 में लगभग 196,500 मीटर लम्बे क्षेत्र से कोयला निकालने का लक्ष्य रखा गया है। कोयला खुदाई की मीटरों में लम्बाई के अभिकरणवार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

(मीटर)

1. केन्द्रीय खान आयोजन और अभिकल्प संस्थान	72,000
2. खनिज अन्वेषण निगम	93,600
3. एस०सी०सी०एल०	22,500
4. अन्य	8,400
जोड़	**196,500**

लिग्नाइट

44. वर्ष 1977-78 में, नेवेली में लिग्नाइट के उत्पादन में कमी हुई, जिसमें 36 लाख टन का उत्पादन हुआ जबकि इससे पिछले वर्ष इसका उत्पादन 40.2 लाख टन हुआ था। उत्पादन में होने वाली इस कमी के लिए मुख्य रूप से दो कारण थे—श्रम अशान्ति और अक्टूबर और नवम्बर, 1977 में हुई असमय वर्षा। वर्ष 1978-79 के लिए 42 लाख टन लिग्नाइट के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसका वितरण नीचे दिया गया है :

(10 लाख टन)

इकाई	वितरण
तापीय बिजलीघर	3.06
उर्वरक संयन्त्र	0.35
ब्रिकेटीकरण ओर कार्बनीकरण संयन्त्र	0.79
जोड़	**4.20**

45. नेवेली लिग्नाइट खानों के विकास में एक महत्वपूर्ण बात है दूसरी खान काटने की स्वीकृति, जिसकी उत्पादन क्षमता 47 लाख टन होगी और जिस पर 144.47 करोड़ रु० की लागत का अनुमान है। दूसरी खान की कटाई का काम तत्काल शुरू कर दिया जाएगा और यह 1982-83 से उत्पादन करना शुरू कर देगी, जिसके उत्पादन की सहायता से, साथ-साथ 630 मेगावाट क्षमता का एक नया तापीय बिजलीघर चालू किया जा सकेगा। इसके साथ-साथ पहली खान की उत्पादन क्षमता को 65 लाख टन बढ़ाने के लिए वर्ष भर में किया जाने वाला आवश्यक निवेश इस वर्ष भी जारी रहेगा।

46. कोयले के लिए 224.94 करोड़ रु० और लिग्नाइट के लिए 42.02 करोड़ रु० के कुल परिव्यय के ब्यौरे अनुलग्नक 9.6 में दिए गए हैं।

3. पैट्रोलियम

1977-78 की समीक्षा

47. वर्ष 1977-78 में देशीय कच्चे तेल का उत्पादन 107.7 लाख टन था, इसमें से 76 लाख टन का उत्पादन तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा, 31.1 लाख टन का उत्पादन आयल इंडिया द्वारा और 0.6 लाख टन का उत्पादन असम तेल कम्पनी द्वारा किया गया था। इस वर्ष के 112.6 लाख टन के लक्ष्य से तुलना करने से यह अर्थ निकलता है कि उत्पादन में 4.9 लाख टन की गिरावट आई है। यह गिरावट पूर्णतः बम्बई हाई समुद्र तट से दूर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कम उत्पादन किये जाने के कारण है, जहां 25.0 लाख टन के अपेक्षित उत्पादन की तुलना में 20.8 लाख टन का ही उत्पादन किया जा सका। 1977-78 में कच्चे तेल का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा 18.8 लाख टन अधिक था। तेल के अतिरिक्त, 22000 लाख घनत्व मीटर प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन किया गया।

48. समुद्र तटीय और समुद्र अपतटीय दोनों ही अन्वेषण कार्यकलापों की गति बनाए रखी गई जिसके फलस्वरूप 3.26 लाख मीटर के लक्ष्य की तुलना में तेल निकालने के लिए 3·23 लाख मीटर की ड्रिलिंग की गई। बम्बई हाई के ये चरण 1 और 2 इस वर्ष में पूरे किये गये जिनके अंतर्गत दो प्रक्रमण एवं कुओं के प्लेटफ़र्म और तीन कुओं के प्लेटफार्म स्थापित किये गये तथा 40 लाख टन की वार्षिक उत्पादन दर प्राप्त कर ली गई। आयल इण्डिया लिमिटेड की पाइप लाइन विस्तार परियोजना पूरी कर दी गई।

49. मथुरा और कोयाली स्थित भारतीय तेल निगम की प्रमुख तेल शोधक परियोजनाओं के कार्य तथा सौलाया-मथुरा पाइप लाइनों के कार्य में इस वर्ष में काफी प्रगति हुई। वर्ष के अंत में देश की तेल शोधन क्षमता 274.5 लाख टन थी।

अन्वेषण और उत्पादन

50. तेल और गैस के लिए खोज की उच्च प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि यह उत्पादन के वर्तमान स्तर को बनाए रखने की दृष्टि से उत्पादन के अनुपात से पर्याप्त निचय सुनिश्चित करने के लिए तो आवश्यक है ही, देश के निचय के अधिक ठीक-ठीक अनुमान प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए समुद्र तटीय और समुद्र अपतटीय ड्रिलिंग के मीटरों का लक्ष्य क्रमशः 1.97 लाख और 62,500 मीटर निर्धारित किया गया है। बम्बई हाई, बी-38 और उत्तर बेसिन क्षेत्रों में विकासात्मक ड्रिलिंग की योजना की जा रही है, और बम्बई समुद्र अपतटीय क्षेत्र उत्तर दक्षिणी ताप्ती संरचनाओं और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्र अपतटीय क्षेत्रों में तथा केरल और कावेरी तटों पर अन्वेषण के लिए ड्रिलिंग का विचार किया जा रहा है। मध्यवर्ती क्षेत्र में ड्रिलिंग के लिए निश्चित की गई अनेक नवी अन्वेषी अवस्थितियों में समुद्र तटीय ड्रिलिंग का कार्य शुरू किया जायगा और यह पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में इस प्रकार के ड्रिलिंग के कार्यों को जारी रखने के अलावा है। आयल इंडिया जोराजन-कत्थलगुरी के समीप और असम में सांथी-जयपुर में अपने खनन पट्टा क्षेत्रों में तथा अरुणाचल प्रदेश में अन्वेषण लाइसेंस क्षेत्रों में अन्वेषण और विकास/विस्तार ड्रिलिंग कार्य करने के अतिरिक्त समुद्र अपतटीय अन्वेषण के क्षेत्र में कार्य आरंभ करेगा। महानदी डेल्टा में 12,000 वर्ग किलो मीटर के पट्टा क्षेत्र में वायु चुम्बकीय और भूकम्पीय सर्वेक्षण किए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र की पानी कार्बन क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके।

51. बम्बई हाई और उत्तर तटीय क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रम का चरण 3 मई, 1978 तक पूरा हो जाएगा और कार्यक्रम के चरण-3ख का कार्य शुरू किया जाएगा जो मार्च 1980 के अंत तक पूरा हो जाएगा। चरण-3 क के अंतर्गत बम्बई हाई से यूरन पर समाप्त होने वाले तट तक 30 "तेल ट्रंक लाइन" और 26 गैस पाइप लाइन बिछाई जाएगी। इस चरण में गैस के उपयोग तथा दबाव और तेल पम्पिंग की सुविधाओं सहित 'एफ' प्लेटफार्म की स्थापना और कच्चे तेल के भण्डारण और स्थितिकरण के लिए अपतटीय सुविधाएं शामिल हैं। चरण-3ख के अंतर्गत बम्बई हाई पर 4 कुओं के प्लेटफार्म और एक केन्द्रीय प्रक्रमण प्लेटफार्म स्थापित किया जाना है तथा उत्तरी बस्सीन में 2 कुओं के प्लेटफार्म, एक उत्पादन प्लेटफ़ार्म, एक क्लेयर जेकेट और एक राइजर मेनीफ़ोल्ड स्थापित किया जाना है। चरण-3ख के पूर्ण होने पर 70 लाख टन प्रति वर्ष की उत्पादन दर प्राप्त हो जाएगी।

52. कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के संबंध में 1978-79 के लिए लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:

	तेल (दस लाख टन)	गैस (दस लाख घन मीटर)
तेल और प्राकृतिक गैस आयोग		
भूमि पर	5.82	624.00
अपटतीय	3.85	350.00
जोड़	9.67	974.00
आयल इंडिया	2.83	1587·00
*जोड़	12.55	2561.00

*इसमें असम आयल कम्पनी द्वारा उत्पादन किए जाने वाला लगभग 0.5 लाख टन कच्चा तेल शामिल है।

53. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया के लिए 1978-79 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय क्रमशः 376.64 करोड़ रुपये और 34.69 करोड़ रुपये है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के परिव्यय में अपतट कार्यों के लिए 230.01 करोड़ रुपये शामिल हैं।

तेल शोधन और विपणन

54. गुजरात तेल शोधक विस्तार परियोजना, जिसकी तेल सफाई करने की वार्षिक क्षमता 43 लाख से 73 लाख टन तक होगी, इस वर्ष में पूरी हो जाएगी और कार्य करना आरंभ कर देगी। इस योजना के चालू हो जाने के साथ-साथ सलाया बीरमगाम कोयाली पाइप लाईन भी पूरी हो जाएगी। यह सलाया से कच्चा तेल लाएगी जहां आयातित तथा बम्बई हाई का कच्चा तेल भी प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा, बोंगाई गांव रिफाईनरी एंड पैट्रो कैमिकल्स लि० में तेल शोधन की क्षमता में वृद्धि की जायगी, वहां कच्चे तेल की सफाई एकक के इस वर्ष में चालू हो जाने की आशा है।

55. 1978-79 की वार्षिक योजना में मथुरा तेलशोधक परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। प्रति वर्ष 60 लाख टन कच्चे तेल के प्रक्रमण के लिए अभिकल्पित इस परियोजना के अप्रैल, 1980 तक चालू किए जाने के लिए पूरी हो जाने की आशा है। इस परियोजना के समानान्तर बीरमगाम-मथुरा पाइप लाइन के निर्माण-कार्य को पूरा करने की समय सारणी तय की गई। कोयाला ल्यूड केटेलिटिक क्रेकर (एफ०सी०सी०) परियोजना के लिए, अर्थात् बेशी आई०एस०एच०एस० को मध्य आसुत में चटकाने और अन्य उत्पादनों के लिए गुजरात तेलशोधक कारखाने में माध्यमिक प्रक्रमण संबंधी सुविधाओं के लिए भी वार्षिक योजना में धनराशि की व्यवस्था की गई है। 1979 में चालू होने वाले बोंगाईगाँव तेलशोधक कारखाने में अन्य सुविधाओं का कार्य, अर्थात् मिट्टी का तेल उपचारण इकाई तथा डीलैड कोकर और कोक निस्तापन इकाइयों का कार्य जारी रहेगा।

56. मथुरा तेलशोधक कारखाने के 1980 में चालू हो जाने पर एक उपयुक्त उत्पादन-वितरण प्रणाली का विकास करना होगा। भारतीय तेल निगम ने उत्पादन पाइप लाइन के लिए, जिसकी लागत 37.70 करोड़ रुपये होगी, एक साध्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो पाइप लाइन मथुरा से जालंधर को सफेद तेल लायेगी जिसके बंद करने के पाइंट दिल्ली और अम्बाला में होंगे, यह रिपोर्ट विचाराधीन है। गोहाटी सिलिगुड़ी उत्पादन लाईन की क्षमता के विस्तार के लिए 1.60 करोड़ रुपये की लागत का अनुमोदन किया गया है।

57. बम्बई हाई, मथुरा तेलशोधक कारखाने और कोयाली स्थित एफ०सी०सी० से 1980 के बाद बड़ी मात्रा में एल०पी०जी० प्राप्त होगा। इतनी बड़ी मात्रा के विपणन के लिए विभिन्न स्थानों पर भण्डारण और भरने की नई सुविधाएं उत्पन्न करने के संबंध में अग्रिम कार्य करने की आवश्यकता है। भारतीय तेल निगम, भारत पैट्रोलियम निगम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम की वार्षिक योजना में इस प्रयोजन के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। वार्षिक योजना में शामिल अन्य स्कीमों में हिन्दुस्तान पैट्रोलियम निगम की ल्यूब शोधक विस्तार परियोजना, मद्रास तेलशोधक कारखाने की पेराफीन वेक्स परियोजना और बम्बई हाई के कच्चे तेल के प्रक्रमण के लिए तटीय तेल शोधक कारखानों में सुविधाओं की स्थापना उल्लेखनीय है।

58. तेल की सफाई, परिवहन और विपणन की स्कीमों के लिए 1978-79 की वार्षिक योजना में कुल परिव्यय 172.91 करोड़ रुपये है।

59. कच्चे तेल के उत्पादनों और पेट्रोलियम उत्पादनों के लक्ष्य और 1978-79 की वार्षिक योजना में समाविष्ट स्कीमों के अनुलग्नक 9.7 और 9.8 में दिए गए हैं।

अध्याय 10

ग्राम और लघु उद्योग

1977-78 में हुई प्रगति की समीक्षा

ग्राम और लघु उद्योगों के उत्पादन के स्तरों और चुने हुए उत्पादों के निर्यात की संभावित उपलब्धियां नीचे बताई गई हैं:

	1977-78	
	संभावित प्रत्याशित	उपलब्धि
उत्पादन		
(1) हथ करघे और बिजली चालित करघे से बना सूती कपड़ा (दस लाख मीटर)	4,400	4,100
(2) खादी कपड़ा (सूती, ऊनी और रेशमी)		
—मात्रा (दस लाख मीटर)	73.8	71.0
—मूल्य (करोड़ रु०)	60.0	64.2
(3) कच्चा रेशम (दस लाख किलोग्राम)	4.15	3.69
(4) ग्राम उद्योग (करोड़ रु०)	211.1	186.6
निर्यात		
(5) हथकरघे से बने ओर मिल से बने सूती कपड़े (करोड़ रु०)	185.0	213.2
(6) रेशमी कपड़े और अवशिष्ट (करोड़ रु०)	19.5	33.0
(7) नारियल जटा उत्पादन		
—मात्रा ('000 टन)	43.0	45.0
—मूल्य (करोड़ रु०)	23.0	24.3
(8) हस्त शिल्प (करोड़ रु०)	425.0	496.9

रेशमकीट बीज की कम उत्पादकता और प्रतिकूल जलवायु दशाओं के कारण गैर-शहतूती रेशम के उत्पादन में मुख्य रूप से कमी होने से कच्चे रेशम के उत्पादन लक्ष्य से कम रहा। समीक्षाधीन वर्ष के आरंभिक भाग में विद्यमान तंतु की अधिक कीमतों तथा पर्याप्त मांग की कमी के कारण हथकरघे और बिजलीचालित करघे से बने सूती कपड़े का प्रत्याशित उत्पादन प्राप्त नहीं किया जा सका।

2. वर्ष 1977-78 में 4 नई हथकरघा गहन विकास परियोजनाएं (हरेक में लगभग 10,000 करघे शामिल हैं) मंजूर की गई जिससे ऐसी परियोजनाओं की संख्या बढ़कर 25 हो गई। इसके अलावा 1977-78 के अंत तक 21 निर्यातोन्मुख हथकरघा परियोजनाएं (हरेक में लगभग 1000 करघे शामिल हैं) काम कर रही थीं।

3. निर्यात के लिए रेशमी उत्पादों की बढ़ी हुई मांग और बैरेक कंबलों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए क्रमश: रेशमी खादी और ऊनी खादी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई स्कीमें शुरू की गईं। 6 चुने हुए उद्योगों के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत, अपंजीकृत, और घरेलू क्षेत्रों में संबंध में 1971 की जनगणना में जिलेवार आँकड़े एकत्र किए गए। ये उद्योग हैं—खाद्य उत्पाद; सूती वस्त्र; वस्त्र उत्पाद; लकड़ी और लकड़ी से बना सामान; चमड़े और फर के उत्पाद; तथा पेय, तंबाकू और तंबाकू के उत्पाद। ये आँकड़े राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों को भेजे गए ताकि इन उद्योगों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जा सके और उपयुक्त कार्यक्रम तथा स्कीमें प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जा सकें।

4. गलीचा बुनकरों की व्यापक प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत 24,500 बुनकरों के प्रशिक्षण के लिए 490 प्रशिक्षण केन्द्र मंजूर किए गए। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में रेशम उद्योग के लिए गहन स्कीमें शुरू की गईं। केन्द्रीय क्षेत्र (जिसमें केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें शामिल हैं) तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुमोदित परिव्यय और प्रत्याशित व्यय नीचे बताए गए हैं:

(करोड़ रु०)

	1977-78	
	परिव्यय	प्रत्याशित व्यय
केन्द्र	86.95	90.04
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	58.17	61.11
जोड़	**145.12**	**151.15**

6. वर्ष 1977-78 में एक उल्लेखनीय बात थी दिसम्बर, 1977 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा। नई औद्योगिक नीति में ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में सुविस्तृत प्रकीर्ण कुटीर और लघु उद्योगों के प्रभावी संवर्धन पर मुख्य बल दिया गया है। जिस किसी भी वस्तु का कुटीर और लघु उद्योगों द्वारा उत्पादन किया जा सकता है, उसका इस प्रकार से उत्पादन किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए जिन वस्तुओं का क्षेत्र में उत्पादन किया जा सकता है, उनका निर्धारण करने के लिए औद्योगिक उत्पादों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। लघु क्षेत्र में विकास के लिए पूर्णत: आरक्षित मदों की सूची में विस्तार किया गया है और इसमें सम्मिलित 180 मदों को बढ़ाकर 504 मदें कर दी गई हैं, जिनको राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार सूचीबद्ध करने पर जिनकी संख्या 807 उत्पाद हो जाएगी। इस सूची की लगातार समीक्षा की जाएगी जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि लघु क्षेत्र को दिया गया आरक्षण प्रभावी हो और लघु क्षेत्र में बनाए जा सकने वाले नए उत्पादों और नई प्रक्रियाओं का निर्धारण होने पर इस सूची का विस्तार भी किया जा सके।

1977-78 की वार्षिक योजना

7. देश में बेरोजगारी और अल्प-रोजगार को कम करने के प्राथमिक लक्ष्यों के अंग के रूप में 1978-83 की नई पंच वर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य विकासक्षम लघु उद्योगों का त्वरित और व्यापक विकास करना है, जिसमें ग्रामीण शिल्पकार, घरेलू और लघु इकाइयाँ शामिल हैं। इस क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यनीति की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं :

(1) निम्नलिखित बातों द्वारा और अधिक रोजगार और पूर्णकालिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करना

(क) वर्तमान परम्परागत और अन्य लघु उद्योगों को पुन: गतिशील और विकसित करके, और

(ख) नए विकासक्षम लघु उद्योगों के गहन विकास को प्रोत्साहन देकर।

(2) ग्रामीण कारीगरों, हथकरघा बुनकरों, दस्तकारों और इन उद्योगों में काम करने वालों की आय के स्तर को बढ़ाना ;

(3) ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में इन उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना; और

(4) इन्हें चयन के आधार पर ऋण और कुशलता में सुधार, अभिकल्प और विपणन आदि की सुविधाएं प्रदान कर दी जाने वाली राज सहायता की भूमिका को उत्तरोत्तर कम करना।

1978-79 के लिए विभिन्न लघु उद्योगों के विकास के कार्यक्रम उपर्युक्त कार्यनीति के संदर्भ में तैयार किए गए हैं।

8. विकास कार्यक्रमों को तैयार करने में निम्नलिखित पहलुओं की ओर विशेष ध्यान दिया गया है।

(1) **समन्वित दृष्टिकोण** : विभिन्न कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए अभिकरणों और संगठनों के प्रचुर मात्रा में बढ़ने की प्रवृत्ति रही है। इससे औसत ग्रामीण और लघु उद्यमियों को अधिक भ्रम हुआ है। इसको दूर करने के लिए, लघु और ग्राम उद्योगों को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हरेक जिले में जिला उद्योग केन्द्र नामक एक अभिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसमें ऋण संबंधी मार्गदर्शन, कच्चा माल, प्रशिक्षण, विपणन, तथा उपस्कर और मशीनों की पूर्ति के लिए सुविधाएं शामिल होंगी। ये केन्द्र विकास खंडों के साथ और साथ ही विभिन्न लघु उद्योगों के विकास से संबंधित विशेषज्ञ संस्थाओं के साथ घनिष्ट संपर्क स्थापित करेंगे।

(2) **ऋण** : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने एक अलग स्कंध बनाया है, जो केवल कुटीर और लघु उद्योगों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं का काम ही देखेगा। वह अन्य वित्तीय संस्थाओं, विशेषकर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की ऋण संबंधी सुविधाओं के काम का समन्वय, संदर्शन और प्रबोधन करेगा। प्राप्त हुए अनुभव को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में छोटी इकाइयों (अर्थात् जिन इकाइयों का संयंत्र और मशीनों में एक लाख रु० तक का निवेश है) के संवर्धन के लिए उपांत धन सहायता की एक नई स्कीम शुरू की गई है। विशेषरूप से पिछड़े क्षेत्रों में समाज के गरीब वर्गों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बिना किसी अतिव्यापिता या परस्परव्यापिता के संस्थागत ऋण की सुविधाओं में उपयुक्त रूप से अनुपूरक सहायता की जाएगी।

(3) **विपणन** : अधिकाधिक काफी संख्या में उद्योगों को विपणन के लिए बिचौलियों पर लगातार निर्भर होने के अलावा अपने उत्पादों के विपणन में और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसलिए विपणन संबंधी सहायता की ओर विशेष

ध्याव दिया जाएगा जिसमें बाजार संबंधी आसूचना और सर्वेक्षण परीक्षण की सुविधाएं, चुने हुए उद्योगों के उत्पादनों की किस्म नियंत्रण और मानकीकरण सम्मिलित है ।

(4) **प्रशिक्षण** : छोटे उद्यमियों और बेरोजगार नवयुवकों को प्रबंध संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए और अधिक ध्यान दिया जाएगा जिससे उन्हें लघु उद्योगों और सेवा इकाइयों की स्थापना में मदद मिल सके । दस्तकारी और प्रशिक्षु प्रशिक्षण की स्कीमों के कार्यान्वियन से प्राप्त हुए अनुभव को ध्यान में रखते हुए, उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवसायों में उपयुक्त विविधीकरण करके तथा उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा प्रशिक्षण के स्तर को ऊंचा करके भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रस्ताव है । अधिकांश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नगर-प्रधान हैं, इसलिए ग्रामीण कारीगरों के प्रशिक्षण के लिए एक स्कीम विचाराधीन है जिसके लिए 1978-79 में एक साध्यता अध्ययन और सर्वेक्षण किया जाएगा ।

9. वर्ष 1978-79 में ग्राम और लघु उद्योगों के लिए किए गए परिव्ययों और 1977-78 के अनुमानित व्यय निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं :

(करोड़ रु०)

	1977-78			1978-79		
	अनुमानित व्यय			परिव्यय/		
	केन्द्र	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	जोड़	केन्द्र	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	जोड़
1. हथकरघा उद्योग	18.98	15.48	34.46	27.50	19.34	46.84
2. बिजली/चालित करघे	0.05	0.40	0.45	0.14	0.51	0.65
3. खादी और ग्राम उद्योग	44.65	3.25	47.90	65.73	5.69	71.42
4. लघु उद्योग	17.04*	26.27	43.31	29.82**	32.37	62.19 ×
5. औद्योगिक बस्तियाँ	—	6.99	6.99	—	7.84	7.84
6. हस्तशिल्प	4.93	2.99	7.92	10.50	5.94	16.45
7. रेशम उद्योग	3.88	4.94	8.82	5.45	6.84	12.29
8. नारियल जटा उद्योग	0.51	0.80	1.31	0.79	0.99	1.78
जोड़	**90.04**	**61.12**	**151.16**	**139.93**	**79.52**	**219.45**

* इसमें ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शामिल हैं जिसे जिला उद्योग केन्द्रों के साथ मिला दिया जाएगा ।

** इसमें बाद में जिला उद्योग केन्द्रों के लिए प्रावधानित 15 करोड़ रु० का परिव्यय शामिल नहीं है ।

× इसमें शिल्पकार और प्रशिक्षु-प्रशिक्षक की स्कीमों के लिए निर्धारित 11.27 करोड़ रु० शामिल नहीं हैं—जिसमें केन्द्र के अंतर्गत 2.25 करोड़ रु० तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत 9.02 करोड़ रु० हैं । इन स्कीमों के लिए धनराशि की व्यवस्था 'श्रम और श्रमिक कल्याण' के अंतर्गत दिखाई गई हैं ।

1978-79 के लिए सरकारी क्षेत्र के कुल परिव्यय में 1977-78 के बजट परिव्यय से 51 प्रतिशत की वृद्धि प्रकट होती है । इसके अतिरिक्त, ग्राम और लघु उद्योगों के विकास के लिए कुछ धनराशि, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के कार्यक्रमों के अंतर्गत भी उपलब्ध होगी । निजी साधनों तथा बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं से भी अधिक धनराशि के लगाए जाने की आशा है । कुछ स्कीमों के लिए उपांत और बीजधन के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे कि उन्हें अधिक संस्थागत वित्त प्राप्त होने में सहायता मिले । इन विस्तारित कार्यक्रमों से पूर्ण और अतिरिक्त उत्पादक रोजगार के अवसरों के उत्पन्न होने में, इन उद्योगों पर निर्भर व्यक्तियों की कुशलताओं और आय में सुधार होने में, आम लोगों की आवश्यकता के लिए लगने वाली कुछ

वस्तुओं की अधिक उपलब्धता होने में और ऐसे उत्पादनों की भी अधिक उपलब्धता होने में, जिनकी विदेशों में बढ़ती हुई माँग है, सहायता मिलेगी ।

10. वर्ष 1978-79 में प्राप्त किए जाने वाले उत्पादन और निर्यात के प्रत्याशित स्तर नीचे बताए गए हैं :

	1978-79
	प्रत्याशित
उत्पादन	
1. हथकरघे से बना कपड़ा (दस लाख मीटर)	2,500
2. बिजलीचालित करघे से बना कपड़ा (दस लाख मीटर)	3,100*
3. खादी और ग्राम उद्योग (करोड़ रु०)	315
4. कच्चा रेशम (दस लाख कि० ग्रा०)	4.47
5. हस्तशिल्प (करोड़ रु०)	600
6. लघु उद्योग (करोड़ रु०) (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	14,000
निर्यात	
7. हथकरघे से बने सूती कपड़े और मिल से बने सूती कपड़े (करोड़ रु०)	250
8. रेशमी कपड़े और अवशिष्ट (करोड़ रु०)	40
9. हस्तशिल्प (करोड़ रु०)	500
10. नारियल जटा उत्पादन	
—मात्रा (,000 टन)	47
—मूल्य (करोड़ रु०)	27.50

* इसमें आर्टसिल्क कपड़े शामिल हैं ।

11. **हथकरघा और बिजलीचालित करघा उद्योग**—हथकरघा उद्योग के विकास के केन्द्रीय कार्यक्रमों में ये सम्मिलित हैं—गहन विकास और निर्यातोन्मुख परियोजनाएं, प्रक्रमण संबंधी सुविधाएं, राज्य शिखर समितियों/हथकरघा निगमों का विस्तार, बुनकर सहकारी कताई मिलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता, सहकारिता समावेशन का विस्तार, वर्तमान हथकरघा शिल्प विज्ञान संस्थाओं/बुनकर सेवा केन्द्रों का विस्तार और नए केन्द्र खोलना तथा अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन समिति को सहायता । पहले शुरू की गई 21 परियोजनाओं का विस्तार करने के अलावा, जो चार नई गहन विकास परियोजनाएं 1977-78 के अंत में स्वीकृत की गई थीं उनके 1978-79 में शुरू हो जाने की आशा है । पहले से स्थापित 21 निर्यातोन्मुख परियोजनाओं का विस्तार किया जाएगा । ऐसी आशा है कि केन्द्रीय सहायता से और उसमें राज्यों के उतने ही अंशदान से, 1978-79 में अतिरिक्त 8 लाख करघे सहकारी समितियों के अंतर्गत लाए जाएंगे । वर्तमान 19 बुनकर सेवा केन्द्रों का विस्तार करने के लिए, जयपुर (राजस्थान), मधुबनी (बिहार), हैदराबाद (आंध्रप्रदेश) तथा जम्मू और कश्मीर में 4 नए केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव हैं । इनमें से जयपुर और हैदराबाद में केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं । अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन समिति का चंडीगढ़, हैदराबाद, कलकत्ता और एर्नाकुलम में चार हथकरघा गृह स्थापित करने का प्रस्ताव है । इनमें से चंडीगढ़ और हैदराबाद में दो हथकरघा गृह स्थापित किए जा चुके हैं ।

12. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं में सम्मिलित मुख्य स्कीमें प्राथमिक बुनकर समितियों का विस्तार, प्रशिक्षण सुविधाएं, विपणन सहायता, आदि से संबंधित हैं । गहन विकास परियोजनाओं, शिखर समितियों/हथकरघा निगमों के विस्तार और सहकारिता समावेशन के विस्तार की केन्द्रीय स्कीमों के लिए उनकी योजनाओं में उपयुक्त अनुरूपयोजी अंशदानों की भी व्यवस्था की गई है ।

13. हथकरघा उद्योग के लिए सूत की पर्याप्त पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी । बुनकर सहकारी समितियों के लिए कार्यकारी पूंजी की व्यवस्था के लिए हथकरघा वित्त की भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम की एक अध्ययन दल ने हाल ही में समीक्षा की थी । इस अध्ययन दल की सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

14. बिजलीचालित करघा उद्योग के लिए, वर्तमान 2 तकनीकी सेवा केन्द्रों को जारी रखने के अलावा, केन्द्रीय योजना के अंतर्गत 4 नए केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । राज्य योजनाओं के अंतर्गत अधिकांश धनराशि की व्यवस्था प्रक्रमण सुविधाओं को स्थापित करने के लिए है ।

15. **खादी और ग्राम उद्योग** : सूती खादी के क्षेत्र में, 1978-79 में छः तकुओं वाले नए माडल के 2000 चर्खों और मलमल सैटों को तथा 8700 उन्नत करघों को प्रचलित करने का प्रस्ताव है । नए माडल को चरखा इकाइयों की मदद के लिए मानक कार्डों और रेशा-निष्कर्षकों को लगाने का प्रस्ताव है । ऊनी खादी के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से 200 उन्नत चर्खों और 650 करघों के लगाने की परिकल्पना है, जबकि 12 धुनाई संयंत्र, 3 परिष्करण केन्द्र और 21 होजरी संयंत्र लगाए जाएंगे । इससे बैरक कंबलों के उत्पादन में भी वृद्धि होगी । रेशमी खादी कार्यक्रम के अंतर्गत 48 शहतूती रेशम लपेटने वाली इकाइयों, 10 टसर इकाइयों, 23 गैर-शहतूती अपशिष्ट और

25 शहतूती अपशिष्ट इकाइयों की स्थापना की परिकल्पना है। टसर कोकूनों हेतु सामग्री-बैंक स्थापित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग, केन्द्रीय रेशम बोर्ड से संबद्ध रहा। शहतूती रेशम के धागों की कीमत स्थिर रखने के लिए भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है।

16. ग्रामोद्योग कार्यक्रम में उन्नत उपकरणों के उपयोग की परिकल्पना की गई है। खाद्यान्न और दालों के प्रक्रमण के कार्यक्रम के अंतर्गत, 8490 चक्कियों, 121 बिजलीचालित छिलका साफ करने की मशीनों और पालिशरों के लगाने तथा 256 बेकरी इकाइयों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। तेल घानी के क्षेत्र में, 3000 बिजलीचालित घानियाँ और 1179 उन्नत घानियाँ लगाने का प्रस्ताव है। ग्रामीण चमड़ा उद्योग कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त चमड़ा शोधनालयों की स्थापना, जूते और चमड़े का सामान बनाने वाली इकाइयों, चमड़ा उतारने के केन्द्र और चमड़े के सामान के लिए बाजार की व्यवस्था करने की संकल्पना है। ताड़ गुड़ तथा अन्य ताड़ और खजूर के उत्पादों के लिए, इस उद्योग से संबंधित कार्यक्रमों, विशेषकर ताड़ और खजूर के रेशों तथा अन्य उत्पादों को बढ़ाने का उद्देश्य है। ग्रामीण मिट्टी के बर्तन के कार्यक्रम के क्षेत्र में, परंपरागत रूप में मिट्टी के बर्तन और वस्तुएं बनाने की ओर से ध्यान हटा कर निर्माण-कार्य से संबंधित सामग्री, पाइप और अन्य उपयोग की चीजों के बनाने पर बल दिया गया है जिसकी कि अब माँग है।

17. हाथ से कताई और बुनाई तथा अनेक ग्राम उद्योगों के शिल्पविज्ञान के स्तर का सुधार करने के लिए अनुसंधान और विकास तथा क्षेत्रीय परीक्षणों की पहले शुरू की गई स्कीमों का और विस्तार किया जाएगा।

18. **लघु उद्योग** : लघु उद्योगों के विकास से संबंधित निगमों के इक्विटी आधार को बढ़ाने तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए परामर्शी सेवाओं, सामान्य सेवा सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों से संबंधित स्कीमों के लिए राज्यों की योजनाओं में धनराशि की व्यवस्था की गई है। इस समय केन्द्रीय योजना के अंतर्गत जारी प्रमुख स्कीमें हैं—औजार कक्ष केन्द्र, ऋण गारंटी, परीक्षण केंद्र, लघु उद्योग सेवा संस्थानों का बढ़ाया जाना, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा किराया खरीद के आधार पर मशीनों का दिया जाना और इंजीनियरों का प्रशिक्षण आदि।

19. औजारों के अभिकल्प और विनिर्माण के क्षेत्र में प्रशिक्षण की सुविधाएं सामान्य सेवा सुविधाएं जुटाने, लघु उद्योग इकाइयों के लिए खास किस्म के जिग फिक्सर्स, छापेखानों के औजार, डाइयों, साँचों तथा अन्य औजारों के उत्पादन के लिए कलकत्ता में एक औजार कक्ष स्थापित किया जा रहा है। यह औजार कक्ष अब पूरा होने में है। लुधियाना में एक और औजार कक्ष केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

20. लघु उद्योग क्षेत्र में संस्थागत ऋण की पूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण गारंटी स्कीम 1960 से चली आ रही है। यह स्कीम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाई जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत बैंकों तथा अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों की अदायगी के लिए किसी प्रकार के नुकसान न होने की गारंटी दी जाती है। 1978-79 में, लगभग 1.5 करोड़ रु० से 2 करोड़ रु० तक के दावों के तय किए जाने का अनुमान है।

21. 50,000 से कम आबादी वाले तथा महानगरीय समूह से कम से कम 15 कि० मी० दूर स्थित छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग इकाइयों को लगाने के लिए उद्यमियों को उपांत/बीज धनराशि की सहायता की स्कीम के लिए 5 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। यह सहायता 1 लाख रु० तक के संयंत्र और मशीनों के निवेश वाली इकाइयों तक ही सीमित होगी। यह स्कीम संस्थागत वित्त/धन की अधिक प्राप्ति और लघु उद्योगों के प्रकीर्णन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।

22. वर्ष 1978-79 में पिछड़े क्षेत्रोंमें 6 नई शाखा संस्थानों (लघु उद्योग सेवा संस्थान) के स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये संस्थान उत्पादन, मशीनों के चयन, फैक्टरी की रूपरेखा और अभिकल्प के संबंध में तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन देंगे तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाएंगे।

23. किराया-खरीद के आधार पर मशीनों की पूर्ति करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के इक्विटी आधार को बढ़ाने/मजबूत करने के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। चमड़े और (चमड़े के) जूते बनाने की मशीनों के लिए इस निगम द्वारा मद्रास में एक नया प्रोटोटाइप विकास और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। इस केन्द्र की स्थापना का काम 1978-79 में पूरे हो जाने की आशा है।

24. परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने और लघु उद्योगों के अपने उत्पादों में सुधार करने में मदद करने के उद्देश्य से कलकत्ता, दिल्ली, बंबई और मद्रास में चार क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र खोले गए हैं। ये केन्द्र यांत्रिक, धात्विक, रासायनिक और विद्युत व्यवसायों में परीक्षण की सुविधाएं प्रदान करते हैं। 1978-79 में इन केन्द्रों को और बढ़ाया जाएगा।

25. लघु उद्योगों के उत्पादों के अंतर्क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लुधियाना, जयपुर, कानपुर, पटना और बंगलौर में 5 व्यापार केन्द्र खोले गए हैं। राज्य सरकारों को ऐसे केन्द्र खोलने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है। 1978-79 में 5 नए केन्द्रों के खोले जाने का प्रस्ताव है।

26. विपणन सहायता की एक नई स्कीम शुरू की गई है जिसके लिए 1978-79 में 2 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस नई स्कीम के अंतर्गत, नई स्थापित की गई लघु उद्योग इकाइयों को अपनी क्षमता के पूरे उपयोग के बाद, उनके उत्पादों को कुछ निर्धारित प्रतिशत बिक्री सुनिश्चित करने की परिकल्पना है। इस स्कीम में, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार उद्यमियों को अपनी दुकानें/बिक्री केन्द्र खोलने के लिए आर्थिक सहायता देने की भी परिकल्पना है।

27. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अधीन वाली ग्रामीण उद्योग परियोजना को पहले बताई गई जिला उद्योग केन्द्र परियोजना के साथ मिलाया जा रहा है। इसके लिए अब तक 223 केन्द्रों को मंजूरी दी गई है। कुछ और केन्द्रों को भी इस वर्ष मंजूरी दिए जाने की संभावना है।

28. **औद्योगिक परिसर :** जल और बिजली की आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था के साथ-साथ निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में अधूरे रहे परिसरों के पूरे किए जाने पर बल दिया जाएगा। कुछ राज्यों में नए परिसरों को बनाने के लिए स्कीमों के शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। कार्य प्रचालन-किस्म के शैडों के निर्माण में सावधानी रखी जाएगी जिससे कि निर्माण लागत को कम रखा जा सके।

29. **हस्तशिल्प :** केंद्रीय योजना के अंतर्गत, काफी मात्रा में परिव्यय गलीचा बुनकरों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाओं के विस्तार के लिए किया गया है। प्रशिक्षण के वर्तमान 117 केंद्रों के जारी रखने के साथ-साथ, 1978-79 में 250 नए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव है। इन केंद्रों में लगभग 18,350 बुनकरों को प्रशिक्षण दिए जाने का अनुमान है। परम्परागत हस्तशिल्प के विकास के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है जिसकी देश में और विदेशों में पर्याप्त विपणन क्षमता है। इन हस्तशिल्प में फर्नीचर, खिलौने और गुड़िया तथा धातु के बने बर्तन सम्मिलित हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन हस्तशिल्प उद्योगों से संबंधित शिल्पकारों को प्रशिक्षण दिए जाने की संकल्पना है। उत्तर प्रदेश में, धातु के बर्तन बनाने से संबंधित लगभग 1000 शिल्पकारों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है, जहां ये उद्योग बहुत हैं। इस हस्तशिल्प के लिए राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मास्टर हस्तशिल्प परियोजना के अंतर्गत वर्तमान 23 केंद्रों में लगभग 200 शिल्पकारों को प्रशिक्षित किए जाने का प्रस्ताव है। अन्य केंद्रीय स्कीमें निर्यात को बढ़ावा देने सहित अभिकल्प विकास, विपणन सहायता से संबंधित हैं। गौहाटी में एक नया क्षेत्रीय अभिकल्प केंद्र स्थापित किया जा रहा है जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हस्तशिल्प के विकास की आवश्यकता को पूरा करेगा। राज्य एम्पोरियमों के माध्यम से हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री कुल बिक्री का 10% हो जाने की आशा है जबकि इस समय यही बिक्री 5% है।

30. राज्य योजनाओं में सम्मिलित की गई स्कीमें मुख्य रूप से, संबंधित विकास निगमों, सामान्य सेवा सुविधाओं, वित्तीय सहायता तथा हस्तशिल्प को उन्नत औजारों की पूर्ति तथा सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित हैं। राज्य हस्तशिल्प विकास निगम शिल्पकारों को विपणन सहायता देने और कच्चे माल की पूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इस प्रकार बिचौलियों की भूमिका में कमी करेगा।

31. **रेशम उद्योग :** राज्य योजनाओं में शामिल की गई स्कीमों में से मुख्य स्कीमें शहतूत और टसर के पेड़ों के उगाने के लिए क्षेत्र का विस्तार करने, तंतुवयन गृहों और पाल गृहों के निर्माण, पाल गृहों को रोगाणुरहित (रेशम के) कीड़ों के अंडों की अधिक पूर्ति, विस्तार सेवाओं को बढ़ावा देने, आदि से संबंधित हैं। केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पिछले वर्ष शुरू की गई गहन विकास परियोजनाओं का विस्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश तथा रेशम उत्पादन करने वाले कुछ अन्य राज्यों में इसी तरह की परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है।

32. बिवोल्टीन रेशम के कीड़ों के अंडों के उत्पादन के लिए केंद्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत 1978-79 में 3 नये तंतुवयन गृहों की स्थापना का प्रस्ताव है। जम्मू और कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल में बन रहे हिमशीतित भंडारों को पूरा किया जाएगा।

33. तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में रेशम उत्पादन के नए क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम के अंतर्गत 1978-79 में, 2000 एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में उन्नत शहतूत की खेती की जाएगी। इन वर्तमान केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों को बढ़ाया जाएगा—केंद्रीय रेशम उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर, केंद्रीय टसर अनुसंधान केंद्र रांची, केंद्रीय रेशम उद्योग संबंधी अनुसंधान केंद्र, बैहरामपुर और केंद्रीय मूगा और एरी अनुसंधान केंद्र, तीतावार तथा उसके क्षेत्रीय केन्द्र और विस्तार केन्द्र। उपहिमालय क्षेत्र में पहले शुरू की गई बलूत टसर के विकास की परियोजना की संभावनाओं को, विशेषकर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में, बढ़ाया जाएगा। मिजोरम और त्रिपुरा में टेपिओका के पत्तों पर आधारित रेशम उत्पादन के अर्थतंत्र का तथा अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और असम के नये क्षेत्रों में मूगी पालन शुरू किये जाने का अध्ययन किया जाएगा। विभिन्न अनुसंधान संस्थानों केंद्रों में प्रशिक्षण की सुविधाओं को बढ़ाया जायेगा।

34. **नारियल जटा उद्योग :** इस समय एक अध्ययन दल इस उद्योग से संबंधित समस्याओं की समीक्षा कर रहा है जो इसके विकास के लिए उपयुक्त उपायों के बारे में सुझाव देगा। परंतु इसी बीच, इस उद्योग के संबंध में अनुसंधान करने,

किस्म में सुधार करने, आंतरिक और विदेशी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय योजना में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। नारियल जटा उत्पादन करने वाले राज्यों की योजनाओं में सम्मिलित की गई स्कीमों में से मुख्य स्कीमें नारियल जटा की सहकारी समितियों का पुनर्गठन करने तथा उत्पादों के विभिन्न रूपों में उपयोगों का पता लगाने से संबंधित हैं।

अध्याय 11

उद्योग और खनिज

1977-78 में हुई प्रगति की समीक्षा

औद्योगिक उत्पादन में 1976-77 में 9.5 की वृद्धि की तुलना में 1977-78 में 3.9 की साधारण वृद्धि हुई। प्रगति की दर सबसे अधिक पहली तिमाही, अप्रैल-जून, 1977 (4.65 प्रतिशत) में थी और उसके बाद निरंतर गिरावट आती गई। खनन क्षेत्र का औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में महत्व-मूल्य 9.6 है; इसमें लगभग 2.4 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त हुई। विद्युत् उत्पादन का महत्व-मूल्य 9.23 है और विनिर्माण क्षेत्र का महत्व-मूल्य 81.08 है; इनमें इस वर्ष 3.4 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त हुई। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की इकाइयों में उत्पादन की औसत महत्व-मूल्य-वृद्धि केवल चार प्रतिशत थी, जबकि पिछले वर्ष में यह 12 प्रतिशत थी। 1977-78 में औद्योगिक उत्पादन कम होने का कारण मुख्यत: बिजली उत्पादन की वृद्धि में मंदन जिसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में बिजली में कटौती हुई और बिजली बंद रही, और विभिन्न उद्योगों में श्रमिक अशांति तथा हड़तालें होना भी है। कम वृद्धि दर होने के लिए उत्तरदायी अन्य महत्वपूर्ण कारण हैं कुछ उद्योगों में क्षमता और बाध्यकारिताएं तथा कुछ उद्योगों में पर्याप्त मांग का अभाव।

2. बिभिन्न उद्योगों में प्रगति की मिश्रित प्रवृत्ति दिखाई दी। जस्ता, फास्फेट उर्वरक, पोलिस्टर फिलामेंट धागा, स्टेपिल रेशा, सीमेंट की मशीनें, सड़क रोलर और हाथ की घड़ियां जैसे अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों में इस वर्ष 40 प्रतिशत और अधिक वृद्धि हुई। खनिज तेल और सीसा, चीनी की मशीनें, खेती के ट्रेक्टर, बायलर, आक्सीजन गैस, साइकल टायर, पी०वी०सी०, कृत्रिम रबड़, कृत्रिम डिटर्जेंट और बिजली के पंखे जैसे उद्योगों में 20 से 40 प्रतिशत तक वृद्धि दर प्राप्त हुई। मिश्रित धातु और विशेष इस्पात, बिजली की मोटर, छपाई की मशीनें, साइकल, सल्फर अम्ल, बी०एच०सी० और चीनी, बाल खाद्य और रेजर ब्लेडों जैसे अनेक उद्योगों में 10 से 20 प्रतिशत के बीच वृद्धि दर प्राप्त हुई। पैट्रोलियम उत्पादन, सीमेंट, कागज और गत्ता, बिजली के ट्रांसफार्मर, नाइट्रोजनीय उर्वरक, कास्टिक सोडा, वनस्पति साबुन, भंडारण, बैटरियां और जी०एल०एस० लैम्प जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों में भी उत्पादन में 1 से लेकर 10 प्रतिशत के बीच वृद्धि हुई।

3. दूसरी ओर कोयला, लौह अयस्क, बिक्री के लिए कच्चा लोहा, तैयार इस्पात, अल्यूमीनियम, तांबा, इस्पात छड़ें, पटसन के उत्पाद, अखबारी कागज, वाणिज्यिक वाहन, यात्री कारें, मोटर साइकिल, स्कूटर टायर, पोलिथीन एल०डी, पोलिस्टेरीन, केपलेक्टम, डी०डी०टी०, माचिस, इस्पात पाइप और ट्यूब, मशीन, औजार, धातुकर्मीय मशीनें, रसायन मशीनें, कागज और लुगदी की मशीनें, मोटर साइकिल/स्कूटर आदि जैसे अनेक उद्योगों में या तो शिथिलता रही अथवा वृद्धि दर में गिरावट रही। चमड़े के जूते, स्कूटर टायर, सीवनहीन नलियां, सी०आई० स्पन पाईप, रबड़ मशीनें, अल्यूमीनियम आदि जैसी कुछ मदों में वृद्धि दर में काफी गिरावट रही हैं।

4. दिसंबर, 1977 में एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति वक्तव्य में औद्योगिक विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर सरकार के दृष्टिकोण और नीति को बहुत स्पष्ट रूप में बताया गया है, जैसे अर्थ-व्यवस्था में बड़े उद्योगों तथा ग्राम लघु उद्योगों की भूमिका बड़े व्यापारी घरानों की भूमिका, विदेशी निवेश और विदेशी सहयोग, सरकारी क्षेत्र की भूमिका, विदेशों में संयुक्त भारतीय उपक्रम, उद्योगों की अवस्थिति, औद्योगिक उत्पादनों के लिए मूल्य-निर्धारण नीति, उद्योगों का बंद हो जाना, कामगारों की सहभागिता, आदि। नई नीति का मुख्य बल ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में दूर-दूर तक फैले हुए कुटीर और लघु उद्योगों के प्रभावी संवर्धन पर है। छोटे उद्योगों, अर्थात् जिन उद्योगों में मशीनरी और उपस्कर के लिए 1 लाख रु० तक का निवेश होता है और जो 50 हजार से कम आबादी वाले कस्बों में स्थित हैं, की ओर विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव भी है। लघु और कुटीर उद्योगों के लिए विकास के प्रमुख केन्द्र जिला मुख्यालय होंगे जहां जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

5. बड़े उद्योगों की भूमिका ऐसे कार्यक्रम से संबंधित होगी जो लघु और ग्राम उद्योगों का पर्याप्त रूप से प्रकीर्णन करने के जरिए जनसंख्या की मूल न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कृषि क्षेत्र को मजबूत करने से संबंधित है। सामान्यत: बड़े

उद्योगों के लिए ये क्षेत्र होंगे – मूल उद्योग जो आधारभूत व्यवस्था के लिए आवश्यक है, पूंजीगत माल उद्योग जो मूल उद्योगों तथा छोटे छोटे उद्योगों की मशीनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है, उन्नत शिल्पवैज्ञानिक उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की आवश्यकता होती है और जो कृषि तथा लघु उद्योग से संबंधित होते हैं तथा ऐसे अन्य उद्योग जो लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों की सूची से बाहर है और जो अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक समझे जाते हैं।

6. लाइसेंस देने की कार्यविधियों का अध्ययन करने के लिए एक समिति स्थापित की गई थी और इस समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप कार्यप्रणालियों का सरलीकरण तथा सुधार किया गया हैं। कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़कर औद्योगिक लाइसेंसों के लिए छूट की सीमाएं 1 करोड़ रु० से बढ़ाकर 3 करोड़ रु० कर दी गई थी।

7. कृषि और सिंचाई, ग्राम और लघु उद्योग आदि जैसे संबद्ध कार्यकलापों के क्षेत्रों में निवेश के लिए योजना के प्रारूप (1978-83) में दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए 1978-79 के लिए औद्योगिक और खनिज क्षेत्र की वार्षिक योजना तैयार की गई हैं। उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत पहली प्राथमिकता चल रही परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिए दी गई है ताकि शीघ्र लाभ प्राप्त किए जा सकें। नई परियोजनाओं के लिए एक चुनी हुई कार्यनीति अपनाई गई हैं और सामान्य रूप से केवल ऐसी परियोजनाएं शुरू की गई हैं जो योजना की नीतियों और उद्देश्यों के अनुरूप हैं, जैसे जो परियोजनाएं कृषि और ग्रामीण विकास, ग्राम, कुटीर और लघु उद्योगों के विकास, उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित हैं और जो परियोजनाएं रोजगारोन्मुख हैं। परम्परागत उद्योगों को प्रतिस्थापन और आधुनिकीकरण करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक पुनर्वित्त निगम जैसे आधुनिक ऋण देने वाली संस्थाओं के संसाधनों में वृद्धि की जा रही है।

8. निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1978-79 के बजट में कुछ वित्तीय राहत, विशेषकर लघु क्षेत्र के विनिर्माताओं को दी गई है। 1978-79 को आयात-निर्यात नीति विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी बनाई गई है। कार्यप्रणालियों को सरल बना दिया गया है तथा आयातकर्ताओं और निर्यातकर्ताओं के लिए संपूर्णनीति को उदार बनाया गया है।

9. वर्ष 1978-79 में 7-8 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करने की दृष्टि से औद्योगिक उत्पादन की गति को तेज करने लिए हाल ही में कुछ निर्णय किए गये हैं। इस नई कार्यनीति में महत्वपूर्ण उद्योगों (विद्युत्, कोयला, इस्पात, उर्वरक, और अलौह धातुएं) में पहले से निश्चित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करना और कागज, सीमेंट, वाणिज्यिक वाहन, माल गाड़ी के डिब्बे तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम के मिलों द्वारा उत्पादित सूती वस्त्र जैसे चुने हुए प्रमुख उद्योगों में उत्पादन के ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करना, आयात के लिए अग्रिम आयोजना बनाना और महत्वपूर्ण निवेशों के लिए सुरक्षित भंडार बनाना तथा सतत प्रबोधन और समन्वय करना जैसे विशेष प्रयास शामिल हैं।

परिव्यय

10. वर्ष 1977-78 के परिव्यय से तुलना करते हुए बड़े और मध्यम उद्योगों तथा खनिजों के संबंध में 1978-79 के लिए सरकारी क्षेत्र का परिव्यय निम्नलिखित है :

(करोड़ रु०)

	योजना परिव्यय	
	1977-78	1978-79
केन्द्र	2218.01	2267.53
राज्य	144.35	144.40
संघ राज्य क्षेत्र	1.20	1.57
जोड़	**2363.56**	**2413.50**

11. वर्ष 1978-79 की वार्षिक योजना में केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए परिव्यय के स्कीमवार आंकड़े अनुलग्नक 11.1 में दिए गये हैं। केन्द्र में प्रावधान किया गया लगभग 80 प्रतिशत परिव्यय लोहा और इस्पात, पैट्रोलियम, उर्वरक, कोयला और अलौह धातुओं के लिए है। योजना में इन क्षेत्रों के लिए किए गए परिव्यय नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रु०)

(1) लोहा और इस्पात	567.00
(2) पैट्रोलियम	586.24
(3) उर्वरक	241.60
(4) कोयला और लिग्नाइट	266.96
(5) अलौह धातुएं	76.07

12. एक दूसरा विवरण अनुलग्नक 11.2 में दिया गया है जिसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजना में उद्योग और खनिजों के लिए परिव्यय का विवरण बताया गया है। राज्य योजनाओं में किए गए परिव्यय का पर्याप्त भाग वित्त और औद्योगिक विकास निगमों द्वारा शुरू किए गए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम के अंतर्गत आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा संवर्धन और विकास कार्यकलापों के लिए

है। कुछ राज्य योजनाओं में वस्त्र, सीमेंट आदि जैसे उद्योगों में परियोजनाओं के लिए धनराशि की विशेष व्यवस्था की गई है।

औद्योगिक उत्पादन और निष्पादन

13. वर्ष 1976-77 और 1977-78 में वास्तविक/प्रत्याशित उपलब्धियों सहित, 1978-79 में चुने हुए उद्योगों के लिए क्षमता तथा उत्पादन के लक्ष्यों का एक विवरण अनुलग्नक 11.3 के रूप में दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों के सम्बन्ध में जिन कार्यक्रमों को 1978-79 में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है उनका विवरण नीचे दिया गया है :

इस्पात

14. एकीकृत इस्पात संयंत्रों से बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन वर्ष 1977-78 में पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ कम था। तथापि इस कमी को लघु इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादन में वृद्धि से पूरा कर दिया गया, जैसा कि नीचे दी गई सारणी में बताया गया है :

('000 हजार टन)

बिक्री योग्य इस्पात	1976-77	1977-78
एकीकृत इस्पात संयंत्र	6922	6894
लघु इस्पात संयंत्र	560	770
मिश्र धातु तथा अन्य इस्पात संयंत्र	235	316

15. वर्ष 1978-79 में एकीकृत इस्पात संयंत्रों से 76.8 लाख टन बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन की परिकल्पना की गई है। 1978-79 की वार्षिक योजना में लोहा और इस्पात के लिए 567 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस परिव्यय का एक बहुत बड़ा भाग बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्रों के विस्तार के लिए है ताकि उनमें से प्रत्येक की वार्षिक क्षमता बढ़ा कर 40 लाख टन प्रति वर्ष कर दी जाए। कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी के लिए भी पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। वर्तमान संयंत्रों में वृद्धि, आधुनिकीकरण, प्रतिस्थापन और आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है ताकि संस्थापित क्षमता का अधिक अच्छा उपयोग किया जा सके। स्कीमों को जारी रखने के अतिरिक्त राउरकेला स्थित सी०आर०जी०ओ० संयंत्र और सेलम इस्पात संयंत्र के लिए भी योजना में धनराशि की व्यवस्था की गई है।

अलौह धातुएं

16. अलौह धातुओं के क्षेत्र में, विभिन्न कारणों से एलूमिनियम, तांबा, जस्ता के उत्पादन में काफी गिरावट आई। यद्यपि 1978-79 में उत्पादन के स्तरों में काफी वृद्धि की संकल्पना की गई, फिर भी मांग और उत्पादन के बीच अन्तर बना रहेगा और इसकी पूर्ति आयात से करनी होगी।

एलूमिनियम

17. वर्ष 1977-78 में 250,000 टन के योजना लक्ष्य की तुलना में इस वर्ष एलूमिनियम का वास्तविक उत्पादन केवल 1,78,500 टन हुआ। यह 1976-77 में हुए 2,08,700 टन के उत्पादन से काफी कम था। उत्पादन में यह गिरावट मुख्यतः विद्युत् की कमी के कारण आई। बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, इस वर्ष 12,000 टन एलूमिनियम का आयात किया गया।

18. ऐसी आशा है कि 1978-79 में, कोरबा स्थित भारत एलूमिनियम कम्पनी की तीसरी और चौथी पाट लाइन भी चालू हो जाएगी जिससे एलूमिनियम की 1977-78 में 2,75,000 टन की क्षमता बढ़कर 1978-79 में 3,25,000 टन हो जाएगी। चौथी पाट लाइन के केवल इस वर्ष के अन्त तक चालू होने की सम्भावना है, इसलिए इस बढ़ी हुई क्षमता से कोई अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सकेगा। विद्युत् की उपलब्धता में बाध्यकारिताओं को ध्यान में रखते हुए 1978-79 के लिए 2,00,000 टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

19. 8,00,000 टन की वार्षिक क्षमता वाले एक एलूमिनियम संयंत्र स्थापित करने तथा पूर्वी तट के निचय पर आधारित 1,60,000 टन की क्षमता वाले एक एलूमिनियम प्रगालक की स्थापना करने के लिए एक साध्यता अध्ययन तैयार करने का प्रस्ताव है। आंध्र प्रदेश में 80,000 टन की क्षमता वाले एक अन्य एलूमिनियम संयंत्र की स्थापना के लिए साध्यता अध्ययन शुरू करने का भी प्रस्ताव है।

तांबा

20. वर्ष 1977-78 में फफोलेदार तांबे के 31,000 टन उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में इस वर्ष केवल 21,061 टन के वास्तविक उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया गया। घाटसिला और खेतड़ी—इन दोनों ही प्रगालकों में उत्पादन में गिरावट रही जिसका कारण था विद्युत् पूर्ति में रुकावट, श्रमिक अशांति तथा उपस्कर के कार्य व्यवधान के कारण उत्पन्न कुछेक प्रचालन समस्याएं। उन विभिन्न तकनीकी समस्याओं की ओर ध्यान दिया जा रहा है जिनके कारण खेतड़ी में उत्पादन प्रभावित हुआ था। 1978-79 में फफोलेदार तांबे के 23,800 टन उत्पादन के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है।

21. मलंजखंड क्षेत्रों में एक तांबा खनन परियोजना स्थापित

करने के प्रस्ताव का भारत सरकार ने अनुमोदन कर दिया है। इस परियोजना में 20 लाख टन प्रति वर्ष की अन्तिम क्षमता वाली एक अनावृत तांबा खान के विकास तथा इसी के बराबर क्षमता वाली एक सांदित्र की भी स्थापना करने की परिकल्पना की गई है। खेतड़ी में उपलब्ध बेशी क्षमता का उपयोग करते हुए सांदित्रों को धातु में परिणत किया जाएगा। पूर्ण उत्पादन करने पर इस परियोजना से प्रति वर्ष लगभग 23,000 टन धातु का उत्पादन होगा। उपर्युक्त परियोजना के अलावा, चांदमारी, सूरदा और मोसाबनी स्थित ताँबा खनन परियोजनाओं में खनन क्षमताओं के विस्तार के लिए भी वार्षिक योजना में धनराशि की व्यवस्था की गई है।

जस्ता

22. वर्ष 1977-78 में जस्ते के 68,000 टन के लक्ष्य की तुलना में इस वर्ष केवल 43,100 टन वास्तविक उत्पादन हुआ। उत्पादन में गिरावट के अनेक कारण थे, जैसे कि आलबें प्रगालक में हड़ताल, डेबरी स्थित प्रगालक में बार-बार विद्युत् में अवरोधन तथा अनुभव की गई कुछेक तकनीकी समस्याएं यद्यपि डेबरी प्रगालक की क्षमता में 27,000 टन प्रति वर्ष के विस्तार की स्कीम फरवरी, 1977 में पूरी हो गई थी और 30, 000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाला विजाग प्रगालक मार्च, 1977 में चालू हो गया था, फिर भी 1977-78 में इन संयंत्रों की क्षमता का उपयोग लक्ष्यित स्तरों से कम रहा है। तथापि, क्षमताओं के उपयोग में प्रत्याशित पर्याप्त सुधारों से इस वर्ष 71,000 टन उत्पादन होने की आशा है।

सीसा

23. वर्ष 1977-78 में 8,000 टन सीसे के लक्ष्य की तुलना में इस वर्ष वास्तविक उत्पादन 7,500 टन रहा। विजाग स्थित नए सीसा प्रगालक में 1977-78 में उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। 10,000 टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला विजाग सीसा प्रगालक 1978-79 में पूरी तरह चालू हो जायेगा। प्रथम चरण में 6,000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता प्राप्त की जा चुकी है। 1978-79 में धातुओं के 13,000 टन उत्पादन की परिकल्पना की गई है।

इंजीनियरी उद्योग

24. वर्ष 1977-78 में इंजीनियरी उद्योगों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है, यद्यपि यह वृद्धि 1976-77 के समान नहीं थी। सीमेन्ट मशीनरी का इस वर्ष लगभग दुगना उत्पादन हुआ। सड़क रोलरों का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में तिगुना रहा। बायलर्स, डीजल इंजन (अचल), चीनी मिल मशीनरी, हवा और गैस कम्प्रेसर्स, जैसे अनेक अन्य उद्योगों में 20% से अधिक वृद्धि दर प्राप्त हुई। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में, रूप एयरकन्डीशनरों, घरेलू रेफिजरेटरों, बिजली के पंखों, साइकिलों तथा हाथ की घड़ियों के उत्पादन में 20 से अधिक वृद्धि दर प्राप्त हुई। हाथ की घड़ियों में वृद्धि विशेषरूप से उल्लेखनीय थी, इनका जो उत्पादन 1976-77 में 13.12 लाख था वे बढ़कर 1977-78 में 24.66 लाख हो गया। कृषि ट्रेक्टरों, विद्युत् ट्रांसफार्मरों, बिजली की मोटरों, रेडियो रिसीवरों, जीप और मोपेड्स जैसे अनेक अन्य उद्योगों में उत्पादनों में भी 5से 15% तक की पर्याप्त वृद्धि हुई। रेलवे के माल गांड़ी के डिब्बों, तारों की रस्सियों, बैल्डिंग करने की इलेक्ट्रोडस के उत्पादन में साधारण वृद्धि हुई।

25. दूसरी ओर वाणिज्यिक वाहनों, यात्री कारों, आटो रिक्शाओं, बिजली के तारों, ऐलूमिनियम कंडक्टरों, सिलाई मशीनों रसायन मशीनरी, मशीन औजार, धातुकर्मीय मशीनरी, कागज और लुगदी मशीनरी, ट्रांसमीशन टावर्स, इस्पात फोर्जिंग आदि जैसे अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों में गिरावट आई।

26. भारी इंजीनियरों मदों का विनिर्माण करने वाली सरकारी क्षेत्र की इकाइयों की समग्र वृद्धि दर 1977-78 में लगभग 4% थी, जबकि 1976-77 में यह वृद्धि दर 10.5% थी। तथापि वित्तीय दृष्टि से सरकारी क्षेत्र में भारी इंजीनियरी इकाइयों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि रही है। 1977-78 में हुए 829 करोड़ रू० के उत्पादन की तुलना में 1977-78 में अनुमानित उत्पादन 878 करोड़ रु० होगा। तथापि यह इस वर्ष के लिए निर्धारित 1013 करोड़ रु० के लक्ष्य से कम है।

27. वर्ष 1978-79 की वार्षिक योजना में सरकारी क्षेत्र में भारी इंजीनिरी इकाइयों के लिए 82.30 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसका बड़ा भाग भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए 56.89 करोड़ रु० के कुल परिव्यय में से 49.35 करोड़ रु० चल रही स्कीमों के लिए है जिसमें तिरुचि स्थित सीवन रहित इस्पात नलियां संयंत्र के लिए 18 करोड़ रु० शामिल है जिसको वार्षिक क्षमता 40,000 टन है। यह परियोजना जुलाई, 1979 में चालू होने वाली है।

28. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के लिए 11.77 करोड़ रु० का आवंटन किया गया है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा शुरू की गई प्रमुख परियोजना 20 लाख घड़ी वाली परियोजना के लिए है जो 1981-82 तक चालू की जानी है। इस परियोजना के लिए 5 करोड़ रु० की विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाने वाले संयजनों एककों सहित व्यवस्था की गई है जिसमें प्रति वर्ष 2 लाख घड़ियों के हिस्से पुर्जे के विनिर्माण की सुविधाओं की स्थापना के लिए परिकल्पना की गई है। पिंजौर स्थित टेक्टर परियोजना, बंगलौर स्थित मुख्य स्प्रिंग तथा बाल स्प्रिंग विदनिर्माण एकक' कालमस्सरी स्थित मुद्रण मशीनरी परियोजना, और बंगलौर स्थित स्लाइडिंग हैड स्टाक परियोजना

पूरी तरह चालू हो गई है। अजमेर इकाई के भी 1978-79 तक पूरी तरह चालू हो जाने की आशा हैं।

29. भारी इंजीनियरी नियम के संबंध में, परिव्यय का बड़ा भाग, इकाइयों के विविधीकरण कार्यक्रम के संबंध में संतुलन सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए है। बन्द इंजीनियरी इकाइयों के पुनर्स्थापन और विविधीकरण के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है।

जहाज निर्माण

30. हिन्दुस्तान शिपयार्ड की क्षमता को बढ़ा कर प्रतिवर्ष प्रत्येक 21,600 डी0 डब्लू0 टी0 वाले 3 जहाज तैयार करने के लिए विकास कार्यक्रम के मार्च, 1979 तक पूरा हो जाने की आशा है। इसी प्रकार कोचीन शिपयार्ड के 1978-79 तक पूरा हो जाने की आशा है जो प्रतिवर्ष 75,000 डी0 डब्लू0 टी0 वाले दो जहाजों को तैयार करने के लिए बनाया जाएगा। 1978-79 की वार्षिक योजना में जहाजों के निर्माण के लिए 21.55 करोड़ रु० का आबंटन किया गया है।

लौह अयस्क

31. देशी इस्पात उद्योग के लिए 170 लाख टन और निर्यात के लिए 280 लाख टन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 1977-78 के लिए 450 लाख टन के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उपर्युक्त की तुलना में, देशीय खपत केवल 150 लाख टन थी, जबकि वास्तविक निर्यात 227 लाख टन रहा। अनुमानित मांग में गिरावट का मुख्य कारण तप्त धातु के देशीय उत्पादन का स्तर कम होने के साथ-साथ विश्व इस्पात उद्योग में लगातार मन्दी रहना था। कम मांग और अधिक स्टाक एकत्र होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 1977-78 में उत्पादन 410 लाख टन तक सीमित रखा गया, जबकि 1976-77 में उत्पादन 422 लाख टन था।

32. निर्यात व्यापार में लगातार मन्दी की प्रवृत्तियों और देशीय इस्पात संयंत्रों से तप्त धातु के उत्पादन के परिकल्पित स्तर को ध्यान में रखते हुए, 1978-79 के लिए 410 लाख टन लौह अयस्क का अनुमान लगाया गया है। तथापि, उत्पादन का लक्ष्य 390 लाख टन निर्धारित किया गया है, जिसमें स्टाक से 20 लाख टन के अवक्षय के लिए व्यवस्था है।

उर्वरक

33. वर्ष 1977-78 में, नाइट्रोजनीय उर्वरकों की संस्थापित क्षमता और उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी ही वृद्धि हुई थी। तथापि, फास्फेटिक उर्वरकों में काफी वृद्धि हुई थी। नीचे दी गई सारणी में, 1976-77 की तुलना में 1977-78 में उर्वरकों की क्षमता और उत्पादन दिखाए गए हैं :

('000 टन)

	1976-77		1977-78	
	क्षमता	उत्पादन	क्षमता	उत्पादन
नाइट्रोजनीय उर्वरक (एन० के रूप में)	2988	1900	3028	2000
फास्फेटिक उर्वरक ($पी_2 ओ_5$ के रूप में)	801	480	915	670

34. सरकारी क्षेत्र की इकाइयों में, अधिक प्रभावी परियोजना प्रबन्ध और निर्माणाधीन परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन दोनों ही दृष्टि से उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से वर्तमान कंपनियों को फिर से व्यवस्थित किया गया था। राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामक दो नई कंपनियां बनाई गई थीं। हाल तक भारतीय उर्वरक निगम के नियन्त्रणाधीन कई परियोजनाएं इन नई कंपनियों में अंतरित कर दी गई थीं। भारतीय उर्वरक निगम के आयोजना और अभिकल्प संगठन को अलग से एक इंजीनियरी और परामर्शदात्री कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया।

35. वर्ष 1977-78 में, उर्वरक के क्षेत्र में जो एक महत्वपूर्ण बात हुई वह थी दि० 1 नवम्बर, 1977 से नाइट्रोजनीय उर्वरक इकाइयों के लिए प्रतिधारण कीमत स्कीम की घोषणा। इस स्कीम के अंतर्गत विनिर्माता इकाइयाँ निवल मूल्य के आधार पर कर के बाद 12% वापसी पाने के पात्र होंगे, बशर्ते कि उन्होंने 80% तक कुछ धारिता का उपयोग किया गया हो और वे कच्चे माल और इकाइयों के उपयोग के कुछ निर्धारित मानकों को पूरा करते हों।

36. इस वर्ष, उर्वरक परिपूरक भंडार नीति की समीक्षा भी की गई थी। उसमें यह निर्णय किया गया था कि जहां प्राकृतिक

गैस ऊपलब्ध है, वहां इसका उपयोग तरजीह के आधार पर तब तक किया जाना चाहिए जिस सीमा तक आंतरिक मांग की पूर्ति की जा सकती हो तथा नई परियोजनाओं के लिए ईंधन तेल का उपयोग उर्वरक परिपूरक भंडार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। कोयले पर आधारित उर्वरक संयन्त्र, तलचर और रामगुंडम स्थित संयन्त्रों के प्रचालन-अनुभवों के आधार पर लगाए जायेंगे जो कि इस समय निर्माणाधीन हैं। नेफथा के उपयोग पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब कि अंतर्देशीय अवस्थिति में दीर्घकालिक निपटान की समस्या हो या जहां वर्तमान संयन्त्रों का विस्तार करना अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत पर सम्भव हो।

37. सिंदरी आधुनिकीरण, खेतड़ी, ट्राम्बे—4, नांगल विस्तार और भटिंडा जैसे अनेक संयन्त्रों के चालू हो जाने से 1978-79 में नाइट्रोजनीय और फास्फेटिक उर्वरकों की क्षमता बढ़कर क्रमश: 38.54 और 10.80 लाख टन हो जाने की आशा है। 1978-79 के लिए, नाइट्रोजनीय और फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन लक्ष्य क्रमश: 22 5 लाख टन और 7.5 लाख टन रखा गया है।

पैट्रो-रसायन

38. एल०डी०पी०ई०, एच०डी०पी०ई०, पी०वी०सी०, पौलिस्ट्रीन और पौलिप्रोपिलीन जैसे प्रमुख थर्मो प्लास्टिकों का कुल उत्पादन 1977-78 में 116,700 टन से बढ़कर 1978-79 में 156,000 टन हो जाने का अनुमान है। भारतीय पैट्रो-रसायन निगम लिमिटेड की कई परियोजनाओं में कुछ कमियाँ रहीं, इसलिए 1978-79 में जब नेथा क्रेकर और छोटे संयन्त्र लगाए जाने का अनुमान है।

39. 7000 टन पौलिस्टर चिप्स और 3500 टन पोलिस्टर फिलामेंट रेशों की वार्षिक क्षमता के लिए बनाई गई पैट्रोफिल्स कोआपेरेटिव लिमिटेड की परियोजना को आंशिक रूप में 1977-78 में चालू किया गया था।

40. बोंगाईगाँव में पैट्रो-रसायन परिसर तैयार करने की योजना का कार्यान्वयन शुरू किया गया है। 1978-79 की वार्षिक योजना में इस परियोजना के लिए 5.50 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

कीटनाशक

41. कीटनाशकों का उत्पादन 1976-77 में 35,800 टन से बढ़कर 1977-78 में 42,600 टन हो गया। इस उद्योग की समग्र क्षमता का उपयोग कुल लगभग 70% रहा। 1978-79 में तकनीकी ग्रेड के कीटनाशकों के उत्पादन का लक्ष्य 47,000 टन रखा गया है, जबकि देश में उपयोग में लाए जाने वाले दो प्रमुख कीटनाशी हैं — बी०एच०सी० और डी० एम०टी०। इस समय तकनीकी ग्रेड के किटनाशकों की वार्षिक संस्थापित क्षमता 61,300 टन की है।

केन्द्रीय क्षेत्र में, हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड कई प्रकार के कीटनाशकों का विनिर्माण करता है और इसके अधीन कई परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

सीमेंट

42. सीमेंट का उत्पादन 1977-78 में बढ़कर 193 लाख टन हुआ, जबकि इसके पिछले वर्ष का उत्पादन 188 लाख टन था। यहाँ क्षमता में केवल थोड़ी सी वृद्धि हुई और उत्पादन में यह वृद्धि मुख्य रूप से क्षमता का बेहतर ढंग से उपयोग करने के कारण हुई थी। सीमेंट की मांग और पूर्ति में बहुत अंतर होने और विभिन्न राज्यों में अनुभव की गई इसकी कमी के कारण लगभग 14 लाख टन सीमेंट का आयात करने का निर्णय किया गया था। जो संस्थापित क्षमता इस समय 218.7 लाख टन है उसे बढ़ाने के लिए, 120 लाख टन क्षमता के सीमेंट उत्पादन के लिए लाइसेंस-पत्र जारी किए गए हैं।

43. सरकार द्वारा निवल मूल्य पर कर के बाद 12% की निवल वापसी पर आधारित नई इकाइयों विस्तार के लिए परिशोधित मूल्य नीति की घोषणा से सीमेंट उद्योग की क्षमता में पर्याप्त विस्तार को काफी मदद मिलने की आशा है। आगे आने वाले वर्षों में निस्तापनपूर्व शिल्प-विज्ञान के अपनाए जाने से भी सीमेंट के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने का अनुमान है। 1978-79 के अंत तक क्षमता 225.00 लाख टन हो जाने की परिकल्पना की गई है और वर्ष में उत्पादन 210 लाख टन होने का अनुमान है।

44. इस वार्षिक योजना में, भारतीय सीमेंट निगम की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 30.02 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। राजवन (हिमाचल प्रदेश) और मंधार विस्तार (मध्य प्रदेश) में निर्माणाधीन सीमेंट संयंत्रों के 1978-79 में पूरे हो जाने की आशा हैं। भारतीय सीमेंट निगम, इस समय नीमच (मध्य प्रदेश), अकलतारा (मध्य प्रदेश) और येरागुंटला (आंध्र प्रदेश) की 3 परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है जिनके 1979-80 से चालू हो जाने की आशा है। आंध्र प्रदेश में तदूर और आदिलाबाद में स्थापित की जाने वाली दो और नई परियोजनाएँ शुरू कर दी गई हैं।

45. सीमेंट के आयात को छोड़कर, सीमेंट की पूर्ति। उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से, पिछले 3 वित्तीय वर्षों में सर्वाधिक उत्पादन से अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए या लाइसेंस क्षमता के 85% से अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित करने के

फलस्वरूप 30 रु० प्रति टन की दर से नकद राशि देने का निर्णय किया गया था। मालगाड़ी द्वारा सीमेंट की ढुलाई के लिए उन पर पड़ने वाले भार को कम करने के उद्देश्य से 250 कि० मी० की दूरी तक सीमेंट की ढुलाई सड़कों के रास्ते से की जाती है।

46. लघु सीमेंट संयंत्रों को स्थापित करने की तकनीकी-आर्थिक साध्यताओं का अध्ययन किया जा रहा हैं। सीमेंट उद्योग की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई है।

सूती वस्त्र

47. वर्ष 1977-78 में, सूती वस्त्र उद्योग को अधिक उत्पादन लागत और बाजार में मंदी के कारण कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। 1976-77 की तुलना में, 1977-78 में मिलों में हुए सूती धागे और सूती कपड़े के उत्पादन नीचे की सारणी में बताए गए हैं :

	इकाई	1976-77	1977-78
धागे (सूती और मिश्रित)	10 लाख कि० ग्रा०	1076.1	1057.5
सूती कपड़ा	10 लाख मीटर	3144.2	3740.7
मिश्रित रेशे	,,	985.0	421.7
कुल कपड़ा (मिल क्षेत्र)	,,	**4129.2**	**4162.4**

48. वर्ष 1976-77 में हुए सूती कपड़े के कुल 59.8 लाख गांठों के उत्पादन की तुलना में 1977-78 (कपास के मौसम) में 67.5 लाख गांठों के उत्पादन का अनुमान है। सूती उद्योग क्षेत्र में कपास की कमी का सामना करने और इस उद्योग को बहु-मुखी बनाने के उद्देश्य से सूती कपड़ा मिल उद्योग द्वारा 10% तक सूती से इतर रेशों का अनिवार्य उपयोग इस वर्ष भी जारी रहा। देश में हस्तनिर्मित रेशों की पूर्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से इन रेशों के उदार आयात की अनुमति दी गई थी।

49. वर्ष 1977-78 में, राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों द्वारा सूती धागों का 553 लाख किलोग्राम और कपड़े का 8540 लाख मीटरों का उत्पादन किया गया। 1977-78 में लगभग 400 करोड़ रु० मूल्य के सूती धागे और कपड़ों का उत्पादन होने का अनुमान है, जबकि इससे पिछले वर्ष 347 करोड़ रु० मूल्य के कपड़े का उत्पादन हुआ था। 1978-79 की वार्षिक योजना में राष्ट्रीय वस्त्र निगम को मिलों के आधुनिकीकरण, पुनर्व्यवस्थापन और श्रमिक युक्तिकरण के कार्यक्रम के लिए 21.5 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

50. 7 अगस्त, 1978 की नई वस्त्र नीति की घोषणा की गई थी। इस नीति के मुख्य उद्देश्य हैं :—(1) आम लोगों के लिए उनके मनपसंद किस्म के कपड़े का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन और उचित कीमत पर उसकी उपलब्धता; (2) जनसंख्या के कमजोर वर्गों में इस कपड़े के वितरण के लिए उपयुक्त और सुधरी हुई व्यवस्था; (3) हथकरघा, खादी और रेशम उद्योग सहित विकेंद्रित क्षेत्र का तेजी से विकास और उसके माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार की उपलब्धता; और (4) सूती और मिश्रित कपड़ों के उपयोग के बीच समुचित संतुलन जिससे कि कपास उगाने वालों की आय और उनके लिए रोजगार अधिकतम हो सकें और देश में उपलब्ध उच्च एरोमेटिक गैस और नेप्था परिपूरक भंडार के उपयोग के जरिए मिश्रित रेशों के उत्पादन के लिए उपलब्ध क्षमताओं का इष्टतम और भरपूर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

51. 1 अक्तूबर, 1978 से कंट्रोल के कपड़े के अनिवार्य उत्पादन की बाध्यता की प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया गया है। अब मिल में तैयार किये जाने वाले कंट्रोल के कपड़े की अधिकतम सीमा कुल 4000 लाख वर्ग मीटर है, और जिसका उत्पादन राष्ट्रीय वस्त्र निगम (रा०वि०नि०) और निजी क्षेत्र की मिलों-दोनों के द्वारा ही किया जाएगा। कपड़े की वितरण प्रणाली में भी सुधार किया जाएगा जिससे कि जनसंख्या के कमजोर वर्गों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिल सके।

52. विकेंद्रित और हथकरघा क्षेत्र, सरकार की औद्योगिक और रोजगार नीति के संदर्भ में उन्हें सौंपी गई भूमिका के अनुरूप काम कर सकें, इसके लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्रवाइयां किए जाने का प्रस्ताव है। भविष्य में, संगठित क्षेत्र में बुनाई की क्षमता को बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। अतिरिक्त कपड़े की आवश्यकताओं में से बहुत सारे कपड़े की पूर्ति विकेंद्रित क्षेत्र द्वारा की जाएगी और संगठित क्षेत्र में उत्पादन केवल पुरानी मशीनों/उपकरणों के बदले लगाई नई मशीनों तक ही सीमित रहेगा। हथकरघा क्षेत्र में भी उत्पादन की क्षमता को बहुत अधिक बढ़ाने नहीं दिया जाएगा। पर्याप्त मात्रा में नई तकलियों के लगाने के लिए कार्रवाई की जाएगी ताकि हथकरघा क्षेत्र में धागे की समग्र मांग को पूरा किया जा सके। सिंचाई की सुविधाओं में प्रसार करके और आवश्यक निवेशों की व्यवस्था के जरिये कपास के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। कपास उगाने वालों को उनके उत्पादन के लिये समुचित न्यूनतम मूल्य दिलाए जाने का आश्वासन दिया जाएगा और मिश्रित रेशों का उपयोग कपाश उगाने वालों के हित को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा।

53. हस्त निर्मित रेशों की उदार आयात नीति और देश में कपास के अधिक उत्पादन के परिणामस्वरूप 1978-79 में रेशों (सूती और मिश्रित) का कुल उत्पादन लगभग 11400

लाख कि० ग्रा० और मिल क्षेत्र में कपड़े (सूती और मिश्रित) का उत्पादन लगभग 42000 लाख मीटर होने का अनुमान है।

पटसन उद्योग

54. पटसन की पूर्ति की स्थिति तंग होने और उसकी कीमतें अधिक होने के कारण पटसन उद्योग को 1977-78 के अधिकांश भाग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही, वर्ष के प्रारम्भिक महीनों में देश के और विदेश के बाजारों में पटसन की वस्तुओं की मांग में तेजी से गिरावट भी आई थी। तथापि, आंतरिक बाजार में पटसन की वस्तुओं के मुकाबले में मिश्रित रेशों के बने सामानों की कीमतों में वृद्धि और निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में पटसन की चीजों की निर्यात मांग में वृद्धि हुई। 1976-77 की तुलना में, 1977-78 में 4.52 लाख टन अधिक निर्यात किए जाने का अनुमान है। वर्ष के अंत में पटसन की आंतरिक मांग में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। तथापि, 1976-77 की तुलना में, 1977-78 में आंतरिक मांग में 7.4 लाख टन की कमी हुई थी। वर्ष 1977-78 में लगभग 11.78 लाख टन पटसन की वस्तुओं के उत्पादन का अनुमान है, जबकि 1976-77 में 11.86 लाख टन पटसन की वस्तुओं का उत्पादन किया गया था।

55. वर्ष 1977-78 में पटसन की फसल कमजोर होने के कारण पटसन की कीमतें बढ़ने लगीं। पटसन की अत्यधिक सट्टे बाजारी पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए थे। इसमें कच्चे पटसन की खरीद और बिक्री के लिए कीमतों का निश्चित किया जाना, भंडार रखने की अधिकतम सीमा निर्धारित करना, आदि सम्मिलित हैं। इसके परिणामस्वरूप, सभी किस्म के पटसन की कीमतों पर नियन्त्रण रखा जा सका। तथापि, 1978-79 में पटसन की अच्छी फसल होने का अनुमान है।

1978-79 में, लगभग 12 लाख टन पटसन से बनी वस्तुओं के उत्पादन का अनुमान है।

कागज और गत्ता

56. वर्ष 1976-77 में कागज और गत्ते की संस्थापित क्षमता 11.37 लाख टन थी। 1977-78 में, क्षमता में लगभग 1.25 लाख टन की और वृद्धि हुई। इससे इस उद्योग की क्षमता मार्च, 1978 के अंत में बढ़कर 12.6 लाख टन हो गई। क्षमता में यह अतिरिक्त वृद्धि मुख्य रूप से कई छोटी-छोटी इकाइयों की स्थापना और वर्तमान इकाइयों के विस्तार के कारण हुई है। कागज और गत्ते का उत्पादन 1976-77 में 898,700 टन से बढ़कर 1977-78 में लगभग 965,000 टन हो गया।

57. वर्ष 1978-79 के अंत तक कागज और गत्ते की संस्थापित क्षमता में लगभग 13.2 लाख टन की वृद्धि हो जाने का अनुमान है। क्षमता में यह वृद्धि मुख्य रूप से कुछ नए छोटे कागज संयंत्रों की स्थापना के जरिए ही अनुमानित की गई है। 1978-79 के अंत तक 10,30,000 टन उत्पादन हो जाने का अनुमान लगाया गया है।

58. नागालैंड में तुली कागज परियोजना और असम में नौगांव और कछार परियोजनाओं के लिए योजना में व्यवस्था की गई है। नागालैंड परियोजना के 1979 के शुरू में चालू हो जाने का अनुमान है।

अखबारी कागज

59. नेपा कागज मिल में, जो कि इस समय देश में अखबारी कागज की अकेली परियोजना है, अखबारी कागज का उत्पादन 1976-77 में 58,000 टन से थोड़ा घटकर 1977-78 में 56,000 टन हुआ। उत्पादन में कमी के लिए बिजली और भाप की कमी के साथ-साथ घटिया किस्म के कच्चे माल की पूर्ति जैसे कुछ कारण जिम्मेवार हैं।

60. वर्ष 1978-79 में, केरल अखबारी कागज परियोजना के कार्यान्वयन में प्रगति का अनुमान है जिसकी वार्षिक संस्थापित क्षमता 80,000 टन होगी और जिसके 1979-80 में चालू हो जाने की आशा है। 1978-79 में 60,000 टन अखबारी कागज के उत्पादन का अनुमान है।

दवाइयां और भेषज

61. दवाइयों और भेषज उद्योग से संबंधित समिति (हाथी समिति) की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने नई व्यापक औषधि नीति की घोषणा की है। इस नीति के माध्यम से औषधि शिल्प विज्ञान में आत्मनिर्भरता, औषधियों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता और उचित कीमतों पर दवाइयों की उपलब्धता तथा अनुसंधान और विकास के कार्यकलापों की ओर अग्रसर हुआ जा सकेगा। यह नई नीति औषधियों के किस्म पर और कड़ा नियंत्रण रखने के लिए भी बनाई गई है। सरकारी क्षेत्र में भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार की कंपनियों को उत्पादन से संबंधित विभिन्न मार्गदर्शी सिद्धांत बता दिए गए हैं। इसमें इस बात की संकल्पना है कि सरकारी क्षेत्र की इकाइयां जन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए औषधियों की काफी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे।

62. इस बात की संकल्पना है कि विदेशी कंपनियां मुख्य रूप से अपने को उच्च शिल्पविज्ञान वाले क्षेत्र तक सीमित रखेंगे और जो विदेशी कंपनियां परिशोधित मानकों के अनुरूप अपने को नहीं चला पाएंगी उन्हें अपनी इक्विटी 40 प्रतिशत तक सीमित करनी होगी ताकि विदेशी शेयरहोल्डरों के हाथ में इस

समय बकाया 60 प्रतिशत इक्विटियों को सरकारी वित्तीय संस्थानों या सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं के पक्ष में अनिवेशित किया जा सके, जिसमें बाद के मामले में ऐसी कंपनियों के भारतीय कर्मचारियों को तरजीह दी जाए। विदेशी फर्मों को भविष्य में लाइसेंस केवल तभी दिए जाएंगे जबकि उन फर्मों का सम्बन्ध उन औषधियों के निर्माण से हो जिसमें उन्नत शिल्पविज्ञान की आवश्यकता होती होगी।

63. वर्ष 1978-79 की वार्षिक योजना में सरकारी क्षेत्र की औषधि इकाइयों के लिए 27.12 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की पेंसिलिन विस्तार और विटामिन-सी संयंत्र की पुनर्व्यवस्थापना का काम इस वर्ष पूरा हो जाने का अनुमान है। भारतीय औषधि और फार्मस्युटिकल्स लिमिटेड के कुछ संयंत्रों के 1978-79 में चालू हो जाने की आशा है जो अभी निर्माणाधीन हैं। इसमें शामिल हैं—ऐसाटिल सल्फागुनाडीन, सल्फाडिमिडीन, फेनास्टीन, पैरासेटामोल, विटामिन बी-1, विटामिन बी-2. फौलिक एसिड, एनल्जिन, सोडियम पी० ए० एस० और फेनो बर्बीटोन के निर्माण के लिए संयंत्र, पेंसिलिन और टेट्रासाइक्लीन संयंत्र के विस्तार और ऐम्पिसिलिन तथा ऐरिथ्रोमाइसिन के लिये नये सयंत्रों की स्थापना। निकोटीनामाइड संयंत्र के मई, 1979 में पूरा हो जाने का अनुमाव है।

चीनी

64. वर्ष 1976-77 मौसम (अक्तूबर से सितम्बर) में चीनी का उत्पादन 48.4 लाख टन था, जबकि 1975-76 में इसका उत्पादन 42.62 लाख टन हुआ था। 1977-78 में 65 लाख टन चीनी के उत्पादन का अनुमान है। वर्ष 1978-79 के लिए 55 लाख टन चीनी के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

65. चीनी की दोहरी मूल्य नीति और लेवी चीनी और खुली चीनी (65:35) की दरें मध्य अगस्त, 1978 तक चलती रहीं, जबकि चीनी उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने और उसका विपुल भंडार हो जाने के कारण चीनी उद्योग पर से नियंत्रण हटा लिया गया था।

इलेक्ट्रानिक्स

66. वार्षिक योजना में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के विस्तार और विकास के कार्यक्रम के लिए22.57 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। वार्षिक योजना में सम्मिलित महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं—इलेक्ट्रानिक उपस्कर और प्रणाली उद्योग में प्रयुक्त बड़े एकीकृत सर्किटों के विनिर्माण के लिए अर्धचालक परिसर की स्थापना और अभिकलित्र अनुरक्षण निगम का विस्तार। अभिकलित्र अनुरक्षण निगम यंत्रेतर तथा पद्धति सहायता और परामर्श देने के अलावा भारतीय व्यापार प्रबंध (आई०बी०एम०) का व्यापार भी संभाल लेगा। चंडीगढ़, कानपुर, लखनऊ और पुणे में क्षेत्रीय अभिकलित्र केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इलेक्ट्रानिक्स उद्योग द्वारा अल्प मात्रा में अपेक्षित विशेष सामग्रियों और पुर्जों के विनिर्माण के लिए प्रायोगिक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इस वर्ष राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तरों पर मानकीकरण और परीक्षण की सुविधाओं को भी बढ़ाने का प्रस्ताव है।

परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम

67. परमाणु ऊर्जा विभाग के औद्योगिक और खनिज कार्यक्रमों के लिए 1978-79 की वार्षिक योजना में 49.10 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। हैदराबाद स्थित न्यूक्लीय ईंधन परिसर का जंगरहित इस्पात नली संयंत्र पहले ही पूरा हो चुका है और बाल बियरिंग इस्पात नलियों के विनिर्माण की परियोजना निर्माणाधीन है। भारी जल संयंत्रों के चालू होने की समय-सारणी में अपरिहार्य विचलन रहे हैं। बड़ौदा स्थित भारी जल संयंत्र का निर्माण पूरा हो चुका है और जुलाई, 1977 में परीक्षण उत्पादन शुरू हो गया। तथापि अमोनिया परिवर्तक तथा एक अमोनिया कंडेन्सर के रिसने के कारण उत्पादन को कायम नहीं रखा जा सका। यद्यपि संयंत्र नवंबर, 1977 में फिर चालू हो गया परंतु संयंत्र के भाग में विस्फोट हो जाने के कारण इसे दिसंबर में बंद कर देना पड़ा। कुछ उपस्करों को परिवर्तित करना होगा, इसलिए इस संयंत्र के अब केवल 1979 की चौथी तिमाही में ही चालू होने की आशा है। तूतीकोरिन स्थित भारी जल परियोजना चालू हो गई है और इसने हाल ही में उत्पादन आरंभ कर दिया है। तलचर स्थित भारी जल परियोजना में काफी काम पूरा हो चुका है और इसके 1979 की तीसरी तिमाही में चालू हो जाने की आशा है। कोटा स्थित भारी जल परियोजना में निर्माण-कार्य चल रहा है और वर्तमान अनुमानों के अनुसार इसके मार्च, 1980 में चालू हो जाने की संभावना है।

अध्याय 12

परिवहन और संचार

1977-78 के लिए 1597.92 करोड़ रु० के अनुमानित व्यय के मुकाबले 1978-79 में परिवहन और संचार कार्यक्रम के लिए 1794.23 करोड़ रु० की नीचे बताए अनुसार व्यवस्था की गई है :

परिवहन और संचार पर परिव्यय

(करोड़ रु०)

कार्यक्रम	1977-78 अनुमानित व्यय	1978-79 परिव्यय
रेलवे	480.00	535.30
सड़कें	392.58	437.27
सड़क परिवहन	106.78	115.83
बड़े पत्तन	78.07	91.00
छोटे पत्तन	8.26	8.87
नौवहन	93.75	98.72
अंतर्देशीय जल परिवहन	4.05	4.39
फरक्का बराज	4.98	7.00
प्रकाश स्तम्भ	2.80	2.75
नागर वायु परिवहन	72.85	82.50
पर्यटन	17.90	18.62
संचार	307.22	355.10
प्रसारण और दूरदर्शन	18.32	21.12
मौसम विज्ञान	10.36	15.76
जोड़	**1597.92**	**1794.23**

2. केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों के बीच 1977-78 में अनुमानित व्यय का वितरण और 1978-79 के लिए परिव्यय का वितृस्त विवरण अनुलग्नक 12.1 के रूप में दिया गया है। 1977-78 में हुई प्रगति और 1978-79 के लिए कार्यक्रमों का निम्नलिखित पैराओं में (क्षेत्रवार) विवरण दिया गया है :

रेलवे

3. 1977-78 में रेलवे के विकास कार्यक्रम के लिए 480 करोड़ रु० की राशि की व्यवस्था की गई है, जिसके मुकाबले अनुमानित व्यय 480 करोड़ रु० है। रेलवे द्वारा माल की ढुलाई के 2450 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में वास्तविक ढुलाई के 2370 लाख टन होने का अनुमान है जिसमें 840 लाख टन कोयले की ढुलाई शामिल है। दिल्ली-शाहदरा-बागपत मार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया और शाहदरा-सहारनपुर बड़ी लाइन के शेष भाग पर काम चल रहा है। सूरतगढ़-भटिण्डा खंडों को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का काम पूरा हो गया और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया। लाइनों को दोहरा करने के अंतर्गत लगभग 1650 कि०मी० लाइन पूरी की गई। वाल्टेयर-किरांडुल, मद्रास-गुडूर-विजयवाड़ा, और मद्रास-त्रिवेल्लोर खंडों के विद्युतीकरण का काम चल रहा था।

4. वर्ष 1978-79 में 535.30 करोड़ रु० के परिव्यय का अनुमोदन किया गया। कार्यक्रमवार आवंटन नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रु०)

कार्यक्रम/स्कीमें	1977-78 अनुमानित व्यय	1978-79 परिव्यय
1 2	3	4
1. रेल के डिब्बे	230.0	235.5
2. पथ नवीकरण	65.7	70.9
3. लाइन क्षमता के निर्माण-कार्य	69.4	80.0

1	2	3	4
4.	सिग्नल व्यवस्था और सुरक्षा कार्य	14.7	20.0
5.	विद्युतीकरण	20.0	23.0
6.	नई लाइनें	20.2	30.8
7.	सड़क सेवाओं में निवेश	10.0	10.0
8.	महानगरीय रेल परिवहन परियोजनाएं	10.0	15.0
9.	अन्य	40.0	50.1
	जोड़	**480.0**	**535.3**

5. रेलों द्वारा 2480 लाख टन माल की ढुलाई किए जाने की आशा है जिसमें लगभग 870 लाख टन कोयले की ढुलाई शामिल है। जिन स्कीमों का अधिकांश निर्माण-कार्य पूरा हो गया है उनको जल्दी से पूरा करने पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है। आप्टा-गोहा, नडियाद-मोदासा और कल्याणी उपनगरीय रेल लाइनों के निर्माण के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। लाइनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है जिन पर काम चल रहा है और जो परियोजनोन्मुख हैं। लाइन परिवर्तन के कार्यक्रम में बरौनी-कटिहार खंड शामिल है जो बाराबंकी-समस्तीपुर लाइन परिवर्तन और नई बोंगाइगांव-गोहाटी लाइन परिवर्तन की परियोजनाओं से जुड़ा है जिन पर पहले से ही कार्य चल रहा है। जिन अन्य महत्वपूर्ण लाइन परिवर्तन की जारी परियोजनाओ में 1978-79 में और प्रगति की जाएगी वे हैं गुंटक्कल-बंगलौर, एर्नाकुलम-त्रिवेन्द्रम और वीरमगाम-ओखा-पोरबंदर की रेल लाइनों में परिवर्तन। लाइन क्षमता के निर्माण कार्यों की श्रेणी के अंतर्गत उच्च सघन क्षेत्रों में यातायात की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जहां पहले ही परिपूर्णता प्राप्त की जा चुकी है, दोहरी पटरियों के निर्माण तथा अन्य निर्माण-कार्यों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। वाल्टेयर-किरन्दुल, मद्रास-गुडुर, विजयवाड़ा-गुडुर और मदास-त्रिवेल्लोर खंडों पर विद्युतीकरण के निर्माण-कार्यों की गति तीव्र करने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है।

6. महावगरीय रेल परिवहन परियोजनाओं के लिए निर्धारित 10 करोड़ रु० का 1977-78 में, कलकत्ता में दमदम टालीगंज तीव्र परिगमन प्रणालियों के लिए तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययनों के लिये उपयोग किया गया। वर्ष 1978-79 में 15 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था मुख्यत: कलकत्ता तीव्र परिगमन प्रणाली के लिए की गई है।

सड़कें

7. वर्ष 1977-78 में 392.58 करोड़ रु० के प्रत्याशित व्यय के मुकाबले 1978-79 में 437.27 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए 1977-78 में 94.14 करोड़ रु० व्यय किए जाने की संभावना है और 1978-79 के लिए 103.87 करोड़ रु० का आवंटन किया गया है। राष्ट्रीय राज मार्ग कार्यक्रमों के अंतर्गत, जिन 17 बड़े पुलों पर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ में काम चल रहा था, उनमें से 7 पुलों के मार्च, 1978 तक पूरे हो जाने की आशा है। चौथी और पांचवीं योजना में, 440 कि०मी० की ऐसी लम्बाई में से जहाँ सम्पर्क सड़कें नहीं है। 140 कि०मी० लम्बी सम्पर्क सड़कों के निर्माण का जो कार्य चौथी और पाँचवीं योजना में शुरू किया गया था वह मार्च, 1978 तक पूरा हो गया। निम्न ग्रेड खंड के सुधार की स्कीम के अंतर्गत मार्च, 1978 तक लगभग 305 कि०मी० का निर्माण किया गया। इसी प्रकार 40 कमजोर बड़े पुलों तथा 650 कमजोर छोटे पुलों पर चल रहा काम मार्च, 1978 तक पूरा हो गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत, 1500 और इससे अधिक आबादी वाले लगभग 3000 गांवों को सभी मौसम की सड़कों से जोड़ दिया गया।

8. अवशिष्ट स्कीमों को पूरा करने और जिन स्थानों में सम्पर्क सड़कें नहीं हैं वहां उन्हें तथा पुल बनाने पर बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत 1969 के तालिका सर्वेक्षण के आँकड़ों में प्रकट हुई अधिक महत्वपूर्ण कमियों को चौथी और पाँचवीं योजना की अवधि में पूरा कर दिया गया। शेष कमियों को बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप 1978-83 में तथा उत्तरवर्ती योजनाओं में पूरा कर देने की आशा है।

9. वर्ष 1978-79 की वार्षिक योजना में सड़कों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 103.87 करोड़ रु० का आवंटन किया गया है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 76 करोड़ रु० (चालू निर्माण-कार्यों के लिए 63.35 करोड़ रु० और नये निर्माण-कार्यों के लिए 12.65 करोड़ रु०), अत्यंत महत्वपूर्ण सड़कों के लिए 10 करोड़ रु०, अन्तर्राज्यीय तथा आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए 5 करोड़ रु०, महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के लिए 2.29 करोड़ रु०, औजारों तथा संयंत्रों के लिए 3.5 करोड़ रु० और कलकत्ता में दूसरे हुगली पुल के लिए 6 करोड़ रु० शामिल हैं।

10. वर्ष 1978-79 में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिन स्थानों में बीच में पुल नहीं है वहां पांच बड़े पुल तथा 25 बड़े और 356 छोटे कमजोर पुलों का कार्य पूरा किया जाएगा। जिन स्थानों में बीच की सड़कें नहीं है, वहां 140 कि० मी० सम्पर्क सड़कों का निर्माण किया जाएगा तथा 60 कि०मी० निम्न ग्रेड के खंडों में सुधार किया जाएगा।

11. राज्य क्षेत्र में सड़क विकास कार्यक्रम के लिए 1978-79 की वार्षिक योजना में 333.40 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है। इसमें से 120.12 करोड़ रु० की व्यवस्था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए की गई है, जबकि 1977-78 में 72.70 करोड़

रु० की गई थी। 1500 या अधिक आबादी वाले 2200 गांवों और 1000-1500 के बीच आबादी वाले 1300 गांवों को जोड़ने के लिए इस वर्ष में सभी मौसमों में इस्तेमाल की जाने वाली सड़कों की व्यवस्था की जाएगी। अवशिष्ट स्कीमों को तीव्रता से पूरा करने पर बल दिया जाएगा।

सड़क परिवहन

12. केंद्रीय क्षेत्र (दिल्ली परिवहन निगम) और राज्य क्षेत्र में 1977-78 में प्रत्याशित व्यय क्रमश: 3.20 करोड़ रु० और 103 करोड़ रु० था। राज्य सड़क परिवहन निकायों की बसों में 1977-78 में 2750 बसों की वृद्धि हुई।

13. केन्द्रीय क्षेत्र में 1978-79 के लिए 5.5 करोड़ रु० का आवंटन किया गया है जिसमें 230 बसों की खरीद के लिए 3.8 करोड़ रु० तथा डिपो के निर्माण के लिए 0.75 करोड़ रु० शामिल हैं। अंतिम टेशनों (25 लाख रु०), केंद्रीय वर्क-शाप (52 लाख रु०) और प्रेस (10 लाख रु०) के लिए पर्याप्त परिव्ययों की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय क्षेत्र परिव्यय मुख्यत: दिल्ली परिवहन निगम के लिए है। राज्य क्षेत्र में 110 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। ऐसी आशा है कि बसों को बदलने के अलावा, वर्तमान बसों में लगभग 4000 और बसें शामिल की जाएंगी।

बड़े पत्तन

14. बड़े पत्तनों के विकास के लिए 1977-78 में अनुमानित परिव्यय 78.07 करोड़ रु० है। बड़े पत्तनों पर लगभग 687.1 लाख टन माल लादने और उतारने का यातायात किया गया, जबकि 1976-77 में 678.6 लाख टन माल लादने और उतारने का यातायात हुआ। वर्ष 1977-78 में, मद्रास बाह्य बंदरगाह में, जिसकी साफ मौसम में 45 फुट पानी की गहराई वाले पोत रखने की क्षमता है, लौह अयस्क के लादने तथा उतारने की सुविधाओं का प्रथम चरण आरम्भ हुआ। हल्दिया गोदी प्रणाली से भी कोयला और लौह अयस्क को लादने तथा उतारने का यातायात आरम्भ हो गया। कोयला और लौह अयस्क को लादने और उतारने के लिए बर्थ तीव्र गति यांत्रिक उपस्करों से युक्त है। कोचीन में, आधान यातायात को लादने-उतारने की सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रथम चरण पूरा हो गया है और आधान जहाज पत्तन पर आने लगे हैं। अनेक परियोजनाओं में प्रगति हुई जिनमें एक लौह अयस्क बर्थ का निर्माण, मारमागाव स्थित लौह अयस्क के लदान लिए तीव्र गतियांत्रिक उपस्कर की व्यवस्था करना, सलाया अपतट तेल टर्मिनल पर आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना, कुद्रेमुख से ईरान को लौह अयस्क के निर्यात के लिए नये मंगलौर पत्तन पर पत्तन सुविधाओं की व्यवस्था करना, समुद्र तटीय रेखा का कटाव रोकने के लिए पारादीप पत्तन पर समुद्रीय कुओं का निर्माण करना आदि शामिल हैं।

15. वर्ष 1978-79 में 91.00 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसमें चल रही स्कीमों के लिए 73.50 करोड़ रु० और नई कीमों के लिए 17.50 करोड़ रु० शामिल हैं। बड़े पत्तनों पर 1977-78 में हुए 687.1 लाख टन के यातायात के बढ़कर 730 लाख टन हो जाने की आशा है, इस यातायात में प्रत्याशित वृद्धि लौह अयस्क, कोयला उर्वरक और अन्य सामान्य माल का यातायान शामिल है। हल्दिया में आधान और उर्वरक शायिकाओं के इस वर्ष चालू हो जाने की आशा है। मद्रास बाह्य बंदरगाह में लौह अयस्क को लादने तथा उतारने की सुविधाओं का दूसरे चरण में आरम्भ होने की आशा है जिससे अनुमत लदान क्षमता बढ़कर 8000 टन प्रति घंटा हो जाएगी। मारमागाव में भी लौह अयस्क के लादने-उतारने की सुविधाओं के आरम्भ हो जाने की आशा है। सलाया अपतट अंतस्थ सुविधाओं के 1978 तक पूरा हो जाने की आशा है, जो कोयाली तेलशोधक कारखाने के विस्तार से संबद्ध हैं। कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए नव मंगलौर पत्तन में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए, ड्रेजर खरीदने के लिए भारतीय ड्रेजिंग निगम के लिए हुगली नदी की नौगम्यता को सुधारने के लिए, भागीरथी-हुगली नदी नियंत्रण स्कीमों के लिए तथा अनुसंधान तथा विकास से संबंधित स्कीमों के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है।

छोटे पत्तन

16. केंद्र और केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए 3.64 करोड़ रु० समेत 1977-78 में 8.26 करोड़ रु० व्यय किये गये। केंद्रीय स्कीमों के अंतर्गत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप और सर्वेक्षण संगठन में पत्तनों में सुधार करने का काम शुरू किया गया। गुड्डालौर, मिर्या बे और काकीनाडा पत्तनों का काम पूरा हो गया है। माल लादने-उतारने की सुविधाओं में सुधार करने से संबंधित कार्यक्रमों तथा तैरने वाले यानों और उपस्कर की व्यवस्था करने के जरिए राज्य में छोटे पत्तनों का विकास किया गया।

17. वर्ष 1978-79 के लिए 8.87 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है जिसमें केंद्रीय स्कीमों के लिए 2.80 करोड़ रु० भी शामिल हैं। पोर्टब्लेयर में जहाज निर्माण और छोटे अंडमान में तरंगरोध के निर्माण के 1978 में पूरे हो जाने की संभावना है। डिगलीपुर, मायाबंदा, रनघाट, हेवलाक और चेतम वार्फ में अग्र तट निर्माण और कैम्पबेल खाड़ी में तरंगरोध जैसी सतत स्कीमों को जारी रखा जाएगा। लक्षद्वीप के लिए किल्टन, कालपनी, अगाथी, कदमोथ, मिनिकाय और कावरत्ती में जहाज में माल उतारने के घाटों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है।

नौवहन

18. वर्ष 1977-78 में नौवहन पर व्यय होने वाला अनुमानित व्यय 93.75 करोड़ रु० है जिसमें नौवहन विकास निधि समिति द्वारा जहाज अधिग्रहण के लिए वित्त-व्यवस्था करने के लिए 84 करोड़ रु० का ऋण संवितरण भी शामिल है। 1977-78 में कुल 3.3 लाख सकल पंजीकृत टन भार के 26 जहाजों को भारतीय बेड़े में जोड़ा गया और टन भार का स्तर 53.84 लाख सकल पंजीकृत टन भार तक पहुंच गया था जिसमें तटीय 4 लाख सकल पंजीकृत टन भार और समुद्र पार व्यापार में लगाए गए 49.84 लाख सकल पंजीकृत टन भार शामिल है। इसमें से लगभग सम्पूर्ण वृद्धि समुद्र पारगमन टन भार में हुई।

19. विश्व में व्याप्त विशाल बेशी टन भार, जहाज निर्माण उद्योग में अधिक क्षमता तथा पश्चिमी अर्थ-व्यवस्था की धीमी प्रगति जैसे अनेक कारणों से नौवहन उद्योग गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहा है। भारी हानियाँ और नकद घाटा उठाने वाले इस उद्योग के पुनः स्थापन के लिए आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं।

20. नौवहन के लिए 1978-79 में 99 करोड़ रु० का आवंटन किया गया है जिसमें नौवहन विकास निधि समिति को ऋणों के लिए दिये गये 83 करोड़ रु० शामिल हैं। अतिरिक्त टन भार के 5.35 लाख सकल पंजीकृत टन भार प्राप्त करने का प्रस्ताव है जिसमें भारतीय जहाज यार्डों से 2 लाख सकल पंजीकृत टन भार शामिल है। विदेशों से जहाजों के अधिग्रहण की नई स्कीमों के अंतर्गत, विदेशों से टन भार अधिग्रहण करने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। अन्य कार्यक्रम, नाविकों के प्रशिक्षण, नाविकी के कल्याण तथा जहाज चलाने वाले उद्योग को ऋण देने से सम्बन्धित हैं।

अन्तर्देशीय जल परिवहन

21. वर्ष 1977-78 में, अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 2.49 करोड़ रु० और राज्य क्षेत्र में 1.56 रु० खर्च किए गए थे। 1978-79 के लिए, केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए 3 करोड़ रु० और राज्य क्षेत्र के लिए 1.39 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है। केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के पुराने जलपोतों के बदले नया बेड़ा प्राप्त करने, अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय द्वारा गंगा नदी पर नदी सेवाओं के संचालन करने तथा राजाबागान डाकयार्ड का विकास करने के लिए स्कीमें शुरू की गई थीं। नहरों, घाट सेवाओं के सुधार और जलपोतों की प्राप्ति से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए थे।

22. वर्ष 1978-79 में, कुंबरजुआ नहर (गोआ) के शीघ्र पूरे किए जाने के लिए, चम्पाकारा नहर और नींदाकारा—चेरीभेकाल जलमार्गों (केरल) के सुधार, महानदी (उड़ीसा) में नौवहन व्यवस्था में सुधार और घाट निर्माण तथा हावड़ा और कलकत्ता घाट सेवाओं के लिए जलयानों के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। जलपोतों की प्राप्ति, नहरों के सुधार तथा घाट सेवाओं से संबंधित विकास कार्यक्रम असम, केरल, कर्नाटक राज्यों और गोआ संघ राज्य क्षेत्र में जारी रहेंगे।

प्रकाश स्तम्भ

23. वर्ष 1977-78 में, प्रकाश स्तम्भों और प्रकाशपोतों पर 2.80 करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान है। लहारा पाइन्ट, काचीगढ़, कृष्णपपट्टणम हरे द्वीप, बेपोर में प्रकाश स्तम्भों तथा सूरतकल, अन्तरवेदी किल्टन द्वीप, परियार नदी और स्याओ जार्ज में रेडियो बीकन्स से सम्बन्धित स्कीमें पूरी हो चुकी है।

24. वर्ष 1978-79 के लिए, कारंभर, धंका पश्चिमी, अंबरगांव, पांडिचेरी, किलक्कराय में प्रकाश स्तम्भों तथा पांडिचेरी, मिनीकार और कार, निकोबार में रेडियो बीकन्सों के निर्माण सहित स्कीमों के लिए 2.75 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। सलैया अप तट तेल अंतस्थ परियोजना से सम्बद्ध सलैया डैक्का चेन तथा अन्य नौवहन सम्बन्धी सुविधाओं के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है।

नागर वायु परिवहन

25. वर्ष 1977-78 में नागर वायु परिवहन पर, एयर इंडिया के लिए 28.82 करोड़ रु० और इंडियन एयरलाइन्स के लिए 27.02 करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान है। एयर इंडिया ने छठा बोइंग विमान -747 फरवरी, 1978 में प्राप्त किया। तथापि, एक बी०-747 विमान जनवरी, 1978 में दुर्घटनाग्रस्त होकर नष्ट हो गया था। 1977-78 में दो और विमान प्राप्त करने के लिए आर्डर दिए गए थे। 1977-78 में इंडियन एयर लाइन्स ने 3 बोईंग-737 विमान प्राप्त किए ताकि वे जोरहाट, मंगलौर, भावनगर और पोर्ट ब्लेयर में जेट सेवाएं शुरू कर सकें। इंडियन एयरलाइन्स ने मालद्वीप गणतन्त्र के साथ, मालद्वीप इन्टरनेशनल एयरलाइन्स की ओर से विमान सेवा देने के लिए एक पांच वर्ष का करार किया जिससे कि माले-कोलंबो और त्रिवेन्द्रम को विमान सेवा के माध्यम से जोड़ा जा सके। एयर इंडिया के साथ भाड़ा करार के अन्तर्गत, जून, 1977 से वेट लीज के आधार पर खाड़ी के देशों को एयर बस विमान सेवाएं शुरू की गईं।

26. भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन प्राधिकरण ने, बंबई में कार्गो टर्मिनल की इमारत बनाने और यात्रियों की सुविधा के लिए पटरियां बनाने और पहुंच मार्गों के बनाने से सम्बन्धित, बम्बई हवाई अड्डे में हवाई पट्टी के विस्तार, कलकत्ता हवाई

अड्डे में वर्तमान हैंगर को कस्टम कार्गो क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए उसमें सुधार करने, दिल्ली हवाई अड्डे में वर्तमान यात्री सुविधा पटरियों का सुधार तथा जेट बे 18 का विस्तार करने तथा मद्रास हवाई अड्डे पर नए कार्गो परिसर के निर्माण से सम्बन्धित काम शुरू किए। नागर विमानन विभाग के अन्तर्गत 1977-78 में जो काम पूरे किए गए उनमें ये महत्वपूर्ण हैं—भोपाल में नए टर्मिनल भवन और तकनीकी परिसर का निर्माण, डबोलिम में यात्री सुविधा के लिए सड़क पट्टियों तथा टैक्सी-ट्रेक और नई नागर बस्ती का निर्माण, इम्फाल में नए टर्मिनल भवन का निर्माण. पुणे और कानपुर (चकेरी) में नई नागर बस्तियों के विकास और त्रिवेन्द्रम में हवाई पट्टी को बढ़ाया जाना। जोधपुर, जोरहाट और श्रीनगर में नई नागर बस्तियों के विकास, आगरा, अमृतसर, बंगलौर, कोयम्बूत्तर, और पटना में टर्मिनल भवनों के विस्तार से सम्बन्धित काम चल रहे थे।

27. वर्ष 1978-79 के लिए, 82.50 करोड़ रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है; एयर इंडिया के लिए 33.13 करोड़ रु० और इंडियन एयरलाइन्स के लिए 22.47 करोड़ रु०। एयर इण्डिया के लिए की गई धन की व्यवस्था का उपयोग, पहले प्राप्त किए गए विमानों की कीमतें चुकाने, बम्बई में केन्द्रीकृत मरम्मत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए, सांताक्रुज में दूसरे 747 हैंगर बनाने और भूमि उपकरण सहायता देने के लिए किया जाएगा। एयर इंडिया के कार्यक्रम के अन्तर्गत दो बोइंग 747 के प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जाएगे जिनके लिए 1977-78 में आर्डर दिए गए थे। इंडियन एयरलाइन्स को 2 और एयर बस विमान प्राप्त हो गए हैं जिससे अब एयर बस विमानों की संख्या 5 हो गई है। भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन प्राधिकरण, बम्बई के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय अन्तस्थ परिसर चरण—1 को पूरा किया जाएगा। नागर विमानन विभाग के कार्यक्रम के अन्तर्गत, रांची और विशाखापट्टनम में नई टर्मिनल इमारतों के निर्माण, बंगलौर तथा श्री नगर हवाई अड्डों की हवाई पट्टियों के विस्तार, उनको मजबूत और चौड़ा करने तथा वहां टैक्सी-ट्रेक बनाने और यात्री-सुविधा के लिए सड़क पट्टियां बनाने का काम तथा, तथा गौहाटी, हैदराबाद और त्रिवेन्द्रम को एयर बसों के उतरने-चढ़ने के लिए और उपयुक्त बनाने और भावनगर और जम्मू में बोइंग-747 के लिए हवाई पट्टी बनाने का काम शुरू किया जाएगा। सुरक्षा-उन्मुख उपकरणों की प्राप्ति तथा उनके लगाए जाने पर भी बल दिया गया है।

पर्यटन

28. वर्ष 1978-79 के लिए, विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए 18.62 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। पाकिस्तान और बंगला देश की राष्ट्रीयता वाले नागरिकों को छोड़कर, 1977 में देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 6.41 लाख थी। वर्ष के अन्त तक, 17,362 होटल के कमरे थे और नई होटल परियोजना के पूरी हो जाने पर वर्तमान होटल क्षमता में 5689 कमरों की वृद्धि हो जाने का अनुमान है।

29. वर्ष 1977-78 में पर्यटन विभाग के कुछ मुख्य कार्यकलाप इनसे सम्बन्धित थे—कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ, राजगीर नालंदा और कोणार्क स्थित पर्यटकों की रुचि के पुरातत्व स्मारकोंको दर्शनीय बनाने के लिए मास्टर योजना का पूरा किया जाना, अजंता की गुफाओं के आधार भाग क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर योजना का अनुमोदन, मंत्रालयम् और वारंगल में पर्यटक बंगलोंका, त्रिवेन्द्रम में युवा छात्रावासों का और जलदापारा, काजीरंगा, और सासरगीर में जंगली क्षेत्रों में वासस्थानों का बनायान्जाना, खजुराहो, अमृतसर, पुष्कर और पणजी में शिविर लगाने के लिए स्थानों की व्यवस्था करने और निजी क्षेत्र के अन्तर्गत होटलों के बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्था।

30. वर्ष 1978-79 में, सामान्य आय वाले पर्यटकों के लिए साफ-सुथरी और सस्ती रहने की नीति के कार्यान्वित के उद्देश्य से नई दिल्ली में एक 'जनता होटल' बनाने का विचार है। राज्य सरकारों को भी यह सलाह दी गई कि वे अपने क्षेत्र में स्थित धर्मशालाओं का, उनमें सुधार करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण कराएं।

भारतीय पर्यटन विकास निगम

31. लोधी और रणजीत होटलों को बढ़ाकर 3 स्टार होटलों में परिवर्तन करने, अशोक, अकबर और जनपथ होटलों का सुधार करने और कुतुब होटल के विस्तार करने मे संबंधित स्कीमों को 1977-78 में पूरा किया था। जयपुर में स्वागत केन्द्र व होटल के निर्माण, भुवनेश्वर में यात्रियों के लिए वासस्थान का विस्तार करने, चण्डीगढ़ और गौहाटी में होटलों के निर्माण तथा होटलों के विस्तार करने से संबंधित काम 1978-79 में जारी रहेंगे।

संचार

32. वर्ष1977-78 में, केन्द्रीय क्षेत्र में संचार कार्यक्रम पर 307.22 करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान है जिसमें भारतीय डाक-तार विभाग के लिए 290 करोड़ रु० और विदेश संचार सेवाओं, भारतीय टेलीफोन उद्योग, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्ज, प्रबंधन संगठनों जैसे अन्य संचार-संगठनों के लिए 17 करोड़ रु० शामिल हैं।

33. वर्ष1977-78 में, 1.6 लाख टेलीफोन (सीधी एक्सचेंज लाइनें) और लगाए गए जिनसे कुल संख्या बढ़कर 17.74 लाख हो गई। इसके अलावा, इस वर्ष 3297 डाकघर और 2300 तारघर खोले गए तथा लम्बी दूरी वाले 2000 सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गए। 1977-78 में, भारतीय टेलीफोन

उद्योग ने 4.86 लाख टेलीफोन के उपकरण तैयार किए और क्रास बार स्विचिंग उपकरण (पी० एण्ड टी० के समान) की 70,000 लाइनें तैयार कीं। इसी अवधि में, हिन्दुस्तान टेली-प्रिंटर्स लिमिटेड ने टेलीप्रिंटर्स की 7000 इकाइयाँ और 500 बिजलीचालित टाइपराइटर्स तैयार किए। विदेश संचार सेवा विभाग का बंबई में एक गेटवे टेलेक्स एक्सचेंज (एस० पी० सी०) स्थापित किया गया जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा के अधीन 27 देशों को आटोमैटिक सब्सक्राइबर डायलिंग की सेवा शुरू की जा सकी। बंबई और नई दिल्ली से लंदन की अंतर्राष्ट्रीय टेली-फोन सब्सक्राइबर डायलिंग (आई० एस० डी०) सुविधा को पूरे इंग्लैंड के लिए रात-दिन की सेवा के रूप में बढ़ाया गया। इस वर्ष भारत-सोवियत संघ ट्रोपो-स्केटर संचार संपर्क की स्थापना के लिए सोवियत संघ सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

34. वर्ष 1978-79 के लिए, डाक-तार विभाग के लिए 326.00 करोड़ रु० और अन्य संचार संगठनों के लिए 29.00 करोड़ रु० सहित संचार के लिए 355.10 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। अब 5000 नए डाकघरों को खोलने और 600 वर्तमान डाकघरों को उन्नत करके बढ़ाने, 2300 तारघर खोलने तथा 1.92 लाख टेलीफोन (सीधी एक्सचेंज लाइन) लगाने का प्रस्ताव है।

35. वर्ष 1978-79 में, भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा टेलीफोन उपकरणों का उत्पादन बढ़ाकर 5.81 लाख कर देने का प्रस्ताव है। देश में स्विचिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड में उपयोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप टेलीप्रिंटरों का निर्माण किया जाएगा जिससे कि उनकी माँग को पूरा किया जा सके। 1978-79 में इस कंपनी द्वारा लगभग 1000 बिजलीचालित टाइपराइटरों के निर्माण करने का अनुमान है।

36. यह निर्णय किया गया है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्रवर्तीय उपग्रह संगठन की समझौते की शर्तों और संचालन संबंधी बातों को मानकर इसमें शामिल हो जाना चाहिए। यह संगठन पूरी दुनिया में समुद्रीय उपग्रह प्रणाली का संचालन और प्रबंध करेगा जिससे न केवल उपग्रह के माध्यम से समुद्रीय संचार सेवा की विश्वसनीयता, किस्म और गति में सुधार होगा बल्कि ऐसी नई सेवाएं भी शुरू हो सकेंगी जो इस समय वर्तमान एच० एफ० सुविधाओं के जरिए संभव नहीं हैं।

इंटैलसैट और इंसैट

37. **इंटैलसैट के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में संचार** : इसका उद्देश्य इंटैलसैट से ट्रांसपोंडर का चौथाई भाग देकर के उपग्रह के माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विश्वसनीय संचार सुविधाएं उपलब्ध कराना हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दो मुख्य भू उपग्रह केन्द्र—एक दिल्ली में और दूसरा मद्रास में, तथा 5 छोटे भू-उपग्रह केन्द्र—एक-एक पोर्टब्लेयर, निकोबार द्वीपसमूह, कवरत्ती द्वीपसमूह में और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एक केन्द्र की स्थापना की संकल्पना है।

38. एक बहु-उद्देश्यीय भारत राष्ट्रीय उपग्रह की स्थापना की परिकल्पना है जो दूर संचार, दूरदर्शन और मौसम विज्ञान संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। अंतरिक्ष खंडों में इस दूर संचार उपकरण में प्रत्येक उपग्रह पर 12 दूर संचार ट्रांसपोंडर लगे होंगे जिनमें 6,000 से 8,000 दोहरी लम्बी दूरी के टेली-फोन परिपथों की संप्रेषण क्षमता होगी। इस उपग्रह के 1980-81 में प्रसारण शुरू कर देने का अनुमान है।

ध्वनि प्रसारण और टेलीविजन

39. वर्ष 1977-78 में ध्वनि प्रसारण (रेडियो) और टेली-विजन पर 18.32 करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान है। इस वर्ष बीकानेर, रामपुर, उदयपुर, कटक और बंगलौर में स्थायी स्टूडियो (रेडियो स्टेशन) स्थापित किए गए। नजीबाबाद और रीवा में अन्तरिम स्टूडियो सहित क्रमशः 100 कि० वा० और 20 कि० वा० मीडियम वेव के ट्रांसमीटर लगाए गए। विशाखा-पट्टनम में एक अंतरिम स्टूडियो स्थापित किया गया। मद्रास में फ्रीक्वैंसी मोडुलेटेड सेवा शुरू की गई।

40. साइट सातत्य कार्यक्रम के अन्तर्गत रायपुर, गुलबर्गा और हैदराबाद में प्रतिसारण करने के ट्रांसमीटर लगाए गए। मसूरी में भी प्रतिसारण ट्रांसमीटर लगाया गया। संबलपुर, मुजफ्फरपुर और कानपुर में प्रतिसारण ट्रांसफार्मर लगाने, कलकत्ता और लखनऊ में दूरदर्शन-मस्तूल (टावर) लगाने और जालंधर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने से संबंधित काम चल रहा था। अमृतसर में एक दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित किया गया।

41. वर्ष1978-79 के लिए 21 12 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसमें ध्वनि प्रसारण के लिए 11.35 करोड़ रु०, दूरदर्शन के लिए 9.36 करोड़ रु० तथा विज्ञान और शिल्पविज्ञान स्कीमों के लिए 0.41 करोड़ रु० के परिव्यय शामिल हैं। मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ (कानपुर में प्रतिसारण केन्द्र सहित) और जालंधर (अमृतसर और कसौली में प्रतिसारण केन्द्र सहित) में दूरदर्शन केन्द्रों के लिए निर्माण कार्य जारी रहेगा।

मौसम विज्ञान

42. भारत मौसम विभाग ने अपने वेधशालाओं की तंत्र व्यवस्था के जरिए किसानों, मछियारों, विमानन, नौवहन और रक्षा जैसे अपने उपयोक्ताओं के हितों की पूर्ति मौसम वैज्ञानिक

सेवाओं के माध्यम से करता रहा। मोनेक्स 1979 के लिए वर्धन के रूप में; 1977 की अवधि के कार्यकलापों में मानसून 77 नामक मानसून परीक्षण शामिल है जो विदेशी वैज्ञानिकों के सहयोग से मई-अगस्त, 1977 में सफलतापूर्वक किया गया।

43. वर्ष1978-79 के लिए 15.76 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

अन्य बातों के अलावा, मद्रास हवाई अड्डे को मौसम वैज्ञानिक उपकरणों से युक्त करने, गोआ में एक प्रायोगिक बालकोन वेधशाला को उन्नत करने और चक्रवात की चेतावनी देने वाले एक रडार की स्थापना करने का प्रस्ताव है। मोनेक्स कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिसके लिए 1.72 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है, 1978 में किए जाने वाले मानसून परीक्षणों के लिए तैयारी की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इनसैट)-1 को 1981 में अन्तरिक्ष में छोड़ने की दिशा में और कार्रवाई की जाएगी। इस उपग्रह के छोड़े जाने से दूरसंचार, मौसम विज्ञान और दूरदर्शन प्रसारण के क्षेत्र में सेवाएं मिल सकेंगी, जिसमें अति उच्च विभेदन विकिरणमापी और आंकड़ा संचयन परिवहन शामिल हैं। वर्तमान स्वचालित चित्र प्रेषण केंद्रों में दिन-रात प्रसारण ग्रहण करने के लिए योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। ये सुविधाएं मौसम विज्ञान सम्बन्धी सूचनाएं देने और विपत्ति की चेतावनी देने से सम्बन्धित सेवाओं के लिए उपयोग में लाई जाएंगी।

अध्याय 13

शिक्षा

1977-78 में हुई प्रगति की समीक्षा

वित्तीय परिव्यय : 1977-78 की वार्षिक योजना में 310 करोड़ रु० की व्यवस्था अनुमोदित की गई थी, जिसमें 263 करोड़ रु० सामान्य शिक्षा के लिए, 11 करोड़ रु० कला और संस्कृति के लिए और 36 करोड़ रु० तकनीकी शिक्षा के लिए थे। उसके मुकाबले 324 करोड़ रु० का व्यय प्रत्याशित है, इसमें वृद्धि मुख्य रूप से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं में 'सामान्य शिक्षा' के उप-क्षेत्र के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा पर है। अनुलग्नक 13.1 में शिक्षा के विभिन्न उप-क्षेत्रों के अनुसार ब्यौरा दिया गया है :

सारणी 1
व्यय की प्रगति, 1977-78

(करोड़ रु०)

क्षेत्र	योजना			प्रत्याशित		
	केन्द्र	राज्य	जोड़	केन्द्र	राज्य	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
सामान्य शिक्षा	63.09	200.13	263.22	63.15	213.94	277.09
कला और संस्कृति	5.84	4.93	10.77	5.74	5.20	10.94
तकनीकी शिक्षा	13.59	13.37	35.96	23.82	12.53	36.35
जोड़-शिक्षा	**91.52**	**218.43**	**309.95**	**92.71**	**231.67**	**324.38**

2. **वास्तविक उपलब्धि** : पांचवीं योजना में प्राथमिक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। 900 लाख बच्चों के—715 लाख कक्षा 1-4 में और 185 लाख कक्षा 6-8 में नामांकन के लक्ष्य के मुकाबले, 1977-78 में 892 लाख बच्चों का—उपर्युक्त दो कक्षा समूहों में क्रमश: 710 लाख और 182 लाख नामांकन किया गया। प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में कमी रही है। कक्षा 6-8 में उनके नामांकन के संबंध में इसमें 60.12 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 60.44 लाख संख्या के प्राप्त होने की संभावना है। इसका आंशिक कारण, विशेष रूप सेपरिवार कल्याण स्कीम के संवर्धन के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के जरिए लड़कियों की शिक्षा लिए दिए जाने वाला प्रोत्साहन है। अनुलग्नक 13.2 में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग लक्ष्य और उपलब्धि का ब्यौरा दिया गया है।

3. वर्ष 1977-78 के अंत में प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं के अंतर्गत 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों का 69% भाग आ जाता है, जैसा कि सारिणी 2 में दिखाया गया है।

सारणी 2 : संबंधित आयु वर्ग में बच्चों की संख्या के प्रतिशत के रूप में, 1977-78 में प्राथमिक शिक्षा में विद्यार्थियों का नामांकन

(प्रतिशत)

आयु-वर्ग/कक्षाएं	लड़के	लड़कियां	जोड़
6-10/1-4	101	68	**85**
11-14/6-8	51	27	**40**
6-14/1-8	83	54	69

4. पांचवीं योजना में सम्मिलित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करके शिक्षा आयोग द्वारा सिफारिश किए गए नए संरचनात्मक स्वरूप को अपनाना। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने 10+2 प्रणाली को अपना लिया है और उनमें से 26 इसे कार्यान्वित कर चुके है। असम, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और त्रिपुरा के चुने हुए 50 जिलों में व्यावसायिक सर्वेक्षण करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने के हेतु 1977-78 में व्यावसायीकरण की एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत कर्नाटक के 3 जिलों में और सिक्किम के एक जिले में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था।

5. विद्यालयीन शिक्षा में विज्ञान के शिक्षण के पुनर्गठन और विस्तार के यूनिसेफ से सहायता प्राप्त कार्यक्रम को, मुख्य रूप से विज्ञान के किट की पूर्ति और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जारी रखा गया। पोषाहार, स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरणीय स्वच्छता से संबंधित एक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किया गया था। विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम के भाग के रूप में प्राथमिक स्कूल में उपयोग के लिए इन विषयों के संबंध में पाठ्यचर्या संदर्शिकाएं, शिक्षण सामग्री और अध्यापन के साधन तैयार करने के लिए पांच क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए।

6. विश्वविद्यालयों और कालेजों में उच्च शिक्षा के लिए पूर्णकालिक नामांकन में वृद्धि दर में बराबर कमी की प्रवृत्ति दिखाई दी है—1969-70 में नामांकन की वृद्धि दर 14 प्रतिशत थी जो कम होकर 1975-76 में 2.5 प्रतिशत हो गई और 1976-77 में 0.2 प्रतिशत हो गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पाठ्यक्रमों की पुनः संरचना करने सुधारात्मक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने और उनकी वास्तविक सुविधाओं के सामान्य विकास के लिए वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में लगभग 800 कालेजों के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। आयोग ने इस बात के लिए भी सहमति दी कि हरेक जिले में एक या दो कालेजों को विशेष रूप से सामाजिक दृष्टि से अल्प-सुविधा-प्राप्त वर्गों के लाभ के लिए अच्छे कार्यक्रम शुरू करने के लिए निर्धारित किया जाएगा। इस वर्ष 122 कालेज इस प्रयोजन के लिए चुने गए हैं। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, समेकन और गुणात्मक सुधार, शक्ति के विकास और स्नातकोत्तर इंजीनियरी अध्ययन और अनुसंधान पर जोर दिया जाता रहा।

1978-79 की वार्षिक योजना

7. **नई प्राथमिकताएं** : 1978-83 की पंच-वर्षीय योजना में शिक्षा के क्षेत्र में नए कार्य और प्राथमिकताएं इन बातों से संबंधित हैं प्राथमिक शिक्षा के सर्वीकरण और प्रौढ़ निरक्षरता का उन्मूलन, शिक्षा को अधिक संगत और रोजगारोन्मुख बनाने की दृष्टि से शिक्षा का व्यावसायीकरण और तकनीकी शिक्षा का पुनर्गठन।

8. वर्ष 1978-79 की वार्षिक योजना में 410 करोड़ रु० के अनुमोदित परिव्यय में 150 करोड़ रु० की व्यवस्था से प्राथमिक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो परिव्यय 1977-78 में 4 करोड़ रु० था उसे बढ़ाकर 13 करोड़ रु० कर दिया गया है। इन दो कार्यक्रमों की परिशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में समाविष्ट कर दिया गया है। सारणी 3 में 1978-79 की वार्षिक योजना में विभिन्न उप-क्षेत्रों के अनुसार धनराशि की व्यवस्था बताई गई है और पांचवी योजना (1974-78) के 4 वर्षों में हुए व्यय (प्रत्याशित) की तुलना दी गई है।

सारणी 3
शिक्षा के लिऐ परिव्यय—
वार्षिक योजना 1978-79

(करोड़ रु०)

उप-शीर्ष	प्रत्याशित व्यय 1974-78	वार्षिक योजना परिव्यय 1978-79
प्राथमिक शिक्षा	303	150
	(33)	(37)
प्रौढ़ शिक्षा	9	13
	(1)	(3)
माध्यमिक शिक्षा	155	80
	(17)	(20)
विश्वविद्यालयीन शिक्षा	205	71
	(22)	(17)
अन्य कार्यक्रम	105	36
	(12)	(9)
उप-जोड़ : सामान्य शिक्षा	777	350
	(85)	(85)
कला और संस्कृति	27	14
	(3)	(3)
तकनीकी शिक्षा	108	46
	(12)	(11)
जोड़ : शिक्षा	**912**	**410**
	(100)	**(100)**

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े शिक्षा के लिए कुल परिव्यय के प्रतिशत के द्योतक हैं)

9. **प्राथमिक शिक्षा** : 1978-83 की योजना के प्रारूप में यह परिकल्पना की गई है कि 1978-83 की अवधि में लगभग 320 लाख अतिरिक्त बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जायेगी जिससे कि इस योजना के अंत में, अर्थात् 1982-83 में 6-14 वर्ष की आयु-वर्ग के लगभग 90 प्रतिशत बच्चों के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, जबकि 1977-78 में यह संख्या 69 प्रतिशत की थी। इसके लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की स्थानीय दशाओं के अनुरूप उपयुक्त कार्यनीतियां तैयार करने और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मास्टर योजनाएं तैयार करने की जरूरत होगी। अनौपचारिक शिक्षा के स्वरूप में एक प्रमुख परिवर्तन की परिकल्पना की गई है, इसलिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम इस योजना में शामिल की गई है, जिससे कि जिला/खंड स्तरों पर सावधानीपूर्वक आरंभिक कार्रवाई की जा सके। इस प्रकार 1978-79 की वार्षिक योजना व्यापक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को शुरू करने के लिए आरंभिक वर्ष है। तथापि नामांकन के स्तर में 38 लाख की वृद्धि करने का प्रस्ताव है जिससे कि 6-14 वर्ष के आयु-वर्ग में जनसंख्या के 70 प्रतिशत को, प्राथमिक स्तर में 87 प्रतिशत को और मिडिल स्तर में 41 प्रतिशत को इसके अंतर्गत ले आया जाए। अनुलग्नक13.3 में प्रस्तावित वास्तविक लक्ष्यों का ब्यौरा दिया गया है।

10. **प्रौढ़ शिक्षा** : प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में भी, 1978-79 की वार्षिक योजना को अग्रिम आरंभिक कार्रवाई की अवधि के रूप में माना गया है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसका उद्देश्य होगा 1978-83 की अवधि में 15-35 वर्ष के आयु-वर्ग के 650 लाख प्रौढ़ों को साक्षर बनाना और उसके बाद अगले वर्ष में और 350 लाख प्रौढ़ो को साक्षर बनाना। 1978-79 में 15 लाख का लक्ष्य रखा गया है। समूह-विशिष्ट और क्षेत्र विशिष्ट स्कीमें तैयार की जाएंगी जिनमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और अन्य कमजोर वर्गों पर विशेष बल दिया जाएगा। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए, जो 2 अक्तूबर, 1978 को शुरू किया जाना है, क्षेत्र स्तर पर प्रशासनिक और पर्यवेक्षण व्यवस्था की, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय की 1978-79 की वार्षिक योजना में सम्मिलित एक विशेष स्कीम के अंतर्गत बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में, प्रौढ़ शिक्षा को सरकार के भीतर के और बाहर के विभिन्न अभिकरणों के विकासात्मक कार्यकलापों के साथ समन्वित करने का उद्देश्य है। उसमें जन संचार साधनों और माध्यमों, स्वैच्छिक अभिकरणों तथा युवकों, शिक्षकों कामगारों के संगठनों सहित सभी राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। 1978-79 की वार्षिक योजना में इन विभिन्न अभिकरणों और समूहों के बीच आवश्यक संबद्धताएं स्थापित करने के अलावा, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए मूल कार्मिकों के निर्धारण, अभप्रेरण और प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है।

11. **अन्य उप क्षेत्र** : पांचवी योजना के पिछले वर्षों में शुरू किए गए कार्यकलापों को जारी रखने के लिए 1978-79 की वार्षिक योजना में धनराशि की व्यवस्था की गई है। माध्यमिक शिक्षा में, संरचनात्मक व्यावसायीकरण के कार्यक्रमों की जारी रखा जाएगा : प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, और विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा के स्तरों के अनुरूप शिक्षा की पुनः संरचना करने की परिकल्पना की जा रही है। कोई नए विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थाएं शामिल नहीं की गई हैं। तकनीकी शिक्षा में वर्तमान संस्थाओं में सुविधाओं के समेकन और चल रहे कार्यक्रमों के स्तर में सुधार पर बल दिया जाता रहेगा। सामान्य उच्च शिक्षा में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित विकास कार्यक्रमों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है जिससे कि राज्य सरकारें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता का अधिकतम लाभ उठा सकें।

अध्याय 14

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

1. स्वास्थ्य

1977-78 में हुई प्रगति की समीक्षा

1. वर्ष 1977 में स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर 185 करोड़ रु० के अनुमोदित परिव्यय के मुकाबले लगभग 199 करोड़ रु० व्यय किए जाने की संभावना है। अनुमोदित परिव्यय से व्यय में 14 करोड़ रु० का आधिक्य है 13 करोड़ रु० केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रम तथा 1 करोड़ रु० राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यक्रमों के अंतर्गत। यह वृद्धि अधिकांशत: 2 अक्तूबर, 1977 को शुरू की गई मलेरिया नियंत्रण, अन्धापन रोकने और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा (सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) स्कीमों और चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान, अस्पताल और औषधालय तथा देशी चिकित्सा पद्धति से संबंधित स्कीमों के कारण हुई है।

2. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपकेन्द्रों और ग्रामीण अस्पतालों की स्थापना करने के अतिरिक्त, 1977-78 में सामुदायिक सेवा कार्यकर्ता तथा चिकित्सा शिक्षा के पुन: अभिविन्यास की दो नई स्कीमें इस उद्देश्य से शुरू की गईं ताकि कार्यक्रमों में सामुदायिक सहभागिता के सिद्धांत के आधार पर चिकित्सा और स्वास्थ्य की देखभाल की आधारभूत सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार किया जा सके।

3. संक्रामक रोगों के निर्माण/उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत, 1977-78 में मलेरिया पर नियंत्रण के लिए एक परिशोधन प्रचालन योजना आरम्भ की गई। चेचक का प्राथमिक और पुन: टीका लगाने का कार्यक्रम पूरे जोर से कार्यान्वित किया गया ताकि पहले प्राप्त शून्य सूचकांक को कायम रखा जा सके।

फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तीन ग्रामीण फाइलेरिया योजनाएं आरंभ करने के अलावा, 6 अतिरिक्त फाइलेरिया नियन्त्रण इकाइयों, पांच सर्वेक्षण इकाइयों और 16 फाइलेरिया चिकित्सालयों की स्थापना की गई। दृष्टि दोष की रोकथाम और अन्धापन (नियंत्रण समेत) के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 चलती-फिरती इकाइयां स्थापित की गईं ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए व्यापक क्षेत्र स्वास्थ्य देख भाल की व्यवस्था की जा सके। 700 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 100 जिला अस्पतालों को बढ़ाने के लिए तथा उनमें आवश्यक नेत्र चिकित्सा उपस्कर उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित किया गया था। आठ चिकित्सा उपस्कर कालेजों तथा नेत्र विज्ञान के छ: क्षेत्रीय संस्थानों को उपस्कर के रूप में सहायता देने तथा विकास उन्नयन के लिए निर्धारित किया गया ताकि एकीकृत कार्यनीति के जरिए लोगों को अधिक सक्षम सामुदायिक नेत्र चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। रोहे नियंत्रण कार्यक्रम का विस्तार होने से, विभिन्न राज्यों में नेत्र रोगों से पीड़ित कुल जनसंख्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आ गई है।

4. देश में मेडिकल कालेजों की संख्या 106 है जिनमें प्रतिवर्ष लगभग 13,000 छात्र प्रवेश पाते हैं। चिकित्सा शिक्षा की सुविधाएं देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त समझी गई हैं, इसलिए 1977-78 में कोई नया मेडिकल कालेज स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं था। चिकित्सा शिक्षा का इस दृष्टि से पुन: अभिविन्यास सुनिश्चित करने के लिए कि यह ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए संगत तथा उपयुक्त बन सके, 1977-78 में प्रायोगिक आधार पर एक स्कीम शुरू की गई जिसका अन्तत: उद्देश्य देश के प्रत्येक मेडिकल कालेज को उससे संबद्ध तीन सामुदायिक विकास खण्डों में स्वास्थ्य की देखभाल की निरोधक, प्रोत्साहक और उपचारी जिम्मेदारी सौंपना था। अनुसंधान के क्षेत्र में, जिसका संचालन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है, मलेरिया, हैजा, क्षय रोग, फाइलेरिया, कुष्ठ रोग आदि जैसे क्षेत्र में और राष्ट्रीय स्वास्थ्य महत्त्व के अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में परियद् द्वारा नितान्त आवश्यक अनुसंधान स्कीमों को 1977-78 में जारी रखा गया। जारी 231 अनुसंधान स्कीमों के अलावा, 1977-78 में 93 नई स्कीमें स्वीकृत की गईं।

5. देश के विभिन्न भागों में चिकित्सा की देशी पद्धति की आवश्यकताओं और मांगों को ध्यान में रखते हुए तथा देश में स्वास्थ्य के देखभाल की सुविधाओं को बढ़ाने और उनकी पूर्ति

करने की दृष्टि से, देशी चिकित्सा पद्धति के विकास पर बल दिया गया। देशी चिकित्सा पद्धति की वर्तमान स्नातकोत्तर प्रशिक्षण स्कीमों के अलावा, राष्ट्रीय होम्योपेथी संस्थान द्वारा होम्योपैथी के दो वर्ष की अवधि का एक उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया।

6. वर्ष 1978-79 के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों सहित 1977-78 में विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में वास्तविक लक्ष्यों और संभावित उपलब्धियों को अनुलग्नक 14.1 में दिखाया गया है।

1978-79 के लिए योजना

7. वर्ष 1978-79 की वार्षिक योजना में, 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में परिकल्पित नीतियों और कार्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए उपाय किए गए हैं। 1978-79 की वार्षिक योजना के लिए प्रस्तावित परिव्यय में, 1977-78 के लिए 184.93 करोड़ रु० के योजना परिव्यय से लगभग 52 प्रतिशत वृद्धि दिखाई देती है। इसके अभिकरणवार आंकड़े नीचे दिये गये है :

(करोड़ रु०)

स्कीम	योजना परिव्यय	
	1977-78	1778-79
1. केन्द्रीय	16.47	21.98
2. केन्द्रीय प्रायोजित	66.67	124.50
3. राज्य	91.06	122.35
4. संघ राज्य क्षेत्र	10.73	12.70
जोड़ :	**184.93**	**281.53**

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय क्षेत्र दोनों के संबंध में स्कीम/कार्यक्रमवार परिव्यय अनुलग्नक 14.2 से 14.4 में दिखाये गये हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अनुमोदित परिव्यय अनुलग्नक 14.5 में दिये गये हैं।

ग्रामीण स्वास्थ्य—परिशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

8. वर्ष 1978-79 में निम्नलिखित ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए 71.29 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(1) **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपकेन्द्रों आदि की स्थापना** : 1978-79 की वार्षिक योजना में इस कार्यक्रम के लिए 39.72 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। औषधालयों के भवनों, कर्मचारियों के क्वार्टरों और उपकेन्द्रों के निर्माण-कार्यों के बकाया भाग को पूरा करने के अलावा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 36 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1817 उप केन्द्र और 97 ग्रामीण अस्पताल खोले जाने का अनुमान है।

(2) **बहु-उद्देश्यीय कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण और रोजगार:** इस जारी स्कीम के लिए 509.15 लाख रु० की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत फाइलेरिया, मलेरिया, चेचक, क्षयरोग आदि से संबंधित केवल एक-उद्देश्य वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ता बहु-उद्देश्यीय कार्यकर्ताओं के रूप में प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। 80 जिलों में से 28 जिलों में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो चुका है, जिनसें 1978-79 में इस कार्यक्रम को और बढ़ाया जाएगा जिससे कि 1981-82 के अन्त तक इस कार्यक्रम का पूरे देश में विस्तार किया जा सके।

(3) **सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्कीम** : स्वास्थ्य रक्षा कार्यकलापों में सामुदायिक सहभागिता के जरिए ग्रामीण जनसंख्या की स्वास्थ्य रक्षा की आवश्यकता की ओर विशेष ध्यान दिए जाने के उद्देश्य से देश के चुने गए 741 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकताओं के प्रशिक्षण की एक स्कीम 2 अक्तूबर, 1977 को शुरू की गई जिनमें वे सभी 28 जिले, जिनमें बहु-उद्देश्यीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो चुका है, और इसके अलावा बाकी बचे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के हर जिले में से एक-एक चुने गए प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र शामिल हैं।

एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य और स्वच्छता, सामान्य बीमारियों के उपचार आदि की आधारभूत बातों के संबंध में 3 माह की अवधि तक प्रशिक्षित किया जाता है; उसे 1000 लोगों की आबादी वाले हरेक गांव या समाज को इन ऊपर बताए क्षेत्रों में मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं और उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को समाज की स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले पहले व्यक्ति के रूप में काम करना होता है, जो काम वह बहु-उद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सीधे मार्ग निर्देशन में करता है। उसे अपने रक्षा क्षेत्र में लोकप्रिय दवाइयों की परम्परागत प्रणालियों और स्वास्थ्य रक्षा के लिए यौगिक क्रियाओं के संबंध में प्रशिक्षित किया जाता है।

ऐसा अनुमान है कि 1977-78 में, 31360 सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पा चुके होंगे। स्कीम का जो वर्तमान चरण मार्च, 1979 तक चलेगा उसमें 90,000 सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जो बाद में लगभग 80,000 गांवों में

लगभग 9 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। 1978-79 के लिए इस स्कीम के लिए 21.60 करोड़ रु० के पव्यिय की व्यवस्था की गई है, जबकि इसके लिए 1977-78 के बजट में 4.26 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया था।

(4) चिकित्सा शिक्षा का पुनः अभिविन्यास

चिकित्सा शिक्षा और सहायक जनशक्ति से संबंधित दल की सिफारिशों के अनुसरण में, "चिकित्सा शिक्षा का पुनः अभिविन्यास" नामक एक व्यापक स्कीम, जिससे मेडिकल कालेज अपने आसपास के चुने गए सामुदायिक विकास खंडों में चिकित्सा सहयता और स्वास्थ्य रक्षा की व्यवस्था करने के लिए सम्बद्ध थे, सीमित आधार पर 25 मेडिकल कालेजों में शुरू की गई थी, लेकिन 1977-78 में यह स्कीम केवल 7 मेडिकल कालेजों में ही शुरू की जा सकी।

1978-79 में, बाकी बचे मेडिकल कालेजों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए 4.88 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जबकि इसके लिए 1977-78 के बजट में 0.75 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी।

संक्रामक रोगों पर नियंत्रण

9. मलेरिया, कुष्ठ रोग, चेचक जैसे संक्रामक रोगों के नियंत्रण/उन्मूलन, अन्वेषण आदि की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्कीम में सम्मिलित की गई रोहा नियंत्रण की स्कीमें अनुमोदित पद्धतियों के आधार पर तेजी से चलाई जा रही हैं। राज्यों को, चेचक का एक भी मामला न होने देने के पहले प्राप्त किए गए लक्ष्य को बनाए रखने और कुष्ठ रोग के नियंत्रण के लिए अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती रहेगी। मलेरिया के नियंत्रण के लिए परिशोधित योजना में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी प्रचालनात्मक लागत को कुछ सीमा तक स्वयं वहन किए जाने की परिकल्पना की गई है, जबकि काफी मात्रा में धन की सहायता केंद्रीय सरकार द्वारा दी जाएगी।

1978-79 में इस कार्यक्रम के लिए कुल 101.70 करोड़ रु० आवंटित किया गया है — केंद्रीय क्षेत्र में 92.57 करोड़ रु० और राज्य योजनाओं के क्षेत्र में 9.13 करोड़ रु०।

मलेरिया

10. मलेरिया के नियंत्रण के लिए 1977-78 में आरंभ की गई परिशोधित योजना 1978-79 जारी रखी जाएगी, जिसके अंतर्गत राज्यों को उपयुक्त किस्म के कीटनाशी और मलेरिया निरोधी सामग्री पर्याप्त मात्रा में दी गई थी। बिहार राज्य को काला अजर के नियंत्रण के लिए, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए योजना में निर्धारित की गई धनराशि में से विशेष केंन्द्रीय सहायता दी गई थी।

शहरी मलेरिया कार्यक्रम के अंतर्गत, इसमें अब तक 66 कस्बे शामिल किए जा चुके हैं। 1978-79 में इस कार्यक्रम को 35 और कस्बों में बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

सूत्र कृमि नियंत्रण

11. पांचवीं योजना के अंत में, अनुमानित सूत्र कृमि से प्रभावित 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 152 सूत्र कृमि नियंत्रण इकाइयाँ, जो लगभग 230 लाख शहरी जनसंख्या को सुरक्षा प्रदान करती हैं, 22 सूत्र कृमि सर्वेक्षण इकाइयां और 25 सूत्र कृमि चिकित्सालय काम कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में सूत्र कृमि के नियंत्रण के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के 3 चुने हुए जिलों में शुरू की गई हैं जिनमें लगभग 50 लाख की कुल जनसंख्या शामिल है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के विस्तार करने पर विचार प्रायोगिक परियोजनाओं के परिणामों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

कुष्ठ रोग

12. कुष्ठ रोगों के अनुमानित 42 लाख मामलों में से अब तक लगभग 23 लाख मामलों का उपचार किया गया है। देश में कुष्ठ रोगों का पता लगाने और उपचार करने के लिए व्यवस्था तंत्र में ये सम्मिलित हैं :— कुष्ठ रोग नियंत्रण इकाइयां, पहले से चल रहे कुष्ठ रोग केंद्रों का उन्नयन, सर्वेक्षण शिक्षा और उपचार केंद्र, शहरी कुष्ठ रोग केंद्र, पुनः रचनात्मक सर्जरी केंद्रों और अस्थाई रूप में अस्पतालों के बाड़ों में प्रशिक्षण केंद्र आदि। पांचवी योजना में शुरू की गई इकाइयों की स्थापना के काम को पूरा करने और वर्तमान इकाइयों और केंद्रों में अच्छे पर्यवेक्षण, नई दवाइयों के उपयोग और महामारी संबंधी निगरानी के जरिए वर्तमान इकाइयों में काम को बढ़ावा दिए जाने का प्रस्ताव है। सहायता की सरल बनाई गई पद्धतियों के जरिए अधिक से अधिक स्वैच्छिक संस्थानों को इस कार्यक्रम से संबंद्ध करने का प्रस्ताव है।

कुष्ठ रोग से संबंधित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कुष्ठ रोग से संबंधित विभिन्न समस्याओं के अनुसंधान जारी रहेंगे और बीमारी की रोकथाम के लिए अनुसंधान के परिणामों के उपयोग के लिए क्षेत्रीय अध्ययनों की बढ़ावा दिया जाएगा।

चेचक

13. क्षेत्र अध्ययन और भ्रमण करने तथा प्रलेखों की जांच करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन आयोग ने दिनांक 23

अप्रैल, 1977 को यह प्रमाणित कर दिया कि भारत में चेचक का उन्मूलन हो गया है। 25 मई, 1975 को सबसे बाद में ज्ञात हुए चेचक के मामले के बाद चेचक के किसी भी मामले के होने की सूचना नहीं मिली है।

चेचक की बीमारी का एक भी मामला न होने देने को कायम रखने के लिए प्राथमिक और दुबारा चेचक के टीके लगाने के कार्यक्रम को जारी रखने के लिए 1978-79 में धनराशि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। देश चेचक के टीकों की अपनी आवश्यकता की पूरा करने में आत्मनिर्भर है, जो इस समय चेचक के टीके का उत्पादन करने वाले वर्तमान चार संस्थानों में तैयार किए जाते हैं।

दृष्टि क्षीणता, अंधेपन और रोहे पर नियंत्रण

14. इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य हैं—दृष्टिक्षीणता पैदा करने वाले कारणों की रोकथाम करना, ठीक हो सकने वाली दृष्टि-क्षीणता और अंधेपन की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय करना, तथा समाज को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देना और इस संबंध में जानकारी देना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, इस स्कीम के अंतर्गत देश में 400 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 50 जिला अस्पतालों को बढ़ाने, जिसमें नेत्र-चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी, 15 और चलती-फिरती नेत्र-चिकित्सा इकाइयां स्थापित करने, देश के चुने हुए 9 और मेडिकल कालेजों के नेत्र-चिकित्सा विभागों के सुदृढ़ीकरण और 6 क्षेत्रीय संस्थानों के सतत सुदृढ़ीकरण की संकल्पना सम्मिलित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र शिविरों के लगाए जाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए भी धन की व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय रोहा नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत, 3550 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/सामुदायिक विकास खंडों में अनुवर्ती कार्यवाई की जा रही हैं जिसके अंतर्गत इस रोग से ग्रस्त हो सकने वाली पूरी जनसंख्या को शामिल कर लिया गया है।

15. क्षय रोग, हैजा और समागम से होने वाली बीमारियों पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए उपाय 1978-79 में भी जारी रहेंगे जिनके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है।

अस्पताल और औषधालय

16. केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली कीमों के लिए इस शीर्ष के अन्तर्गत 47.16 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

17. देश में चिकित्सा और स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानताएं अभी भी बनी हुई हैं। विभिन्न क्षेत्रों और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त इस असंतुलन को ठीक करने के एक उपाय के रूप में पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों और ग्रामीण अस्पतालों आदि की स्थापना के लिए परिव्यय निर्धारित किए गए थे, यह अब 1978-83 की योजना के प्रारूप में परिकल्पित परिशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में चलता रहेगा।

18. लोगों के सबसे आसपास उपलब्ध सेवाओं, अर्थात् उप मंडलीय/तालुक अस्पतालों को बढ़ावा देने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करके ग्रामीण अस्पतालों में परिवर्तित करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के पूरी तरह से उपयोग करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। मझौले कस्बों और जिला मुख्यालयों के अस्पतालों को कम प्राथमिकता दिए जाने का प्रस्ताव है। शहरी क्षेत्रों के अस्पतालों में विस्तरों की व्यवस्था सीमित रखने की नीति जारी रखी जाएगी केवल उन मामलों को छोड़कर जहां ऐसा विस्तार करना आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर उचित हो।

19. केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा स्कीम का क्षेत्र-विस्तार पिछले वर्षों में धीरे-धीरे बढ़ा दिया गया है जिसमें दिल्ली से बाहर के शहर और जनसंख्या के अन्य क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इस समय 13 शहरों में संचालित की जा रही इस स्कीम को 1978-79 में चार और शहरों ,अर्थात् लखनऊ, अहमदाबाद गाजियाबाद और फरीदाबाद में विस्तारित करने का प्रस्ताव है। इस स्कीम को जारी रखने तथा इसके और विस्तार/बढ़ाए जाने के लिए 1978-79 के लिए 4 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान

20. वर्ष 1978-79 के लिए चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए, केंद्रीय और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनागत स्कीमों के लिए, 39.37 करोड़ रु० के कुल परिव्यय की व्यवस्था की गई हैं। आगामी वर्षों में पूर्व-स्नातक शिक्षा में विस्तार करने की बजाय उसके समेकन और गुणात्मक सुधार करने पर बल दिया जाना जारी रहेगा। राष्ट्र को आवश्यकता पर और चिकित्सा स्नातकों के लिए उन्नति के अवसरों में संतुलन रखते हुए स्नातकोत्तर शिक्षा की प्रणाली के अभिनवीकरण का प्रस्ताव है। हाल के वर्षों में शुरू की गई एकीकृत राष्ट्रीय परीक्षाओं की स्कीम को पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाएगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

21. बहु-उद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रम के बढ़ाए जाने के अलावा, उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए सभी प्रकार के सहायक चिकित्सा कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण के स्तर में सुधार करने के लिए प्रयास किए जाएंगे

अनुसंधान

22. चिकित्सा अनुसंधान कार्यक्रम के पुनः अभिविन्यास के लिए कार्रवाई की जा रही है, जिसमें इन विषयों पर बल दिया जाएगा :-(1) मलेरिया, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा जैसे प्रमुख संक्रामक रोग; (2) जनसंख्या (जन्म) नियंत्रण संबंधी अनुसंधान; और (3) पौषाहार और उपापचयी समस्याओं से संबंधित अनुसंधान। मलेरिया, कुष्ठरोग और काला अजर जैसे रोगों से उत्पन्न नई चुनौतियों का सामना करने के लिए भी चिकित्सा अनुसंधान किए जाएंगे जिससे कि इन बीमारियों पर नियंत्रण, उन्मूलन सुनिश्चित किया जा सके।

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी

23. देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति, जैसे आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध और होमियोपैथी को मान्यता दे दी है। पिछले कुछ वर्षों में इसके लिए धनराशि के आवंटनों में उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ-साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति के विकास में पर्याप्त प्रगति हुई है। 1978-79 में इन पद्धतियों के विकास के लिए 11.56 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है ताकि अधिक से अधिक जनसंख्या के बीच इन पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी सुविधाओं का प्रसार किया जा सके।

स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान स्कीम, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के पूर्वस्नातक कालेजों को अनुदान, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों को अनुदान और रानीखेत में केंद्रीय फार्मेसी की स्थापना, जैसी इस समय चल रही स्कीमों को जारी रखने के अलावा, 1978-79 में कुछ और नई स्कीमें शुरु की जाएंगी। इनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण स्कीमें ये हैं—भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के पूर्वस्नातक कालेजों का विकास, 4 अनुसंधान परिषदों की स्थापना, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी दवाओं, होम्योपैथी तथा योग और प्राकृतिक उपचार के लिए एक-एक तथा राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान।

अन्य कार्यक्रम

कैंसर अनुसंधान और उपचार

24 वर्तमान 3 क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान और उपचार केंद्रों, अर्थात् अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, नई दिल्ली, कैंसर संस्थान, मद्रास और चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केंद्र, कलकत्ता, के विकास का काम केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत रहेगा। देश के विभिन्न भागों में कोबाल्ट उपचार इकाइयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता भी दी जाती रहेगी। कैंसर पर नियंत्रण और उसका उपचार करना अत्यंत कठिन और चुनौती भरा काम है, इसलिए इस रोग के उपचार खोजने के लिए अनुसंधान के क्षेत्र में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी को भी सम्बद्ध करने का निर्णय किया गया है।

ग्वाइटर नियंत्रण

25. इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में ग्वाइटर से प्रभावित स्थानिक क्षेत्रों का सीमांकन करना तथा ग्वाइटर के नियंत्रण के लिए इससे प्रभावित और जोखिम उठाने वाली जनसंख्या को आयोजित लवण की पूर्ति करना है।

औषध नियंत्रण

26. नई औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, विद्यमान औषध परीक्षण प्रयोगशाओं को बढ़ाने तथा नकली और मिलावटी औषधियों की रोकथाम के लिए दस्ते गठित करने की ओर ध्यान दिया जाएगा।

खाद्यान्न में मिलावट की रोकथाम

27. खाद्यान्न के मानकों की खोज तथा मानकीकरण में अनुसंधान कार्य आरम्भ करने के लिए खाद्यान्न मानकों से सम्बन्धित केन्द्रीय समिति को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। खाद्यान्न और औषध परीक्षण के लिए सम्मिलित प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने की स्कीमों को जारी रखा जाएगा।

स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम

28. स्कूल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य सम्बन्धी उपायों को बढ़ाने का प्रस्ताव है। 1 अप्रैल, 1977 से देश में राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य स्कीम शुरू की गई जिसका उद्देश्य इस स्कीम के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना तथा सहायक शिक्षा देना है। आरम्भ में यह स्कीम 377 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शुरू की गई; 1978-79 में 409 अतिरिक्त प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्रों को इस स्कीम के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है।

2. परिवार कल्याण

प्रगति की समीक्षा

29. पांचवीं योजना में यह उद्देश्य निर्धारित किया गया था कि योजना के शुरू में प्रति हजार जनसंख्या में लगभग 35 की जन्म दर को कम करके 1978-79 तक प्रति हजार जनसंख्या में लगभग 30 की जाए। योजना के प्रचालन लक्ष्यों में 180 लाख से अधिक नसबन्दियां करना, लगभग 60 लाख लूप लगाना और परम्परागत निरोधक वस्तुओं का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाकर 90 लाख करना शामिल था। योजना की अवधि में निष्पादन इस प्रकार था :

(दस लाख)

वर्ष	नसबन्दियां	लूप	परम्परागत निरोधकों का उपयोग करने वाले
1	2	3	4
1974-75	1.35	0.43	2.52
1975-76	2.67	0.61	3.53
1976-77	3.26	0.58	3.66
1977-78 (स्वैच्छिक)	8.93	0.32	3.25

टिप्पणी :—आंकड़े अनन्तिम हैं।

30. योजना के समाप्त होने पर 1070 लाख समर्थ दम्पत्तियों में से 266 लाख दम्पत्तियों का इस कार्यक्रम की विभिन्न प्रणालियों के अन्तर्गत बचाव किया गया था। ऐसा अनुमान है कि इनके परिणामस्वरूप 1977-78 में जन्म दर के प्रति हजार जनसंख्या पर घटकर 33 हो जाने की आशा है।

31. कार्यक्रम से सम्बन्धित परिव्ययों और व्यय के आंकड़े इस प्रकार हैं :

(लाख रु०)

वर्ष	आवंटन	व्यय
1	2	3
1974-75	5413.60	6204.80
1975-76	6319.95	8061.37
1976-77	7014.00	16793.89
1977-78	9860.67	9333.70*

*अनन्तिम

व्यय के आंकड़ों का परिव्ययों से भिन्न होने का मुख्य कारण स्वैच्छिक नसबन्दियों और लूप लगाने के लिए मुआवजा राशि का दिया जाना था। 1977-78 में व्यय में कमी मुख्यत: स्वैच्छिक नसबन्दी कार्यक्रम को धक्का लगने के कारण आई, जिसका कारण था आंतरिक आपात स्थिति में देश के कुछ भागों में इस कार्यक्रम का किया गया अनुचित कार्यान्वयन। भारतीय जनसंख्या परियोजना के सम्बन्ध में भी 1977-78 में कुछ कमी देखने में आई जो निर्माण कार्यकलापों की धीमी गति तथा उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम के पौषाहार भाग बन्द कर दिये जाने के कारण थी। प्रसूतिका तथा शिशु स्वास्थ्य स्कीमों में कमी आने का कारण विलम्ब से टीकों की पूर्ति किया जाना था।

1978-79 के लिए योजना

32. परिवार कल्याण कार्यक्रम को 1978-83 की योजना में उच्च प्राथमिकता दी जाती रहेगी। जून, 1977 में घोषित परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बन्धित परिशोधित नीति वक्तव्य में दिये गये निदेशों के अनुसार कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और इसे बढ़ावा दिया जाएगा तथा स्वास्थ्य, प्रसूतिका और शिशु स्वास्थ्य और पौषाहार सेवाओं के अभिन्न अंग के रूप में परिवार कल्याण/सेवाओं की व्यवस्था की जाएगी। योजना का उद्देश्य यह होगा कि जन्म दर को घटाकर 1982-83 तक प्रति हजार जनसंख्या के पीछे 30 कर दिया जाए। इस कार्यक्रम में 1982-83 तक 250 लाख स्वैच्छिक नसबन्दियां करना, 50 लाख लूप लगाना और गर्भ निरोधकों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ाकर लगभग 60 लाख करना शामिल है। 1978-79 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 40 लाख स्वैच्छिक नसबन्दियां करने का, 6 लाख लूप लगाने का और गर्भ निरोधक वस्तुओं के प्रयोग करने वालों की संख्या (योजना अवधि के अन्त में) 40 लाख करने का वास्तविक लक्ष्य सुझाया गया है।

33. इस कार्यक्रम के लिए 11,172·39 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। प्रमुख शीर्षों के अनुसार परिव्यय इस प्रकार हैं :

	(लाख रु०)
(1) सेवाएं और पूर्ति	8401.96
(2) प्रशिक्षण	747.00
(3) जन शिक्षा	500.00
(4) अनुसंधान और मूल्यांकन	235.43
(5) भारतीय जनसंख्या परियोजना	371.00
(6) प्रसूतिका और शिशु स्वास्थ्य	425.00
(7) संगठन	226.00
(8) नई स्कीमें	226.00

परिव्ययों के आंकड़े प्रमुख शीर्षवार अनुलग्नक 14.6 में दिये गये हैं ।

34. इस वर्ष के वास्तविक कार्यकलापों में मुख्यत: ये शामिल होंगे ।

(1) परिवार कल्याण सेवाओं का स्वास्थ्य, प्रसूतिका और शिशु स्वास्थ्य तथा पौषाहार सेवाओं के साथ अधिकाधिक एकीकरण प्राप्त करना ।

(2) 180 नये ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों की स्थापना और 500 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के लिए भवनों के निर्माण के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं बढ़ाना ।

(3) 1000 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसूति गृहों को शल्य चिकित्सा कक्षों (आपरेशन थियेटर) में परिणत करने तथा 325 तालुका स्तर के अस्पतालों में 6 पलंग वाले नसबन्दी पलंगों सहित शल्य चिकित्सा की व्यवस्था करने से सम्बन्धित शेष लक्ष्यों की पूर्ति करना ।

(4) जिला स्तर के अस्पतालों में 75 अतिरिक्त शव परीक्षा केन्द्रों की स्थापना करना ।

(5) ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 100 नये वाहनों की पूर्ति करना जहां इस्तेमाल करने लायक कोई वाहन नहीं है ।

(6) प्रसूतिका तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा स्कीमों के समावेशन का विस्तार करना और 1.5 लाख अतिरिक्त "दाइयों" को प्रशिक्षण देना । प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्य की स्कीमें भी तैयार करना ।

(7) जन सम्पर्क माध्यम कार्यकलापों को बढ़ाना ताकि कार्यक्रम को अधिक स्वेच्छा से स्वीकार किया जा सके ।

(8) कार्यकलापों को संतुलित करने के लिए भारतीय जनसंख्या परियोजना का एक और वर्ष के लिए विस्तार करना ।

(9) बहुत अधिक शिशु/मातृ मृत्यु दर वाले तथा परिवार नियोजन को कम स्वीकार करने वाले राज्यों में आधारभूत सेवाओं को बढ़ाना ।

(10) परिवार कल्याण कार्यक्रम से समाज कल्याण बोर्ड को सम्बद्ध करने की स्कीमें तैयार करना ।

(11) जनसंख्या शिक्षा पर अधिक बल देना तथा संगठित क्षेत्र और अभिमत नेताओं को कार्यक्रम से और अधिक सम्बद्ध करना ।

(12) बेहतर गर्भ-निरोधक उपायों के विकास तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम के सूक्ष्म प्रबोधन के लिए जैव-चिकित्सा अनुसंधान पर उचित बल दिया जाएगा ।

अध्याय 15

शहरी विकास, आवास और पूर्ति

1. शहरी विकास

1977-78 में हुई प्रगति की समीक्षा

1977-78 में शहरी विकास कार्यक्रमों पर 110.31 करोड़ रु० खर्च हुए । होने का अनुमान है। इसमें से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए 74.33 करोड़ रु० हुए होंगे, जिसमें कलकत्ता महानगरीय विकास क्षेत्र के लिए 24.20 करोड़ रु० शामिल हैं। राज्य योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल थे — लाभकारी और लाभरहित स्कीमों के लिए स्थानीय निकायों को ऋणों और अनुदानों की व्यवस्था, मास्टर योजनाएं तैयार करना, स्थलों और सेवाओं की स्कीमें, गंदी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार और कलकत्ता महानगरीय क्षेत्र का एकीकृत विकास । केन्द्रीय क्षेत्र में प्रमुख स्कीमें थीं—महानगरीय शहरों और राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एकीकृत विकास । पहले कार्यक्रम के अंतर्गत 26 शहरों की सहायता देने के लिए 34.16 करोड़ रु० खर्च किए गए थे, और बाद के कार्यक्रम के अंतर्गत उसमें सम्मिलित हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों को 1.75 करोड़ रु० की सहायता दी गई थी ।

1977-78 की वार्षिक योजना

2. वर्ष 1978-83 की पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में यह स्वीकार किया गया है कि शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था की तुलना में शहरीकरण की दर बहुत तेजी से बढ़ी है जिसका मुख्य कारण यह है कि ग्रामीण जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग का जीवन-स्तर नीचा होने के कारण वह भाग आजीविका की खोज में शहरों में आ जाते हैं; उक्त योजना में इस बात की संकल्पना की गई है कि अगले दशक में शहरीकरण का बल महानगरीय शहरों के बढ़ने की दर कम करने तथा छोटे और मझौले शहरों के बढ़ने की दर बढ़ाने और यदि संभव हो तो उनके बढ़ने की दर को विपरीत किया जाना चाहिए । यह लक्ष्य छोटे शहरों—कस्बों में आधारभूत व्यवस्था पर बल देकर और छोटे कस्बों के समीप जो गांव हों उनके लिए वे विकास और सेवा केन्द्र के रूप में कार्य करें ।

3. इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 1978-79 की कालिक योजना में शहरी विकास कार्यक्रमों के लिए 123.96 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है । इसमें से, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाएं 79.33 करोड़ रु० की होंगी जिसमें कलकत्ता महानगर विकास क्षेत्र के लिए 24.20 करोड़ रु० शामिल हैं। राज्यवार आवंटित की गई धन राशि अनुलग्नक 15.1 में बताई गई हैं ।

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

4. सामान्य रूप में स्कीमों में निहत बातें वे ही रहेंगी जैसी कि पहले बताई गई थीं, तथापि, छोटे और मझौले नगरों के पक्ष में अवस्थिति संबंधी परिवर्तन अवश्य होगा। राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं में की गई व्यवस्था इन कामों के लिए है — शहरी विकास कार्यक्रमों को चलाने के लिए स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता, मास्टर योजना तैयार करने, मास्टर योजना की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्यान्वयन, जैसे भूमि प्राप्त करना और उसका विकास करना, स्थलों और सेवाओं का कार्यक्रम, गंदी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार और कलकत्ता महानगरीय क्षेत्र का एकीकृत विकास स्थानीय निकायों को लाभकारी स्कीमों के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी। लाभकारी स्कीमों में दुकानों और बाजार परिसर, रंगशालाएं सिनेमागृह और सभा भवन बस और ट्रक टर्मीनलों के निर्माण के काम सम्मिलित हैं। ये स्कीमें अपनी धन की व्यवस्था स्वयं करने वाली स्कीमें हैं जो स्थानीय निकायों के संसाधनों को बढ़ाएंगी। लाभरहित स्कीमें छोटे निर्माण कार्यों से संबंधित हैं जैसे सड़कों, जनसुविधाओं, पुलियों और पुलों के निर्माण तथा सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था, आदि । कस्बों और शहरों के ठीक विकास के लिए मास्टर योजनाओं का तैयार किया जाना आवश्यक है । अब तक

575 मास्टर योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं जिसमें से 326 योजनाओं का स्वरूप सांविधिक हैं और 249 का परामर्शी। इन योजनाओं में कस्बों और शहरों के विकास के लिए रूपरेखा तैयार करके दी जाती है। मास्टर योजना की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कायान्वियन में पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती हैं। इस समय, स्थानीय निकाय अधिकांश धनराशि भूमि प्राप्त करने और उसके विकास करने पर खर्च करते हैं जो कि किसी भी शहरी विकास कार्यक्रम के लिए आधारभूत आवश्कता होती है स्थल और सेवाओं का कार्यक्रम, गन्दी बस्तियों के हटाए जाने और पुनर्वास तथा गंदी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार कार्यक्रम के बीच का कार्यक्रम है। इस स्कीम के अंतर्गत, आधारभूत व्यवस्था सेवाओं के साथ-साथ स्थल विकसित किए जाते हैं और समाज के कमजोर वर्गों को दिए जाते हैं। हटाए गए लोगों के लिए स्थान की पुन: व्यवस्था के साथ-साथ गंदी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार पर अधिक से अधिक बल दिया जा रहा है। 1978-79 की वार्षिक योजना में, परिशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत, गंदी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार के लिए 11.46 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस योजना में कलकत्ता महानगरीय विकास क्षेत्र के लिए 24.20 करोड़ रु० की व्यवस्था शामिल है, जो विकास योजना के लिए संसाधनों का एक भाग है। शहरों के एकीकृत विकास में ये स्कीमें सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य है—स्वच्छ जल पूर्ति और मल-व्यवस्था, सुधरी यातायात व्यवस्था, क्षेत्र विकास, आवास और बस्ती सुधार।

राज्य की राजधानी परियोजनायें

5. गांधी नगर, भोपाल और चंडीगढ़ की राज्य राजधानी परियोजनाओं के लिए योजना में 9.53 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। भूमि और अन्य सेवाओं के विकास के साथ-साथ कार्यालय भवन, रहने के मकान तथा अन्य सरकारी तथा व्यापारिक भवनों के निर्माण के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है।

केंद्रीय क्षेत्र :

6. केन्द्रीय क्षेत्र में, एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रमों के लिए 41.50 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। यह सहायता राज्य सरकारों के परिव्ययों में मदद करने के लिए है जिसका उद्देश्य जल पूर्ति और मल व्यवस्था, सड़कें और सड़क यातायात, क्षेत्र विकास, आदि जैसे आवश्यक शहरी आधारभूत निवेशों को बढ़ावा देना है।

7. दिल्ली के आसपास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए योजना में 3 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ब्यौरों की अभी समीक्षा की जा रही है। विकास केंद्रों के दिल्ली से काफी दूर विकसित करने का उद्देश्य है जिससे वे दिल्ली में जनसंख्या के आगमन को रोकने के लिए कार्य कर सकें और दिल्ली से बाहर इन केंद्रों में लोगों को जाने के लिए प्रेरित कर सकें।

2. आवास

1977-78 में हुई प्रगति की समीक्षा

8. आवास उप-क्षेत्र के लिए 166.55 करोड़ रु० के खर्च होने का अनुमान है जिसमें से 137.46 करोड़ रु० राज्यों में और 29.09 करोड़ रु० केन्द्र क्षेत्र में खर्च होंगे। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वास्तविक उपलब्धियां इस प्रकार थीं :

	इकाई	1977-78
1. औद्योगिक कामगारों और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए एकीकृत राज सहायता प्राप्त आवास स्कीम	संख्या	1215
2. निम्न आय वर्ग आवास स्कीम	,,	66104
3. ग्राम आवास परियोजना स्कीम	,,	1299
4. मध्य आय वर्ग आवास स्कीम	,,	1056
5. किराए के लिए आवास स्कीम	,,	285
6. ग्रामीण मकान स्थल स्कीम	लाख	15
7. बागान कामगारों के लिए राज सहायता प्राप्त आवास स्कीम	संख्या	876

9. तथापि, सूचना देने की प्रणाली में कमियों के कारण उपर्युक्त आंकड़ों से अपूर्ण स्थिति प्रकट होती है। इसके अलावा, कर्नाटक के लोगों की आवास स्कीम, केरल की एक-लाख आवास की स्कीम और महाराष्ट्र की झोंपड़ी स्कीम तथा गुजरात और अन्य राज्यों की ऐसी ही स्कीमों के अंतर्गत हुई प्रगति उपर्युक्त आंकड़ों में नहीं बताई गई है।

1978-79 की वार्षिक योजना

10. वार्षिक योजना में विभिन्न स्कीमों के लिए 178.52 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। इसमें से 137.73 करोड़ रु० राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए होंगे और केंद्र का भाग 40.79 करोड़ रु० होगा। इस सम्बन्ध में ब्यौरे अनुलग्नक 15.2 में दिये गये हैं।

11. वर्ष 1978-83 की योजना के प्रारूप में परिकल्पित आवास कार्यनीति में परिवर्तन करने के बारे में राज्य सरकारों के एक विस्तृत विचार-विमर्श होने तक, चालू वर्ष के लिए परिव्यय अधिकांशतः चल रही स्कीमों पर होगा। ये स्कीमें हैं—औद्योगिक कामगारों और समुदाय के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए एकीकृत राज्य सहायता प्राप्त आवास स्कीम, निम्न आय वर्ग और मध्य आय वर्ग आवास, गंदी बस्तियों की सफाई और पुनर्वास, भूमि अधिग्रहण और विकास तथा ग्रामीण आवासी स्कीमें। ग्रामीण आवास की नई कार्यनीति के अनुरूप, मकानों के लिए स्थानों की व्यवस्था करने के लिए 15.54 करोड़ रु० के परिव्यय में लाभग्राहितों की सहायता के लिए कुछ राज्य योजनाओं में धनराशि की अनुपूरक व्यवस्था होगी ताकि इन स्थानों पर वे निर्माण कर सकें।

12. केन्द्रीय क्षेत्र में हुडको के लिए बढ़ी हुई ईक्विटी व्यवस्था की गई है जिससे कि वह राज्य सरकारों और राज्य आवास बोर्डों द्वारा प्रायोजित सामाजिक आवास स्कीमों के लिए लगभग 70 करोड़ रु० वितरित कर सकेगा। हुडकों ने फरवरी, 1978 तक 220 शहरों में 718 स्कीमें मंजूर की हैं जो लगभग सभी राज्यों में हैं, इनके लिए उसने 307 करोड़ रु० की ऋण सहायता दी है और 161 करोड़ रु० वितरित किए हैं। इन योजनाओं के सम्पूर्ण होने पर इससे लगभग 2.88 लाख रहने की इकाइयों, 47 हजार विकसित स्थलों और अनेक दुकानों और वाणिज्यक भवनों की व्यवस्था होगी। इसमें से लगभग रहने की 83 प्रतिशत इकाइयों को आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय वाले वर्गों के लिए रखा है। हुडकों ने कुछ नई स्कीमें शुरू की हैं जैसे कि शिखर सहकारी आवास समितियों और शहरी विकास स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता देना तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन का काम स्वयं करना। हुडको ने ग्रामीण आवास क्षेत्र में प्रवेश किया है।

3. जलपूर्ति और स्वच्छता

1977-78 में हुई प्रगति की समीक्षा

13. जलपूर्ति और मल निकासी पर 1977-78 में 273.91 करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान है। इसमें से राज्यों का भाग 234.31 करोड़ रु० तथा केंद्र का भाग 39.60 करोड़ रु० होगा। 273.91 करोड़ रु० के कुल व्यय में से 134.80 करोड़ रु० शहरी जलपूर्ति तथा स्वच्छता स्कीमों पर और 137.71 करोड़ रु० ग्रामीण जल पूर्ति और सम्बद्ध स्कीमों पर व्यय किए गए। लगभग 148 कस्बों (58 संवर्धन स्कीमों समेत) में जलपूर्ति की व्यवस्था की गई और 35 कस्बों को मल निकासी/जल निकासी की सुविधाएं प्रदान की गईं। राज्य क्षेत्र में ग्रामीण जलपूर्ति स्कीमों पर 99.51 करोड़ रु० (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 88 करोड़ रु० समेत) का निवेश करने से यह प्रत्याशा की जाती है कि लगभग 4540 गांवों में नलों के जल की पूर्ति की व्यवस्था हो सकेगी और 33500 गांवों में बोर कुओं तथा खोदे हुए कुओं जैसे अन्य साधारण उपाय उपलब्ध कराये जा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जलपूर्ति कार्यक्रम की गति तेज करने के लिए 1977-78 में केन्द्रीय बजट में 40 करोड़ रु० की विशेष व्यवस्था की गई; वास्तविक व्यय 38.20 करोड़ रु० होगा जिससे 6509 अतिरिक्त समस्या वाले गांवों को लाभ पहुँचेगा।

1978-79 की वार्षिक योजना

14. वर्ष 1978-83 की पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में शेष सभी समस्या गांवों में मार्च, 1983 तक स्वच्छ जलपूर्ति की व्यवस्था करने की परिकल्पना की गई है। योजना में शहरी क्षेत्र में जलपूर्ति और जलनिकासी की सुविधाओं में भी पर्याप्त सुधार करने की परिकल्पना की गई हैं। उपर्युक्त कार्यनीति के अनुरूप, 1978-79 की वार्षिक योजना में जलपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रमों के लिए 339.37 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। परिव्ययों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(करोड़ रु०)

	1977-78 प्रत्याशित व्यय	1978-79 परिव्यय
शहरी		
(क) जलपूर्ति और स्वच्छता	134.80	145.17
ग्रामीण		
(क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अतिरिक्त	11.51	17.31
(ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	88.00	114.19
जोड़ : ग्रामीण	**99.51**	**131.50**
जोड़ : राज्य योजना	**234.31**	**276.67**
केन्द्रीय क्षेत्र	39.60	62.70
कुल जोड़:	273.91	339.37

राज्यवार ब्यौरे अनुलग्नक 15.3 में दिये गये हैं।

शहरी जलपूर्ति और स्वच्छता

15. शहरी जलपूर्ति और स्वच्छता स्कीमों के लिए राज्य क्षेत्र में 145.17 करोड़ रु० के कुल परिव्यय में से छोटे और मध्यम दर्जे के कस्बों में जलपूर्ति और मल निकासी की नई स्कीमों को जारी रखने के लिए 80.92 करोड़ रु० रखे गये

हैं । ऐसी संल्पना है कि इस परिव्यय से 160 कस्बों में (54 संवर्धन स्कीमें समेत) जलपूर्ति की व्यवस्था हो जाएगी और 18 कस्बों में मल-निकासी/जल-निकासी की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी । 6.25 करोड़ रु० की शेष राशि महानगरीय शहरों की बड़ी जलपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजनाओं के लिए हैं जिसके ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(करोड़ रु०)

	राज्य योजना में परिव्यय	
	1977-78 प्रत्याशित व्यय	1978-79 परिव्यय
(1) बम्बई	15.50	17.00
(2) दिल्ली	11.73	14.75
(3) मद्रास	8.14	8.50
(4) बंगलौर	1.00	1.50
(5) हैदराबाद	754	7.50
(6) उत्तर प्रदेश में कावल शहर*	11.00	15.00
जोड़ :	**54.91**	**64.25**

*कावलका अर्थ है कानपुर, आगरा, वाणारसी, इलाहाबाद और लखनऊ शहर ।

16. उपर्युक्त परिव्यय में कलकत्ता महानगरीय विकास क्षेत्र में जलपूर्ति, मल निकासी और जल निकासी के लिए 18 करोड़ रु० का परिव्यय शामिल नहीं हैं जिसके लिए व्यवस्था शहरी विकस क्षेत्र में की गई है ।

17. एकीकृत बम्बई जलपूर्ति और स्वच्छता परियोजना के अंतर्गत 1978-79 के लिए 50 से 55 करोड़ रु० तक के परिव्यय की संकल्पना की गई है । इसमें से केवल 17 करोड़ रु० राज्य योजना में समाविष्ट किये गये हैं जिसमें बम्बई नगर निगम के बाजार से लिए गये 5 करोड़ रु० के ऋण भी शामिल हैं । इस परिव्यय को बम्बई नगर निगम द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से अंशदान द्वारा और एकीकृत शहरी विकास की केन्द्रीय स्कीमों में से सहायता से पूरा किया जाएगा ।

ग्रामीण जल पूर्ति

18. राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण जलपूर्ति स्कीमों के लिए 131.50 करोड़ रु० की कुल व्यवस्था में से 114.19 करोड़ रु० का परिव्यय परिशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत समस्या तथा कठिन गांवों के लिए निर्धारित किया गया है और शेष राशि की अपेक्षाकृत सरल क्षेत्रों में अन्य ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रमों लिए उपयोग किया जायेगा । ऐसी आशा है कि 5260 गांवों में नल के पानी की पूर्ति की व्यवस्था हो जाएगी, जिसमें 17,500 ऐसे समस्या ग्राम भी आ जायेंगे जो 1972 में निर्धारित किये गये थे ।

केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाएं

19. 1978-83 की योजना के प्रारूप में परिकल्पित कार्यनीति के अनुरूप, समस्या और कठिन ग्रामों में ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम की गति तेज करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 60 करोड़ रु० के काफी बड़े हुए परिव्यय की व्यवस्था की गई हैं । यह सहायता राज्यों के प्रयासों की अनुपूरक होगी और इससे लगभग 10,000 अतिरिक्त समस्या ग्रामों में सुरक्षित जलपूर्ति की व्यवस्था हो जायेगी ।

20. छड़े कचरे के आधुनिक यांत्रिक संग्रहण, सम्मिश्रण और निपटान से संबंधित स्कीमों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 1.2 करोड़ रु० का परिव्यय शामिल किया गया है । शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलने की स्कीम के लिए भी धनराशि आवंटित की गई है और इसके लिए चुने हुए शहरों में प्रायोजित तथा प्रदर्शन स्कीमें शुरू करने के लिए 0.40 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है । केन्द्रीय क्षेत्र में धनराशि की शेष व्यवस्था जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक कार्यकलापों जल लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरी के प्रशिक्षण और यूनसेफ-सहायता प्राप्त रिगों की व्यवस्था करने से संबंधित है ।

अध्याय 16

समाज कल्याण और पोषाहार

1. समाज कल्याण

1977-78 में हुई प्रगति की समीक्षा

1977-78 में 19.44 करोड़ रु० के मुकाबले अनुमानित व्यय 19.22 करोड़ रु० हुआ।

2. वर्ष 1977-78 के आरम्भ में 34 परिवार और बाल कल्याण परियोजनाएं थीं जिनको काम करते हुए अभी पांच वर्ष पूरे नहीं हुए थे। इस वर्ष इनमें से 30 परियोजनाओं ने अपने पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया और उन्हें भावी संरक्षण के लिए संबंधित राज्य सरकारों को अंतरित कर दिया गया। 33 एकीकृत बाल विकास परियोजनाएं काम करती रहीं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3271 आंगन बाड़ियां बच्चों के लिए स्वाथ्य और शिक्षा सेवाओं की व्यवस्था कर रही थीं; इसके अलावा 1899 महिला मंडल संगठित किए गए। 2.68 लाख बच्चों और महिलाओं को अनुपूरक पोषण आहार दिया गया। आंगनबाड़ियों में अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा की कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों की संख्या लगभग 1.08 लाख थी।

3. निराश्रित बच्चों की देखभाल और संरक्षण की स्कीम के अंतर्गत, स्वैच्छिक संगठनों को संस्थागत और संस्थेतर सेबाओं को संगठित करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई जिससे लगभग 5000 अतिरिक्त निराश्रित बच्चों को लाभ पहुंचा। कामकाजी या बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशु गृहों की स्कीम का विस्तार किया गया जिनके अन्तर्गत आने वाले बच्चों की कुल संख्या 20,675 हो गई।

4. 33 एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं म कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम जारी रखा गया। 2621 केंद्र थे जिनमें उपस्थित होने वाली प्रौढ़ महिलाओं की संख्या 40,119 थी। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने प्रौढ़ महिलाओं के लिए 125 व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों सहित शिक्षा के 431 संघनित पाठ्यक्रमों के लिए मंजूरी दी। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत 430 सामाजिक-आर्थिक इकाइयां मंजूर की गईं, जिनसे 4061 महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास के लिए महिला प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थान स्थापित करने की स्कीम शुरू की गई और ऐसे 5 केंद्र मंजूर किए गए।

5. 1 अप्रैल, 1977 से विकलांगों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम को प्रायोगिक आधार पर 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विकेन्द्रित किया। इस वर्ष लगभग 3600 नई छात्रवृत्तियां संवितरित की गईं। विकलांगों के लिए एकीकृत शिक्षा स्कीम का एक और राज्य में विस्तार किया गया। केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत समूह 'म' और 'घ' श्रेणियों के पदों और साथ ही सरकारी उद्यमों में इसी प्रकार के पदों की 3 प्रतिशत रिक्तयों को विकलांगों के लिए आरक्षित रखने के संबंध में अनुदेश जारी किए गए।

6. केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग द्वारा स्थापित की गई समिति ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस वर्ष बोर्ड ने अधिकांशतः बच्चों, महिलाओं और बिकलांगों के लिए कल्याण कार्यकलापों के समेकन और सुधार के लिए देश भर में फैली हुई 5000 संस्थाओं को सहायता अनुदान दिए। इसके अलावा कल्याण विस्तार परियोजनाएं, महिला मंडल, बच्चों के लिए अवकाश गृह, एकीक्रत स्कूल-पूर्व योजनाएं बालवाड़ी, आदि जैसे बोर्ड के अन्य कार्यक्रम जारी रहे।

7. राज्य क्षेत्र में 1977-78 की वार्षिक योजना में 6.59 करोड़ रु० के परिव्यय के मुकाबले 6.82 करोड़ रु० का व्यय प्रत्याशित है। इस वर्ष बच्चों के लिए बालवाड़ी कार्यक्रम को बढ़ाया गया। लगभग 20 बाल गृह स्थापित किए गए। विकलांग बच्चों को लगभग 2000 छात्रवृत्तियां दी गईं। इसके अलावा 760 व्यक्तियों को कृत्रिम अंग साधन दिए गए। 22 भिक्षुकालव भी स्थापित किए गए।

1978-79 की वार्षिक योजना

8. वर्ष 1978-79 की वार्षिक योजना में समाज कल्याण के लिए 28.93 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(करोड़ रु०)

क्षेत्र	1978-79 के लिए परिव्यय
केन्द्र	12.99
केन्द्रीय प्रायोजित	7.12
राज्य	7.47
संघ राज्य क्षेत्र	1.35
जोड़:	**28.93**

केन्द्र और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत परिव्यय के स्कीमवार आंकड़े अनुलग्नक 16.1 में दिए गए हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए योजना परिव्यय अनुलग्नक 16.2 में बताए गए हैं।

कार्यक्रम

9. केन्द्रीय क्षेत्र में उन शेष 4 परिवार और बाल कल्याण परियोजनाओं के अनुरक्षण के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है जिनके कार्यकाल की पांच वर्ष की अवधि इस वर्ष पूरी होगी। इसके बाद उन परियोजनाओं के अनुरक्षण का उत्तर-दायित्व राज्य सरकारों का हो जाएगा।

10. एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना क्षेत्रों में कार्यात्मक साक्षरता की स्कीम जारी रखी जाएगी। प्रौढ़ महिलाओं के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, शिक्षा के संघनित पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्कीम का और अधिक विस्तार करने का प्रस्ताव है। इन पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा जिससे कि कार्यात्मक कुशलता प्राप्त हो सके और जहां कहीं संभव हो वे उपयुक्त नौकरी प्राप्त कर सकें। सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम का उद्देश्य है विभिन्न प्रकार की उत्पादन इकाइयों के जरिए 'काम और मजदूरी/वेतन' की व्यवस्था करना; इसे और अधिक जोर से कार्यान्वित किया जाएगा ताकि समुदाय के कमजोर वर्गों की निराश्रित और अन्य आवश्यकता वाली महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। विपणन संबंधी किन्हीं समस्याओं को न होने देने के लिए आनुषंगिक प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। स्वैच्छिक संगठनों को कामकाजी महिलाओं के लिए लगभग 50 होस्टलों का निर्माण करने या विस्तार करने के लिए सहायता दी जाएगी। आवासीय देखभाल और व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास के लिए और अधिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएंगे, जिससे कि उन्हें यथा समय आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाया जा सके। इन महिलाओं के 6 वर्ष से कम आयु के आश्रित बच्चों की इन केन्द्रों में देखभाल की जाएगी।

11. एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत 67 नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले लगभग 5000 अतिरिक्त बच्चों को इस स्कीम के अंतर्गत लिया जाएगा, इससे लाभान्वित होने वाले बच्चों की कुल संख्या 28,000 हो गई। अनियत प्रवासी श्रमिकों और बीमार माताओं के बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्रों और शिशु गृहों की व्यवस्था करने की स्कीम का और अधिक विस्तार किया जाएगा।

12. विकलांगों के लिए 4 राष्ट्रीय संस्थानों में अनुसंधान और प्रशिक्षण से संबंधित कार्यकलापों को बढ़ाया जाएगा। विकलांगों को सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा चलाते रहने के लिए तथा अनुमोदित औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थापनाओं में संयंत्राधीन प्रशिक्षण के लिए 4000 नई छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव है। विकलांगों के लिए तकनीकी साधनों से संबंधित अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन दिया जाएगा जिससे कि विकलांगों को कार्यात्मक सीमाओं को दूर करने और अपनी व्यावसायिक गतिशीलता को बढ़ाने में सहायता की जा सके। जिन राज्यों में विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय नहीं हैं वहां स्थापित किए जाएंगे।

13. स्वैच्छिक कार्य का बढ़ावा देने के लिए, बच्चों, महिलाओं, विकलांगों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए कल्याण सेवाएं प्रदान करने वालीउपयुक्त स्वैच्छिक संगठनों में संवितरित करने के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के लिए 2.5 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है। राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान अपने-अपने क्षेत्रों में अनुसंधान, प्रशिक्षण और अन्य कार्यकलापों को बढ़ावा देना जारी रखेंगे।

14. नशीली वस्तुओं के दुष्प्रभावों के संबंध के आम लोगों को शिक्षित करने के लिए पोस्टर, पर्चे, वृत्त चित्र आदि जैसी शैक्षिक और प्रचार सामग्री के निर्माण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को पहले के समान ही सहायता अनुदान दिए जाएंगे।

15. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कल्याण कार्यक्रमों के लिए 1978-79 की वार्षिक योजना में 8.74 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है। बच्चों के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बच्चों के लिए उपयुक्त कार्यक्रम चलाए जाएंगे। बाल कल्याण के अंतर्गत, लगभग 600 बालवाड़ियों, निराश्रित बच्चों के लिए 25 गृहों और 20 प्रमाणित स्कूलों या अनुमोदित स्कूलों की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। निराश्रित महिलाओं के लिए गृहों की स्कीम और कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों की स्कीम का इन दोनों श्रेणियों में लगभग 20 संस्थाओं की वृद्धि करके विस्तार किया जाएगा। विकलांग व्यक्तियों को लगभग 2000 छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव है। समाज कल्याण स्कीमों की प्रगति के प्रबोधन की प्रणाली में सुधार करने के लिए राज्य स्तर पर अनुसंधान और सांख्यिकी एककों को बढ़ाया जाएगा।

2. पोषाहार

1977-78 की वार्षिक योजना की समीक्षा

1977-78 के लिए पोषाहार कार्यक्रमों के लिए 23.72 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी और प्रत्याशित व्यय लगभग 28.01 करोड़ रु० होगा।

2. विशेष पोषाहार कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम नामक दो पोषण कार्यक्रम जारी रहे। विशेष पोषाहार कार्यक्रम की स्कीम के अन्तर्गत आने वाले लाभग्राहियों, अर्थात् बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं की कुल संख्या लगभग 60 लाख थी और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लगभग 130 लाख थी।

3. खाद्य विभाग की पौषहार स्कीम के लिए 2.99 करोड़ रु० की राशि की व्यवस्था की गई थी, जिसकी तुलना में 2.33 करोड़ रु० की राशि खर्च हुई। विभाग के पोषहार और बाल-आहार के उत्पादन, पोषाहार विस्तार कार्यक्रम, अनुसंधान और सर्वेक्षण संबंधी कार्यकलापों का विस्तार किया गया गया। वर्ष 1978 की पहली तीन तिमाहियों में लगभग 32,000 टन बालाहार संसाधित किया गया, जो बच्चों के लिए कम लागत वाला पोषक आहार है। इसी अवधि में बंगलौर, हैदराबाद, एर्नाकुलम में स्थित तीन सरकारी डेरियों द्वारा लगभग 20 लाख लीटर मिलटोन संसाधित किया गया, जो मूंगफली के प्रोटीन पर आधारित प्रोटीनयुक्त टोण्ड दूध है और इसके अलावा 258 टन बालामूल नामक एक बाल-आहार संसाधित किया गया। पांच राज्यों में खाद्य उपभोग सर्वेक्षण पूरे कर दिए गए और दो अन्य राज्यों में ये सर्वेक्षण चल रहे थे। इस वर्ष पांच और सामुदायिक डिब्बा-बंद और फल परीक्षण केंद्रों की वृद्धि की गई; इस प्रकार देश में ऐसे केंद्रों की संख्या बढ़ करके 28 हो गई। देश में 26 चल खाद्य और पोषाहार विस्तार इकाइयां काम कर रही थीं और 1977-78 में पांच नई इकाइयां स्थापित की गईं।

4. इस वर्ष शुरू किए गए 140 खंडों के अलावा 1615 खंडों में अनुप्रयुक्त पोषाहार कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम के लिए 2.43 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी, जिसकी तुलना में 1.93 करोड़ रु० की राशि खर्च हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण लोगों के पोषाहारिक स्तर को उन्नत करने में आत्मनिर्भरता के अनुरूप कार्यकलापों को बढ़ावा देना है।

1978-79 की वार्षिक योजना

5. वर्ष 1978-79 के लिए विभिन्न पोषाहार कार्यक्रमों के लिए 35.86 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

अनुपूरक पोषण कार्यक्रम

6. 0-6 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों तथा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम और 6-11 वर्ष के आयुवर्ग के पढ़ने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को और अधिक विस्तार किया जाएगा। इस वर्ष एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम परियोजनाओं के समावेशन सहित इन दो पोषण कार्यक्रमों के अन्तर्गत लगभग 13 लाख अतिरिक्त लाभग्राहियों को लाने का प्रस्ताव है।

खाद्य विभाग की पोषाहार स्कीमें

7. खाद्य का सुरक्षण, पोषाहार संबंधी शिक्षाऔर विस्तार-कार्यक्रम, अनुसंधान और सर्वेक्षण कार्य, आदि जैसी विभिन्न चल रही पोषाहार स्कीमों को जारी रखने और उनका विस्तार करने के लिए 3.41 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। 1978-79 में बालाहार का उत्पादन 40,000 टन होने की आशा है।

अनुप्रयुक्त पोषाहार कार्यक्रम

8. चल रहे और प्रचालनोत्तर खंडों के अलावा इस कार्यक्रम का 140 और खंडों में विस्तार किया जाएगा। इसमें नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और मिजोरम के कुछ खंड शामिल होंगे, तथापि यह 'यूनिसेफ' की सहायता के बिना होगा। 1978-79 में इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय क्षेत्रों में 3.93 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। पूर्ति और प्रबंध के जो कार्य अभी तक यूनिसेफ द्वारा किए जा रहे थे, उन्हें करने के लिए इसमें 1.37 करोड़ रु० की व्यवस्था शामिल है। धनराशि की व्यवस्था के शेष भाग का उपयोग चल रहे, प्रचालनोत्तर और नए खंडों को केंद्रीय सहायता देने के लिए किया जाएगा।

स्वास्थ्य पर आधारित पोषाहार कार्यक्रम

9. माताओं और बच्चों में पोषाहारिक एनिमोया के विरुद्ध प्रोफिलैप्सिस और विटामिन 'ए' की कमी के परिणामस्वरूप बच्चों में होने वाले अन्धेपन के नियंत्रण जैसे स्वास्थ्य पर आधारित पोषाहार कार्यक्रमों को इस वर्ष जारी रखा जाएगा और उनका विस्तार किया जाएगा। 1977-78 में 1.50 करोड़ रु० की व्यवस्था के मुकाबले स्वास्थ्य क्षेत्र में उपर्युक्त कार्यक्रमों को जारी रखने और उनका विस्तार करने के लिए 2.80 करोड़ रु० की राशि की व्यवस्था की गई है।

10. पोषहार कार्यक्रमों के लिए परिव्यय का ब्यौरा अनुलग्नक 16.3 में दिया गया है।

अध्याय 17

पिछड़े वर्गों का विकास

1977-78 में हुई प्रगति की समीक्षा

पंच वर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में 121.49 करोड़ रु० के परिव्यय के मुकाबले पिछड़े वर्गों के विकास पर प्रत्याशित व्यय 124.51 करोड़ रु० था। केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच व्यय और जनजातीय उप योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित आंकड़े निम्नलिखित हैं :

(करोड़ रु०)

	परिव्यय 1977-78	प्रत्याशित व्यय 1977-78
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	48.26	51.34
केन्द्र	18.23	18.17
जनजातीय उप योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	55.00	55.00
जोड़	121.49	124.51

राज्य योजनाएं

2. राज्य क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के लिए 51.34 करोड़ रु० के प्रत्याशित व्यय में से 23.39 करोड़ रु० (43 प्रतिशत) शिक्षा कार्यक्रमों पर व्यय किए गए, 10.04 करोड़ रु० (19 प्रतिशत) आर्थिक स्कीमों पर और 16.58 करोड़ रु० (30 प्रतिशत) स्वास्थ्य, आवास और अन्य स्कीमों पर व्यय किए गए। कुल व्यय का लगभग 8 प्रतिशत निदेशन और प्रशासन पर व्यय किया गया। शैक्षणिक कार्यक्रम के अन्तर्गत, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लगभग 9 लाख छात्रों को मैट्रिक-पूर्व छात्र-वृत्तियां दी गईं और अन्य 6 लाख को विभिन्न शैक्षणिक प्रोत्साहन दिए गए। इसके अलावा इस वर्ष 241 नए छात्रावास स्थापित किए गए और 558 छात्रावास और स्कूल के भवनों का निर्माण किया गया और 153 नए आश्रम स्कूल शुरू किए गए। पिछड़े वर्गों के क्षेत्र के अंतर्गत शैक्षणिक स्कीमों के अतिरिक्त, राज्य सरकारें अपने योजनेतर बजट में लगभग 15.40 करोड़ रु० मैट्रीकोत्तर छात्रवृत्तियों पर व्यय कर रही हैं। कृषि निवेश, कुटीर उद्योग और विभिन्न हस्तशिल्पों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अनुदानों/राज्य सहायता से लगभग 18 लाख अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को लाभ पहुंचा। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए गए अनुसूचित जातियों के 10 वित्तीय विकास निगम अनुसूचित जातियों को विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों के लिए ऋण की सुविधाएं देते रहे। इन निगमों द्वारा दी गई सहायता से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 1.96 लाख थी। आवास के लिए अनुदानों और राज्य सहायता की स्कीम के अन्तर्गत 36,000 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लाभ पहुंचा; हरिजन बस्तियों में पीने के पानी की पूर्ति के लिए 5,300 कुएं खोदे गए और 400 से अधिक अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कानूनी सहायता दी गई।

3. पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत स्कीमों के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विकास के सामान्य क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों से भी लाभ मिला है। अनेक राज्यों ने उन्नत कृषि प्रणालियां, छोटी सिंचाई, उर्वरकों और बीजों का वितरण, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों, स्वास्थ्य, आवास और पीने के पानी की पूर्ति जैसी विभिन्न स्कीमों में से इसके लिए परिव्यय निर्धारित किए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए उनके सम्बन्धित राज्यों में उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं। इस प्रकार के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशिक्षणार्थियों को अन्य प्रशिक्षणार्थियों को मिलने वाली वृत्तिका के मुकाबले ऊंची दर की वृत्तिका दी जाती है। प्रशिक्ष, प्रशिक्षणार्थियों के अंतर्गत, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशिक्षणार्थियों की संख्या क्रमशः 16,768 और 3,972 थी। एक लाख विमुक्त बंधुआ मजदूरों में से, जो अधिकांशतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं, 28,728 व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया। आवास

क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण आवास, गंदी बस्तियों की सफाई और निम्न आय वर्ग आवास जैसी स्कीमों से भी इन श्रेणियों के लोगों को लाभ पहुंचा। एकीकृत बाल विकास स्कीम का जनजातीय क्षेत्रों में विस्तार किया गया। 1977-78 तक ग्यारह परियोजनाएं चल रही थीं। न्यूनतम आवश्यकता कर्यक्रम के अंतर्गत, आरम्भिक शिक्षा, पीने के पानी की पूर्ति, मकान स्थल स्कीम, ग्रामीण सड़कें और ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत अधिकांश कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लाभग्राहियों को प्राथमिकता दी जाती है। इन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मानकों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के संबंध में छूट दी गई।

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

4. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्र वृत्तियों का क्षेत्र बढ़ा दिया गया ताकि शिक्षा की 10+2 3 प्रणाली के अंतर्गत 11 वीं और 12 वी कक्षाओं के छात्र भी इस बढ़ी हुई व्याप्ति में आ सकें। समीक्षाधीन वर्ष में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों पर 15.85 करोड़ रु० व्यय किए गए और इस स्कीम से अनुसूचित जातियों जन जातियों के 4.13 लाख छात्रों को लाभ मिला। अस्वच्छ व्यवसायों में लगे हुए अनुसूचित जातियों के बच्चों को प्रति वर्ष मैट्रिक-पूर्व 1000 छात्रवृत्तियाँ देने को एक नई स्कीम 1977-78 में आरंभ की गई थी। राज्यों में, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा संचालित 22 परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों और 4 अनुशिक्षण और संदर्शन केन्द्रों को जारी रखा गया, जिनमें से प्रत्येक में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अखिल भारतीय सेवाओं तथा राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अनुशिक्षण देने के लिए 40-50 स्थान थे। 1977-78 के अंत तक 626 बालिका छात्रावास थे जिसमें 22,80 स्थान थे। इस क्षेत्र में कार्यतल 22 अखिल भारतीय और स्वैच्छिक संगठनों को को 70 लाख रु० के अनुदान मंजूर किए गए। वर्तमान जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को 20 लाख रु० की सहायता दी गई। यह सहायता एकीकृत जनजातीय विकास के लिए परियोजना रिपोर्टें तैयार करने और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए दी गई थी।

जनजातीय उप-योजना

5. वर्ष 1977-78 में जनजातीय उप योजनाओं के लिए, राज्य योजनाओं के अंतर्गत अनुमानित व्यय और विशेष केन्द्रीय सहायता इस प्रकार थी :

(करोड़ रु०)

	अनुमानित व्यय
राज्यों से प्राप्त	257.22
विशेष केन्द्रीय सहायता	55.00
जोड़	**312.22**

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली कुल 178 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं में से 1977-78 के अंत तक 129 परियोजनाएं तैयार की गईं। इस वर्ष में महत्वपूर्ण उपलब्धि यह बात थी कि अधिकांश राज्य, उप योजना परियोजनाओं को क्षेत्रवार अलग-अलग तैयार कर सके और प्रत्येक परियोजना के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर सके जिससे जनजातीय उप योजना क्षेत्रों में संभावित प्रयासों की ओर अधिक वास्तविक स्थिति प्राप्त करना संभव हो सका है। इस वर्ष में राज्य योजनाओं से सभी जनजातीय उप योजना क्षेत्रों को दी जाने वाली कुल राशि 257.22 करोड़ रु० थी, जबकि 55 करोड़ रु० विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में आवंटित किए गए थे।

6. कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का विकास जनजातीय क्षेत्रों में प्रमुख कार्यक्रम है। जनजातीय क्षेत्रों में कृषि विकास के संबंध में भावी लक्ष्य 1977-78 मे तैयार किया गया था। इस प्रयोजन के लिए जनजातीय क्षेत्रों को विभिन्न संसाधन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है और इसका आधार है—उस क्षेत्र में यिद्यमान कृषि-जलवायु संबधी दशाएं। इन क्षेत्रों मे प्रत्येक के लिए कृषि कार्यक्रमों का विकास राज्य सरकारों के परामर्श से स्थानीय संसाधन क्षमता के संदर्भ में किया जाता है। अनेक जनजातीय क्षेत्रों में नई प्रणालियों का प्रदर्शन और उन्नत बीजों का प्रचलन पहली बार बड़े पैमाने पर किया गया। कुछ राज्यों में सामूहिक प्रदर्शन आरम्भ किए गए और बड़ी संख्या में मिनीकिट वितरित किए गए। जनजाति के युवकों को कृषि प्रणालियों को गहन प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए। भू संरक्षण के कार्यक्रम को प्रणालीबद्ध करने के लिए उपाय किए गए। जनजातीय क्षेत्रों को कृषि संबंधी समस्याओं के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संदर्शन में, संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा 4 परियोजनाएं शुरू की गईं जिनमें से 2 मध्य प्रदेश में, एक उड़ीसा में और एक राजस्थान में थी।

7. अधिकांश जनजातीय विकास क्षेत्रों में सिंचाई का स्तर मुश्किल से 2 से 3% है। बहते हुए तथा भौम जल स्रोतों से सिंचाई करने की क्षमता बहुत अधिक है। कुछ राज्यों द्वारा मास्टर योजनाएं तैयार की गई हैं और इनके कार्यान्वयन की भी प्रगति तेज हुई है। झूम खेती की समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकारों से इस समस्या के स्पष्ट परिप्रेक्ष्य से परिचित होने और ऐसा सम्मिश्रित कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा गया जिसमें भू-संरक्षण, बागबानी, वन उद्योग, उपनिवेशन,

भूमिहीन मजदूरों आदि की स्थापना जैसे सभी तत्व आ जायें।

8. वन उद्योग और जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों को संबद्ध करने के लिए कार्रवाई की गई। वन उत्पादों को निकालने और उनके विपणन में ठेकेदारों को समाप्त करने तथा उनके स्थान पर सहकारी समितियों को लाने के उद्देश्य से तथा प्रक्रमण इकाइयों की स्थापना करने, पुनः पौधरोपण क्षेत्रों मे अंतर-फसली फसलें उगाने, जलाने की लकड़ी, पौध लगाने और जन-जातीय लोगों को प्रशिक्षण देने तथा वन पर आधारित उद्योगों में उनके संक्लियन के लिए जनजातीय क्षेत्रों में वन उद्योग के संबंध में एक कार्यनीति तैयार की गई। पांचवीं योजना में आरंभ किये गये प्राथमिक सहकारी समितियों को बड़ी बहु-उद्देश्यीय सहकारी समितियों में बदलने के पुनर्गठन कार्यक्रम के परिणाम-स्वरूप इस प्रकार की 1414 समितियां (बड़ी कृषि बहु-उद्देश्यीय समितियां) संगठित की गई हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए मानकों में छूट प्रदान की, और ग्रामीण विद्युतीकरण को उद्वहन सिंचाई तथा ग्रामीण उद्योगों से संबद्ध करने के लिए भी प्रयास किए गये। जनजातीय क्षेत्रों में अल्प साक्षरता की समस्याओं को दूर करने के लिए कार्रवाई की गई। अल्प शिक्षा वाले क्षेत्रों को साक्षरता-शिक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत ले आने के लिए जिन क्षेत्रों में जहां प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्तर से ऊपर के शिक्षा संस्थान नहीं हैं, वर्तमान मिडिल स्कूलों और हाई स्कूलों में छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किये गये। जनजातीय क्षेत्रों मे स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा और अधिक संतुलित समावेशन प्राप्त करने लिए कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य सेवाओं के समावेशन के संबंध चुने हुए क्षेत्रों का विशेष सर्वेक्षण शुरू किया गया। समाज कल्याण क्षेत्र के अंतर्गत ग्यारह एकीकृत बाल देखभाल सेवा परियोजनाएं शुरू की गईं।

1978-79 की वार्षिक योजना

9. पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कुल 166.19 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस परिव्यय के केन्द्रीय क्षेत्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों तथा जनजातीय उप-योजनाओं के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रु०)

	परिव्यय
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	72.07
केन्द्र	24.05
जोड़ :	96.12
जनजातीय उप-योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	70.00
कुल जोड़ :	**166.12**

राज्य योजनाएं

10. राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों के विकास के लिए 72.07 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 1.77 करोड़ रु० शामिल हैं। 1978-79 के लिए, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए परिव्यय के ब्यौरे अनुलग्नक 17.1 में दिए गए हैं। शिक्षा पर बल दिया जाना जारी रहेगा और परिव्यय का 45 प्रतिशत भाग इसके लिए उपयोग किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पिछड़े वर्गों के छात्रों को प्रारम्भिक और हायर सेकंडरी स्तर की शिक्षा के लिए छात्र-वृत्तियां/वृत्तियां/अधिवृत्तियां आदि के रूप में प्रोत्साहन देने की व्यवस्था शामिल है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए छात्रावास, रहने की व्यवस्था और विशेष अनुशिक्षण दिया जाएगा। आर्थिक विकास के लिए परिव्यय की 12 प्रतिशत धनराशि, कृषि निवेशों और सिंचाई की सुविधाओं, पशुपालन, बागबानी, कुटीर उद्योगों आदि के लिए अनुदानों और उपदान सहायता के जरिए सहा-यता के रूप में उपयोग में लाई जाएगी। कुछ राज्यों ने अनु-सूचित जातियों/जनजातियों को व्यावसायिक केन्द्र/दुकानें स्थापित करने के लिए सहायता देने की स्कीमें तैयार की हैं। लगभग 35 प्रतिशत धनराशि हरिजनों के लिए मकानों और मकानों के लिए स्थानों की व्यवस्था के लिए अनुदानों और उपदान सहायता के रूप में खर्च की जाएगी जिससे कि हरिजन वस्तियों और जनजातीय क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था, अन्तर्जातीय विवाहों के लिए प्रोत्साहन और स्वैच्छिक संगठनों को आर्थिक सहायता भी सुनिश्चित की जा सके। राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए स्थापित किए गए वित्त और विकास निगमों को पुनः व्यवस्थित किया जाना है उन्हें इक्विटी धनराशि की सहायता दी जानी है। ये निगम विभिन्न उत्पादक कार्यकलापों के लिए ऋण की सुविधाएं प्रदान करेंगे।

11. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 प्रतिशत और इससे अधिक अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वाले 300 खंडों को गहन विकास के लिए नियत किया जाएगा। थोड़ी खेती वाले अनुसूचित जातियों के खेतिहरों, अनुसूचित जाति के भूमिहीन खेतिहरों और दस्तकारों के लिए विशेष स्कीमें तैयार की जाएंगी। इन स्कीमों का उद्देश्य लोगों के लिये कृषि, पशुपालन, मीन उद्योग और ग्रामीण दस्तकारियों के लाभदायक रोजगार की व्यवस्था करना होगा। लोगों की दक्षता को बढ़ाने के लिए उन्हें खादी और ग्राम उद्योगों के कामों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों में दक्ष लोगों का अभाव है, इसलिए कुछ राज्यों का विचार इन श्रेणियों के लोगों के लिए जगहों के आरक्षण के साथ-साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था करने का है।

12. विभिन्न सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में, पिछड़े वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से स्कीमों को नया रूप दिया जाएगा। परिशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, खासकर ऐसी स्कीमों के अन्तर्गत जैसे प्रारम्भिक शिक्षा, प्रौढ़ साक्षरता, हरिजन बस्तियों में पीने के पानी की व्यवस्था, ग्रामीण सड़कें और ग्रामीण विद्युतीकरण गंदी बस्ती क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जातियों के लोगों को पर्यावरणीय सुधार स्कीम से काफी लाभ होगा। इसके अलावा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अधिक आयादी वाले क्षेत्रों में 0-6 आयु-वर्ग के अल्प-पोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए अनुपूरक पोषक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा।

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

13. पांचवीं पंच वर्षीय योजना की अवधि में कार्यान्वित की जा रही सभी केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें चलती रहेंगी और 1978-79 में दो नई स्कीमें शुरू की जाएंगी। मैट्रीकोत्तर छात्र-वृत्ति स्कीम से, जिसके लिए 2000 लाख रु० का परिव्यय है, अनुसूचित जातिया/अनुसूचित जनजातियों के 4.55 लाख छात्रों को लाभ होने का अनुमान है। अस्वच्छ व्यवसायों में लगे अनुसूचित जातियों के बच्चों को 1000 मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां दी जाएंगी जिसके लिए योजना में 15.00 लाख रु० की व्यवस्था की गई है। छात्राओं के लिए छात्रावास स्कीम और अनुशिक्षण तथा सम्बद्ध स्कीम का विस्तार किया जाएगा। विभिन्न राज्यों में 11 जनजातीय अनुसंधान संस्थान और 6 अनुसंधान कक्ष चलते रहेंगे जो इस समय एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना को तैयार करने में, मूल्यांकन और सर्वेक्षण कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अखिल भारतीय या अन्तर्राज्यीय किस्म की समस्याओं और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए किए जा रहे कल्याण कार्यक्रमों के लिए अखिल भारत स्वैच्छिक संगठन सहायता अनुदान प्राप्त करते रहेंगे। नागरिक सुरक्षा अधिनियम की सुरक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 50 लाख रु० की व्यवस्था की गई है। केंद्र और राज्यों में स्थापित किए गए विशेष सतर्कता कक्ष अनुसूचित जातियों के लोगों की अस्पृश्यता सम्बन्धी तथा अन्य शिकायतों के मामलों को तेजी से निपटाने में मदद करेंगे। इन कक्षों के पास अधिनियम की व्यवस्थाओं के प्रचार और प्रसार तथा कार्यान्वयन के काम होंगे। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए मेडिकल तथा इंजीनियरी कालेजों में पुस्तक बैंकों के खोलने की एक नई स्कीम शुरू की गई है जिसके लिए 50 लाख रु० का परिव्यय रखा गया है। अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए विशेष स्कीमें बनाने/तैयार करने के लिए और 50 लाख रु० की व्यवस्था की गई है। 1978-79 के लिए स्कीमवार परिव्यय अनुलग्नक 17.2 में बताए गए हैं।

जनजातीय क्षेत्रों के लिए उप-योजना

14. वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से हरेक एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम की आवश्यकताओं का निर्धारण करने और वित्तीय आवश्यकताओं का पता लगाने, जिसके आधार पर उनकी क्षेत्रीय प्राथमिकताएं तय की जाएंगी, के लिए अलग-अलग परिव्यय की व्यवस्था के पहले के दृष्टिकोण को यदल कर उप-योजना कार्यक्रमों को तैयार करने की कार्य-पद्धति कर दी जाएगी। इन परियोजनागत योजनाओं में पहले किए गए निवेशों का एकीकरण करने पर और इस समय कार्य कर रहे संस्थान-तंत्र का इष्टतम उपयोग करने पर विशेष बल दिया जाएगा।

15. हर क्षेत्र के विशेष सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जनजातीय उप क्षेत्रों में चल रहे कार्यक्रम रोजगारोन्मुख बनाए जाएंगे। जनजातीय उप योजना क्षेत्र के आर्थिक कार्यक्रमोंमें, अलग-अलग हरेक कृषि उप-क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए फसल सुधार, बागबानी, पशुपालन, बारानी खेती जैसे कृषि और सम्बद्ध कार्य-कलापों के विकास पर बल दिया जाएगा। खेती के फार्मों, पशु-प्रजनन फार्मों और मुर्गी फार्मों को उनके बड़े पैमाने पर विस्तार करने के उद्देश्य से आसपास के विशिष्ट क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा। पशुपालन कार्यक्रमों के विस्तार के साथ-साथ चरागाह की क्षमता वाले क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। उड़ीसा, मणिपुर, त्रिपुरा जैसे राज्यों में झूम खेती कार्यक्रम के परिणामों की सम्भावनाओं का खाका तैयार किया जाएगा तथा खेती से परिवर्तित होने वाले इन जन-जाति के लोगों के लिए पुनः व्यवस्था करने के लिए एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों में, जहां खेती नहीं की जा सकती, वहां बागबानी के कार्यक्रम पर बल दिया जाएगा। वन उद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे-छोटे वन उत्पादों के एकत्र करने पर और विपणन पर बल दिया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों की सभी सहकारी समितियों को बड़ी बहु-उद्देश्यीय सहकारी समितियों के परिधि-क्षेत्र में लाया जाएगा। इससे जनजातीय लोगों को उनके कृषि और वन उत्पादों के लिए अच्छी कीमत मिलने और उचित कीमत पर उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद मिलेगी।

16. जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक सेवाओं के विकास के क्षेत्र में साक्षरता के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ बच्चों और प्रौढ़ों के लिए अनौपचारिक शिक्षा का एक मूल कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। रतिज रोगों, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, मिचली, आदि जैसे रोगों को दूर करने के लिए उपायों को तेज किया जाएगा। जनजाति के लोगों को उनके रहने के स्थान से एक उपयुक्त दूरी के भीतर पीने के पानी की व्यवस्था करने के उद्देश्य से पीने के

पानी की पूर्ति से सम्बन्धित स्कीमें शुरू की जाएंगी । ऐसे जनजातीय समुदायों के हित की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिन पर असमान प्रतियोगिता के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । औद्योगिक और खान क्षेत्रों के आसपास के जनजातीय क्षेत्रों में, जहां कि जनजाति के लोग पीछे रह गए हैं, उनकी दशा सुधारने के लिए व्यापक और व्यवस्थित प्रयास शुरू किए जाएंगे ।

17. वर्ष 1978-79 में, जनजातीय क्षेत्रों में राज्यों द्वारा 341.43 करोड़ रु० खर्च किए जाने का अनुमान है । जनजातीय उप योजना क्षेत्रों के लिए राज्य क्षेत्र के कार्यक्रमों के अलावा 70 करोड़ रु० विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में दिए गए हैं, जिसमें आदिम जनजातियों के विकास के लिए 1.04 करोड़ रु० भी शामिल हैं ।

अध्याय 18

विज्ञान और शिल्पविज्ञान

विज्ञान और शिल्पविज्ञान के कार्यक्रमों के निर्धारण, समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के अंतर्गत उपयुक्त व्यवस्था और तंत्र विकसित करने पर जोर दिया गया है। विज्ञान और शिल्पविज्ञान के निवेशों को विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं के साथ सम्बद्ध करने के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली का विकास करने, अनुसंधान संबंधी प्रयत्नों का मूल्यांकन करने और ऐसे कार्यक्रमों के लागत-लाभ सम्बन्धी पहलुओं के परिमापन की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। परिशोधित राष्ट्रीय प्राथमिकता के परिप्रेक्ष्य में अनुसंधान और विकास के जिन क्षेत्रों पर प्रमुख बल दिया जाना है उनके पुनः अभिविन्यास के महत्त्व को स्थापित किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान और शिल्पविज्ञान के कार्यक्रमों की कुछ मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित पैराग्राफों में बताई गई हैं :

कृषि और सिंचाई

2. प्रमुख खाद्य और वाणिज्यिक फसलों की उन्नत किस्मों का विकास, खाद्य फसलों के रोग और नाशक जीव प्रतिरोधक विकृतियां, सूरजमुखी का फूल और सोयाबीन दूध, मांस और ऊन की अधिक मात्रा में प्राप्ति के लिए पशुधन का आनुवंशिक उन्नयन—ये अनुसंधान के महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं। संरचनाओं की अर्थ-व्यवस्था पर और शीघ्र कार्यान्वयन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले अनुसंधान को बढ़ावा देने की दृष्टि से बांधों, बराजों, सुरंगों, और अंतर्ग्रहीत संरचनाओं के अभिकल्प के क्षेत्रों में अधिक अध्ययनों का प्रस्ताव किया गया है। अधिक अच्छे जल प्रबन्ध की दृष्टि से उन्मुख अनुसंधान के कुछ क्षेत्र हैं—जलाशयों के अवसादन सम्बन्धी अध्ययन, यंत्रीकरण और चलजलीय संरचनाएं।

राष्ट्रीय संसाधन सर्वेक्षण

3. राष्ट्रीय सुदूर सुग्राही अभिकरण नासा की उपग्रह शृंखला से सीधे पृथ्वी के संसाधनों से संबन्धित आंकड़े प्राप्त करने के लिए एक भू-केंद्र स्थापित करेगा। कुछ राज्यों के लिए किए गए सुदूर सर्वेक्षण कार्यक्रम में नागालैंड और ऊपरी वराक क्षेत्र के लिए परियोजनाएं, कर्नाटक के कुछ सूखा-प्रवृत्त क्षेत्रों के जल संसाधनों और जल निकासी संबंधी अध्ययन, कोसी नदी का सर्वेक्षण, आदि शामिल हैं। समुद्रविज्ञान और शिल्पविज्ञान अभिकरण की स्थापना की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है। स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और मानचित्रण के प्रयत्न के एक भाग के रूप में उद्वहन सिंचाई परियोजनाएं, पूर्वी और पश्चिमी बोकारो कोयले की खानों और नहरों के क्षेत्र आते हैं। मानसून 1977 परीक्षण 1977 के मौसम में किया गया गया जिसमें भू-मध्य रेखीय हिन्द महासागर और पूर्वी अरब सागर में प्रेक्षण कार्यक्रम में 4 विदेशी अनुसंधान जहाजों और दो भारतीय जहाजों ने भाग लिया था। मोनेक्स 1979 के परीक्षणों के लिए आंकड़ों आधार सम्बन्धी सुविधाओं को तैयार करने के कार्यक्रमों में मार्च, 1979 तक काफी प्रगति हो जाएगी।

4. ऐसी आशा है कि भारत गोल्ड माइन्स लि० की सामग्री परीक्षण को प्रयोगशाला 1979 की पहली तिमाही में काम करने लगेगी। सन्निक्षेप सामग्री से शीलाइट निष्कर्षण से सम्बन्धित प्रायोगिक संयंत्र चालू किया जाएगा। हिन्दुस्तान जिंक लि० और भारतीय खान ब्यूरो में अयस्क प्रसाधन और समूहन के लिए अनुसंधान और विकास संबंधी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं।

ऊर्जा

5. विज्ञान और शिल्प विज्ञान विभाग की सौर ऊर्जा परियोजना के एक भाग के रूप में अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जो अनाज को सुखाने और उसके भंडारण, जल तापन सिंचाई के लिए पानी को पंप से निकालने और सौर प्रणालियों पर आधारित बिजली के उत्पादन, आदि की सुविधाओं की दृष्टि से विशेष रूप से बनाए गए हैं। एम०एच०डी० विद्युत अनुसंधान कार्यक्रम चल रहा है। इस वर्ष भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा भारत में और विदेशों में उपयोगकर्त्ताओं को

विभिन्न विकिरणाभिक उत्पादों के 40,000 आर्डरों की पूर्ति की गई है । इस वर्ष विकीरण जंतुकरण संयंत्र 'आईसोमेड' में विभिन्न चिकित्सा उत्पादों के 11000 क्यू०मी० को बंधीकृत किया। तीव्र प्रजनक परीक्षण रियेक्टर के लिए अधिकांश सिविल इंजीनियरी संबंधी निर्माण-कार्य और उपस्करों की स्थापना का कार्य 1978-79 में पूरा हो जाने की आशा है। रियेक्टर अनुसंधान केंद्र को ईंधन पुन: प्रक्रमण विकास प्रयोगशाला में, निष्क्रिय इंजीनियरी प्रयोगशाला, यंत्रीकरण प्रयोगशाला और लैंड हाट सैल्स के पूरी हो जाने पर यह प्रयोगशाला आंशिक रूप से चालू हो जाएगी। सुदूर सुग्राही आकाशी सर्वेक्षण और फोटो भू-विज्ञानी पद्धतियों का विकास—वे परमाणु खनिज सर्वेक्षण कार्यक्रमों की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं।

6. केन्द्रीय विद्युत् अनुसंधान संस्थान में देसी कागज-रोधन, ट्रांसफार्मर के प्रयुक्त तेल के उद्धारण, दीर्घावधि काल मापित्र और केबल.दोष निर्धारक जैसी कुछ स्कीमों का विकास कार्य उत्पादन के चरण तक पहुँच गया है और इस प्रयोजन के लिए लघु उद्योगों की सुविधाओं का पता लगाया जा रहा है। भू-तापीय विद्युत् परियोजना के अंतर्गत अन्वेषण और विकास के एक भाग के रूप में पार्वती घाटी क्षेत्र में 90 वर्ग कि० मी० का और पश्चिम तट पर लगभग 50 वर्ग कि०मी० के भू-वैज्ञानिक जल और भू-वैज्ञानिक मानचित्रण का काम पूरा किया गया।

7. क्षमता वाले क्षेत्रों के मूल्यांकन के आधार पर विस्तृत भू-भौतिक अध्ययन और अन्वेषक वेधन करने की परिकल्पना है। कोयले के क्षेत्र में विज्ञान और शिल्पविज्ञान के कार्यक्रमों में ये शामिल हैं—विगैसन अध्ययन (मैथान निकासी), चार विशिष्ट खानों में स्तर नियंत्रण अन्वेषण, सामग्री संचयन परियोजनाएं और द्रवचालित खनन तकनीकों की अनुप्रयोज्यता

8. भारतीय पैट्रो-रसायन लि० और भारतीय तेल निगम के अंतर्गत आंतरिक अनुसंधान और विकास की सुविधाएं स्थापित की गई हैं। पैट्रो-रसायनों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास प्राथमिक रूप से देश में बनाए जाने वाले पोलीमर की प्रक्रिया में सुधार करने और उनके क्षेत्र का विस्तार करने में सहायता देने के लिए है। जलाशय अध्ययन संस्थान के लिए अधिकांश सुविधाएं स्थापित की जा चुकी हैं और पैट्रोलियम अन्वेषण क्षेत्र में वेधन शिल्पविज्ञान संस्थान की स्थापना का कार्य चल रहा है।

औद्योगिक अनुसंधान

9. प्रयोगशालाओं और सम्बन्धित उपयोक्ता विभागों, मंत्रालयों के बीच घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने की दृष्टि से, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की कुछ प्रयोगशालाएं और सहकारी अनुसंधान संस्थाएं सम्बन्धित मंत्रालयों से सम्बद्ध कर दी गई हैं। प्रयोगशाला के स्तर पर विकसित की जा रही जिन प्रक्रियाओं के उद्योगों को दिए जाने की संभावना है उनमें कृषि-औद्योगिक अपशिष्ट से प्राप्त होने वाला फरफ्यूरल लघु चावल मिल, स्थिर वैद्युत् फोटोग्राफी का कागज आदि शामिल है। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में जिन अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों में बल दिया गया है, वे हैं—प्राकृतिक उत्पादों का विकास और उनका उपयोग, कृषि और वन-उद्योग के अवशिष्ट का उपयोग, शीशा, मृत्तिका शिल्प, चमड़ा, खाद्य प्रक्रमण के क्षेत्रों में उपयुक्त शिल्पविज्ञानों का विकास, औषधियों और भेषजों, कृषि रसायन, उत्तम रसायन जैसे रासायनिक उद्योगों से संबन्धित अनुसंधान और विकास तथा विशेष सामग्री और यंत्रीकरण के क्षेत्र में कार्य।

10. सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के आंतरिक अनुसंधान और विकास की सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। विद्युत् उपस्कर और मशीनों के क्षेत्रों में किए जा रहे अनुसंधान और विकास के प्रयत्न, बायलरों के लिए ऊष्मा अंतरण संबंधी अध्ययन, निदर्श जल परीक्षण तथा संधारित्रों, ट्रांसफार्मरों, आदि के विकास से सम्बन्धित हैं। भोपाल स्थित अति उच्च वोल्टता प्रयोगशाला के वर्ष 1978-79 में पूरे हो जाने और काम शुरू कर देने की आशा है और इसमें उपलब्ध सुविधाओं से 400 कि० वा० के विद्युत् ट्रांसफार्मर, उपकरण ट्रांसफार्मर, स्वीचगियर, आदि के प्ररूप परीक्षण में सहायता मिलेगी। तिरुचि में वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है और बायलर ड्रम के लिए स्थायीकर की डिज़ाइन, मिग वेल्डिंग मशीनों का विकास, संधारित्र बक्सों का विनिर्माण, आदि से सम्बन्धित कई परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। मशीन औजार के विकास के क्षेत्र में, विद्युत् विसर्जन मशीन और स्पंद जनित्र की डिजाइनें पूरी तरह से तैयार की जा चुकी हैं तथा हल्के काम के लिए प्रतिरूपण लेथ और अग्र स्वचालित खरादी लेथ के विकास का काम पूरा किया जा चुका है। कागज और लुगदी शिल्प विज्ञान, उपकरण और यन्त्रीकरण, फोटो फिल्म, आदि के क्षेत्रों में आंतरिक अनुसंधान और विकास संबंधी सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं और बढ़ाई जा रही हैं।

11. विज्ञान और शिल्पविज्ञान विभाग के उपकरण विकास कार्यक्रम में ऐसी अनेक उपकरणों के शिल्पविज्ञान और उत्पादन सम्बन्धी तकनीकी जानकारी का विकास आता है, जैसे स्टीरियोस्कोप, माइक्रोफिलमपाठी, तुल्य कालक, रक्षण प्रणालियाँ, बाइनोकुलर, धूप अभिलेखक, आदि। इस समय चल रहे शिल्प विज्ञान विकास में क्रमवीक्षण इलेक्ट्रोन सूक्ष्म दर्शी, उच्च शक्तियुक्त लैसर प्रणालियाँ और परिष्कृत कैमरे का विकास शामिल हैं। इस्पात के क्षेत्र में इस समय चल रहे अनुसंधान और विकास के प्रयत्न कच्चे माल को तैयार करने से संबंधित हैं जिसमें लौह अयस्क का सज्जीकरण, इष्टिका सम्मिश्रण

कोकिंग प्रक्रिया शिल्पविज्ञान, कोयला धूली अंतः क्षेपण शिल्पविज्ञान, इष्टतम धातुमल क्षेत्र, एल० डी० परिवर्तक आस्तर में सुधार और अभिकलित बिलेट कर्तन संक्रिया तथा एल०डी० परिवर्तक संक्रिया जैसे कुछ प्रक्रिया नियंत्रण कार्यक्रम आते हैं।

खादी और ग्राम उद्योग

12. वर्तमान अनुसंधान और विकास संबंधी प्रयत्न खादी उद्योग, मधु मक्खी पालन, खंडसारी, चूना और मिट्टी के बर्तन के सुधार से सम्बन्धित हैं। हाथ से बने कागज तथा अनाज और दालों के प्रक्रमण के लिए नए कार्यक्रमों की परिकल्पना है। नारियल जटा से सम्बन्धित कुछ अनुसंधान और विकास सम्बन्धी प्रयत्न हैं—रेशा निकालने और कातने, रंगाई और परिष्करण, आदि के लिए उन्नत पद्धतियों का विकास करना। जालंधर में एक हाथ औजार संस्थान स्थापित किया जा रहा है।

संचार, इलैक्ट्रानिक्स और अंतरिक्ष अनुसंधान

13. दूर संचार अनुसंधान केन्द्र, भारतीय टेलीफोन उद्योग, हिंदुस्तान टेलीप्रिन्टर्स और विदेश संचार के अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यक्रम इन विषयों से संबंधित हैं—सूक्ष्म तरंग प्रणालियों का विकास, समास प्रणालियों का अध्ययन, अति उच्च आवृत्ति (वी०एस०एफ०) बहु चेनल प्रणाली, भारतीय क्रास-बार प्रणाली में सुधार आदि। विद्युत् दूर मुद्रकों के विभिन्न प्रतिरूपकों और अभिकलित्र पर आधारित सुविधाओं के लिए सहायक व्यवस्थाओं का विकास किया जा रहा है।

14. उपग्रह दूर संचार प्रयोग परियोजना ने डाक-तार विभाग और यूरोपीय अंतरिक्ष अभिकरण के सहयोग से जून, 1977 में काम करना शुरू किया। प्रायोगिक भू-संसाधन प्रेक्षण उपग्रह की संविरचना के काम में काफी प्रगति हुई है; इसे चालू वर्ष में सोवियत संघ से छोड़ा जाना है। ऐरियन यात्री-नीतभार प्रयोग अंतरिक्ष यान से सम्बन्धित आवश्यक सुविधाओं के लिए काम को तेज किया गया है और यह अंतरिक्ष यान यूरोपीय अन्तरिक्ष अभिकरण को 1979 के अंत तक दिया जाना है। 1978-79 में एस०एल०बी० की अनेक उप-कक्षीय उड़ानें और स्थैतिक परीक्षण किए जाने की आशा है।

15. इलैक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा वित्त-यवस्था की जाने वाली शिल्पविज्ञान विकास सम्बन्धी कुछ परियोजनाओं के परिणामस्वरूप वास्तविक उत्पादन हुआ है, जैसे चिकित्सा इलैक्ट्रानिक उपस्कर, समुदायिक टी०वी० रिसीवरों के लिए एंटीना, अभिकलित्र से सम्बन्धित सामान, घन अवस्था दोलन-दर्शी आदि नए कार्यक्रमों में चीनी और कागज जैसे अनेक उद्योगों के लिए जैव-रासायनिक ट्रांसड्यूसर इलैक्ट्रानिक यन्त्रीकरण और नियन्त्रण प्रणालियाँ, विशेष अर्ध-चालक युक्तियाँ, फोटोलिथो चालक युक्ति तथा खनन, पटसन, चमड़ा आदि जैसे उद्योगों के लिए प्रणाली इंजीनियरी पर आधारित परियोजनाएं। रडार, नौ संचालन साधन और सोनार—ये अन्य क्षेत्र हैं जिनमें अनुसंधान और विकास कार्यकलापों में निवेश किये जा रहे हैं।

परिवहन और नौवहन

16. अनुसंधान और विकास संबंधी प्रयत्न में सड़कों के निर्माण के लिए उपलब्ध स्थानीय सामग्री के सर्वेक्षण और मूल्यांकन, राजमार्ग के डिजाइन, समुद्र तट के अपरदन की समस्याएं, कृत्रिमरूप से विकसित किए गए नौवहन के मार्गों में अवसादन का मूल्यांकन आदि के क्षेत्र में चुनी हुई स्कीमों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

चिकित्सा अनुसंधान

17. चिकित्सा अनुसंधान के कार्यकलापों में इन बातों पर बल दिया गया है—खाद्य और आहार के पोषक तत्व, एनीमिया का अध्ययन, गर्भावस्था और स्तन-पान में पोषाहार का अध्ययन, सोरघम, दालें, मक्का आदि की किस्मों को उनमें विद्यमान पोषाहार की गुणता की दृष्टि से जांच। इन कार्यक्रमों में ये शामिल हैं—गर्भ निरोध और प्रजनन, रक्त समूह परामर्शी सुविधाओं के विकास, कुष्ठ रोग के लिए अनुसंधान और उपचार के क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यकलाप तथा प्रयोगशाला पशु सूचना सेवा, चिकित्सा सांख्यिकी, क्षय रोग, रसायन चिकित्सा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और प्रदूषण नियन्त्रण के लिए सुविधाओं की स्थापना।

शिल्प विज्ञान अंतरण की आधारभूत व्यवस्था

18. देश में परीक्षण की सुविधाओं की स्थापना के लिए कार्यक्रमों की जाँच करने और उनका समन्वय करने के लिए संस्थागत प्रबंध करने का प्रस्ताव हैं। मद्रास और दिल्ली में शाखा परीक्षण गृहों ने काम करना शुरू कर दिया है।

19. उद्योगों के सहयोग से राष्ट्रीय विकास नि म द्वारा विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने पर अधिकाधिक जोर दिया जा रहा है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में असम कोयले से ब्लैक कार्बन, सतत धान सम क्वथन प्रणाली, औजार कक्ष के लिए सूक्ष्मदर्शी और चुम्बकीय टेप शामिल हैं। राष्ट्रीय विज्ञान और शिल्पविज्ञान सूचना प्रणाली के कार्यक्रमों के जरिए चमड़ा शिल्पविज्ञान, खाद्य शिल्पविज्ञान, दवा और भेषज तथा मशीनी औजार से सम्बन्धित चार क्षेत्रीय राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। बम्बई और कलकत्ता में क्षेत्रीय

सूचना केन्द्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। 'एस्केप' के सहयोग से शिल्प विज्ञान के अंतरण के लिए क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

मूल अनुसंधान सहायता

20. विज्ञान और शिल्प विज्ञान विभाग द्वारा विज्ञान और इंजीनियरी समिति तथा स्वायत्त संस्थाओं के जरिए मूल अनुस्धान तथा दीर्घावधि अनुसंधान और विकास सम्बन्धी कार्यकलापों की सहायता की जा रही है। पारिस्थितिक और पर्यावरणीय अनुसंधान कार्यक्रमों की वित्त-व्यवस्था राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण समिति द्वारा की जा रही है, जिसमें पर्यावरण से सम्बन्धित औद्योगिक प्रदूषण के अध्ययन, अपशिष्ट के उपयोग, मानवीय बस्तियों की वृद्धि और विकास और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध शामिल है। बम्बई, मद्रास, लखनऊ और कलकत्ता में परिष्कृत यन्त्रीकरण की सुविधाओं के लिए चार क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए गए हैं और ये सुविधाएं हरेक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए हैं।

21. वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दो वर्षों के लिए विज्ञान और शिल्पविज्ञान के कार्यक्रमों के लिए परिव्यय अनुलग्नक 18.1 में दिये गए हैं। जितनी सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार विज्ञान और शिल्पविज्ञान सम्बन्धी योजनेतर परिव्ययों के बारे में अनुमान अनुलग्नक 18.2 में प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय 19

दस्तकारों का प्रशिक्षण और श्रमिक कल्याण

1977-78 में हुई प्रगति की समीक्षा

व्यावसायिक प्रशिक्षण

बढ़ती हुई मांगों के अनुरूप प्रशिक्षण की सुविधाओं का विविधीकरण किया गया तथा उच्च प्रशिक्षण के लिए प्रबन्धों को बढ़ाया गया और उनका विस्तार किया गया। औद्योगिक रसायन, प्रक्रम नियंत्रण यंत्रीकरण और उत्पादन शिल्पविज्ञान के पाठ्यक्रम आरंभ करके उच्च प्रशिक्षण संस्थान मद्रास के कार्य-कलापों में वृद्धि की गई। इस संस्थान में उत्पादन की गई सुविधाओं का कलकत्ता, बम्बई, कानपुर, हैदराबाद और लुधियाना स्थित दस्तकार प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन करके देश के अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया जा रहा था। इसी प्रकार फोरमेन प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर में उत्पन्न की गई सुविधाओं का बम्बई और कानपुर में स्थापित किए गए उपाश्रित केन्द्रों के जरिए देश के अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों के सहयोग से भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से 1977 में उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली शुरू की गई। 5 दस्तकार प्रशिक्षण संस्थानों और 10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में समाविष्ट होने वाले कुछ प्रायोगिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए। उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली कार्यक्रम के अन्तर्गत 120 प्रशिक्षणार्थियों को दस्तकार प्रशिक्षण संस्थानों में और 200 प्रशिक्षणार्थियों को औद्योगिक संस्थानों में प्रशिक्षण दिया गया। महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत नई दिल्ली स्थित महिला प्रशिक्षकों के लिए दस्तकार प्रशिक्षण संस्थान का महिला राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में उन्नयन किया गया है। इस संस्थान में, जिसका औपचारिक उद्घाटन मई, 1977 में हुआ था, सचिवालयीन कार्यपद्धति और वर्दी निर्माण के तदर्थ पाठ्यक्रमों का आरंभ करके उच्च दस्तकारी के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरंभ किए गए। इसके अलावा यह संस्थान कटाई और सिलाई, व्यावसायों का शैक्षणिक प्रशिक्षण भी दे रहा है। बम्बई और बंगलौर में महिला क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। इन संस्थानों में तीन व्यवसायों, अर्थात् वर्दी बनाना, सचिवालयीन कार्यपद्धति और इलैक्ट्रानिक में मूल दस्तकारी प्रशिक्षण शुरू किए गए हैं। उच्च प्रशिक्षण संस्थान इलैक्ट्रानिक तथा प्रक्रम यंत्रीकरण, हैदराबाद में भवन परिसर का निर्माण शुरू किया गया। प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम में पर्याप्त प्रगति जारी रही।

रोजगार सेवा

2. रोजगार कार्यकलापों के तंत्र के जरिए लगभग 4.6 लाख रोजगार दिलाए गए। श्रीनगर, अगरतला और गोहाटी में विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय स्वीकृत किए गए। विकलांगों के लिए अहमदाबाद में एक व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थापित किया गया।

श्रमिक कल्याण

3. औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यकलाप, इन कार्यों से संबंधित थे—जहाज, गोदी, गियर आदि का निरीक्षण, दुर्घटनाओं की जांच, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षण के साधन तैयार करेगा, पत्तनों में काम·ारों की दुर्घटनाओं को रोकना तथा उच्च उत्पादकता के लिए माल के लादने और उतारने की दक्षता में सुधार करना। केन्द्रीय और क्षेत्रीय श्रमिक संस्थानों द्वारा चल सुरक्षा प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी संचालन किया गया। श्रम दक्षता प्रयोगशाला की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए भवन का निर्माण शुरू किया गया। इस क्षेत्र में अन्य कार्यकलाप इन कार्यों से संबंधित थे—विभिन्न श्रेणी के उद्योगों से संबंधित अलग-अलग संयंत्रों में व्यापक बहु-विषयी अध्ययनों, जिनमें औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान, औद्योगिक शरीर विज्ञान और औद्योगिक मनोविज्ञान आदि आते हैं, कुछ विशेष उद्योगों में स्वास्थ्य जोखिमों से संबंधित सूचना का प्रसार और अपनाये जाने वाले निरोधक उपायों से संबंधित थे।

4. ऐसे कार्य-कलापों के क्षेत्र विस्तार की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया जिनके सम्बन्ध

में खान सुरक्षा महा निदेशालय को अनुसंधान तथा विकास सुविधाएं प्रदान की जानी थीं। दुर्घटना-प्रवृत्त खान का सर्वेक्षण किया जा रहा था।

5. श्रमिक अनुसंधान के क्षेत्र में, द्वितीय ग्रामीण श्रमिक जांच (1974-75 में की गई) की संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। तृतीय व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण के चौथे चरण से संबंधित क्षेत्रीय कार्य, जिसमें 33 उद्योग आते थे, समाप्त होने वाला था।

6. इस क्षेत्र के कार्यक्रमों पर 1977-78 में प्रत्याशित व्यय लगभग 13.37 करोड़ रु० था जिसमें से 2.77 करोड़ रु० केन्द्रीय क्षेत्र में थे और 10.60 करोड़ रु० राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए थे।

1978-79 के लिए योजना

व्यावसायिक प्रशिक्षण

7. रोजगार की नई कार्यनीति के संदर्भ में, विशेषज्ञ समिति द्वारा किये गये विस्तृत अध्ययन के आधार पर दस्तकारों को प्रशिक्षण कार्यक्रम का तथा तकनीशियनों के प्रशिक्षण का पुनर्गठन किया गया और उन्हें बढ़ाया गया। उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली के अन्तर्गत मद्रास स्थित उच्च प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, हैदराबाद और लुधियाना में कार्यरत केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, तथा अम्बत्तूर, बंगलौर, कलमेस्सारी, पुणे, बड़ौदा, जोधपुर, दुर्गापुर, धनबाद, गोहाटी, जबलपुर, विशाखापट्टनम, फरीदाबाद, रायबरेली, मेरठ, पटियाला और जम्मू स्थित राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को परिष्कृत मशीनों तथा उपस्करों से युक्त किया जाएगा ताकि आधुनिक शिल्प विज्ञान की अपेक्षाओं के अनुरूप जारी रखी जा सके। प्रक्रम नियंत्रण यंत्रीकरण, माप विज्ञान तथा निरीक्षण, औजार अभिकल्प, ऊष्मा उपचार, उन्नत औजार और सांचा निर्माण भारतीय मानक और ब्लूप्रिन्ट पठन, यांत्रिक और विद्युत् अनुरक्षण, आधुनिक वेल्डिंग तकनीक आदि जैसे कुछ एक व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षक कर्मचारियों का प्रशिक्षण इस अवधि में पूरा हो जाएगा। महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक्स, व्यवसाय सेवाएं, वस्त्र बुनना, आदि जैसे चुने हुए व्यवसायों में कुशल कारीगरी के उन्नयन के लिए अधिक उच्च प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। महिला राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान के लिए नई दिल्ली में एक भवन का निर्माण करने का प्रस्ताव है। बम्बई और बंगलौर स्थित क्षेत्रीय संस्थान में उच्च कुशल कारीगर पाठ्यक्रम शुरू किए जाने का प्रस्ताव हैं। ग्रामीण क्षेत्र में नए व्यवसायों को निर्धारित करने तथा उपयुक्त ग्रामीण कामगार प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास करने के लिए लगभग 10,000 और प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किए जाने की संभावना है। 1978-79 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्य करने के लिए 225 लाख रु० (100 लाख रु० की विदेशी सहायता समेत) के परिव्यय का प्रस्ताव है, और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कुल परिव्यय 900 लाख रु० हैं।

रोजगार सेवा

8. राष्ट्रीय रोजगार सेवा से संबंधित समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए रोजगार सेवा के उपयुक्त विस्तार पर विचार किया जाएगा। त्रिवेन्द्रम में एक व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थापित किया जाएगा। रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के मुख्यालय में भी एक व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र द्वारा लोगों के जल्दी पुनर्वास में सहायता करने के लिए प्रदान की गई व्यावसायिक मूल्यांकन और समायोजन प्रशिक्षण सेवाओं के जरिए लगभग 3,000 विकलांग व्यक्तियों को लाभ पहुंचने की संभावना है। केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में लगभग 30 प्रशिक्षार्थियों के लिए एक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। अध्ययन और सर्वेक्षण करने के लिए प्रबन्धों में सुधार किया जायेगा। वार्षिक योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में 12 लाख और राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में 115 लाख रु० की व्यवस्था की गई है।

श्रमिक कल्याण

9. सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अन्य कार्यकलापों को और बढ़ाया जाएगा। केन्द्रीय श्रमिक संस्थान, बम्बई में प्रयोगशाला भवन तथा कुछ आवश्यक स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण से संबंधित बकाया निर्माण-कार्य के लिए भी व्यवस्था की गई है। खान सुरक्षा सेवाओं का तेजी से आधुनिकीकरण और विस्तार किया जाएगा तथा और अधिक सुरक्षा केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

10. राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान मुख्यत: औद्योगिक सम्बन्ध, प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता, ग्रामीण श्रमिकों के संगठन आदि क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण और कार्यात्मक अनुसंधान कार्यक्रमों तथा परामर्शी सेवाओं को जारी रखेगा। श्रम मंत्रालय में कृषि श्रमिक एकक सेवा की दशाओं में सुधार, मजदूरी की अदायगी का स्तर, सेवा की सुरक्षा, ग्रामीण श्रमिकों के अपने सौदाकारी-शक्ति को बढ़ाने के लिए संगठन के संबंध में अपने प्रयासों को (यदि आवश्यक हुआ तो उपयुक्त विधायन करके) जारी रखेगा। ग्रामीण श्रमिक जांच की रिपोर्ट और तृतीय व्यावसायिक मजदूरी सवक्षण के पहले दो चरणों के अन्तर्गत आनेवाली उद्योगों की रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है।

11. बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित

स्कीम का अनुमोदन किया गया है और सामान अनुदान के आधार पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने के प्रयोजन से श्रम मंत्रालय के बजट में 1978-79 के लिए 1 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

12. असंगठित क्षेत्र और ग्रामीण श्रमिक समेत रोजगार के अधिक क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा उपायों की व्याप्ति का विस्तार करने की समस्या का अध्ययन किया जाएगा।

13. इस क्षेत्र में योजनागत स्कीमों के लिए वर्ष 1978-79 में 17.15 करोड़ रु० के कुल परिव्यय का अनुमोदन किया गया है, जो इस प्रकार है :

(लाख रु०)

क्रम सं०	स्कीमें	केन्द्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
1.	**प्रशिक्षण कार्यक्रम**				
	1. दस्तकारों का प्रशिक्षण	196.17	647.28	95.76	939.21
	2. प्रशिक्षु प्रशिक्षण	**29.08**	**124.20**	**34.80**	**188.08**
		225.25	**771.48**	**130.56**	**1127.29**
2.	**रोजगार और श्रमिक कल्याण कार्यक्रम**				
	3. रोजगार सेवा	11.65	99.73	15.40	126.78
	4. श्रमिक कल्याण	**267.15***	**181.09**	**12.14**	**46098***
		278.80	**280.82**	**28.14**	**587.76**
	जोड़	**504.05**	**1052.30**	**158.70**	**1715.05**

* इसमें राज्य सरकारों को बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की स्कीम के लिए दी गइ सहायता के 1 करोड़ रु० का परिव्यय शामिल है।

अध्याय 20

पुनर्वास

पुनर्वास कार्यक्रमों के अंतर्गत ऐसे विस्थापित व्यक्तियों के अनेक वर्ग शामिल हैं जिन्हें देश के आर्थिक जीवन ने एकीकृत किया जाना है। कुछ समस्याएं देश की आजादी के बाद से चली आ रही हैं। बर्मा में व्यापार के राष्ट्रीयकरण के परिणाम-स्वरूप फिर से बसाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई। अब फिर से बसाए जाने वाले सबसे अधिक लोगों की संख्या—(1) उन भारत मूल के व्यक्तियों की है, जिन्हें भारत और श्रीलंका के बीच हुए करार के अंतर्गत श्रीलंका से स्वदेश लौटाया जा रहा हैं; (2) उन व्यक्तियों को है जो भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से पहले ही लौट आए हैं; और (3) उन व्यक्तियों की है जो 1971 के भारत-पाक युद्ध के समय सिंध (पाकिस्तान) से भारत लौट आए।

1977-78 में हुई प्रगति की समीक्षा

2. वर्ष 1977-78 के लिए पुनर्वास स्कीमों के लिए 20.29करोड़ रु० का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। इस बात की संकल्पना थी कि 19,412 परिवारों को फिर से बसाया जाएगा। इस अवधि में 22.84 करोड़ रु० खर्च किए गए थे और 16,135 परिवार फिर से बसाए गए थे। खर्च में यह वृद्धि दंडकारण्य परियोजना के कारण हुई थी जो पोट्टेरू सिंचाई परियोजना तथा प्रतिपूरक वनरोपण के लिए उड़ीसा सरकार की बढ़ी हुई मांग के कारण आवश्यक भी थी।

1978-79 के लिए योजना

3. वर्ष 1978-79 के लिए, विभिन्न पुनर्वास स्कीमों के लिए 34 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। वित्तीय आवंटन और वास्तविक लक्ष्यों के स्कीमवार ब्यौरे अनुलग्नक 20.1 और 20.2 में बताए गए हैं। कुछ स्कीमों की महत्त्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं :

(1) विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाए जाने के लिए भूमि प्राप्त करना, उसका सुधार और विकास करना।

(2) मकान बनाने और व्यापार के लिए ऋण की सहायता।

(3) चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था।

(4) शिक्षा संबंधी और प्रशिक्षण सुविधाओं आदि की व्यवस्था।

4. पुनर्वास से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम नीचे बताए गए हैं :

पश्चिम बंगाल से बाहर के प्रवासी

प्रवासियों को फिर से बसाए जाने के लिए कार्यक्रम में कृषि-व्यवसायों पर मुख्य बल दिया गया है। 1050 खेतिहर परिवारों को आंध्र प्रदेश (300 परिवार), राजस्थान (280 परिवार), उत्तर प्रदेश, (300 परिवार) और मध्य प्रदेश (170 परिवार) के ग्रामीण क्षेत्रों मेंफिर से बसाए जाने का अनुमान हैं। इसके अलावा, और 550 परिवार शहरी क्षेत्रों में बसाए जाएंगे और उन्हें कृषि से इतर व्यवसायों में लगाया जाएगा।

(2) दंडकारण्य

1978-79 में 2830 परिवारों को बसाने का विचार हैं। दंडकारण्य योजना में पोट्टेरू, सत्तोगुडा और परालकोटे जैसी विभिन्न बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए और अधिक धन की व्यवस्था की गई है। मकानों के निर्माणों के बकाया काम को पूरा करने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(3) श्रीलंका से प्रत्यावर्तित लोग

1978 में लगभग 15,000 परिवारों के लौट कर आने का अनुमान है। 1978-79 में लगभग 12,450 परिवारों को पौधरोपण, भूमि उपनिवेशन, बीज फार्म निगमों, उद्योगों आदि

के कार्यों में लगाकर फिर से बसाए जाने का अनुमान है।

(4) बर्मा से प्रत्यावर्तित लोग

1978-79 में, भारत पहुँच चुके 500 परिवारों के पुनर्वास पर मुख्य रूप से खर्च किया जाएगा।

(5) छम्ब से विस्थापित व्यक्ति

शिविरों में रह रहे बाकी 550 परिवारों को 1978-79 में फिर से बसाया जाएगा।

(6) पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों की अन्य बाकी समस्याएं

1978-79 में, चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था के लिए 60 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। अन्य दो स्कीमें. अर्थात् (1) लघु कृषक विकास अभिकरण/सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक और (2) विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों के विकास से सम्बन्धित स्कीमें कृषि और निर्माण और आवास मंत्रालयों को अंतरित कर दी गई हैं।

(7) 1971 के भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तान से भारत आने वाले विस्थापित लोगों का स्थाई रूप से पुनर्वास

1971 में पाकिस्तान से भारत आने वाले 11,000 परिवारों में से, जो इस समय राजस्थान और गुजरात राज्यों के शिविरों में रह रहे हैं, 4000 परिवारों को 1978-79 में फिर से बसाया जाएगा। 1978-79 के लिए 4 करोड़ रु० के परिव्यय की स्वीकृति दी गई है। इन परिवारों को फिर से बसाए जाने के लिए कुल 16 करोड़ रु० लागत आने का अनुमान है जिसमें 5 करोड़ रु० आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था के लिए होंगे।

अध्याय 21

सूचना और प्रचार

1977-78 में हुई प्रगति की समीक्षा

प्रचार मध्यम के कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए पिछले वर्ष की तरह, 1977-78 की वार्षिक योजना में केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में धनराशि की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष दृश्य-श्रव्य साधनों जैसे जन संचार के माध्यमों को विस्तृत क्षेत्रों में रहने वाले और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान की गईं। विकास कार्यक्रमों की सहायता के लिए कार्य-कलापों की गति तेज करने के लिए प्रयास किए गए। केन्द्र के लिए 348.20 लाख रु०, राज्यों के लिए 390 लाख रु० तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 50 लाख रु० की व्यवस्था की गई।

1978-79 के लिए योजना

1978-79 की योजना के प्रारूप में ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रमों के समर्थक प्रचार माध्यमों पर बल दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशील माध्यमों में से क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्हें इस प्रकार तैयार किया गया है कि वे राज्यों के निकट सहयोग से विकेन्द्रित ढंग से काम करें। फिल्म माध्यम के विकास पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा क्योंकि यह ग्रामीण श्रोताओं के लिए लोकप्रिय बना हुआ है। 16 एम० एम० की फिल्मों की उपलब्धता में वृद्धि करने से संबंधित तौर तरीके भी विचाराधीन हैं। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, 1978-79 की वार्षिक योजना में सूचना और प्रचार से संबंधित स्कीमों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है।

1978-79 की वार्षिक योजना में इन स्कीमों के लिए लगभग 900 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमें से, 449 लाख रुपये का परिव्यय केन्द्र के लिए, 392 लाख रुपये का परिव्यय राज्यों के लिए और 59 लाख रुपये का परिव्यय संघ राज्य क्षेत्रों के लिए रखा गया है।

अध्याय 22

सांख्यिकी

1977-78 में हुई प्रगति की समीक्षा

1977-78 के लिए सांख्यिकी विभाग की स्कीमों के लिए 522.50 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी और 334.09 लाख रु० व्यय हुए होने का अनुमान हैं। 1977-78 में महा पंजीयक के कार्यालय की स्कीमों पर 23.00 लाख रु० खर्च हुए होने का अनुमान है, जबकि उनके लिए 40 लाख रु० का परिव्यय रखा गया था; पूर्ति और निपटान के महानिदेशक की स्कीमों के लिए 1.50 लाख रु० का परिव्यय रखा गया था और 0.90 लाख रु० खर्च होने का अनुमान है। इसके लिए, राज्य क्षेत्र में "आर्थिक सलाह और सांख्यिकी" शीर्ष के अन्तर्गत 345.00 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी। इसी वर्ष कुल 171.39 लाख रु० खर्च हुए होने का अनुमान है।

1978-79 के लिए योजना

2. सांख्यिकी विभाग के अन्तर्गत आने वाली सांख्यिकीय स्कीमों के लिए 1978-79 की वार्षिक योजना में 575.00 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। 1974-78 की अवधि में चल रही सांख्यिकी विभाग की सभी स्कीमें 1978-79 में चलती रहेंगी। वे स्कीमें मुख्य रूप में इनसे सम्बन्धित हैं—आर्थिक गणना और सर्वेक्षण, बड़े आकार का कंप्यूटर प्राप्त करने, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के कार्यक्रम के अन्तर्गत फसलों के आंकड़ों में सुधार करने, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण का विस्तार करने, नागपुर में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के एक सारणीयन केन्द्र की स्थापना, औद्योगिक आंकड़ों में सुधार करने, राष्ट्रीय आय तथा सम्बद्ध समूह के अध्ययनों में सुधार करने तथा उनके विस्तार, और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की ओर से क्षेत्रीय अध्ययन का काम करने के लिए कुछ राज्यों को तथा भारतीय सांख्यिकी संस्थान को सहायता अनुदान देना।

3. महा पंजीयक के कार्यालय की 4 स्कीमों के लिए 150.00 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। वे स्कीमें हैं—(1) पंजीकरण संवर्धन पद्धतियों का अनुसंधान और जनसंख्या अध्ययन, (2) जनसंख्या के आंकड़ों का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए भारत में क्षेत्रीय प्रभाग नक्शानवीसी विश्लेषण, (3) 1981 में जनसंख्या के आंकड़ों का अभिकलन, और (4) विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के संवितरण और शहरीकरण के स्तरों और प्रवृत्तियों से सम्बन्धित अध्ययन, खरीद के आंकड़ों के संग्रहण, अभिकलन और विश्लेषण के लिए पूर्ति और निपटान के महा निदेशक की स्कीमों के लिए 2 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी।

राज्य क्षेत्र में अब 404.40 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष से चली आ रही स्कीमें मुख्य रूप से इन से सम्बन्धित हैं—राज्य स्तर पर पूंजी निर्माण और बचतों के अनुमान, औद्योगिक उत्पादन के निर्माण/बनाने, आंकड़ा बैंकों की स्थापना, विभिन्न स्तरों पर सांख्यिकीय व्यवस्था-तंत्र को बढ़ाने और जिला तथा निचले स्तर पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण।

अनुलग्नक

अनुलग्नक – I-1

1978-79 के लिए योजना परिव्यय—
केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रु०)

विकास का शीर्ष	केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	जोड़
1	2	3	4	5
1. ए०आर०सी सहित कृषि और सम्बद्ध सेवाएं	871.62	844.03	29.51	1745.16
2. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	23.42	1123.77	13.41	1160.60
3. विद्युत्	243.71	1916.63	36.52	2196.86
4. ग्राम और लघु उद्योग	139.93	72.31	7.21	219.45
5. बड़े उद्योग और खनिज	2267.53	144.40	1.57	2413.50
6. परिवहन और संचार	1328.36	437.04	28.83	1794.23
7. शिक्षा	115.76	271.46	26.59	413.81
8. विज्ञान और शिल्प विज्ञान	138.35*	—	—	138.35*
9. स्वास्थ्य	146.48	122 35	12.70	281.53
10. परिवार कल्याण	111.72	—	—	111.72
11. पोषाहार	7.34	27.43	1-10	35.87
12. जलपूर्ति और स्वच्छता	62.70	254.50	22.17	339.37
13. आवास और शहरी विकास	112 92	168.50	24.36	305.78
14. पिछड़े वर्गों का कल्याण	24.05	70.30	1.77	96.12
15. समाज कल्याण	20.11	7.47	1.35	28.93
16. श्रम और श्रमिक कल्याण	4.99	10.76	1.59	17.34
17. अन्य कार्यक्रम	45.10	141.84	5.57	192.51
18. पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र	—	—	—	123 19
19. उत्तर-पूर्वी परिषद्	—	—	—	35.85
जोड़	5664.09	5612.79	214.25	11650.17

*इसमें भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह के लिए 22.84 करोड़ रु० शामिल हैं

अनुलग्नक 1.2

1978-79 के लिए योनजा परिव्यय—राज्य

(लाख रु०)

क्रम संख्या	विकास का शीर्ष	आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू और कश्मीर	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	सहकारिता सहित कृषि और संबद्ध सेवाएं	4486	3400	5642	5547	2268	1874	1813	5119	3560	7029	6027
2.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	13000	1400	12000	8175	7886	220	1567	6908	3700	8200	11200
3.	विद्युत्	18000	6340	10600	9225	6523	1931	1889	9690	3878	17500	28387
4.	ग्राम और लघु उद्योग	235	284	536	365	191	120	224	447	400	196	583
5.	बड़े उद्योग और खनिज	919	186	901	930	107	121	345	728	1245	552	2292
6.	परिवहन और संचार	2900	1400	3017	2760	1478	1625	1242	1601	1021	1935	6356
7.	शिक्षा*	769	1077	2160	1133	789	337	821	1056	1290	1334	2956
8.	स्वास्थ्य	557	380	1100	371	466	176	640	600	370	885	1867
9.	पोषाहार	150	51	140	127	14	38	13	586	80	250	336
10.	मल व्यवस्था और जल पूर्ति	1650	410	977	1765	550	486	931	1820	825	1600	3757
11.	आवास और शहरी विकास	1083	248	575	1300	525	169	335	1395	750	750	2328
12.	पिछड़े वर्गों का कल्याण	832	140	423	1225	38	41	25	580	172	495	979
13.	समाज कल्याण	59	16	12	23	7	11	20	120	20	32	86
14.	श्रम और श्रमिक कल्याण	44	20	45	71	25	11	58	85	54	48	252
15.	अन्य कार्यक्रम	216	138	381	388	133	140	877	165	235	494	6094
	जोड़	**44900**	**15500**	**38414**	**33500**	**21000**	**7300**	**10800**	**30900**	**17600**	**41300**	**73500**

अनुलग्नक 1.2

विकास का शीर्ष	मणिपुर	मेघालय	नागालैंड	उड़ीसा	पंजाब	राजस्थान	सिक्किम	तमिल नाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	जोड़ सभी राज्य
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. सहकारिता सहित कृषि और संबद्ध सेवाएं	495	631	674	4352	4016	2870	478	4236	824	11163	7899	84403
2. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	640	35	5	3500	3667	6935	40	2995	107	16300	3897	112377*
3. विद्युत्	275	632	200	6800	9130	7000	135	11412	317	27514	11500	188878**
4. ग्राम और लघु उद्योग	150	65	46	240	420	187	46	566	87	1294	549	7231
5. बड़े उद्योग और खनिज	59	170	82	290	830	632	63	826	10	2112	1040	14440
6. परिवहन और संचार	571	564	625	1013	2553	1804	425	2703	328	6062	1721	43704
7. शिक्षा *	151	192	275	1168	1564	1340	124	1627	193	3130	3660	27146
8. स्वास्थ्य	98	67	79	368	702	708	71	625	90	1065	950	12235
9 पोषाहार	6	19	26	155	20	43	22	48	13	166	440	2743
10. मल व्यवस्था और जल पूर्ति	185	178	157	526	800	1345	64	2634	70	4140	580	25450
11. आवास और शहरी विकास	31	55	240	380	1471	371	53	1575	120	1645	1451	16850
12. पिछड़े वर्गों का कल्याण	34	—	—	115	255	75	4	900	82	415	200	7030
13. समाज कल्याण	5	6	10	6	71	11	4	125	3	54	46	747
14. श्रम और श्रमिक कल्याण	5	7	8	28	69	39	9	49	4	60	85	1076
15. अन्य कार्यक्रम **	121	290	26	159	432	140	42	179	22	380	3122	14184
जोड़	**2 826**	**2911**	**2453**	**19100**	**26000**	**23500**	**1580**	**30500**	**2270**	**75500**	**37140**	**558494****

* इसमें सामान्य शिक्षा, कला और संस्कृति, तकनीकी शिक्षा तथा वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान के लिए धनराशि की व्यवस्था शामिल है।

** इसमें राज्य राजधानी परियोजनाओं, सूचना और प्रचार, आर्थिक सेवाओं, सामान्य सेवाओं, रोजगार परियोजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था शामिल है।

***इसमें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को 27.85 करोड़ रु० का अतिरिक्त एकमुश्त आवंटन शामिल नहीं है।

अनुलग्नक—1.3

1978-79 के लिए योजना परिव्यय—संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रु०)

विकास का शीर्ष	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	अरुणाचल प्रदेश	चंडीगढ़	दादर और नगर हवेली	दिल्ली	गोआ, दमण और दीव	लक्ष-द्वीप	मिजोरम	पांडीचेरी	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. सहकारिता सहित कृषि और संबद्ध सेवाएं	269.40	750.00	36.71	80.15	442.88	506.00	72.60	551.78	241.00	2950.52
2. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	—	44.00	—	127.05	447.72	672.00	4.75	—	45.00	1340 52
3. विद्युत्	90.00	340.00	125.00	17.90	2425.00	359.00	23.50	180.00	92.00	3652.40
4. ग्राम और लघु उद्योग	12.00	50.00	30.00	7.00	488.75	25.00	5.14	70.00	33.00	720.89
5. बड़े उद्योग और खनिज	—	1.00	8.00	—	50.00	65.00	—	3.50	30.00	157.50
6. परिवहन और संचार	431.00	591.00	54.75	29.50	904.37	310.00	65.87	417.00	80.00	2883.49
7. शिक्षा[1]	100.00	300.00	109.00	25 25	1562.67	300.00	31.98	90.00	140.00	2658.90
8. स्वास्थ्य	20.00	71.00	57.00	6.50	790.94	185.00	8.50	85.00	46.00	1269.94
9. पोषाहार	2.60	13.00	8.34	3.00	55.00	4.00	1.91	12.00	10.00	109.85
10. मल-व्यवस्था और जल-पूर्ति	23.00	85.00	150.00	5.50	1525.00	214.00	—	120.00	95.00	2217.50
11. आवास और शहरी विकास	10.50	65.00	303.80	7.65	1762.60	63.00	19.50	67.00	137.00	2436.05
12. पिछड़े वर्गों का कल्याण	7.30	—	—	—	104.00	13.00	—	2.27	50.00	176.57
13. समाज कल्याण	2.20	—	3.26	2.00	96.07	5.00	1.63	10.00	15.00	135.16
14. श्रम और श्रमिक कल्याण	0.60	4.00	5.00	7.00	113.00	17.50	0.60	2.00	9.00	158.70
15. अन्य कार्यक्रम[2]	75.40	26.50	320.75	1.50	32.00	11.50	7,66	54.26	27.00	556.57
जोड़	**1044.00**	**2340.50**	**1211.61**	**320.00**	**10800.00**	**2750.00**	**243.64**	**1664.81**	**1050.00**	**21424.56**

[1]इसमें सामान्य शिक्षा, कला और संस्कृति तथा तकनीकी शिक्षा के लिए धनराशि की व्यवस्था शामिल है।

[2]इसमें राज्य राजधानी परियोजना, सूचना और प्रचार, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था शामिल है।

अनुलग्नक 1.4

विवरण 1

1978-79 के योजना परिव्यय – केन्द्र और केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम

(करोड़ रु०)

विकास का शीर्ष	(योजना परिव्यय)
1. सामान्य सेवाएं	
1. टिकटें	0.65
2. मुद्रा, सिक्के और टकसाल	4.44
3. पूर्ति व निपटान	0.72
4. लेखन-सामग्री और मुद्रण	1.30
5. लोक कार्य	5.47
6. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2.15
जोड़ – सामान्य सेवाएं	**14.73**
2. सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	
1. शिक्षा	107.50
2. कला और संस्कृति	8.12
3. वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	145.28
4. चिकित्सा	20.68
5. परिवार कल्याण	111.72
6. जन स्वास्थ्य	125.88
7. जलपूर्ति और स्वच्छता	62.70
8. आवास	62.76*
9. शहरी विकास	44.63
10. सूचना और प्रसार	4.00
11. प्रसारण	21.12
12. श्रम और रोजगार	5.05
13. विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	30.00
14. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	24.05
15. समाज कल्याण	20.11
16. अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	0.08
जोड़ – सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	**793.60**

* इनमें सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के लिए 27.50 करोड़ रु० शामिल हैं जिसे 1978-79 से योजना व्यय माना जाता है ।

अनुलग्नक 1.4 (जारी)

1	2
3, आर्थिक सेवाएं	
(क) सामान्य आर्थिक सेवाएं	
1. योजना तंत्र	1.49
2. निर्यात संवर्धन	0.46
3. सहकारिता (सहकारी उर्वरक कारखानों सहित)	79.58
4. सांख्यिकी	5.74
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1.14
जोड़—(क) सामान्य आर्थिक सेवाएं	88.41
(क) कृषि और संबद्ध सेवाएं	
1. कृषि	327.09
2. छोटी सिंचाई,	10.42
3. भू और जल संरक्षण	15.10
4. क्षेत्र विकास	80.33
5. खाद्य	41.91
6. पशु पालन	35.17
7. डेरी उद्योग विकास	29.85
8. मीन उद्योग	61.27
9. वन	28.68
10. ग्राम विकास	38.63
11. कृषि वित्तीय संस्थाएं	139.72
जोड़—कृषि और संबद्ध सेवाएं	808.17
(ग) उद्योग और खनिज	
1. ग्राम और लघु उद्योग	135.08*
2. मशीनें और इंजीनियरी उद्योग	84.94
3. पैट्रोलियम	572.87
4. पैट्रो-रसायन	57.01
5. रसायन	17.66
6. दवाएं और भेषज	27.32
7. उर्वरक	238.17
8. जहाज-निर्माण	22.30
9. दूर संचार और बिजली उद्योग	28.69
10. कोयला और लिग्नाइट	274.96
11. लोहा और इस्पात	567.00
12. अलौह धातुएं	76.67
13. परमाणु ऊर्जा उद्योग	45.91
14. उपभोक्ता उद्योग	156.76
15. बागान	14.04
16. अन्य उद्योग	19.76
17. औद्योगिक वित्त संस्थाएं	37.44
18. खनिज अन्वेषण और विकास	26.78
जोड़—(ग) उद्योग और खनिज	2403.36

अनुलग्नक 1.4 (जारी)

1	2
(घ) जल और विद्युत् विकास	
1. सिंचाई	6.68
2. बाढ़ नियन्त्रण और नौसंचालन	25.72
3. विद्युत्	235.71
जोड़—(ग) जल और विद्युत् विकास	**268.11**
(ङ) परिवहन और संचार	
1. रेल	535.30
2. डाक-तार	325.93
3. पत्तन	91.82
4. प्रकाश स्तंभ	92.75
5. नौवहन	87.61
6. नागर विमानन	02.02
7. सड़कें	13.87
8. सड़क परिवहन	5.55
9. अन्तर्देशीय जल परिवहन	3.00
10. पर्यटन	5.48
11. उपग्रह कार्यक्रम	22.84
12. अन्य परिवहन और संचार सेवाएं	11.54
जोड़—(ङ) परिवहन और संचार	**1287.71**
जोड़—आर्थिक सेवाएं	**4855.76**
कुल जोड़	**5664.09**

* इसके अलावा ग्राम और लघु उद्योगों से संबंधित सहकारी समितियों के लिए धनराशि की व्यवस्था 'सहकारिता' के अन्तर्गत शामिल है।

अनुलग्नक 1.4

(जारी) विवरण-2

1978 79 की वार्षिक योजना—राज्य

(लाख रु०)

विकास का शीर्ष	आन्ध्र प्रदेश	असम	बिहार	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू व कश्मीर	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कृषि	1064	872	1205	1260	864	502	477	1117	710	945	1428
भूमि सुधार	35	110	450	181	12	60	60	396	970	225	—
छोटी सिंचाई	963	1060	2100	1193	400	364	620	1250	425	2480	1728
भू और जल संरक्षण	52	124	167	400	82	117	45	410	101	440	307
क्षेत्र विकास	603	35	150	85	35	—	50	190	5	516	257
खाद्य	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—
पशु पालन और डेरी उद्योग विकास	319	290	330	340	178	187	286	391	245	403	830
मीन उद्योग	135	100	70	275	25	16	21	130	340	97	103
वन	150	292	160	680	100	460	117	165	217	351	356
कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	450	20	250	100	200	5	8	300	130	175	120
सामुदायिक विकास और पंचायतें	65	97	240	595	40	53	70	20	169	766	32
1. कृषि और संबद्ध सेवाएं	**3836**	**3000**	**5122**	**5109**	**1936**	**1785**	**1754**	**4369**	**3312**	**6398**	**5161**
2. सहकारिता	**650**	**400**	**425**	**533**	**332**	**89**	**59**	**750**	**248**	**631**	**866**
सिंचाई	12515	1050	10100	7825	6004	207	1217	6808	3500	8149	11194
बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	485	350	1900	350	1882	13	350	100	200	51	6
विद्युत्	18000	6340	10600	9225	6523	1931	1889	9690	3878	17500	28387
3. जल और विद्युत् विकास	**31000**	**7740**	**22600**	**17400**	**14409**	**2151**	**3456**	**16598**	**7578**	**25700**	**39587**
उद्योग	595	126	801	780	100	111	295	713	1225	439	2257
ग्राम और लघु उद्योग	235	284	536	365	191	120	224	447	400	196	583
खनन और धातुकर्मी उद्योग	324	60	100	150	7	10	50	15	20	113	35
4. उद्योग और खनिज	**1154**	**470**	**1437**	**1295**	**298**	**241**	**569**	**1175**	**1645**	**748**	**2875**
पत्तन, प्रकाश स्तंभ और नौवहन	75	—	—	150	—	—	—	21	85	—	106
नागर विमानन	—	—	2	—	4	6[1]	—	—	—	—	5
सड़कें और पुल	980	1145	2720	1745	745	1440	810	900	650	1500	4562
सड़क परिवहन	1840	200	275	840	670	120	120	667	240	379	1621
जल परिवहन	—	48	5	—	—	—	—	5	16	—	—
पर्यटन	5	7	15	25	59	59	312	8	30	56	62
5. परिवहन और संचार	**2900**	**1400**	**3017**	**2760**	**1478**	**1625**	**1242**	**1601**	**1021**	**1935**	**6356**

विवरण 2 जारी

लाख रु०

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
सामान्य शिक्षा (कला और सँस्कृति को छोड़कर)	715	947	2050	1031	757	314	751	910	950	1221	2640
कला और संस्कृति	14	30	15			14	30	25	35	31	40
तकनीकी शिक्षा	40	100	95	102	32	9	40	116	55	82	276
वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	—	—	—	—	—	—	—	5	250	—	—
चिकित्सा, कर्मचारी राज्य बीमा और लोक स्वास्थ्य	557	380	1100	371	466	176	640	600	370	885	1867
मल व्यवस्था और जल पूर्ति	1650	410	977	1765	550	486	931	1820	825	1600	3757
पुलिस आवास सहित आवास	787	224	485	975	220	137	145	1240	600	575	1588
शहरी विकास	296	24	90	325	305	32	190	155	150	175	740
राज्य राजधानी परियोजना	—	—	—	289	—	—	—	—	—	350	—
सूचना और प्रचार	17	7	11	10	10	7	14	80	12	25	21
श्रमिक और श्रमिक कल्याण	44	20	45	71	25	11	58	85	54	48	252
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	832	140	423	1225	38	41	25	580	172	495	979
समाज कल्याण	59	16	12	23	7	11	20	120	20	32	86
पोषाहार	150	51	140	127	14	38	13	586	80	250	336
अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	7	1	—	—	—	—	—	—	—	75	—
6. सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	**5168**	**2350**	**5443**	**6314**	**2424**	**1276**	**2857**	**6322**	**3573**	**5844**	**12582**
सचिवालय और आर्थिक सेवाएं	9	17	20	25[5]	7	2	8	22	24	14	61
विशेष और पिछड़े क्षेत्र	—	—	—	50	—	—	736	—	30	—	—
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ (आर्थिक सूचना और सांख्यिकी को छोड़कर)	15	8	4	—	—	—	3	3	—	5	6001[2]
आर्थिक सूचना और सांख्यिकी	16	15	20	14	6	5	—	55	9	14	11
7. आर्थिक सेवाएं	**40**	**40**	**44**	**89**	**13**	**7**	**747**	**80**	**63**	**33**	**6073**
लेखन-सामग्री और मुद्रण	—	25	5	—	6	6	16	5	80	11	—
लोक निर्माण कार्य	152	75	32[3]	—	104	120	100	—	80	—	—
8. सामान्य सेवाएं	**152**	**100**	**326**	—	**110**	**126**	**116**	**5**	**160**	**11**	—
कुल जोड़	**44900**	**15500**	**38414**	**33500**	**21000**	**7300**	**10800**	**30900**	**17600**	**41300**	**73500**

विवरण 2 (जारी)

(लाख रु०)

विकास का शीर्ष	मणीपुर	मेघालय	नागालैंड	उड़ीसा	पंजाब	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	सभी राज्य
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
कृषि	135	115	196	1085	1708	778	137	1515	165	2041	1679	19998
भूमि सुधार	6	25	22	302	—	13	28		70	775	560	4300
छोटी सिंचाई	72	75	125	1380	520	569	49	668	130	3759	2077	22007
भू और जल संरक्षण	50	154	79	120	375	27	75	243	103	583	127	4181
क्षेत्र विकास	2	—	—	380	—	360	—	52	—	1516	204	4440
खाद्य	—	—	—	—	—	—	11	—	2	—	—	34
पशु पालन और डेरी विकास	59	110	80	160	385	364	65	266	106	424	512	6330
मीन उद्योग	38	15	12	139	33	36	15	150	48	38	318	2154
वन	68	55	70	120	155	200	74	364	107	477	167	4905
कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश	6	—	—	96	200	113	—	110	10	450	130	2873
सामुदायिक विकास और पंचायतें	22	21	45	60	190	204	4	369	23	270	1555	4910
1. कृषि और संबद्ध सेवाएं	**458**	**570**	**629**	**3842**	**3566**	**2664**	**458**	**3737**	**764**	**10333**	**7329**	**79132**
2. सहकारिता	**37**	**61**	**45**	**510**	**450**	**206**	**20**	**499**	**60**	**830**	**570**	**8271**
सिंचाई	570	10	—	3200	2717	6642	40	2912	47	14900	2344	101951
बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	70	25	5	300	950	293	—	83	60	1400	1553	10426
विद्युत्	275	632	200	6800	9130	7000	135	11412	317	27514	11500	188878[4]
3. जल और विद्युत विकास	**915**	**667**	**205**	**10300**	**12797**	**13935**	**175**	**14407**	**424**	**43814**	**15397**	**301255**
उद्योग	54	150	32	130	825	349	44	781	8	1952	1015	12782
ग्राम और लघु उद्योग	150	65	46	240	420	187	46	566	87	1294	549	7231
खनन और धातु कर्मी उद्योग	5	20	50	160	5	283	19	45	2	160	25	1658
4. उद्योग और खनिज	**209**	**235**	**128**	**530**	**1250**	**819**	**109**	**1392**	**97**	**3406**	**1589**	**21671**
पत्तन प्रकाश स्तंभ और नौवहन	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	467
नागर विमानन	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	25
सड़कें और पुल	530	525	590	835	2000	1250	350	1531	275	4900	1090	31073
सड़क परिवहन	33	32	30	143	495	500	50	1106	43	966	560	10930
जल परिवहन	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	30	112
पर्यटन	8	7	5	27	50	54	25	36	10	196	41	1097
5. परिवहन और संचार	**571**	**564**	**625**	**1013**	**2553**	**1804**	**425**	**2703**	**328**	**6062**	**1721**	**43704**

विवरण जारी

लाख रु०

1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
सामान्य शिक्षा (कला और संस्कृति को छोड़कर)	125	179	245	1110	1529	1291	114	1492	171	2931	3550	5477
कला और संस्कृत	8	6	18	30		25	10	35	8	35	45	
तकनीकी शिक्षा	18	7	12	28	35	24	—	100	14	149	65	1399
वैज्ञानिक सेवाए और अनुसंधान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	270
चिकित्सा, कर्मचरी राज्य बीमा और लोक स्वास्थ्य	98	67	79	368	702	708	71	625	90	1065	950	12235
मल व्यवस्था अंर जल पूर्ति	185	178	157	526	800	1345	64	2634	70	4140	580	25450
पुलिस आवास सहित आवास	25	45	165	365	800	267	40	900	95	1475	980	12133
शहरी विकास	6	10	75	15	671	104	13	675	25	170	471	4717
राज्य राजधानीपरियोजना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2420	3059
सूचना और प्रचर	4	2	6	6	45	35	7	26	12	15	23	395
श्रम और श्रमिक कल्याण	5	7	8	28	69	39	9	49	4	60	85	1076
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	34	—	—	115	255	75	4	900	82	415	200	7030
समाज कल्याण	5	6	10	6	71	11	4	125	3	54	46	747
पोषाहार	6	19	26	155	20	43	22	48	13	166	440	2743
अन्य सामाजिकऔर सामुदायिक सेवाएं	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	3	97
6. सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	**519**	**526**	**801**	**2752**	**4997**	**3967**	**358**	**7620**	**587**	**10690**	**9858**	**96828**
सचिवालय आर्थिक सेवाएं	1	2	2	6	5[8]	7	1	1	1	169	11	415
विशेष और पिछड़े क्षेत्र	—	175	—	—	—	—	—	17	—	—	500	1508
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (आर्थिक सूचना और सांख्यिकी को छोड़कर)	10	6	8	12	237[9]	20	1	—	2	—	2	6337
आर्थिक सूचना और सांख्यिकीय	5						—	16	3	131	4	324
7. आर्थिक सेवएं	**16**	**183**	**10**	**18**	**242**	**27**	**2**	**34**	**6**	**300**	**517**	**8584**
लेखन-सामग्री और मुद्रण	1	5	10	25	20	7	3	—	4	65	19	313
लोक निर्माण कार्य	100[7]	100	—	110	125	71	30	108	—	—	140[6]	1736
8. सामान्य सेवाएं	**101**	**105**	**10**	**135**	**145**	**78**	**33**	**108**	**4**	**65**	**159**	**2049**
कुल जोड़	**2826**	**2911**	**2453**	**19100**	**26000**	**23500**	**1580**	**30500**	**2270**	**75500**	**37140**	**558494**

[1] तर संचार।

[2] रोजगार गारंटी स्कीम के लिए 6000 लाख रु० शामिल हैं।

[3] पुलिस आवास शामिल है।

[4] ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को 27.85 करोड़ रु. का अतिरिक्त एकमुश्त आवंटन शामिल नहीं है।

[5] जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए प्रशासनिक तन्त्र और व्यवस्था के लिए 20 लाख रु. शामिल हैं।

[6] राज्य राजधानी परियोजना शामिल है।

[7] ए०ई०पी० आदि

[8] प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए।

[9] राज्य रोजगार कार्यक्रम के लिए 203 लाख रु. और खाद्य तथा नागरिक पूर्ति निगम के लिए 10 लाख रु. शामिल हैं।

अनुलग्नक 1.4 (जारी)
विवरण—3

वार्षिक योजना, 1978-79 संग राज्य क्षेत्र

अनुमोदित परिव्यय

(लाख रु०)

विकास का शीर्ष	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	अरुणाचल प्रदेश	चंडीगढ़	दादरा और नगर हवेली	दिल्ली	गोआ, दमण और दीव	लक्षद्वीप	मिजोरम	पांडिचेरी	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कृषि	38.00	150.00	2.50	18.00	76.88	81.65	10.10	210.00	43.00	630.13
भूमिसुधार	2.00		—	4.50	—	30.00	—	4.00	9.00	49.50
छोटी सिंचाई	5.00	171.00	10.23	9.50	80.00	81.00	—	35.00	60.00	451.73
भू और जल संरक्षण	13.00	90.00	1.80	18.00	23.74	25.00	—	100.00	10.00	281.54
पशुपालन और डेरी विकास	30.00	75.00	4.38	7.00	180.57	78.00	7.50	70.00	34.00	486.45
मीन उद्योग	40.00	12.00	0.60	0.15	16.26	60.85	41.00	10.00	30.00	210.86
वन	129.00	120.00	10.15	15.00	—	86.50	—	51.31	—	411.96
कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	—	—	—	—	—	6.00	—	—	—	6.00
सामुदायिक विकास और पंचायतें	1.40	30.00	1.50	4.50	10.00	10.00	4.00	34.47	40.00	135.87
1. कृषि और संबद्ध सेवाएं	**258.40**	**648.00**	**31.16**	**76.65**	**387.45**	**459.00**	**62.60**	**514.78**	**226.00**	**2664.04**
2. सहकारिता	**11.00**	**102.00**	**5.55**	**3.50**	**55.43**	**47.00**	**10.00**	**37.00**	**15.00**	**286.84**
सिंचाई	—	30.00	—	127.00	—	662.00	—	—	22.00	481.00
बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	—	14.00	—	0.05	447.72	10.00	4.75	—	23.00	499.52
विद्युत्	90.00	340.00	125.00	17.90	2425.00	359.00	23.50	180.00	92.00	3652.40
3. जल और विद्युत् विकास	**90.00**	**384.00**	**125.00**	**144.95**	**2872.72**	**1031.00**	**28.25**	**180.00**	**137.00**	**4992.92**
उद्योग	—	1.00	8.00	—	15.00	61.00	—	3.50	30.00	118.50
ग्राम और लघु उद्योग	12.00	50.00	30.00	7.00	488.75	25.00	5.14	70.00	33.00	720.89
खनन और धातु कर्मी उद्योग	—	—	—	—	35.00	4.00	—	—	—	39.00
4. उद्योग और खनिज	**12.00**	**51.00**	**38.00**	**7.00**	**538.75**	**90.00**	**5.14**	**73.53**	**63.00**	**878.39**
पत्तन, प्रकाश स्तंभ और नौवहन	184.00	—	—	—	—	3.50	59.92	—	3.50	250.92
नागर विमानन	—	23.00	—	—	—	—	—	—	—	23.00
सड़कें और पुल	221.00	550.00	3.75	29.00	800.00	209.00	3.00	390.00	61.00	2266.75
सड़क परिवहन	19.00	15.00	36.00	—	2.00	0.50	—	20.00	5.00	97.50
जल परिवहन	—	—	—	—	—	20.00	2.50	5.00	—	27.50
पर्यटन	7.00	3.00	15.00	0.50	102.37	77.00	0.45	2.00	10.50	217.82
5. परिवहन और संचार	**431.00**	**591.00**	**54.75**	**29.50**	**904.37**	**310.00**	**65.87**	**417.00**	**80.00**	**2883.49**

(लाख रु०)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सामान्य शिक्षा (कला और संस्कृति को छोड़कर)	100.00	300.00	66.00	24.25	1358.37	180.00	30.36	90.00	128.00	2417.22
कला और संस्कृति			6.00	1.00	43.60	80.00	1.62		8.00	
तकनीकी शिक्षा	—	—	37.00	—	160.70	40.00	—	—	4.00	241.70
चिकित्सा, कर्मचारी राज्य बीमा और लोक स्वास्थ्य	20.00	71.00	57.00	6.50	790.94	185.00	8.50	85.00	46.00	1269.94
मल-व्यवस्था और जलपूर्ति	23.00	85.00	150.00	5.50	1525.00	214.00	—	120.00	95.00	2217·50
पुलिस आवास सहित आवास	10.50	65.00	255.80	7.50	1092.60	44.00	19.50	52.00	97.00	1639.90
शहरी विकास			48.00	0.15	670.00	23.00	—	15.00	40.00	796.15
राज्य राजधानी परियोजनाएं	—	—	314.00	—	—	—	—	—	—	314.00
सूचना और प्रचार	2.50	7.00	5.00	0.50	16.00	6.00	6.60	10.00	5.00	58.60
श्रम और श्रमिक कल्याण	0.60	4.00	5.00	7.00	113.00	17.50	0.60	2.00	9.00	158.70
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	7.30	—	—	—	104.00	13.00	—	2.27	50.00	176.57
समाज कल्याण	2.20	—	3.26	2.00	96.07	5.00	1.63	10.00	15.00	135.16
पोषाहार	2.60	13.00	8.34	3.00	55.00	4.00	1.91	12.00	10.00	109.85
6. सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	**168.70**	**545.00**	**955.40**	**57.40**	**6025.28**	**807.50**	**70.72**	**398.27**	**507.00**	**9535.27**
सचिवालय आर्थिक सेवाएं	0.80	—	—	—	6.00	2.00	0.46	1.50	2.50	13.26
विशेष और पिछड़े क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	13.00	—	13.00
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (आर्थिक सूचना और सांख्यिकी को छोड़कर)	2.15	12.00	1.75	—		1.00	0.60	3.26	2.50	23.26
आर्थिक सूचना और सांख्यिकी	0.05			1.00	10.00	2.50	—	1.50	2.00	17.05
7. आर्थिक सेवाएं	**3.00**	**12.00**	**1.75**	**1.00**	**16.00**	**5.50**	**1.06**	**19. 6**	**7.00**	**66.57**
लेखन-सामग्री और मुद्रण	1.20	2.50	—	—	—	—	—	—	5.00	8.70
लोक निर्माण कार्य	68.70[2]	5.00[3]	—	—	—	—	—	25.00	10.00	108.70
8. सामान्य सेवाएं	**69.90**	**7.50**	—	—	—	—	—	**25.00**	**15.00**	**117.40**
कुल जोड़ :	**1044.00**	**2340.50**	**1211.61**	**320.00**	**10800.00**	**2750.00**	**243.64**	**1664.81**	**1050.00**	**21424.56**

1. कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 2,00 लाख रु० शामिल है।
2. भूतपूर्व सैनिकों की पुन: स्थापना के लिए 44.70 लाख रु० शामिल है।
3. गावों की पुन: स्थापना के लिए।

1978-79 की वार्षिक योजना

परिशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए परिव्यय—राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रु०)

संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा	ग्रामीण स्वास्थ्य	ग्रामीण जल पूर्ति	ग्रामीण सड़कें	ग्रामीण विद्यु-तीकरण	ग्रामीण भूमि-हीन मजदूरों परिवारों के लिए आवास	शहरी गंदी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार	पोषाहार कार्यक्रम	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	360	40	173	435	50	300	500	100	150	2108
असम	557	16	205	240	535	255	24	—	51	1883
बिहार	1450	100	511	785	598	550	100	35	140	4269
गुजरात	691	25	111	810	637	—	30	30	127	2461
हरियाणा	268	20	43	450	72	—	7	—	14	874
हिमाचल प्रदेश	170	7	56	336	522	60	नगण्य	4	38	1193
जम्मू और कश्मीर	230	15	65	533	162	190	10	28	13	1246
कर्नाटक	495	24	268	950	500	75	50	100	349	2811
केरल	530	25	88	190	177	—	130	10	80	1230
मध्य प्रदेश	720	20	180	600	615	900	85	45	250	3415
महाराष्ट्र	780	25	400	1310	2200	—	130	270	336	5451
मणिपुर	60	3	44	100	130	35	5	2	6	385
मेघालय	99	6	24	41	55	109	—	5	19	358
नागालैंड	96	2	19	72	95	75	—	—	25	384
उड़ीसा	657	22	164	400	600	780	50	12	155	2840
पंजाब	900	12	97	450	1380	—	100	—	20	2959
राजस्थान	850	25	148	912	800	400	5	30	43	3213
सिक्किम	64	6	34	30	45	25	1	—	22	227
तमिलनाडु	438	44	51	610	475	—	100	200	48	1966
त्रिपुरा	90	15	43	39	130	135	6	5	13	476
उत्तर प्रदेश	1500	135	434	1490	1825	500	5	40	166	6095
पश्चिम बंगाल	2050	45	420	350	306	545	200	170	440	4526
जोड़ (राज्य)	**13055**	**632**	**3578**	**11133**	**11909**	**4934**	**1538**	**1086**	**2505**	**50170**

अनुलग्नक 1.5 (जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संघ राज्य क्षेत्र										
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	56	1	3	20	40	—	—	—	3	123
अरुणाचल प्रदेश	180	2	37	60	—	90	—	—	13	382
चंडीगढ़	38	3	7	—	—	—	—	—	8	56
दादरा और नगर हवेली	10	2	5	6	—	1	—	—	3	27
दिल्ली	434	50	3	50	9	—	3	50	55	654
गोआ, दमण और दीप	27	6	15	56	2	6	1	4	4	121
लक्षदीप	7	1	3	—	—	—	—	—	1	12
मिजोरम	44	4	18	88	46	115	—	—	12	327
पांडिचेरी	47	1	6	7	6	—	12	6	10	95
जोड़-संघ राज्य क्षेत्र	**843**	**70**	**97**	**287**	**103**	**212**	**16**	**60**	**109**	**1797**
कुल जोड़ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	**13898**	**702**	**3675**	**11420**	**12012**	**5146**	**1554**	**1146**	**2614**	**52167**

अनुलग्नक 4.1

फसल उत्पादन के लक्ष्य : खाद्यान्न

(लाख टन)

क्रम संख्या	राज्य	1976-77	1977-78		1978-79
		वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	74.76	92.00	85.70	98.00
2.	असम	22.55	26.50	24.25	26.50
3.	बिहार	91.84	105.00	98.64	110.50
4.	गुजरात	40.28	48.00	38·73	48.00
5.	हरियाणा	52.51	51.00	53.62	55.05
6.	हिमाचल प्रदेश	9.34	11.50	9.29	12.00
7.	जम्मू और कश्मीर	9.34	11.60	10.41	12.00
8.	कर्नाटक	47.06	72.00	71.10	75.00
9.	केरल	12.77	15.50	12.94	16.21
10.	मध्य प्रदेश	95.76	123.00	121.16	127.00
11.	महाराष्ट्र	96.96	95.00	104.56	105.00
12.	मणिपुर	2.86	3.60	3.21	3.77
13.	मेघालय	1.43	1.47	1.48	1.55
14.	नागालैंड	0.93	0.95	0.97	1.00
15.	उड़ीसा	40.75	62.00	53.72	62.00
16.	पंजाब	91.98	92.50	106.63	98.00
17.	राजस्थान	74.90	77.00	71.53	77.00
18.	सिक्किम	—	0.35	—	0.40
19.	तमिल नाडु	63.36	84.00	80.89	87.25
20.	त्रिपुरा	3.52	3.77	3.85	3.89
21.	उत्तर प्रदेश	199.08	215.00	208.27	215.00
22.	पश्चिम बंगाल	75.54	92.00	89.93	95.75
	जोड़— राज्य	**1106.52**	**1283.74**	**1250.91**	**1330.87**
	संघ राज्य क्षेत्र	5.15	5.70	5.14	5.00
	जोड़—राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	**1111.67**	**1289.44**	**1256.05**	**1335.87**
	अखिल भारतीय लक्ष्य	**1160.00**	**1180.00**	—	**1260.00**

अनुलग्नक 4.2

फसल उत्पादन क लक्ष्य : तिलहन (प.च प्रमुख तिलहन)

(लाख टन)

क्रम संख्या	राज्य	1976-77	1977-78		1978-79
		वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	6.49	16.65	10.83	18.00
2.	असम	0.68	1.20	0.81	1.00
3.	बिहार	1.04	1.60	1.01	1.60
4.	गुजरात	20.73	21.00	19.15	21.00
5.	हरियाणा	0.79	1.20	0.98	1.30
6.	हिमाचल प्रदेश	0.06	—	0.05	—
7.	जम्मू और कश्मीर	0.30	—	0.30	—
8.	कर्नाटक	4.17	10.30	7.21	10.00
9.	केरल	0.22	0.25	0.32	0.26
10.	मध्य प्रदेश	5.13	8.00	5.85	9.00
11.	महाराष्ट्र	7.06	8.50	6.93	9.00
12.	मणिपुर	0.02	0.05	0.02	0.05
13.	मेघालय	0.04	0.05	0.05	0.05
14.	नागालैंड	0.01	0.01	0.01	0.01
15.	उड़ीसा	2.06	3.30	2.46	4.55
16.	पंजाब	2.02	3.00	2.33	3.00
17.	राजस्थान	3.43	4.70	4.16	4.20
18.	सिक्किम	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु	8.28	14.67	11.55	15.70
20.	त्रिपुरा	0.03	0.04	0.03	0.04
21.	उत्तर प्रदेश	15.14	22.00	14.64	23.00
22.	पश्चिम बंगाल	0.59	0.85	0.59	1.25
	जोड़—राज्य	**78.30**	**117.38**	**89.28**	**123.01**
	संघ राज्य क्षेत्र	0.04	—	0.04	—
	जोड़—राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	**78.34**	**117.38**	**89.32**	**123.01**
	अखिल भारतीय लक्ष्य	**105.00**	**108.00**	—	**108.00**

अनुलग्नक 4.3

फसल उत्पादन के लक्ष्य : गन्ना

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1976-77 वास्तविक	1977-78 लक्ष्य	1977-78 वास्तविक उत्पादन	1978-79 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	102.81	133.00	132.68	140.00
2.	असम	16.65	18.00	14.30	16.22
3.	बिहार	41.76	62.00	49.58	62.00
4.	गुजरात	27.17	30.00	34.87	40.00
5.	हरियाणा	72.80	72.00	89.70	75.00
6.	हिमाचल प्रदेश	0.42	—	0.74	—
7.	जम्मू और कश्मीर	0.15	—	0.15	—
8.	कर्नाटक	99.85	104.00	111.20	112.00
9.	केरल	4.05	5.75	4.10	5.30
10.	मध्य प्रदेश	23.18	20.00	23.94	22.00
11.	महाराष्ट्र	215.00	173.00	253.20	240.00
12.	मणिपुर	0.54	0.90	0.54	1.00
13.	मेघालय	0.09	0.09	0.10	0.09
14.	नागालैंड	0.95	1.05	0.95	1.20
15.	उड़ीसा	27.70	30.00	26.00	32.00
16.	पंजाब	60.70	65.00	65.20	67.50
17.	राजस्थान	19.91	20.25	28.25	21.50
18	सिक्किम	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु	122.45	140.00	171.60	143.00
20.	त्रिपुरा	0.93	1.00	0.88	1.10
21.	उत्तर प्रदेश	652.15	700.00	807.56	730.00
22.	पश्चिम बंगाल	18.12	20.00	18.12	20.50
	जोड़ — राज्य	**1527.38**	**1595.41**	**1813.63**	**1730.41**
	संघ राज्य क्षेत्र	2.68	—	2.64	—
	जोड़ — राज्य और संघ राज्यक्षेत्र	**1530.06**	**1595.41**	**1816.27**	**1730.00**
	अखिल भारतीय लक्ष्य	**1540.00**	**1550.00**	—	**1660.00**

अनुलग्नक 4.4

फसल उत्पादन के लक्ष्य : कपास

(लाख रु०)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1976-77		1977-78	1978-79
		वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2.61	4.00	2.31	4.00
2.	असम	0.02	—	0.02	—
3.	बिहार	0.03	—	0.03	—
4.	गुजरात	16.30	23.30	19.42	23.00
5.	हरियाणा	4.99	5.00	4.64	5.20
6.	हिमाचल प्रदेश	0.01	—	—	—
7.	जम्मू और कश्मीर	0.01	—	—	—
8.	कर्नाटक	4.60	9.50	8.02	12.00
9.	केरल	0.10	—	0.10	—
10.	मध्य प्रदेश	2.78	4.25	2.70	4.50
11.	महाराष्ट्र	8.33	15.00	12.63	16.00
12.	मणिपुर	—	—	—	—
13.	मेघालय	0.03	0.04	0.03	0.04
14.	नागालैंड	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	0.05	—	0.07	—
16	पंजाब	11.38	13.80	12.24	13.00
17.	राजस्थान	3.48	4.20	4.52	4.00
18.	सिक्किम	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु	3.47	4.20	4.04	4.25
20.	त्रिपुरा	0.02	0.02	0.02	0.02
21.	उत्तर प्रदेश	0.14	0.50	0.15	0.25
22.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—
	जोड़ — राज्य	**58.35**	**83.81**	**70.96**	**86.26**
	संघ राज्य क्षेत्र	0.04	—	0.07	—
	जोड़ — राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	**58.39**	**83.81**	**71.03**	**86.26**
	अखिल भारतीय लक्ष्य	75.00	70.00	—	75.00

अनुलग्नक 4.5

फसल उत्पादन के लक्ष्य : पटसन और मेस्ता

(लाख गांठें प्रत्येक 180 कि0 ग्रा0 की)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1976-77		1977-78	1978-79
		वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	9.22	4.50	8.57	9.50
2.	असम	7.50	10.00	5.90	9.50
3.	बिहार	7.60	9.75	8.22	10.00
4.	गुजरात	—	—	—	—
5.	हरियाणा	—	—	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	0.53	—	0.49	—
9.	केरल	—	—	—	—
10.	मध्य प्रदेश	0.19	—	0.20	—
11.	महाराष्ट्र	1.11	—	1.09	—
12.	मणिपुर	—	—	—	—
13.	मेघालय	0.74	0.70	0.70	0.72
14.	नागालैंड	0.01	0.01	—	0.01
15.	उड़ीसा	5.92	6.50	6.20	7.00
16.	पंजाब	—	—	—	—
17.	राजस्थान	0.01	—	—	—
18.	सिक्किम	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु	0.01	—	0.01	—
20.	त्रिपुरा	0.97	1.10	0.79	1.15
21.	उत्तर प्रदेश	0.69	1.08	0.70	1.10
22.	पश्चिमी बंगाल	36.50	40.00	37.09	40.00
	जोड़—राज्य	**70.99**	**73.64**	**71.18**	**78.98**
	संघ राज्य क्षेत्र	—	—	—	—
	जोड़—राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	**70.99**	**73.64**	**71.18**	**78.98**
	अखिल भारतीय लक्ष्य	**65.00**	**74.00**	—	**76.00**

अनुलग्नक 4.6

अधिक उपज देने वाली किस्मों के अंतर्गत सम्मिलित कुल क्षेत्र
(धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा)

(क्षेत्र 000 हैक्टेयर)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1976-77	1977-78		1978-79
		उपलब्धि	लक्ष्य	उपयब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2482.00	2969.00	2969.00	3108-00
2.	असम	505.00	601.00	529.00	624.00
3.	बिहार	2729.00	3560.00	35.00	4100.00
4.	गुजरात	1752.00	2050.00	1838.00	2190.00
5.	हरियाणा	1660 00	1560.00	1670.00	1750.00
6.	हिमाचल प्रदेश	405.00	445.00	380.00	408.00
7.	जम्मू और कश्मीर	376.07	403.00	401.00	474.00
8.	कर्नाटक	1163.00	1700.00	1520.00	1800.00
9.	केरल	260.00	450.00	360.00	500.00
10.	मध्य प्रदेश	2597.00	3130.00	3100.00	4380,00
11.	महाराष्ट्र	3525.00	4400.00	4016.00	4625.00
12.	मणिपुर	53.00	63.00	63.00	70.00
13.	मेघालय	16.00	21.00	21.00	26.00
14.	नागालैंड	6.74	9.80	9.80	12.30
15.	उड़ीसा	648.00	1166.00	941.00	1346.00
16.	पंजाब	3105.00	3000.00	3240.00	3300 00
17.	राजस्थान	1241.00	1550.00	1441.00	1590.00
18.	सिक्किम	2.40	6.60	6.60	11.60
19.	तमिलनाडु	2350.00	2450.00	2410.00	2500.00
20.	त्रिपुरा	117.00	125.00	125.00	135.00
21.	उत्तर प्रदेश	6530.00	6880.00	7077.00	7496.00
22.	पश्चिम बंगाल	1890.00	2540.00	2200.00	2675.00
	जोड़—राज्य	**38660.30**	**38987.60**	**37817.80**	**42220.00**
	संघ राज्य क्षेत्र	**146.67**	**152.60**	**149.40**	**150.00**
	जोड़—राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	**38806.97**	**39140.20**	**37967.20**	**42370.90**

अणुलग्नक 4.6—(जारी)

अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्य-क्रम के अंतर्गत अखिल भारतीय फसलवार लक्ष्य और उपलब्धियां

(दस लाख हेक्टेयर)

फसल	1976-77		1977-78	1987-79
	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5
धान	13.30	15.00	15.60	17.50
गेहूं	14.50	15.00	15.50	16 50
मक्का	1.10	1.30	1.20	1.30
ज्वार	2.40	3.00	3.10	3.50
बाजरा	2.30	2.70	2.60	3.20
जोड़	**33.60**	**37.00**	**38.00**	**42.00**

अनुलग्नक 4.7

सकल फसल क्षेत्र

(क्षेत्र लाख हेक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1976-77	1977-78		1978 79
		वास्तविक	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	118.65	140.00	140.00	144.00
2.	असम	30.00	32.25	32.00	32.00
3.	बिहार	112 97	115.00	115.00	118.00
4.	गुजरात	102.00	104.00	104.00	104.00
5.	हरियाणा	54.00	54.00	52.50	55.00
6.	हिमाचल प्रदेश	6.97	9.76	9.05	9.08
7	जम्मू और कश्मीर	9.20	9.30	9.30	9.30
8.	कर्नाटक	09.50	110.00	110.00	110.50
9.	केरल	130.95	31.75	31.12	31.65
10.	मध्य प्रदेश	214.02	215.00	215.00	215.00
11.	महाराष्ट्र	197.00	195.00	198.08	198.50
12.	मणिपुर	2.10	2.20	2.20	2.30
13.	मेघालय	2 05	2.07	2.07	2.10
14.	नागालैंड	1.20	1.21	1 21	1.21
15.	उड़ीसा	78.00	86.02	82.00	82.00
16.	पंजाब	62.25	62.00	62.50	62.50
17.	राजस्थान	167.12	168.00	158.00	158.00
18.	सिक्किम	0.69	0.73	0.73	0.73
19.	तमिलनाडु	75.00	79.00	76.00	76.00
20.	त्रिपुरा	3.86	3.86	3.86	3.86
21.	उत्तर प्रदेश	232 92	257.00	238.50	238.50
22.	पश्चिम बंगाल	76.48	79.40	79.00	79.00
	जोड़ राज्य	**1686.91**	**1769.57**	**1722.12**	**1722.12**
	संघ राज्य क्षेत्र	**4.50**	**4.50**	**4.50**	**4.50**
	जोड़—राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	**1691.41**	**1765.07**	**1726.62**	**1726.62**
	अखिल भारतीय लक्ष्य	**1691.00**	**1730.00**	**1727.00**	**1740.00**

रासायनिक उर्वरकों की खपत—कुल एन०पी०के०

(पोषकों के 000 टन)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1976-77	1977-78		1978-79
		उपलब्धि	लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	304.04	600 00	501.00	675.00
2.	असम	5.80	15.00	7.00	11.00
3.	बिहार	156.00	200.00	210.00	265.00
4.	गुजरात	196.00	250.00	262.00	315.00
5.	हरियाणा	137.14	145.00	185.00	245.00
6.	हिमाचल प्रदेश	7.40	8.00	10.00	12.50
7.	जम्मू और कश्मीर	—	14.50	14.50	18.00
8.	कर्नाटक	206.00	330.00	314.00	400.00
9.	केरल	69.41	95.00	99.28	120.08
10.	मध्य प्रदेश	132.00	200.00	176.00	220.00
11.	महाराष्ट्र	316.00	460.00	364.00	490.00
12.	मणिपुर	1.98	4.20	3.15	4.50
13.	मेघालय	2.25	4.30	2.55	5 50
14.	नागालैंड	0.08	0.29	0.29	0.60
15.	उड़ीसा	61.91	79.00	79.04	100.00
16.	पंजाब	372.00	440.00	463.00	500.00
17.	राजस्थान	99.00	120.00	126.00	130.00
18.	सिक्किम	0.48	0.57	0.56	0.64
19.	तमिलनाडु	375.00	415.00	415.00	480.00
20.	त्रिपुरा	0.87	1.18	1.09	1.40
21.	उत्तर प्रदेश	729.00	920.00	880.00	1120.00
22.	पश्चिम बंगाल	148.20	210.00	172.00	275.00
	जोड़—राज्य	**3409.52**	**4512.04**	**4285.46**	**5564.21**
	संघ राज्य क्षेत्र	**20.00**	**25.00**	**23.30**	**23.00**
	जोड़—राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	**3429.52**	**4537.04**	**4308.46**	**5587.21**
	अखिल भारतीय लक्ष्य	**3430.00**	**4200.00**	**4335.02**	**5000.00**

अनुलग्नक 4.8
(जारी)

रासायनिक उर्वरकों के अखिल भारतीय लक्ष्य और उपलब्धियां

(पोषकों के 000 टन)

उर्वरक	1976-77	1977-78		1978-79
	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
नाइट्रोजनीय	2450	3050	2944	3400
फास्फेटिक	650	800	883	1000
पोटासिक	330	350	508	600
जोड़	**3430.00**	**4200.00**	**4335.00**	**5000.00**

तकनीकी ग्रेड के कीटनाशकों की खपत

(टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1976-77	1977-78		1978-79
		उपलब्धि	लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	12000	14000	1400 0	14000
2.	असम	320	500	340	395
3.	बिहार	2800	—	3230	4000
4,	गुजरात	5000	6300	6300	6300
5.	हरियाणा	1600	1800	1800	2000
6.	हिमाचल प्रदेश	42	70	40	45
7.	जम्मू और कश्मीर	97	110	112	116
8.	कर्नाटक	2000	2827	2230	2300
9.	केरल	1100	1365	1131	1275
10.	मध्य प्रदेश	4100	4500	4200	5422
11.	महाराष्ट्र	1660	4000	2000	4000
12.	मणिपुर	40	45	28	32
13.	मेघालय	20	23	18	20
14.	नागालैंड	7	7	7	7
15.	उड़ीसा	1960	2100	2100	2100
16.	पंजाब	—	4000	4000	4000
17.	राजस्थान	1474	2750	1650	1800
18.	सिक्कम	3	5	3	4
19.	तमिलनाडु	3706	5523	5294	5194
20.	त्रिपुरा	65	80	80	90
21.	उत्तर प्रदेश	9600	8000	8000	10000
22.	पश्चिम बंगाल	2500	3000	2200	3000
	जोड़—राज्य	**50094**	**61005**	**58683**	**66810**
	जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	461	500	500	500
	जोड़—राज्य और संघ राज क्षेत्र	**50555**	**61505**	**59183**	**67310**
	अखिल भारतीय लक्ष्य	**50500**	**60000**	**59200**	**65000**

अनुलग्नक—4.10

छोटी सिंचाई से लाभान्वित होने वाला क्षेत्र

('000 हैक्टेयर)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1976-77	1977-78		1978-79
		उपलब्धि	लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1714	1761	1761	1830
2.	असम	415	450	450	489
3.	बिहार	2174	2388	2386	2707
4.	गुजरात	1369	1416	1411	1466
5.	हरियाणा	1000	1056	1056	1107
6.	हिमाचल प्रदेश	89	91	91	95
7.	जम्मू और कश्मीर	323	335	330	339
8.	कर्नाटक	1037	1094	1070	1130
9.	केरल	297	306	309	324
10.	मध्य प्रदेश	1397	1525	1527	1672
11.	महाराष्ट्र	1542	1615	1611	1691
12.	मणिपुर	51	67	67	89
13.	मेघालय	16	20	20	25
14.	नागालैंड	46	49	49	55
15.	उड़ीसा	572	644	644	764
16.	पंजाब	2790	2850	2850	2920
17.	राजस्थान	1849	1880	1880	1919
18	सिक्कम	7	8	8	9
19.	तमिलनाडु	2028	2054	2054	2074
20.	त्रिपुरा	34	40	36	339
21.	उत्तर प्रदेश*	8360	9136	8886	9500
22.	पश्चिम बंगाल	1314	1441	1433	1592
	जोड़—राज्य	**28414**	**30226**	**29929**	**31836**
	संघ राज्य क्षेत्र	48	62	62	उ०न०
	जोड़—राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	**28462**	**30288**	**29991**	**31836**
	अखिल भारतीय लक्ष्य	**25800**	**27300**	**26900**	**28750**

* उत्तर प्रदेश में सकल उपयोग से सम्बन्धित है।

अनुलग्नक 4.11

कृषि भूमि पर भू संरक्षण के अंतर्गत क्षेत्र

('000 हेक्टेयर)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1976-77	1977-78		1978-79
		उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	437	447	447	456
2.	असम	29	35	35	44
3.	बिहार	519	553	553	600
4.	गुजरात	1713	1621	1759	1834
5.	हरियाणा	201	232	232	298
6.	हिमाचल प्रदेश	17	20	19	21
7.	जम्मू और कश्मीर	4	7	6	8
8.	कर्नाटक	2133	2193	2300	2450
9,	केरल	52	53	53	55
10.	मध्य प्रदेश	2538	2651	2616	2728
11.	महाराष्ट्र	7759	7834	7895	8074
12.	मणिपुर	11	13	12	14
13.	मेघालय	14	14	14	15
14.	नागालैंड	10	13	13	16
15.	उड़ीसा	156	उ.न.	उ.न.	उ.न.
16.	पंजाब	180	193	198	259
17.	राजस्थान	1010	1010	1014	1027
18.	सिक्किम	0.27	0.47	1.23	1.63
19.	तमिलनाडु	629	687	673	737
20.	त्रिपुरा	8	9	9	11
21.	उत्तर प्रदेश	2071	2123	2117	2164
22.	पश्चिम बंगाल	93	101	101	उ.न.
	जोड़—राज्य	**19593.27**	**20009.47**	**20067.23**	**20812.63**
	संघ राज्य क्षेत्र	**43**	**55**	उ न.	उ.न.
	जोड़ - राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	19636.27	20064.47	20067.23	**20812.63**
	अखिल भारतीय लक्ष्य	**19636.00**	**20100.00**	**20067.00**	**21000.00**

अनुलग्नक 4.12

कृषि पुनर्वित और विकास निगम की स्कीमों की प्रयोजनवार प्रगति

प्रयोजन	1976-77			1977-78			30 जून, 1978 को		
	स्कीमों की संख्या	कृ.पु.वि. नि. की वचन बद्धता	संवि-तरण	स्कीमों की संख्या	कृ.पु.वि. नि. की वचनबद्धता	संवि-तरण	स्कीमों की संख्या	कृ.पु.वि. नि. को वचन बद्धता	संवि-तरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
छोटी सिंचाई	657	17752	14210	468	17584	14385	2662	116956	73215
भूमि विकास-नि.क्षे.वि.	193	2711	587	96	909	477	399	12061	4540
फार्म यंत्रीकरण	227	3704	5177	249	2803	2782	943	19276	14447
पौध रोपण/बागबानी	103	1303	516	109	2250	648	488	7886	2814
मुर्गीपालन/भेड़ प्रजनन/सूअर पालन	53	316	66	79	436	225	204	1111	457
मीन उद्योग	48	343	196	126	1222	500	291	3043	1402
डेरी उद्योग विकास	157	1220	354	186	2667	385	494	5419	1338
भंडारण/बाजार	190	2522	953	449	3700	3929	693	8951	6581
अन्य									
कृषि विमानन	1	23	—	—	—	—	3	40	17
एकीकृत सूत विकास	14	575	5	15	520	58	17	525	63
वन उद्योग	9	244	18	1	65	40	13	425	58
गोबर गैस	1	2	—	16	93	1	17	95	1
जोड़	**1653**	**30715**	**22082**	**1794**	**32149**	**23430**	**6224**	**175788**	**104932**

अनुलग्नक 4.13

(लाख रु०)

कृषि पुनर्वित और विकास निगम की स्कीमों की राज्यवार प्रगति

राज्य	1976-77			1977-78			30 जून, 1978 तक		
	स्कीमों की संख्या	कृ.पु.वि. नि. की वचन-बद्धता	संवि-तरण	स्कीमों की संख्या	कृ.पु.वि. नि. की वचन बद्धता	संवि-तरण	स्कीमों की संख्या	कृ.पु.वि. नि. की वचन बद्धता	संवि-तरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क. कम विकसित/अल्प बैंक वाले क्षेत्र									
1. हिमाचल प्रदेश	13	219	2	55	43	24	22	282	52
2. जम्मू व कश्मीर	2	18	6	7	55	16	13	201	110
3. राजस्थान	69	2139	787	79	1970	1311	274	10743	3652
4. असम	15	103	70	64	1244	284	94	1610	494
5. मणिपुर	1	3	8	24	136	23	25	179	36
6. मेघालय	3	53	—	1	1	—	6	60	—
7. नागालैंड	1	2	3	3	13	—	5	45	13
8. त्रिपुरा	2	40	2	1	2	3	7	63	6
9. बिहार	101	2863	1696	158	1994	1866	352	12254	6804
10. उड़ीसा	79	2230	565	65	1357	815	246	7312	1851
11. पश्चिम बंगाल	52	1389	590	89	1390	998	201	4270	1857
12. मध्य प्रदेश	118	1940	2610	190	3279	1667	603	14963	8772
13. उत्तर प्रदेश	269	1766	3720	218	2402	4314	841	241681	6395
जोड़ क	**735**	**12765**	**10059**	**904**	**13886**	**11321**	**2689**	**76150**	**40042**
ख : अन्य राज्य									
1. दिल्ली	—	—	10	2	20	19	11	159	83
2. हरियाणा	93	3057	1770	57	1521	1101	260	13533	8592
3. चंडीगढ़	—	—	—	1	3	3	1	3	3
4. पंजाब	59	1635	1731	96	2544	1177	259	12303	7964
5. गोआ	7	100	24	8	122	56	38	303	111
6. गुजरात	87	1489	402	58	2183	1316	241	10536	6850
7. महाराष्ट्र	242	3177	1928	221	2690	1990	990	16419	10758
8. आंध्र प्रदेश	118	2334	2122	151	4213	3852	551	17748	11472
9. कर्नाटक	197	3843	2190	160	2826	1321	631	14704	8996
10. केरल	43	1280	247	48	1494	369	187	4354	1286
11. पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	5	46	27
12. तमिलनाडु	82	1035	1599	88	647	905	361	9530	8748
जोड़ ख	**928**	**17950**	**12023**	**890**	**18263**	**12109**	**3535**	**99638**	**64890**
जोड़ क+ख	**1653**	**30715**	**22082**	**1794**	**32149**	**23430**	**6224**	**175788**	**104932**

अनुलग्नक 4.14

1978-79 की वार्षिक योजना—केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें

विकास का शीर्ष : कृषि विपणन

(लाख रु०)

स्कीम का नाम	1977-78		1978-79
	परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	परिव्यय
1	2	3	4
1. (क) चुने हुए विनियमित बाजारों का विकास	250	250	600
(ख) प्राथमिक बाजारों का विकास	200	200	
2. बाजार सर्वेक्षण और अन्वेषण	27	17	35
3. एगमार्क सुविधाएं को बढ़ाना	37	35	60
4. केन्द्रीय एगमार्क अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान	30	30	50
जोड़	**544**	**532**	**735**

अनुलग्नक 4.15

1978-79 की वार्षिक योजना में
कृषि विपणन पर परिव्यय और व्यय

(लाख रु०)

क्रम सं०	राज्य	1977-78		1978-79
		परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	परिव्यय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7.00	7.00	10.00
2.	असम	27.80	16.80	23.00
3.	बिहार	120.00	120.00	113.87
4.	गुजरात	20.50	20.50	21.00
5.	हरियाणा	—	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	10.36	10.36	10.70
7.	जम्मू और कश्मीर	11.16	9.49	37.00
8.	कर्नाटक	15.00	15.00	20.00
9.	केरल	0.60	0.16	0.20
10.	मध्य प्रदेश	5.70	5.70	10.70
11.	महाराष्ट्र	85.33	85.33	12.42@
12.	मणिपुर	—	—	—
13.	मेघालय	6.40	6.40	6.50
14.	नागालैंड	1.50	1.50	1.60
15.	उड़ीसा	7.00	7.00	18.00
16.	पंजाब	358.00	उ.न.	279.40
17.	राजस्थान	4.14	3.28	7.00
18.	सिक्किम	—	1.70	2.70
19.	तमिलनाडु	5.00	5.14	5.14
20.	त्रिपुरा	9.00	9.00	16.51
21.	उत्तर प्रदेश	29.00	29.00	30.00
22.	पश्चिम बंगाल	22.00	4.40	14.92
	जोड़	745.49	357.76	640.66

@ शीत संग्रहागार के लिए एमएसीजीपी को शेयर पूंजी अंशदान को छोड़कर।

XX ये आंकड़े कार्यकारी दल द्वारा सिफारिश किए गए हैं।

अनुलग्नक 4.16

वन उद्योग (संचयी)

जल्दी उगनेवाली किस्मों के बागान (संचयी)

('000 हैक्टेयर)

	1976-77	1977-78		1978-79
	उपलब्धि	लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	34.930	39.830	39.550	43.860
2. असम	2 279	0.960	0.960	1.030
3. बिहार	2.430	1.600	1.850	2.000
4. गुजरात	29.510	31.700	31.700	33.700
5. हरियाणा	0.073	0.072	0.072	0.200
6. हिमाचल प्रदेश	4.163	5.670	5.400	6.210
7. जम्मू और कश्मीर	2.453	5.670	5.670	7.820
8. कर्नाटक	81.700	84.600	85.300	89.300
9. केरल	2.070	—	0.200	1.020
10. मध्य प्रदेश	6.437	6.439	6.437	6.437
11. महाराष्ट्र	—	—	—	—
12. मणिपुर	—	—	—	—
13. मेघालय	0.790*	1.470*	1.220*	1.410*
14. नागालैंड	0.597	1.097	1.117	1.777
15. उड़ीसा	—	—	—	—
16. पंजाब		—	—	—
17. राजस्थान	—	—	—	—
18. सिक्किम	—	—	—	—
19. तमिलनाडु	30.410	32.720	32.720	34.920
20. त्रिपुरा	0.748	0.744	0.744	0.750
21. उत्तर प्रदेश	150.990	157.700	157.700	165.000
22. पश्चिम बंगाल	25.000	29.000	26.590	27.790

अनुलनग्क 4.16 (जारी)

1	2	3	4	5
जोड़	**236.680**	**399.270**	**397.230**	**423.225**
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—
2. अरुणाचल प्रदेश	14.312	—	—	16.350
3. चंडीगढ़	—	0.330	0.330	0.350
4. दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—
5. दिल्ली	—	—	—	—
6. गोआ, दमण और दीव	9.923	—	—	9.950
7. लक्षद्वीप	—	—	—	—
8. मिजोरम	0.180	0.480	0.480	0.500
9. पांडिचेरी	—	—	—	—
जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	**24.415**	***0.810***	***0.810***	**27.150**
कुल जोड़	**261.95**	**400.800**	**398.040**	**450.375**

* आर्थिक बागान शामिल हैं।

अनुलग्नक 4.17

फार्म वन उद्योग (संचयी)

(000 हैक्टेयर)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1976-77 उपलब्धि	1977-78 लक्ष्य	1977-78 प्रत्याशित उपलब्धि	1978-79 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	11.93	14.73	14.21	34.59
2.	असम	—	—	—	—
3.	बिहार	0.35	0.34	0.34	0.42
4.	गुजरात	14.02	21.45	20.48	27.59
5.	हरियाणा	0.342	0.298	0 298	80 Lakh Plan
6.	हिमाचल प्रदेश	18.000	—	15.000	18.000
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	136.60	147.60	151.60	171.60
9.	केरल	0.30	0.40	0.50	0.50
10.	मध्य प्रदेश	0.300	0.470	0.470	0.470
11.	महाराष्ट्र	1.467	2.044	2.044	2.581
12.	मणिपुर	—	—	—	—
13.	मेघालय	*	*	*	*
14.	नागालैंड	1.463	2.133	2.133	4.069
15.	उड़ीसा	—	—	—	—
16.	पंजाब	139.26	231.26	231.26	275.26
17.	राजस्थान	—	—	—	—
18.	सिक्किम	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु	85.39	89.31	89.31	105.28
20.	त्रिपुरा	85.39	89.31	0.020	0.100
21.	उत्तर प्रदेश	10.60	13.10	13.30	20.00
22.	पश्चिम बंगाल	1.85	1.85	8.70	18.74
	जोड़	507.262	614.295	549.665	679.83

* जल्दी उगनेवाली किस्मों के अन्तर्गत शामिल है।

अनुलग्नक 4.17 (जारी)

1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान	—	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	10.00	10.00	12.000
3.	चंडीगढ़	—	0.080	0.080	0 100
4.	दादरा और नगर हवेली	—	0.20	—	—
5.	दिल्ली	.260	—	—	—
6.	गोआ, दमण और दीव	—	—	—	—
7.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
8.	मिजोरम	0.260	0.360	0.360	0.400
9.	पांडिचेरी	—	—	—	—
	जोड़ – संघ राज्य क्षेत्र	**0.520**	**10.460**	**10.440**	**12.500**
	कुल जोड़	**507.782**	**624.755**	**560.105**	**692.330**

अनुलग्नक 4.18

वन संचार (संचयी)

(000 कि०मी०)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1976-77	1977-78		1978-79
		उपलब्धि	लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—
2.	असम	—	0.005	0.005	0.015 कि.मी.
3.	बिहार	21.00	23.00	23.00	27.0101 (")
4.	गुजरात	0.38	0.43	0.44	0.49
5.	हरियाणा	—	—	0.38	0.50
6	हिमाचल प्रदेश	24.00	—	24.00	48.50
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	0.259	0.259	0.259	0.265
9.	केरल	0.017	0.040	0.040	0.05
10.	मध्य प्रदेश	0.147	0.226	0.226	0.474
11.	महाराष्ट्र	0.283	0.335	0.335	0.420
12.	मणिपुर	0.61	0.622	0.622	0.662
13.	मेघालय	0.01	0.015	0.015	0.025
14.	नागालैंड	0.043	0.056	0.656	0.070
15.	उड़ीसा	—	—	—	—
16.	पंजाब	—	—	—	—
17.	राजस्थान	—	—	—	—
18.	सिक्किम	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु	0.256	0.279	0.279	0.293
20.	त्रिपुरा	0.030	0.030	0.030	0.030
21.	उत्तर प्रदेश	9.17	9.50	9.50	9.80
22.	पश्चिम बंगाल	0.411	0.416	उ.न.	0.426
	जोड़	**56.626**	**35.237**	**59.187**	**62.03**

अनुलग्नक 4.18 (जारी)

1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.003	0.003	0.003	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
3.	चंडीगढ़	—	—	—	—
4.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—
5,	दिल्ली	—	—	—	—
6.	गोआ, दमण और दीव	0.040	—	—	—
7.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
8.	मिजोरम	0.020	0.030	0.030	—
9.	पांडिचेरी	—	—	—	—
	जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	**0.063**	**0.033**	**0.033**	—
	कुल जोड़	**56.689**	**35.270**	**59.220**	**62.03**

अनुलग्नक 4.19

आर्थिक बागान (संचयी)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1976-77	1977-78		1978-79
		उपलब्धि	लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	53.36	57.69	57.69	62.39
2.	असम	8.329	4.008	4.008	4.067
3.	बिहार	0.28	0.23	0.23	0.28
4.	गुजरात	47.78	53.10	53.18 *	58.37
5.	हरियाणा	0.15	0.137	0.137	0.200
6.	हिमाचल प्रदेश	4.246	—	4.100	4.715
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	111.70	119.70	119.70	128.20
9	केरल	3.80	3.90	4.20	5.07
10.	मध्य प्रदेश	14.112	18.112	18.112	27.212
11.	महाराष्ट्र	11.667	19.931	19.932	25.157
12.	मणिपुर	4.9	6.46	6.46	7.98
13.	मेघालय	—	—	—	—
14.	नागालैंड	0.736	1.236	1.256	1.916
15.	उड़ीसा	—	—	—	—
16.	पंजाब	27.77	31.00	31.00	33.40
17.	सिक्किम	—	—	—	—
18.	राजस्थान	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु	104.90	109.84	109.64	113.63
20.	त्रिपुरा	1.959	2.009	2.039	2.032
21.	उत्तर प्रदेश	150.90	157.70	157.70	165.00
22.	पश्चिम बंगाल	35.54	38.54	36.85	38.65
	जोड़	582.169	605.594	626.434	678.309

* जल्दी उगनेवाली किस्मों के अंतर्गत शामिल है।

अनुलग्नक—4.19 (जारी)

1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.80	3.10	3.10	3.500
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.35	1.50	1.50	1.600
3.	चंडीगढ़	—	0.08	0.08	0.100
4.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—
5.	दिल्ली	0.202	0.405	0.252	0.350
6.	गोआ, नमण और दीव	—	—	—	—
7.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
8.	मिजोरम	0.46	0.86	0.86	0.86
9.	पांडिचेरी	—	—	—	—
	जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	**3.822**	**8.945**	**5.792**	**6.410**
	कुल जोड़	**585.991**	**611.539**	**632.226**	**684.719**

अनुलग्नक 4.20

वनों के लिए राज्यवार परिव्यय

(लाख रु०)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1978-79 परिव्यय
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	150
2.	असम	292
3	बिहार	160
4.	गुजरात	680
5.	हरियाणा	100
6.	हिमाचल प्रदेश	460
7.	जम्मू और कश्मीर	117
8.	कर्नाटक	165
9.	केरल	217
10.	मध्य प्रदेश	351
11.	महाराष्ट्र	356
12.	मणिपुर	68
13.	मेघालय	55
14.	नागालैंड	70
15.	उड़ीसा	120
16.	पंजाब	155
17.	राजस्थान	200
18.	सिक्किम	155
19.	तमिलनाडु	364
20.	त्रिपुरा	107
21.	उत्तर प्रदेश	450
22.	पश्चिम बंगाल	167
	जोड़ – राज्य	4878

अनुलग्नक 4. 20 (जारी)

1	2	3
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अडंमान और निकोबार दवीय समूह	129
2.	अरुणाचल प्रदेश	120
3.	चंडीगढ़	—
4.	दिल्ली	86.50
5.	दादरा और नगर हवेली	51.31
6.	गोआ, दमण और दीव	—
7.	लक्षद्वीप	—
8.	मिजोरम	15
9.	पांडिचेरी	10.15
	जोड—संघ राज्य क्षेत्र	**411.96**
	जोड़—राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	**5289.96**

अनुलग्नक 4.21

कृषि से संबंधित राज्यवार परिव्यय 1978-79

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि	छोटी सिंचाई	भू संरक्षण	क्षेत्र विकास	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	1064	963	52	603	2682
2.	असम	872	1060	124	35	2091
3.	बिहार	1105	2100	167	150	3522
4.	गुजरात	1260	1193	400	85	2938
5.	हरियाणा	864	400	82	35	1381
6.	हिमाचल प्रदेश	502	364	117	—	983
7.	जम्मू और कश्मीर	477	620	45	50	1192
8.	कर्नाटक	1117	1250	410	190	2967
9.	केरल	710	425	101	5	1241
10.	मध्य प्रदेश	945	2480	440	516	4381
11.	महाराष्ट्र	1482	1728	307	257	3720
12.	मणिपुर	135	72	50	2	259
13.	मेघालय	115	75	154	—	344
14.	नागालैंड	196	125	79	—	400
15.	उड़ीसा	1085	1380	120	380	2965
16.	पंजाब	1708	520	375	—	2603
17.	राजस्थान	778	569	27	360	1734
18.	सिक्किम	137	49	75	—	261
19.	तमिलनाडु	1515	668	243	52	2478
20.	त्रिपुरा	165	130	103	—	398
21.	उत्तर प्रदेश	2069	3759	588	2640	9056
22.	पश्चिम बंगाल	1679	2077	127	204	4087
	जोड़—राज्य	**19926**	**22007**	**4186**	**5564**	**51683**
	जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	**603.13**	**451.73**	**281.52**	—	**1363.40**
	कुल जोड़	**20556.13**	**22458.73**	**4467.54**	**5564**	**53046.40**

अनुलग्नक 4-22

1978-79 की वार्षिक योजना—केन्द्रीय क्षेत्र बजट परिव्यय—कृष और संबद्ध क्षेत्र तथा सहकारिता

(करोड़ रु०)

विभाग/विकास का शीर्ष	केन्द्रीय	केन्द्रीय प्रायोजित	जोड़
1	2	3	4
1. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग			
कृषि अनुसंधान और शिक्षा	51.00	—	51.00
2. कृषि विभाग			
1. कृषि विस्तार प्रशिक्षण और प्रोत्साहन	0.45	7.70	8.15
2. कृषि सांख्यिकी	3.48	1.76	5.24
3. कृषि निवेश			
(1) खाद और उर्वरक	14.45	1.85	16.30
(2) उन्नत बीज	3.07	—	3.07
(3) पौध संरक्षण	2.48	3.55	6.03
(4) कृषि मशीनरी	3.33	1.76	5.09
4. फसलोन्मुख कार्यक्रम	4.10	21.88	25.98
5. भूमि सुधार	17.50	—	17.50
6. छोटी सिंचाई	9.22	1.20	10.42
7. नियंत्रण क्षेत्र विकास	43.95	—	43.95
8. भू संरक्षण	4.50	10.00	14.50
9. पशुपालन और डेरी उद्योग	45.15	13.15	58.30
10. मीन उद्योग	51.70	7.00	58.70
11. वन उद्योग	18.40	9.00	27.49
जोड़ (कृषि विभाग)	**221.78**	**78.94**	**300.72**
3. **खाद्य विभाग**			
1. खाद्य प्रक्रमण	4.42	—	4.42
2. भंडारण और भांडागार	40.28	—	40.28
जोड़ (खाद्य विभाग)	**44.70**	—	**44.70**

अनुलग्नक—4.22 (जारी)

1	2	3	4	5
4.	**ग्रामीण विकास विभाग**			
	1. सहकारिता की स्कीमें	8.00	8.40	16.40
	2. कृषि ऋण	24.50	—	24.50
	3. कृषि विपणन	7.35	—	7.35
	4. लघु कृषक विकास अभिकरण	115.00	—	115.00
	5. सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम	76.48	—	76.48
	6. पहाड़ी क्षेत्र विकास	1.00	—	1.00
	7. जनजातीय विकास	2.53	—	2.53
	8. रेगिस्तान विकास	20.00	—	20.00
	9. पूर्ण रोजगार के लिए क्षेत्र आयोजन	20.00	—	20.00
	10. लाभकारी रोजगार के लिए अन्न	30.00	—	30.00
	11. सामुदायिक विकास	1.70	—	1.70
	जोड़ (ग्रामीण विकास विभाग)	**306.56**	**8.40**	**314.96**
5.	**बैंकिंग विभाग**			
	1. कृषि पुनर्वित्त विकास निगम	130.00	—	130.00
	2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1.12	—	1.12
	जोड़ (बैंकिंग विभाग)	**131.12**	—	**131.12**
6.	**नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग**			
	1. सहकारिता विकास स्कीमें	21.12	8.00	29.12
	कुल जोड़	**776.28**	**95.34**	**871.62**

अनुलग्नत 4.23

1978-79 के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों तथा सहकारिता के लिए सरकारी क्षेत्र परिव्यय

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	विकास का शीर्ष	1978-79 की वार्षिक योजना के लिए परिव्यय				
		राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय	केन्द्रीय प्रायोजित	जोड़	कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1.	कृषि	206.28	387.22	46.90	434.12	640.40
2.	भूमि सुधार	43.50	17.50	—	17.50	61.00
3.	छोटी सिंचाई	224.59	9.22	1.20	10.42	235.01
4.	भू और जल संरक्षण	44.62	4.50	10.00	14.50	59.12
5.	क्षेत्र विकास	44.40	43.95	—	43.95	88.35
6.	खाद्य	0.34	44.70	—	44.70	45.04
7.	पशु पालन और डेरी विकास	68.16	45.15	13.15	58.30	126.46
8.	मीन उद्योग	23.65	51.70	7.00	58.70	82.35
9.	वन	53.17	18.40	9.09	27.49	80.66
10.	कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	28.79	131.12	—	131.12	159.91
11.	सामुदायिक विकास	50.46	1.70	—	1.70	52.16
12.	सहकारिता	85.58	21.12	8.00	29.12	114.70
	जोड़ : कृषि और संबद्ध क्षेत्र तथा सहकारिता	**873.54**	**776.28**	**95.34**	**871.62**	**1745.16**

अनुलग्नक 5.1

एकीकृत सामुदायिक विकास परियोजनाएं—1978-79 के लिए लक्ष्य

क्रम संख्या	राज्य	1977-78 आधार स्तर	1978-79 लक्ष्य
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8	9
2.	असम	5	5
3.	बिहार	8	8
4.	गुजरात	8	8
5.	हरियाणा	7	7
6.	हिमाचल प्रदेश	1	1
7.	जम्मू और कश्मीर	5	5
8.	कर्नाटक	2	2
9.	केरल	2	2
10.	मध्य प्रदेश	7	7
11.	महाराष्ट्र	8	8
12.	मणिपुर	1	1
13.	मेघालय	2	2
14.	नागालैंड	1	1
15.	उड़ीसा	4	4
16.	पंजाब	5	5
17.	राजस्थान	5	5
18.	सिक्किम	—	—
19.	तमिलनाडु	4	5
20.	त्रिपुरा	1	1
21.	उत्तर प्रदेश	8	8
22.	पश्चिम बंगाल	6	7
	जोड़	98	101

अनुलग्नक 5.2

एकीकृत अंडा और मुर्गी उत्पादन तथा विपणन केन्द्र—1978-79 के लिए लक्ष्य

क्रम संख्या	राज्य	1977-78 आधार स्तर	1978-79 लक्ष्य
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	10	10
2.	असम	7	7
3.	बिहार	17	17
4.	गुजरात	9	9
5.	हरियाणा	-	—
6.	हिमाचल प्रदेश	1	1
7.	जम्मू और कश्मीर	3	3
8.	कर्नाटक	6	6
9.	केरल	2	2
10.	मध्य प्रदेश	5	5
11.	महाराष्ट्र	14	14
12.	मणिपुर	1	1
13.	मेघालय	1	1
14.	नागालैंड	1	1
15.	उड़ीसा	3	3
16	पंजाब	3	3
17.	राजस्थान	9	10
18	सिक्किम	1	1
19.	तमिलनाडु	—	—
20.	त्रिपुरा	1	1
21.	उत्तर प्रदेश	9	9
22	पश्चिम बंगाल	5	5
	जोड़—राज्य	**108**	**109**
	संघ राज्य क्षेत्र		
23.	दिल्ली	1	1
24.	गोवा, दमण और दीव	1	1
25.	पांडिचेरी	—	1
	जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	2	3
	जोड़ : अखिल भारतीय	**110**	**112**

अनुलग्नक 5.3

पशुचिकित्सा अस्पताल—1978-79 के लिए लक्ष्य

क्रम सं०	राज्य	1977-78 आधार स्तर	1978-79 लक्ष्य
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	166	166
2.	असम	16	17
3.	बिहार	62	62
4.	गुजरात	—	—
5.	हरियाणा	274	341
6.	हिमाचल प्रदेश	132	132
7.	जम्मू और कश्मीर	@	@
8.	कर्नाटक	33	33
9.	केरल	73	73
10.	मध्य प्रदेश	603	615
11.	महाराष्ट्र	68	68
12.	मणिपुर	22	24
13.	मेघालय	1	1
14.	नागालैंड	—	—
15.	उड़ीसा	17	17
16.	पंजाब	346	346
17.	राजस्थान	364	364
18.	सिक्कम	6	6
19.	तमिलनाडु	46	51
20.	त्रिपुरा	5	5
21.	उत्तर प्रदेश	1157	1174
22.	पश्चिम बंगाल	81	85
	जोड़—राज्य	3472	3580

@ पशु चिकित्सा डिस्पेन्सरियों के अंतर्गत शामिल है।

अनुलग्नक 5.3 (जारी)

1	2	3	4
	संघ राज्य क्षेत्र		
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6	6
24.	चंडीगढ़	3	3
25.	दादरा और नगर हवेली	1	1
26.	दिल्ली	35	35
27.	गोवा, दमण और दीव	—	—
28.	पांडिचेरी	2	2
29.	मिजोरम	1	1
	जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	**48**	**48**
	जोड़—अखिल भारतीय	**3520**	**3628**

अनुलग्नक 5.4

पशु चिकित्सा अस्पताल-1978-79 के लिए लक्ष्य

क्रम सं०	राज्य	1977-78 आधार स्तर	1978-79 लक्ष्य
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1163	1163
2.	असम	166	178
3.	बिहार	792	792
4.	गूजरात	211	211
5.	हरियाणा	224	284
6.	हिमाचल प्रदेश	237	237
7.	जम्मू और काश्मीर	221	221
8.	कर्नाटक	446	446
9.	केरल	333	345
19.	मध्य प्रदेश	1345	1381
11.	महाराष्ट्र	484	489
12.	मणिपुर	58	58
13.	मेघालय	39	41
14.	नागालैंड	23	25
15.	उड़ीसा	382	412
16.	पंजाब	432	432
17.	राजस्थान	@	@
18.	सिक्कम	14	16
19.	तमिलनाडु	602	612
20.	त्रिपुरा	28	30
21.	उत्तर प्रदेश	160	160
22.	पश्चिम	515	515
	जोड़—राज्य	7875	8046

@ पशु चिकित्सा डिस्पेंसरियों के अंतर्गत शामिल है।

अनुलग्नक—5.4 (जारी)

1	2	3	4
	संघ राज्य क्षेत्र		
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6	6
24.	अरुणाचल प्रदेश	55	59
25.	दिल्ली	16	16
56.	गोवा, दमण और दीव	13	13
27.	पांडिचेरी	11	11
28.	लक्षद्वीप	4	4
29.	मिजोरम	5	6
	जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	**110**	**115**
	जोड़—अखिल भारतीय	**7885**	**8163**

अनुलग्नक 5.5

तरल दूध संयंत्र—1978-79 के लिऐ लक्ष्य

क्रम सं०	राज्य	1977-78 आधार स्तर	1987-79 लक्ष्य
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	12	12
2.	असम	2	2
3.	बिहार	6	7
4	गुजरात	7	7
5.	हरियाणा	2	2
6.	हिमाचल प्रदेश	1	2
7.	जम्मू और कश्मीर	2	2
8.	कर्नाटक	9	9
9.	केरल	7	7
10.	मध्य प्रदेश	4	4
11.	महाराष्ट्र	20	22
12.	मणिपुर	1	1
13.	मेघालय	1	1
14.	उड़ीसा	1	1
15.	पंजाब	2	2
16.	राजस्थान	4	5
17.	सिक्किम	1	1
18.	तमिलनाडु	11	11
29.	त्रिपुरा	1	1
20.	उत्तर प्रदेश	22	22
21.	पश्चिम बंगाल	5	6
	जोड़—राज्य	**121**	**126**
	संघ राज्य क्षेत्र		
22.	दिल्ली	1	1
23.	गोवा, दमण और दीव	1	1
20.	पांडिचेरी	1	1
	जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	**3**	**3**
	जोड़—अखिल भारतीय	**124**	**129**

अनुलग्नक 5 6

दुग्ध उत्पाद फैक्ट्रियां/सम्मिश्र दुग्ध संयंत्र—1978-79 के लिए लक्ष्य

क्रम सं०	राज्य	1977-78 प्रत्याशित आधार स्तर	1978-79 लक्ष्य
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3	5
2.	असम	1	1
3.	गुजरात	5	5
4.	हरियाणा	3	3
5.	कर्नाटक	—	1
6.	महाराष्ट्र	1	2
7.	मेघालय	1	1
8.	पंजाब	4	4
9.	राजस्थान	2	3
10.	तमिलनाडु	1	1
11.	उत्तर प्रदेश	2	2
12.	पश्चिम बंगाल	1	1
	जोड़—अखिल भारतीय	24	29

अनुलग्नक 5.7

पशु पालन और डेरी विकास के लिए परिव्यय

(लाख रु०)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1977-78 प्रत्याशित व्यय	1978-79 अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	248	319
2.	असम	180	290
3.	बिहार	274	330
4.	गुजरात	282	340
5.	हरियाणा	135	178
6.	हिमाचल प्रदेश	138	187
7.	जम्मू और कश्मीर	248	286
8.	कर्नाटक	325	391
9.	केरल	200	245
10.	मध्य प्रदेश	352	403
11.	महाराष्ट्र	915	830
12.	मणिपुर	47	59
13.	मेघालय	77	110
14.	नागालैंड	75	80
15.	उड़ीसा	119	160
16.	पंजाब	273	385
17.	राजस्थान	279	364
18.	सिक्किम	51	65
19.	तमिलनाडु	253	266
20.	त्रिपुरा	85	106
21.	उत्तर प्रदेश	360	424
22.	पश्चिम बंगाल	369	512
	जोड़—राज्य	**5285**	**6330**

अनुलग्नक 5.7 (जारी)

1	2	3	4
	संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	23.70	30.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	51.60	75.00
3.	चंडीगढ़	4.59	4.38
4.	दादरा और नगर हवेली	4.67	7.00
5.	दिल्ली	24.58	180.57
6.	गोआ, दमण और दीव	62.00	78.00
7.	लक्षद्वीप	6.64	7.50
8.	मिजोरम	55.00	70.00
9.	पांडिचेरी	22.81	34.00
	जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	**255.59**	**486.45**
	कुल जोड़	**5540.59**	**6816.45**

अनुलग्नक 5.8

केन्द्रीय क्षेत्र—स्कीमवार व्यय और परिव्यय—पशुपालन

(लाख रु०)

क्रम० संख्या	स्कीम	1977-78 प्रत्याशित व्यय	1978-79 बजट परिव्यय
1	2	3	4
(क) जारी स्कीमें			
1.	दिल्ली दुग्ध योजना के दूध वाले क्षेत्रों में एकीकृत पशु विकास योजना	57.00	60.00
2.	केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म	170.69	220.00
3.	हिमशीतित वीर्य बैंक, हस्सारघट्टा और नए हिमशीतित वीर्य केन्द्र	135.94	155 00
4.	पशु झुंडों के पंजीयन का विस्तार	10.00	
5.	प्रजनन मूल्यांकन कक्ष	1.10	19.50
6.	राष्ट्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्र	47.68	39.86
7.	केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार	51.00	110.00
8.	वर्तमान और नए केन्द्रीय मुर्गी फार्मों में समन्वित प्रजनन कार्यक्रम	30.36	60.44
9.	केन्द्रीय मुर्गी उत्पादन और प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान, हस्सारघट्टा	7.48	15.00
10.	पशु संगरोध और प्रमाणन सेवा	18.10	15.17
11.	आधुनिक बूचड़खाना निगमों की स्थापना (इक्विटी शेयर पूंजी के लिए)	50.00	135.00
12.	पशु कल्याण बोर्ड	3.10	5.00
(ख) नई स्कीमें			
13.	केन्द्रीय चारा बीज फ़ार्म	2.00	30.00
14.	एफ.एम. डी. तथा अन्य टीकों के निर्माण के लिए निगम	—	100 00
15.	राष्ट्रीय सहकारी अंडा और मुर्गी विपणन संघ (नाफेड द्वारा संचालित करने के लिए नहीं)	—	41.00
16.	मुर्गीपालन, सूअर पालन और भेड़ उत्पादन के लिए छोटे किसानों/मझोले किसानों/खेतिहार मजदूरों को सहायता	320.00	584.83
17.	पशुपालन सांख्यिकी कक्षों को बढ़ाना (तदर्थ अध्ययनों सहित)	1.50	3.00
18.	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् की स्थापना	—	1.00
19.	हस्सारघट्टा, भुवनेश्वर, बंबई और दिल्ली स्थित यादृच्छिक नमूना लेइंग परीक्षण इकाइयां	7.60	10.58

अनुलग्नक 5.8 (जारी)

1 2	3	4
20. केन्द्रीय बत्तख प्रजनन फार्म, हस्सारघट्टा	3.17	20.53
21. भारतीय मुर्गी पालन निगम	—	24.00
22. राष्ट्रीय समन्वित बतख प्रजनन	—	14.00
23. राज्यों में वर्तमान बूचड़खानों का सुधार	—	8.00
24. मुख्यालय में मुर्गी पालन विकास एककों को बढ़ाना	—	—
25. अश्वीय विकास	—	2.00
26. चण्डीगढ़ मुर्गी पालन परिसर	—	स्कीम नं. 8 के साथ मिलाया गया
27. पशु पोषण बोर्ड	—	1.08
28. संकर बछड़े/सांड तैयार करने के लिए हिमशीतित वीर्य कार्यक्रम का विस्तार	—	1,00
जोड़—केन्द्रीय स्कीमें :	916.72	1675.91
2. केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र—स्कीमवार व्यय और परिव्यय—पशुपालन		
(क) जारी स्कीमें		
1. पशु महामारी उन्मूलन स्कीम	65.00	68.00
2. बड़े भेड़ प्रजनन फार्म	160.00	200.00
3. संतति परीक्षण	53.50	70.00
(ख) नई स्कीमें		
4. राज्य जैविक-उत्पाद केन्द्रों का विसतर और बढ़ाना	120.00	170 00
5. संकर कलोर पालन के लिए छोटे किसानों/मझोले किसानों/खेतिहर मजदूरों को सहायता	130.00	300 00
6. खुर और मुंह की बीमारी पर नियंत्रण	35.00	50.00
7. राज्यों में पशुपालन आंकड़ों का बढ़ाया जाना	16.00	22.00
8. भेड़ और ऊन विकास निगमों को केन्द्रीय योगदान	30.00	70.00
9. विदेशी पशु प्रजनन फार्म	195.29	225.00
10. राज्यों में चारागाह विकास	—	3.00
11. राज्यों में चारा विकास	—	30.00
12. अखिल भारतीय समन्वित मुर्गी प्रजनन कार्यक्रम	7.50	18.00
13. विस्तार सुविधाओं सहित बकरों के लिए प्रायोगिक फार्म	—	5.00
14. वर्तमान भेड़ फार्मों में भेड़ों वाले ग्राम समूहों की स्थापना	—	5.00
15. कंकाल प्रयुक्तीकरण स्कीम	—	5.00
16. मैस विकास परियोजना	—	5.00
17. बीकानेर स्थित ऊंट प्रजनन फार्म का विस्तार	—	2.00
जोड़	812.29	1275.00

अनुलग्नक 5.8 (जारी)

1	2	3	4
	केन्द्रीय क्षेत्र—स्कीमवार व्यय और परिव्यय—डेरी विकास		
	क. जारी स्कीमें		
1.	दिल्ली दुग्ध योजना	95.20	70.00
2.	भारतीय डेरी निगम—आपरेशन फ्लड परियोजना	2196.00	1900.00
	ख. नई स्कीमें		
3.	पशु और डेरी विकास निगमों को सहायता	284.00	279.31
4.	राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को सहायता	228.48	55.48
5.	भारतीय डेरी विकास—आपरेशन फ्लड-2	—	1.00
6.	सात राज्यों में नई डेरी स्कीमें	80.00	429.21
7.	डेरी उपकरणों के निर्माण के लिए निगम	150.00	150.00
8.	टेट्रापाक के लिए परतदार कागज के लिए परियोजना	—	—
	जोड़ : डेरी विकास	**3033.63**	**2885.00**

अनुलग्नक 5.9

मीन उद्योग स्पान का उत्पादन

(दस लाख संख्या)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1977-78 प्रत्याशित उत्पादन	1978-79 लक्ष्य
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	125.0	125.0
2.	असम	130.0	272.0
3.	बिहार	390.0	400.0
4,	गुजरात	170.0	245.0
5.	हरियाणा	7.0	8.0
6.	हिमाचल प्रदेश	2.0	2.5
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—
8.	कर्नाटक	94.0	150.0
9.	केरल	7.0	7.5
10.	मध्य प्रदेश	12.0	16.0
11.	महाराष्ट्र	170.0	273.0
12.	मणिपुर	154.5	160.0
13.	मेघालय	0.4	0.5
14.	नागालैंड	0.3	0.4
15.	उड़ीसा	288.0	500.0
16.	पंजाब	3.0	15.0
17.	राजस्थान	110.0	120.0
18.	सिक्कम	—	—
19.	तमिलनाडु	170.0	190.0
20.	त्रिपुरा	102.0	142.0
21.	उत्तर प्रदेश	89.0	ऊन
22.	पश्चिम बंगाल	800.0	900.0
	जोड़—राज्य	2824.2	3526.9

अनुलग्नक 5.9 (जारी)

1	2	3	4
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.5	2.0
3.	चंडीगढ़	—	—
4.	दादरा और नगर हवेली	—	—
5.	दिल्ली	—	—
6.	गोआ, दमण और दीव	—	—
7.	लक्षद्वीप	—	—
8.	मिजोरम	0.1	0.7
9.	पांडिचेरी	0.1	0.2
	जोड—संघ राज्य क्षेत्र	1.7	2.9
	कुल जोड़	2825.9	3529.8

अनुलग्नक 5.10

मीन उद्योग

पोना मछली/अंगुलिमीन की अधिप्राप्ति

(दस लाख संख्या)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1977-78 प्रत्याशित उत्पादन	1978-79 लक्ष्य
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	65.0	65.0
2.	असम	22.5	76.0
3.	बिहार	95.0	100.0
4.	गुजरात	56.0	96.0
5.	हरियाणा	1.4	3.0
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—
8.	कर्नाटक	23.5	30.7
9.	केरल	3.0	3.5
10.	मध्य प्रदेश	4.1	4.4
11.	महाराष्ट्र	35.0	40.0
12.	मणिपुर	103.6	98.6
13.	मेघालय	0.3	0.4
14.	नागालैंड	0.9	1.1
15.	उड़ीसा	23.3	NA
16.	पंजाब	0.1	3.0
17.	राजस्थान	30.0	35.0
18.	सिक्किम	—	—
19.	तमिलनाडु	45.0	45.0
20.	त्रिपुरा	12.0	14.2
21.	उत्तर प्रदेश	30.0	30.0
22.	पश्चिम बंगाल	220.0	275.0
	जोड़—राज्य	770.7	920.9

अनुलग्नक 5.10 जारी)

1	2	3	4
	संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	नगण्य	नगण्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.3	0.3
3.	चंडीगढ़	—	—
4.	दादरा और नगर हवेली	—	—
5.	दिल्ली	0.9	1.0
6.	गोआ, दमण और दीव	—	—
7.	लक्षद्वीप	—	—
8.	मिजोरम	1.1	1.5
9.	पांडिचेरी	0.4	0.4
	जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	2.7	3.2
	कुल जोड़	773.4	924.1

अनुलग्नक—5.11

मीन उद्योग
संवर्धन क्षेत्र

(हैक्टेयर)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1977-78	1978-79
		प्रत्याशित उपलब्धि	लक्ष्य
1.	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	—	—
2.	असम	75.0	80.0
3.	बिहार	150.0	175.0
4.	गुजरात	उन	उन
5.	हरियाणा	20.0	25.0
6.	हिमाचल प्रदेश	3.0	4.0
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—
8.	कर्नाटक	30.0	34.0
9.	केरल	6.0	7.5
10.	मणिपुर	13.0	15.0
11.	मध्य प्रदेश	90.0	100.0
12.	महाराष्ट्र	उन	उन
13.	मेघालय	6.0	10.0
14.	नागालैंड	11.0	12.0
15.	उड़ीसा	143.0	162.0
16.	पंजाब	5.0	37.0
17.	राजस्थान	150.0	200.0
18.	सिक्किम	—	—
19.	तमिलनाडु	51.5	51.6
20.	त्रिपुरा	1.9	1.9
21.	उत्तर प्रदेश	282.0	300.0
22.	पश्चिम बंगाल	108.0	115.0
	जोड़—राज्य	**1145.4**	**1330.0**

अनुलग्नक 5.11 (जारी)

1	2	3	4
	संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—
2	अरुणाचल प्रदेश	I.5	2.0
3.	चंडीगढ़	—	—
4.	दादरा और नगर हवेली	—	—
5.	दिल्ली	—	—
6.	गोआ, दमण और दीव	—	—
7.	लक्षद्वीप	0.1	0.4
8.	मिजोरम	—	—
9.	पांडिचेरी	1.6	4.1
	जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	6.7	10.0
	कुल जोड़	**1152.1**	**1340.0**

अनुलग्नक 5.12

मीन उद्योग

नौकाओं का यंत्रीकरण (समूद्र क्षेत्र) (संख्या)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1977-78 प्रत्याशित उपलब्धि	1978-79 लक्ष्य
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	322	362
2.	गुजरात	3075	3475
3.	कर्नाटक	1590	1670
4.	केरल	2390	2450
5.	महाराष्ट्र	3413	3521
6.	उड़ीसा	255	500
7.	तमिलनाडु	2430	2561
8.	पश्चिम बंगाल	132	192
	जोड़—राज्य	**13607**	**14731**
	संघ राज्य क्षेत्र		
9.	गोआ	229	263
10.	लक्षद्वीप	173	209
11.	पांडिचेरी	221	256
	जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	**623**	**701**
	जोड़ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	**14230**	**15432**

अनुलग्नक 5.13

केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें—मीन उद्योग

(लाख रु०)

क्र० सं०	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमें	1977-78 प्रत्याशित व्यय	1978-79 अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4
1.	केन्द्रीय मीन उद्योग शिक्षा संस्थान, बंबई	37.00	56.10
2.	केन्द्रीय मीन उद्योग प्रचालन संस्थान, कोचीन और मद्रास	180.40	257.09
3.	भारतीय मीन उद्योग प्रशिक्षण एकक, बैरकपुर	—	2.97
4.	अन्वेषी मीन उद्योग परियोजना, बंबई	16.04	694.04
5.	वेलापवर्ती मीन उद्योग परियोजना	35.00	30.00
6.	एकीकृत मीन उद्योग परियोजना	98.20	154.48
7.	मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों का निवेश—पूर्व सवक्षण	8.60	9.00
8.	केन्द्रीय मीन उद्योग निगम, कलकत्ता	25.00	1.00
9.	विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद की स्थापना	—	5.32
10.	बड़े पत्तनों में जलावतरण और लंगर डालने की सुविधाओं के लिए व्यवस्था	550.00	500.00
11.	ट्रालर विकास विधि	—	2550.00
12.	राज्य मीन उद्योग निगमों को केन्द्र की सहायता	100.00	300.00
13.	मुख्यालय में संगठन को बढ़ाना	9.00	10.00
14.	मछियारा विकास अभिकरण	164.35	300.00
15.	खारा जल मीन उद्योग विकास	80.82	200.00
16.	जलाशयी मीन उद्योग का विकास	1.00	1.00
	जोड़	**1305.41**	**5071.00**
	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें		
1.	छोटे पत्तनों पर मजली पकड़ने वाले जलयानों के लिए जलावतरण और लंगर डालने की व्यवस्था	303	600
2.	मछली पकड़ने वाले तटीय गांवों के लिए अधारभूत सुविधाओं का विकास	200	200
	जोड़	**503**	**800**
	कुल जोड़	**1808.41**	**5871.00**

अनुलग्नक—5.14

मीन उद्योग के लिए परिव्यय और व्यय

(लाख रु०)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1977-78 प्रत्याशित उपलब्धि	1978-79 लक्ष्य
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	80.00	135 00
2.	असम	75.00	100 00
3.	बिहार	50.00	70.00
4.	गुजरात	215.00	275.00
5.	हरियाणा	12.00	25.00
6.	हिमाचल प्रदेश	8.00	16.00
7.	जम्मू और कश्मीर	9.00	21.00
8.	कर्नाटक	100.00	130.00
9.	केरल	292.00	340.00
10.	मध्य प्रदेश	87 00	97.00
11.	महाराष्ट्र	131.00	103.00
12.	मणिपुर	28.00	38.00
13.	मेघालय	12.00	15.00
14.	नागालैंड	11.00	12.00
15.	उड़ीसा	65.00	139.00
16.	पंजाब	22.00	33.00
17.	राजस्थान	28.00	36.00
18.	सिक्किम	8.00	15.00
19.	तमिलनाडु	151.00	150.00
20.	त्रिपुरा	22.00	48.00
21.	उत्तर प्रदेश	20.00	40.00
22.	पश्चिम बंगाल	259.00	318.00
	जोड़—राज्य	**1685.00**	**2156.00**

अनुलग्नक 5.14 (जारी)

1	2	3	4
	संघ राज्य क्षेत्र		
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	23.90	40.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	9.00	12.00
25.	चंडीगढ़	0.28	0.60
26.	दादरा और नगर हवेली	0.05	0.15
27.	दिल्ली	14.24	16.26
28.	गोआ, दमण और दीव	51.74	60.85
29.	लक्षद्वीप	34.50	41.00
30.	मिजोरम	5.00	10.00
31.	पांडिचेरी	23.66	30.00
	जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	**162.37**	**210.86**
	कुल जोड़	**1847.37**	**2366.86**

अनुलग्नक 6.1

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा दिये गये अल्पावधि ऋण

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1976-77	1977-78		1978-79
		प्रत्याशित उपलब्धि	लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	88.68	110.00	85.00	130.00
2.	असम	1.11	5.00	1.50	3.50
3.	बिहार	31.00	55.00	25.00	65.00
4.	गुजरात	140.25	134.00	134.00	138.00
5.	हरियाणा	66.04	60.00	75.00	80.00
6	हिमाचल प्रदेश	2.52	4.00	3.00	4.00
7.	जम्मू और कश्मीर	1.65	5.00	3.00	5.00
8.	कर्नाटक	73.69	125.00	92.00	130.00
9.	केरल	50.47	55.00	55.00	65.00
10.	मध्य प्रदेश	68.69	75.00	73.00	80.00
11.	महाराष्ट्र	175.00	210.00	210.00	225.00
12.	मणिपुर	0.42	0.65	0.47	0.90
13.	मेघालय	0.60	2.00	0.75	1.75
14.	नागालैंड	0.34	1.15	0.75	1.25
15.	उड़ीसा	17.60	32.00	20.00	25.00
16.	पंजाब	80.00	119.00	80.00	110.00
17.	राजस्थान	67.10	85.00	75.00	95.00
18.	सिक्किम	0.07	0.40	0.18	0.33
19.	तमिलनाडु	130.00	120.00	130.00	140.00
20.	त्रिपुरा	0.29	1.25	1.00	1.10
21.	उत्तर प्रदेश	133.00	150.00	200.00	275.00
22.	पश्चिम बंगाल	51.05	80.00	75.00	100.00
	जोड़	**1179.57**	**1429.45**	**1339.65**	**1675.83**

अनुलग्नक 6.2

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा दिये गये मध्यावधि ऋण

(करोड़ रु०)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1976-77	1977-78		1978-79
		उपलब्धि	लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4.09	5.00	6.00	10.00
2.	असम	0.30	0.50	0.50	1.00
3.	बिहार	4.50	6.00	4.00	10.00
4.	गुजरात	63.27	10.00	11.00	12.00
5.	हरियाणा	5.98	6.00	5.00	7.00
6.	हिमाचल प्रदेश	3.32	3.50	3.50	4.00
7.	जम्मू और कश्मीर	0.60	0.25	0.19	0.25
8.	कर्नाटक	4.85	8.00	8.00	उ.न.
9.	केरल	11.45	10.00	12.00	13.25
10.	मध्य प्रदेश	4.00	8.00	8.00	8.00
11.	महाराष्ट्र	5.67	3.00	5.00	5,00
12.	मणिपुर	—	0.05	0.20	0.30
13.	मेघालय	—	0.50	0.35	0.40
14.	नागालैंड	—	0.15	0.02	1.00
15.	उड़ीसा	6.20	9.00	8.00	12.00
16.	पंजाब	0.43	5.00	1.50	2 00
17.	राजस्थान	1.33	7.00	3.00	5.00
18.	सिक्किम	—	—	0.06	0.09
19.	तमिलनाडु	5.00	5.00	5.00	6.00
20.	त्रिपुरा	0.04	0.10	0.08	0.10
21.	उत्तर प्रदेश	9.79	7.00	10.00	15.00
22.	पश्चिम बंगाल	1.51	8.00	4.00	7.00
	जोड़	132.33	103.05	95.40	119.39

अनुलग्नक 6.3

भूमि विकास बैंकों द्वारा दिए गए दीर्घावधि ऋण

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	राज्य	1976-77	1977-78		1978-79
		प्रत्याशित उपलब्धि	लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	33.33	45.00	50.00	55.00
2.	असम	0.31	5.00	1.50	3.00
3.	बिहार	19.00	45.00	15.00	42.00
4.	गुजरात	2.97	20.00	5.00	15.00
5.	हरियाणा	16.21	20.00	22.00	26.50
6.	हिमाचल प्रदेश	0.33	1.00	0.50	0.75
7.	जम्मू और कश्मीर	0.23	0.50	0.55	0.50
8.	कर्नाटक	23.92	30.00	23.00	30.00
9.	केरल	10.00	15.00	11.50	22.00
10.	मध्य प्रदेश	22.74	25.00	20.00	25.00
11.	महाराष्ट्र	17.65	30.00	21.00	30.00
12.	मणिपुर	—	1.00	0.60	1.00
13.	मेघालय	—	0.10	—	0.20
14.	नागालैंड	—	0.30	0.02	1.00
15.	उड़ीसा	7.40	12.00	10.00	15.00
16.	पंजाब	21.60	29.00	24.00	35.60
17.	राजस्थान	10.43	15.00	13.00	20.00
18.	सिक्किम	—	0.20	—	0.15
19.	तमिलनाडु	19.51	18.00	15.00	19.00
20.	त्रिपुरा	—	0.55	0.20	0.30
21.	उत्तर प्रदेश	36.45	50.00	44.00	70.00
22.	पश्चिम बंगाल	8.05	15.00	14.01	20.00
	जोड़	**250.13**	**376.65**	**270.88**	**432.00**

अनुलग्नक 6.4

सहकारी समितियों द्वारा उर्वरकों की खुदरा बिक्री

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1976-77	1977-78		1978-79
		अनुमानित	लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	32.00	40.00	38.00	44.00
2.	असम	9.65	9.80	9.80	10.00
3.	बिहार	42.00	50.00	46.00	54.00
4.	गुजरात	95.00	100.00	100.00	108.00
5.	हरियाणा	32.00	38.25	35.00	41.54
6.	हिमाचल प्रदेश	1.20	3.00	2.00	4.00
7.	जम्मू और कश्मीर	4.50	5.00	5.00	6.00
8.	कर्नाटक	40.00	42.00	42.00	44.00
9.	केरल	20.00	27.50	25.00	30.00
10.	मध्य प्रदेश	35.00	40.00	40.00	45.00
11.	महाराष्ट्र	85.00	90.00	90.00	95.00
12.	मणिपुर	1.00	1.50	1.50	2.00
13.	मेघालय	4.25	4.75	4.50	5.00
14.	नागालैंड	उ.न.	1.00	0.75	1.00
15.	उड़ीसा	17.00	22.20	20.00	25.46
16.	पंजाब	180.00	200.00	200.00	225.00
17.	राजस्थान	32.00	40.00	35.00	40.00
18.	सिक्किम	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु	59.72	64.00	64.00	70.00
20.	त्रिपुरा	—	—	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	80.00	100.00	100.00	120.00
22.	पश्चिम बंगाल	18.00	25.00	22.00	30.00
23.	संघ राज्य क्षेत्र	10.00	15.00	12.00	15.00
	जोड़	**798.32**	**919.00**	**892.55**	**1015.00**

अनुलग्नक 6.5

सहकारी समितियों द्वारा बेचे गए कृषि उत्पाद

(करोड़ रु०)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1976-77	1977-78		1978-79
		वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	23.33	34.00	34.00	50.00
2.	असम	50.12	45.00	45.00	50.00
3.	बिहार	18.23	23.00	23.00	40.00
4.	गुजरात	82.03	185.00	185.00	175.00
5.	हरियाणा	2.22	4.00	4.00	5.00
6.	हिमाचल प्रदेश	75.27	55.00	55.00	60.00
7.	जम्मू और कश्मीर	3.08	10.00	10.00	15.00
8.	कर्नाटक	103.23	90.00	90.00	100.00
9.	केरल	44.60	40.00	40.00	50.00
10.	मध्य प्रदेश	33.27	52.00	52.00	70.00
11.	महाराष्ट्र	320.56	470.00	470.00	570.00
12.	मणिपुर	0.11	0.75	0.75	1.00
13.	मेघालय	0.40	3.50	3.50	5.00
14.	नागालैंड	0.07	0.70	0.70	1.00
15.	उड़ीसा	7.08	25.00	25.00	25.00
16.	पंजाब	112.51	250.00	250.00	270.00
17.	राजस्थान	29.64	25.00	25·00	40.00
18.	सिक्किम	उ.न.	0.75	0.75	नियत नहीं
19.	तमिलनाडु	34.86	45.00	45.00	50.00
20.	त्रिपुरा	0.85	1.00	1.00	4.00
21.	उत्तर प्रदेश	230.35	275.00	275.00	280.00
22.	पश्चिम बंगाल	13.38	12.00	12.00	40.00
23.	संघ राज्य क्षेत्र	3.45	3.50	3.50	5.00
	जोड़	**1189.14**	**1650.20**	**1650.20**	**1906.00**

अनुलग्नक 6.6

शहरी उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा खुदरा बिक्री

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1976-77	1977-78		1978-79
		प्रत्याशित उपलब्धि	लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	55.00	65.00	60.00	60.00
2.	असम	14.00	20 00	20.00	20.00
3.	बिहार	12.00	10.00	12.00	30.00
4.	गुजरात	25.00	43.00	30.00	30.00
5.	हरियाणा	11.00	12.00	12.00	20.00
6.	हिमाचल प्रदेश	2.00	2.50	2.50	6.00
7.	जम्मू और कश्मीर	4.00	5.00	5.00	8.00
8.	कर्नाटक	45.00	60.00	60.00	65.00
9	केरल	26.00	30.00	28.00	40.00
10.	मध्य प्रदेश	22.00	25.00	25.00	40.00
11.	महाराष्ट्र	75.00	95.00	90.00	100.00
12.	मणिपुर	1.00	1.50	1.50	3.00
13.	मेघालय	1.00	1.50	1.50	3.00
14.	नागालैंड	1.75	2.50	2.00	3.00
15.	उड़ीसा	15.00	12.00	12.00	26.00
16.	पंजाब	11.00	15.00	12.00	15.00
17.	राजस्थान	10.00	12,00	11.00	25.00
18	सिक्किम	0.25	0.45	0.50	1.00
19.	तमिलनाडु	120.00*	175.00	130.00	150.00
20.	त्रिपुरा	2.00	2.50	2.00	3.00
21.	उत्तर प्रदेश	20.00	25.00	25.00	32.00
22.	पश्चिम बंगाल	55.00	65.00	65.00	70.00
23.	संघ राज्य क्षेत्र	37.00	उ.न.	43.00	50.00
	जोड़	**565.50**	**679.95**	**650.00**	**800.00**

* ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण शामिल है।

अनुलग्नक 6.7

केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमें
सहकारिता

(लाख रु०)

क्रम संख्या	स्कीम	1977-78 परिव्यय	1977-78 प्रत्याशित व्यय	1978-79 परिव्यय
1	2	3	4	5
क.	**केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें**			
1.	कृषि ऋण स्थिरीकरण धनराशि	340	340	840
2.	उर्वरकों के वितरण के लिए बैंक वित्त-व्यवस्था करने के लिए सहकारी समितियों को उपान्त धनराशि की व्यवस्था	400	150	—
3.	उपभोक्ता सहकारी समितियों का विकास	300	280	
4.	ग्रामीण उपभोक्ता सहकारी समितियों के लिए सहायता	—	—	800
	जोड़-क	**1040**	**770**	**1640**
ख.	**केन्द्रीय स्कीमें**			
1.	कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों का पुन: व्यवस्थापन	200	200	250
2.	सहकारिता प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय समिति तथा भारत के राष्ट्रीय सहकारिता संघ को सहायता	160	145	170
3.	राष्ट्रीय ऋण सहकारिता वित्त को सहायता	20	20	80
4.	अविकसित राज्यों में सहकारी संघों को सहायता	325	325	450
5.	पुनर्गठित आधार स्तर ऋण संस्थाओं के लिए संगठन से धनराशि की सहायता	—	—	100
6.	अविकसित राज्य में सहकारी विपणन, प्रक्रमण और भण्डारण कार्यक्रमों के लिए सहायता	450	550	650
7.	सहकारी चीनी फैक्टरियों तथा सहकारी स्पिनिंग मिलों में शेयर पूंजी सहभागिता	650	790	615
8.	नाफेड को सहायता	20	100	20
9.	चीनी मशीनरी इकाई की स्थापना के लिए चीनी फैक्टरियों के राष्ट्रीय संघ को सहायता	—	—	—
10,	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को बढ़ाना	440	490	550
11.	अन्य राष्ट्रीय सहकारी संघों को सहायता	7	5	10
12.	सुपर बाजार, नई दिल्ली का विकास	16	16	16
13.	बहुराज्यीय सहकारी समितियों का विकास	1	1	1
	जोड़—ख	**2289**	**2642**	**2912**

अनुलग्नक 6.7 (जारी)

1	2	3	4	5
ग.	सहकारी उर्वरक परियोजना			
1.	कलोल और कांडला	—	—	—
2.	फूलपुर परियोजना	600	600	470
3.	फास्फेट अम्ल संयंत्र (कांडला)	1	—	—
4.	महाराष्ट्र उर्वरक और रसायन	1	—	—
	जोड़—ग	**602**	**600**	**470**
	कुल जोड़ (क+ख+ग)	**3931**	**4012**	**5022**

अनुलग्नक 6.8

वार्षिक योजना 1978-79— सहकारिता
वित्तीय परिव्यय-राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1977-78		1978-79
		अनुमोदित परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	650.00	650.00	650.00
2.	असम	305.00	305.00	400.00
3.	बिहार	355.00	375.00	425.00
4.	गुजरात	555.00	458.00	533.00
5.	हरियाणा	231.00	231.00	332.00
6.	हिमाचल प्रदेश	60.00	60.00	89.00
7.	जम्मू और कश्मीर	49.00	49.00	59.00
8.	कर्नाटक	550.00	690.00	750.00
9.	केरल	178.00	178.00	248.00
10.	मध्य प्रदेश	678.00	855.00	631.00
11.	महाराष्ट्र	961.00	960.00	866.00
12.	मणिपुर	30.00	31.00	37.00
13.	मेघालय	52.00	50.00	61.00
14.	नागालैंड	30.00	30.00	45.00
15.	उड़ीसा	474.00	472.00	510.00
16.	पंजाब	300.00	300.00	450.00
17.	राजस्थान	173.00	183.00	206.00
18.	सिक्किम	14.00	17.00	20.00
19.	तमिल नाडु	615.00	783.00	499.00
20.	त्रिपुरा	33.00	33.00	60.00
21.	उत्तर प्रदेश	783.00	790.00	830.00
22.	पश्चिम बंगाल	520.00	535.00	570.00
	जोड़— राज्य	**7596.00**	**8035.00**	**8271.00**

अनुलग्नक 6 8 (जारी)

1	2	3	4	5
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10.60	10.60	11.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	42.67	45.00	102.00
3.	चंडीगढ़	5.55	5.55	5.55
4.	दादरा और नगर हवेली	2.80	2.95	3 50
5.	दिल्ली	45.38	46.00	55.43
6.	गोवा, दमण और दीव	20.00	40.00	47.00
7.	लक्षद्वीप	8.69	11.50	10 00
8.	मिजोरम	45.38	25.00	37.00
9.	पांडिचेरी	5.25	5.25	15.00
	जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	**186.24**	**191.85**	**286.48**
	जोड़—राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	**7782.24**	**8226.85**	**8557.48**

अनुलग्नक 6.9

1978-79 की वार्षिक योजना

राज्य योजना परिव्यय और व्यय

विकास का शीर्ष—सामुदायिक विकास और पंचायत

(लाख रु०)

क्रम सं०	राज्य संघ राज्ल क्षेत्र	1977-78 परिव्यय	1977-78 प्रत्याशित व्यय	1978-79 परिव्यय
1	2	3	4	5
1.	आंध्रप्रदेश	60	60.00	65
2.	असम		80.00	97
3.	बिहार	215	210.00	240
4.	गुजरात	120	118.42	595
5.	हरियाणा	34	34.00	40
6.	हिमाचल प्रदेश	40	40.00	53
7.	जम्मू और कश्मीर	24	24.00	70
8.	कर्नाटक	15	15.00	20
9.	केरल	105	160.30	169
10.	मध्य प्रदेश	800	765.50	766
11.	महाराष्ट्र	84	84.00	32
12.	मणिपुर	18	18.00	22
13.	मेघालय	19	19.00	21
14.	नागालैंड	45	45.00	45
15.	उड़ीसा	51	51.00	60
16.	पंजाब	196	164.00	190
17.	राजस्थान	4	29.00	204
18.	सिक्किम	3	3.00	4
19.	तमिलनाडु	267	330.00	369
20.	त्रिपुरा	19	19.00	23
21.	उत्तर प्रदेश	147	318.00	270
22.	पश्चिम बंगाल	400	600.00	1555
	जोड़—राज्य	2746	3187.22	4910

अनुलग्नक 6.9 (जारी)

1	2	3	4	5
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1	0.98	1.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	21	21.00	30.00
3.	चंडीगढ़	1	1.40	1.50
4.	दादरा और नगर हवेली	4	4.00	4.50
5.	दिल्ली	11	3.05	10.00
6.	गोआ, दमण और दीव	9	8.50	10.00
7.	लक्षद्वीप	4	3.75	4.00
8.	मिजोरम	27	27.00	34.47
9.	पांडिचेरी	30	29.00	40.00
	जोड़ – संघ राज्य क्षेत्र	**108**	**99.57**	**135.87**
	जोड़ – राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	**2854**	**3286.79**	**5045.81**

अनुलग्नक 6.10

1978-79 की वार्षिक योजना—केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें

विकास का शीर्ष—सामुदायिक विकास और पंचायती राज्य

(लाख रु०)

क्र. सं.	स्कीमें	1977-78 परिव्यय	1977-78 प्रत्याशित व्यय	1978-79 परिव्यय
1	2	3	4	5
1,	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान—विस्तार और अनुसंधान	21	21	20
2.	सम्मेलन	4.5	4.5	4.5
3.	सर्वोत्तम ग्राम सेवक और पंचायत के चयन के लिए पुरस्कार प्रतियोगिता	4.5	9.15	5.2
4.	स्वैच्छिक स्कीमों और सामाजिक कार्यात्मक कार्यक्रम का संवर्धन	45	45	90
5.	संपूर्ण ग्राम विकास कार्यक्रम	50	50	50
	जोड़ :	**125.00**	**129.65**	**169.7**

अनुलग्नक 8.1

बड़ी और मझौली सिंचाई के लिए परिव्यय—1978-79 में छोटी सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1978-79 के लिए परिव्यय		
		बड़ी और मझौली सिंचाई कार्यक्रम	छोटी सिंचाई कार्यक्रम	बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	125.15	9.63	4.85
2.	असम	10.50	10.60	3.50
3.	बिहार	101.00	21.00	19.00
4.	गुजरात	78.25	11.93	3.50
5.	हरियाणा	60.04	4.00	18.82
6.	हिमाचल प्रदेश	2.07	3.64	0.13
7.	जम्मू और कश्मीर	12.17	6.20	3.50
8.	कर्नाटक	68.08	12.50	1.00
9.	केरल	35.00	4.25	2.00
10.	मध्य प्रदेश	81.49	24.80	0.51
11.	महाराष्ट्र	111.94 (+16.28 ई.जी.एस.)	17.28	0.06
12.	मणिपुर	5.70	0.72	0.70
13.	मेघालय	0.10	0.75	0.25
14.	नागालैंड	0.05	1.25	—
15.	उड़ीसा	32.00	13.80	3.00
16.	पंजाब	27.17	5.20	9.50
17.	राजस्थान	66.42	5.69	2.93
18.	सिक्किम	0.40	0.49	—
19.	तमिलनाडु	29.12	6.68	0.83
20.	त्रिपुरा	0.47	1.30	0.60
21.	उत्तर प्रदेश	149.00	37.59	14.00
22.	पश्चिम बंगाल	23.44	20.77	15.53
	जोड़—राज्य	**1019.56** (+16.28 ई.जी.एस.)	**220.07**	**104.21**

अनुलग्नक 8.1 (जारी)

1	2	3	4	5
संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	0.05	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.30	1.71	0.14
3.	चंडीगढ़	—	0.1023	—
4.	दादरा और नगर हवेली	1.27	0.0950	0.0005
5.	दिल्ली	—	0.80	4.4772
6.	गोआ दमण और दीब	6.62	0.81	0.10
7.	लक्षद्वीप	—	—	0.0475
8.	मिजोरम	—	0.35	—
9.	पांडिचेरी	0.22	0.60	0.23
	जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	**8.41**	**4.5173**	**4.9952**
	केन्द्रीय क्षेत्र	5.97	10.40	17.45
	कुल जोड़	**1033.94** (+16.28 ई.जी.एस.)	**234.9873**	**126.6552**

अनुलग्नक 8.2

बड़ी और मझौली सिंचाई स्कीमों से लाभ

('000 हेक्टेयर)

क्र० सं००	राज्य का नाम	अन्ततः सिंचाई क्षमता	योजना-पूर्व स्कीमों से सिंचाई	निम्नलिखित वर्षों के अन्त में योजना के लाभ									
				1974-75 वास्तविक		1975-76 वास्तविक		1976-77 वास्तविक		1977-78 (प्रत्याशित)		1978-79 (लक्ष्य)	
				क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	6480	1676	925	851	962	901	1066	961	1151	1021	1296	1080
2.	असम	970	—	33	14	33	15	52	20	82	35	112	44
3.	बिहार	9229	404	1550	897	1681	971	1780	1051	1998	1151	2011	1260
4.	गुजरात	2150	33	680	443	761	464	836	482	944	552	1014	612
5.	हरियाणा	*	436	1121	1056	1168	1079	1228	1078	1265	1214	1305	1259
6.	हिमाचल प्रदेश	उ.न.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
7.	जम्मू और कश्मीर	150	43	45	40	47	42	54	47	58	50	70	54
8.	कर्नाटक	2000	308	606	438	643	483	674	580	710	656	756	715
9.	केरल	1000	158	234	234	254	254	274	274	317	317	362	362
10.	मध्य प्रदेश	5630	513	499	328	571	357	659	442	816	565	966	709
11.	महाराष्ट्र	2350	255	624	224	689	303	801	374	904	575	1015	691
12.	मणिपुर	उ.न.	—	1	1	1	1	1	1	1	1	15	17
13.	मेघालय	उ.न.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	नागालैंड	उ.न.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	उड़ीसा	3600	455	721	692	780	774	824	786	872	873	932	932
16	पंजाब	4920	1220	945	941	975	971	1012	1007	1048	1042	1077	1060
17.	राजस्थान	3150	320	895	830	952	902	1012	872	1067	898	1107	931
18	सिक्किम	उ.न.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु	1610	891	270	259	272	260	274	262	287	269	292	281
20.	त्रिपुरा	उ.न.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	11200	2553	1842	1508	2183	1725	2375	1958	2919	2293	3313	2625
22.	पश्चिम बंगाल	2310	440	808	877	850	903	919	806	981	963	1020	999
	जोड़—राज्य	**56750**	**9705**	**11799**	**9633**	**12822**	**10395**	**13841**	**11001**	**15320**	**12475**	**16673**	**13621**
	संघ राज्य क्षेत्र	उ.न.		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	कुल जोड़	**56750**	**9705**	**11809**	**9643**	**12832**	**10405**	**13851**	**11011**	**13530**	**12485**	**16683**	**13631**
	अतिरिक्त लाभ			811	660	1023	762	1019	606	1479	1474	1353	1146

* पंजाब में सम्मिलित

अनुलग्नक 8.3

छोटी सिचाई स्कीमों से लाभ

(1000 हैक्टेयर सकल)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78 लक्ष्य	1977-78 प्रत्याशित	1978-79 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1575	1600	1651	1714	1761	1761	1830
2.	असम	339	362	385	415	450	450	489
3.	बिहार	1700	1799	1961	2174	2388	2386	2707
4.	गुजरात	1300	1324	1344	1369	1416	1411	1466
5.	हरियाणा	900	930	970	1000	1056	1056	1107
6.	हिमाचल प्रदेश	80	84	87	89	91	91	95
7.	जम्मू और कश्मीर	300	306	315	323	335	330	339
8.	कर्नाटक	840	888	950	1037	1094	1070	1130
9.	केरल	275	284	289	297	306	309	324
10.	मध्य प्रदेश	1100	1199	1284	1397	1525	1527	1672
11.	महाराष्ट्र	1300	1382	1455	1542	1615	1611	1691
12.	मणिपुर	18	21	34	51	67	67	89
13.	मेघालय	10	11	13	16	20	20	25
14.	नागालैंड	33	39	43	46	49	49	55
15.	उड़ीसा	400	469	511	572	644	644	764
16.	पंजाब	2650	2670	2730	2790	2850	2850	2920
17.	राजस्थान	1768	1790	1815	1849	1880	1880	1919
18.	सिक्किम	—	—	6	7	8	8	9
19.	तमिलनाडु	1930	1960	1991	2028	2054	2054	2074
20.	त्रिपुरा	30	31	33	34	40	36	39
21.	उत्तर प्रदेश	6342	7016	8594	8350	9136	8886	9500
22.	पश्चिम बंगाल	1100	1139	1203	1314	1441	1433	1592
	जोड़ — राज्य	**23990**	**25304**	**27664**	**28414**	**30226**	**29929**	**31836**
	जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	**74**	**80**	**41**	**48**	**62**	**62**	**उ.न.**
	जोड़—राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	**24064**	**25384**	**27705**	**28462**	**30288**	**29991**	**31836**
		(23500)	**(24300)**	**(25200)**	**(26200)**	**(27300)**	**(27300)**	**(28750)**
	अतिरिक्त दस लाख हेक्टेयर		0.8	0.9	1.0		1.1	1.45

टिप्पणी : संबधित राज्यों के जोड़ों के मुकाबले योजना आयोग द्वारा अपनाए गए आंकड़े कोष्टकों में दिए गए हैं।

अनुलग्नक 8.4

नियंत्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर परिव्यय

(लाख रु०)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1978-79 के लिए परिव्यय
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	460
2.	असम	35
3.	बिहार	150
4.	गुजरात	85
5.	हरियाणा	35
6.	हिमाचल प्रदेश	—
7.	जम्मू और कश्मीर	50
8.	कर्नाटक	190
9.	केरल	5
10.	मध्य प्रदेश	469
11.	महाराष्ट्र	159
12.	मणिपुर	2
13.	मेघालय	—
14.	नागालैंड	—
15.	उड़ीसा	230
16.	पंजाब	—
17.	राजस्थान	340
18.	सिक्किम	—
19.	तमिलनाडु	5
20.	त्रिपुरा	—
21.	उत्तर प्रदेश	440
22.	पश्चिम बंगाल	95
	जोड़—राज्य	**2750**
	संघ राज्य क्षेत्र	—
	जोड़—राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	**2750**
	केन्द्रीय क्षेत्र	**4400**

अनुलग्नक-9.1

1977-78 में विद्युत् उत्पादन की क्षमता में वृद्धि
1977-78 में निम्नलिखित यूनिटें चालू की गईं

क्र० सं० यूनिट	राज्य	क्षमता (मे० वा०)	चालू करने का महीना
पन-बिजली			
1. गिरि, यूनिट 1	हिमाचल प्रदेश	30	27.3.78 को चालू की गई
2. गिरि, यूनिट 2	,,	30	31.3.78 को चालू की गई
3. लोअर झेलम, यूनिट 1	जम्मू और कश्मीर	35	2/78
4. देहर, यूनिट 1	भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड	165	11/77
देहर, यूनिट 2	,,	165	3/78
5. पौंग, यूनिट 1	,,	60	1/78
पौंग, यूनिट 2	,,	60	3/78
6. लोअर, सिलेरू, यूनिट 3	आंध्र प्रदेश	100	11/77
7. नागार्जुनसागर सागर	,,	110	1/78
8. कुन्दाह, चरण 4	तमिलनाडु	60	2/78
9. कोसी	बिहार	5	3/78
10. दजुजा	नागालैंड	1.5	3/78
जोड़—पन-बिजली		**821.5**	
तापीय			
11. हरदुआगंज, चरण 6	उत्तर प्रदेश	55	8/77
12. ओबरा, चरण 2, यूनिट 1	,,	200	12/77
13. हरदुआगंज, चरण 4	,,	110	31.3.78 को चालू की गई
14. भटिंडा, यूनिट 3	पंजाब	110*	3/78
15. कोराडी, चरण 3, यूनिट 1	महाराष्ट्र	200	31.3.78 को चालू की गई
16. अमरकंटक, यूनिट 1	मध्य प्रदेश	120	9/77
अमरकंटक, यूनिट 2	,,	120	3/78
17. कोठगुडम, चरण 4, यूनिट 2	आंध्र प्रदेश	110	1/78
18. पतरातू, यूनिट 8	बिहार	110	2.3.1978
जोड़—तापीय		**1135**	
जोड़—अखिल भारती		**1956.5**	

* 1977-78 के चालू करने के कार्यक्रम में शामिल नहीं की गई, परंतु निर्धारित समय से पहले ही चालू हो गई।

अनुलग्नक 9.2

1977-78 में पूरी की गई संचरण लाइनें

400 कि.वा.

ओबरा – सुल्तानपुर—लखनऊ

200 कि. वा.

उत्तरी क्षेत्र

1. पोंग—जालंधर
2. गंगूवाल—अब्दुल्लापुर—पीपली
3. पीपली—पानीपत
4. स्यूल—पोंग
5. बदरपुर—नजफगढ़—नरेला
6. देहर-गंगूवाल
7. दादरी—खेतड़ी
8. राणाप्रतापसागर परमाणू बिजलीघर कोटा।
9. सुल्तानपुर—गोरखपुर

पश्चिमी क्षेत्र

10. कोरबा—भिलाई
11. नासिक-बबलेश्वर
12. पार्ली—शोलापुर
13. बबलेश्वर—चालीसगांव
14. भुसावल—चालीसगांव

अन्तर्राज्यीय लाइनें

15. एन्नौर—नेल्लौरी (दक्षिणी क्षेत्र)
16. नासिक—नवसारी (पश्चिमी क्षेत्र)
17. मैसूर—इद्दुकी (दक्षिणी क्षेत्र)

अंतर-क्षेत्रीय

18. कोटा—उज्जैन

अनुलग्नक 9.3

1978-79 की वार्षिक योजना के परिव्यय—विद्युत् कार्यक्रम

(करोड रु०)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विद्युत् उत्पादन			संचरण और वितरण	ग्रामीण विद्युतीकरण			उप जोड़	अन्य सर्वेक्षण और अन्वेषण और विविध	जोड़	टिप्पणी
	जारी	नए	उप जोड़		राज्य सामान्य	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
राज्य											
1. आंध्र प्रदेश	120.90	—	120.90	30.00	21.25	4.25	3.00	28.50	0.60	180.00	
2. असम	32.36	5.00	37.36	18.19	2.13	2.42	2.55	7.10	0.75	63.40	इसमें पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1.80 करोड़ रु० शामिल है (सत्कना)
3. बिहार	40.31	1.00	41.31	39.80	10.50	6.00	5.50	22.00	2.89	106.00	
4. गुजरात	41.62	4.25	45.87	38.75	2.65	3.85	—	6.50	1.13	92.25	
5. हरियाणा	26.64	6.00	32.64	21.09	8.58	1.92	—	10.50	1.00	65.23	
6. हिमाचल प्रदेश	11.49	0.50	11.99	3.07	0.85	2.55	0.60	4.00	0.25	19.31	
7. जम्मू और कश्मीर	4.32	0.53	4.85	9.04	1.00	1.10	1.90	4.00	1.00	18.89	
8. कर्नाटक * स्तकना	2.80		2.80							+ 2.80	
9. केरल	48.20	11.95	60.15	25.75	6.80	2.45	0.75	10.00	1.00	96.90	
10. मध्य प्रदेश	12.53	—	12.53	20.00	4.09	1.16	—	5.25	1.00	38.37	
11. महाराष्ट्र	92.98	3.80	96.78	44.70	14.00	9.70	9.00	32.70	0.82	175.00	
12. मणिपुर	171.49	—	171.49	93.72	6.36	5.30	—	11.66	7.00	283.87	
13. मेघालय	0.66	0.92	1.58	0.63	—	0.10	0.35	0.45	0.09	2.75	
14. नागालैंड	2.00	0.75	2.75	1.21	—	1.22	1.09	2.31	0.05	6.32	
	0.55	—	0.55	0.60	--	—	0.75	0.75	0.10	2.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15. उड़ीसा	31.71	0.35	32.06	21.46	3.05	2.45	7.80	13.30	1.18	68.00
16. पंजाब	22,12	24.00	46.12	27.68	12.95	4.25	—	17.20	0.30	91.30
17. राजस्थान	18.56	0.15	18.71	36.39	4.75	6.05	4.00	14.80	0.10	70.00
18. सिक्कम	0.18	—	0.18	0.91	—	—	0.25	0.25	0.01	1.35
19. तमिलनाडु	67.28	—	67.28	32.50	9.08	2.42	—	11.50	2.84	114.12
20. त्रिपुरा	0.55	0.21	0.76	—	0.06	1.00	1.35	2.41	—	3.17
21. उत्तर प्रदेश	114.94	16.85	131.79	104.05	24.04	8.76	5.00	37.80	1.50	275.14
22. पश्चिम बंगाल	67.25	5.00	72.25	28.00	—	8.55	5.45	14.00	0.75	115.00
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को अतिरिक्त एल०एस० आवंटन				*17.85		10.00		10.00		27.85
(क) उप जोड़ — राज्य	**931.44**	**81.26**	**1012.70**	**615.39**	**132.14**	**85.50**	**49.34**	**266.98**	**24.36**	**1919.43**

*प्रणाली सुधार के लिए निम्न विभव स्कीमें संयुक्त सहभागिता की स्कीम

अनुलग्नक 9.3 (जारी)

1978-79 की वार्षिक योजना के परिव्यय-विद्युत् कार्यक्रम

(करोड़ रु०)

	विद्युत् उत्पादन			संचरण और वितरण	ग्रामीण विद्युतीकरण			उप जोड़	अन्य सर्वेक्षण और अन्वेषण और विविध	जोड़
	जारी	नए	उप-जोड़		सामान्य	ग्रामीण विद्युती-करण निगम	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संघ राज्य क्षेत्र										
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.61	0.10	0.71	—	0.14	—	—	0.14	0.05	0.90
2. अरुणाचल प्रदेश	0.17	0.68	1.39	0.245	0.865	—	0.90	1.765	—	3.40
3. चंडीगढ़	—	—	—	0.95	0.30	—	—	0.30	—	1.25
4. दादरा और नगर हवेली	—	—	—	0.169	—	—	0.01	0.01	—	0.179
5. दिल्ली	—	1.50	1.50	21.60	0.75	—		0.75	0.40	24.25
6. गोआ, दमण और दीव	—	—	—	3.37	0.16	—	0.06	0.22	—	3.59
7. लक्षद्वीप	—	—	—	—	0.2350	—	—	0.235	—	0.2350
8. मिजोरम	0.07	—	0.07	0.05	0.23	—	1.15	1.38	0.30	1.80
9. पांडिचेरी	—	—	—	0.72	0.20	—	—	0.20	—	0.92
उप जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	**1.39**	**2.28**	**3.67**	**27.104**	**2.88**	—	**2.12**	**5.00**	**0.75**	**36.524**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
केन्द्रीय योजना				**या 27.10**						**36.52**
1. विद्युत् विभाग	96.29	10.03	106.32	41.54*	—	—	—	—	7.27	155.19
2. कोयला विभाग (नेवेली तापीय बिजली घर)	—	8.00	8.00	—	—	—	—	—	—	8.00
3. परमाणु ऊर्जा विभाग	44.52	0.01	44.53	—	—	—	—	—	2.45	46.98
4. दामोदर घाटी निगम	24.63	0.01	24.64	5.96	—	—	—	—	3.00	33.60
5. उत्तर पूर्वी परिषद्	12.50	—	12.50	3.50	—	—	—	—	1.50	17.50
(ग) उप जोड़ केन्द्रीय योजना	**177.94**	**18.05**	**195.99**	**51.00**	—	—	—	—	**14.22**	**261.21**
जोड़ (क+ख+ग)	**1110.77**	**101.59**	**1212.36**	**693.49**	**135.02**	**85.50**	**51.46**	**271.98**	**39.33**	**2217.16**

अन्तर्राज्यीय सम्पर्क के लिए 22 करोड़ रु० शामिल हैं इसमें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त-व्यवस्था की गई संचरण लाइनों के लिए 4.75 करोड़ रु० शामिल है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना	(करोड़ रु०)
ग्रामीण विद्युतीकरण	85.50
प्रणाली सुधार	17.85
उड़ीसा और मेघालय में 132 कि०वा० लाइनें	4.75
	108.10

अनुलग्नक 9.4

1978-79 में विद्युत् में लक्ष्यित वृद्धियां

क्रम सं०	परियोजना का नाम	चालू करने के समय की क्षमता (मे०वा०)
1.	**पन-बिजली**	
	व्यास निर्माण बोर्ड	
1.	व्यास देहर यूनिट, यूनिट 3	165
2.	व्यास देहर यूनिट, यूनिट 4	165
3.	व्यास पोंग यूनिट, यूनिट 3	60
4.	व्यास पोंग यूनिट, यूनिट 4	60
	जम्मू और कश्मीर	
5.	लोअर झेलम, यूनिट 2	35
6.	लोअर झेलम, यूनिट 3	35
	महाराष्ट्र	
7.	कोयना, चरण 3 यूनिट 4	80
	आंध्र प्रदेश	
8.	लोअर सिलेरू, यूनिट 4 (आं०प्र०)	100
	कर्नाटक	
9.	कालीनदी (नागझरी)	135
10.	लिंगन्मक्की, यूनिट 1	27.5
11.	लिंगन्मक्की, यूनिट 2	27.5
	तमिलनाडु	
12.	कुंदाह चरण 4	50
13.	सुरुलियार	35
	बिहार	
14.	स्वर्णरेखा, यूनिट 2	65
	पश्चिम बंगाल	
15.	कुरेस्योंग, यूनिट 1 और 2	2
	मेघालय	
16.	क्रिदेम्कुलई, यूनिट 1	30
17.	क्रिदेम्कुलई, यूनिट 2	30
	जोड़ : (पन-बिजली)	**1102**

अनुइग्नक 9.4 (जारी)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	चालू करने के समय की क्षमता (मे०वा०)
	2. तापीय और न्यूक्लीय	
	हरियाणा	
	1. पानीपत, यूनिट 1	110
	2. पानीपत, यूनिट 2	110
	पंजाब	
	3. भटिंडा, यूनिट 4	110
	उत्तर प्रदेश	
	4 ओबरा चरण 2, यूनिट 2	200
	केन्द्रीय	
	5. बदरपुर विस्तार	200
	6. राणा प्रताप परमाणु बिजलीघर, यूनिट 2 (न्यूक्लीय)	220
	गुजरात	
	7. उकई विस्तार, यूनिट 1	200
	8. उकई विस्तार, यूनिट 2	200
	मध्य प्रदेश	
	9. सतपुड़ा, यूनिट 1	200
	10. सतपुड़ा, यूनिट 2	—
	महाराष्ट्र	
	11. नासिक विस्तार	210
	12. भुसावल विस्तार	210
	आंध्र प्रदेश	
	13. विजयवाड़ा	210
	तमिलनाडु	
	14. तूतीकोरिन	210
	पश्चिम बंगाल	
	15. संतालदीह यूनिट 3	120
	16. संतालदीह, यूनिट 4	120
	दामोदर घाटी निगम	
	17. चन्द्रपुरा, यूनिट 6	120
	असम	
	18. लकवा गैस टरबाईन	45
	19. अहमदाबाद	110
	जोड़—तापीय	**2905**
	जोड़—(अखिल भारतीय)	**4007**

अनुलग्नक-9.5

1978-79 में पूरी की जाने वाली महत्त्वपूर्ण संचरण लाइनों की समय-अनुसूची

	पूरी करने की समय -अनुसूची
400 कि वा	
कोराड़ी-मुसावल (पश्चिमी क्षेत्र)	6/78
220 कि वा	
उत्तरी क्षेत्र	
पानीपत-नरेला	6/78
खेतड़ी-जयपुर	4/78
मुरादनगर-मेरठ	6/78
पश्चिमी क्षेत्र	
जाम्बुआ-असोज-गोधरा	4/78
करमसाद-भावनगर	4/78
अमरकंटक-कोरबा	4/78
इटारसी-भोपाल	4/78
सतपुड़ा-इटारसी	6/78
करड-विश्रामबाग	5/78
औरंगाबाद-बलेश्वर	9/78
दक्षिणी क्षेत्र	
पिनिया-हूडी	6/78
हुबली-मनीराबाद	8/78
शरावती-मुनीराबाद, भावनगर होकर	3/79
नागझरी-हुबली	7/78
चिंगलपुर-कोरत्तूट	4/78
चिंगलपुर-कोरत्तूट	9/78
तूतीकोरिन (तापीय)-तूतीकोरीन (स्वचालित)	5/78
पूर्वी क्षेत्र	
दुर्गापुर-जेरत-कोरबा	6/78
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	
समगूड़ी-मरियानी	9/78
अन्तर्राज्यीय 220 कि० वा० लाइनें	
कोल्हापुर-पोंडा (पश्चिम क्षेत्र)	6/78
अन्तर्राज्यीय 132 कि० वा० लाइनें	
लोकटक-दीमापुर (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र)	1978-79
देहर-शिमला (उत्तरी क्षेत्र)	12/78
दीमापुर-मरियानी (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र)	4/78

अनुलग्नक 9.6

1978-79 के लिए परिव्ययों के क्षेत्रवार ब्यौरे

(करोड़ रु०)

श्रेणी	परिव्यय 1978-79
1. कोल इंडिया लि.	
1. चौथी योजना से अधिनीत स्कीमें	25.40
2. अनुमोदित पुनर्निर्माण/पुनगठन की स्कीमें	21.60
3. अनुमोदित नई खानें	20.89
4. अनुमोदित प्रक्षालक	12.88
5. अन्य अनुमोदित स्कीमें	11.94
6. वर्तमान परियोजनाएं/खानें	60.90
7. प्रक्षालक	6.86
8. परियोजनाएं जो अनुमोदित नहीं की गई, परंतु चल रही हैं	16.85
9. परियोजनाएं जो तैयार की गई हैं और अभी अनुमोदित होनी हैं	3.10
10. अभी तैयार की जाने वाली परियोजनाएं	—
(क) नई	1.38
(ख) पुनर्निर्माण/पुनर्गठन	—
11. अन्य	23.30
जोड़	**205.10**
2. सिंगरेनी कोलोयेरीज	
1. जारी स्कीमें	11.38
2. नई स्कीमें	4.73
जोड़	**16.11**
3. नेवेली लिग्नाइट निगम	
1. अतिरिक्त और सहायक खनन उपस्कर	0.97
2. विशेष खनन उपस्कर	26.41
3. उर्वरक संयंत्र	3.42
4. दूसरी खान कटाई	8.00
5. अन्य	3.22
जोड़	**42.02**
4. अन्य कार्यक्रम	
1. विज्ञान और शिल्पविज्ञान	2.23
2. अन्य	1.50
जोड़	**2.73**
कुल जोड़	**266.96**

अनुलग्नक 9.7

कच्चे तेल और पैट्रोलियम उत्पाद के नउत्पादन के लक्ष्य

(10 लाख टन)

	1977-78 (वास्तविक)	1978-79 (लक्ष्य)
1. कच्चा तेल		
(1) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग		
(क) पश्चिमी क्षेत्र		
1. अंकलेश्वर 2 उत्तरी गुजरात	5.52	2.35 1.45 } 3.80
(क) पूर्वी क्षेत्र		2.02
(ख) अपतट	2.08	3.85
उप जोड़—तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	7.60	9.67
(2) आयल इंडिया लि.	3.11	2.83
(3) असम आयल कम्पनी लि.	0.06	0 05
कुल जोड़—1	10.77	12.55
2. पैट्रोलियम उत्पादन		
1. कच्चे तेल में संवेश प्रवाह की दृष्टि से	24.90	27.89
2. निवल मात्रा की दृष्टि से (कच्चे तेल के संवेश प्रवाह के 93% की दर से उत्पादन किया जाना है)	23.16	25.94

अनुलग्नक 9.8

पैट्रोलियम विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों/कार्यकलापों के लिए 1978-79 को वार्षिक योजना के परिव्यय के ब्यौरों का विवरण ।

क्रम सं०	कार्यक्रम/ कार्यकलाप	उद्यम का नाम	वार्षिक योजना परिव्यय	बजट सहायता	अतिरिक्त बजट संसाधन
					(करोड़ रु०)
1	2	3	4	5	
1. तेल और प्राकृतिक गैस निचयों की खोज और उपयोग		(1) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग			
		1) भूमि कार्य	141.65		
		2) अभितट कार्य	230.01**		
		3) अनुसंधान संस्थान	3.00		
		4) राष्ट्रीय विज्ञान तथा शिल्प विज्ञान आयोग की स्कीमें	1.98		
		उप जोड़—तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	376.64	86.66	289.98
		(2) आयल इंडिया लिमिटेड			
		(क) जारी स्कीमें			
		1) दमदम और निंगरू में अन्वेषण	5.00		
		2) नए विद्युत् संयंत्र	0.72		
		3) पाइप लाइन विस्तार, चरण-1	0.32		
		4) पाइप लाइन विस्तार, चरण-2	0.10		
		5) पाइप लाइन विस्तार, चरण-3	0.71		
		6) दमदम गैस ग्रिड	0.32		
		7) पूंजीगत उपस्कर और सुविधाएं			
		(क) बेधन रिग्स और सहायक उपकरण	7.16		
		(ख) रिग्स और सहायक उपकरण संबंधी काम	0.71		
		(ग) कम्प्रेसर सहायक उपकरण	6.08		
		(घ) प्रतिस्थापन सहित अन्य उत्पादन परिवहन तथा बेधन उपस्कर	11.62		
		(ङ) कुंआ खुदाई उपस्कर	1.84		
		(ख) नई स्कीमें			
		8) एल०पी०जी० संयंत्र	0.10*		
		9) महानदी बेसिन परियोजना	0.01*		
		उपजोड़—आयल इंडिया लि०	34.69	2.43	2.26

अनुलग्नक 9.8 (जारी)

1	2	3		4	
2.	पैट्रोलियम परिष्करण तथा विपणन और पैट्रोलियम उत्पादों का वितरण	(1) भारतीय तेल निगम			
		(क) जारी स्कीमें			
		1) मथुरा तेल शोधक कारखाना	45.00		
		2) गुजरात तेल शोधक कारखाना विस्तार परियोजना (कोयाली)	7.00		
		3) बरौनी स्थित पैराफिन मोम संयंत्र	0.10		
		4) बरौनी स्थित अतिरिक्त कोकर	00·10		
		5) सलाया वीरमगढ़ मथुरा पाइप लाइन	60.50		
		6) कोयाली उर्वरक रसायन निगम इकाई	8.00		
		7) मथुरा-अम्बाला पाइप लाइन	0.10*		
		8) गोहाटी-सिलीगुड़ी पाइप लाइन का विस्तार	0.10*		
		9) विपणन प्रभाग (जारी स्कीमें)	2.50		
		10) फरीदाबाद स्थिति अनुसंधान तथा विकास केन्द्र	2,00		
		(ख) नई स्कीमें			
		11) हल्दिया एल०पी०जी० विस्तार	0.01*		
		12) विपणन प्रभाग को नई स्कीमें	10.00		
		उप जोड़—भारतीय तेल निगम	**135.41**	**40.00**	**95.41**
		(II) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड			
		(क) जारी स्कीमें			
		1) हि०पे०नि०लि० से अतिरिक्त कच्चे तेल का टैंक भार	1.45		
		2) बम्बई हाई गैस में एल०पी०जी० का विपणन	4.00		
		(ख) नई स्कीमें			
		3) ल्यूबे रिफाइनरी का विस्तार	0.01*		
		4) संताकुंज हवाई अड्डे पर एटो एफ पाइप लाइन	0.54		
		5) संताकुंज हवाई अड्डे पर संयुक्त बम्बा	0.47		
		6) ल्यूबे रिफाइनरी से मजगांव तक ल्यूबे आयल पाइप लाइन	0.10*		
		7.) कंप्यूटर (प्रतिस्थापन)	0.10*		
		उप जोड़—हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लि०	**6.67**	—	**6.67**
		(3) भारत पेट्रोलियम निगम लि०			
		(क) जारी स्कीमें			
		1) पश्चिम एशिया में प्राप्त कच्चे तेल के साथ सम्मिश्रित करके बंबई हाई के 20 लाख टन कच्चे तेल के प्रक्रमण के लिए सुविधाओं की स्थापना (चरण 1,2 और 3)	0.55		

अनुलग्नक 9.8 (जारी)

1	2	3	4	5	
		2) बंबई हाई के साथ कच्चे तेल के 46 लाख टन के स्तर पर प्रक्रमण के लिए सुविधाओं की स्थापना (चरण 1, 2 और 3)	0.62		
		3) अन्तर तेल शोधक कारखानों के उत्पादन के इष्टतमीकरण तथा क्षमता के प्रयोग के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लि० और भारत पेट्रोलियम निगम लि० के बीच सुविधाओं की स्थापना	1.57		
		4) एल०पी०जी० का पर्याप्त भंडारण	0.15		
		(ख) नई स्कीमें			
		5) बंबई हाई से संबद्ध गैस से एल०पी०जी० का विपणन	4.00		
		6) बंबई हाई नेप्था से एरोमैटिक्स के निकालने के लिए सुविधाएं	0.10*		
		7) भारत पेट्रोलियम निगम लि०/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लि० ह्यूबे सम्मिश्रण संयंत्र के लिए सीवरी स्थित सुविधाओं के एकीकरण के लिए परियोजना	0.10*		
		8) अतिरिक्त ऊष्मा प्राप्ति के लिए सी.सी.यू. में परिशोधन करने के लिए परियोजना	0.20		
		उप जोड़—भारत पैट्रोलियम निगम लि.	**7.29**		7.29
		(4) कोचीन तेल शोधक कारखाना लि.			
		(क) जारी स्कीमें			
		1) अतिरिक्त हाइड्रोजन पुनः चक्रण कंप्रेसर	0.60		
		(ख) नई स्कीमें			
		2) पुनः संभावक भरण से गंधक अलग करने के लिए सुविधाओं का प्रतिष्ठापन	0.20		
		3) द्वितीयक प्रक्रमण स्कीमें	0.10*		
		उप जोड़—कोचीन रिफाइनरी लि.	0.90		0.90
		(5) काल्टेक्स रिफाइनरी (इंडिया लि.)			
		(क) जारी स्कीमें			
		1) कच्चा तेल विपणन की स्थापना	0.35		
		2) निजोयनीय कच्चा तेल टैंक	1.36		
		3) बंबई हाई से संबद्ध गैस से एल.पी.जी. के विपणन के लिए अतिरिक्त सुविधाएं	0.80		
		(ख) नई स्कीमें			
		4) अपशिष्ट ऊष्मा बाइलर	0.20		
		5) सांताक्रुज स्थित नए हवाई अड्डे परिसर में नलिका ईंधन भरने की सुविधाएं	0.47		
		उप जोड—काल्टेक्स रिफाइनरी (इंडिया लिमिटेड)	**3.18**	--	**3.18**

अनुलग्नक 8.9 (जारी)

1	2	3	4	5
	(6) मद्रास तेल शोधक कारखाना लि.			
	1) पेराफीन मोम संयंत्र	1.00		
	2) एल.पी.जी. क्षेत्र और कच्चा तेल टैंक	1.00		
	उप जोड—मद्रास तेल शोधक कारखाना लि.	**2.00**	—	**2.00**
	(7) बोंगाईगांव तेल शोधक कारखाना और पैट्रो रसायन लि.			
	1) कच्चा तेल आवसन इकाई	0.15		
	2) मिट्टी का तेल अभिक्रिया इकाई	2.50		
	3) विलम्बित कोकर निस्तापन इकाई	6.50		
	4) बद्ध विद्युत् संयंत्र	8.00		
	5) सामान्य अप-स्थल	1.11		
	6) प्रबन्ध खर्च	1.20		
	उप जोड़—बोंगाईगांव तेल शोधक कारखाना और	**18.96**		**0.50**
	पैट्रो-रसायन लि.	**19.46**		
	(*पैट्रो-रसायन को छोड़कर)			
	कुल जोड़ :	**586.24**	**148.05**	**438.19**

*प्रतीक धनराशि की व्यवस्था

अनुलग्नक 11 1

1978-79 की वार्षिक योजना में औद्योगिक और खनिज क्षेत्रों के लिए परिव्यय की व्यवस्था

(करोड़ रु०)

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	बजट में व्यवस्था	बजट से अतिरिक्त संसाधन	योजना परिव्यय
1.	इस्पात विभाग	563.13	3.87	567.00
2.	खान विभाग	80.92	22.53	103.45
3.	कोयला विभाग	252.47	14.49	266.96
4.	पेट्रोलियम मंत्रालय	169.80	460.00	629.88
5.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	277.21	5.94	283.15
6.	औद्योगिक विकास विभाग	171.14	5.30	176 44
7.	भारी उद्योग विभाग	74.09	8.21	82.30
8.	परमाणु ऊर्जा विभाग	46.27	2.83	49.10
9.	इलेक्ट्रानिक्स विभाग	22.75	—	22.57
10.	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	22.30	—	22.30
11.	वाणिज्य विभाग	13.21	2.29	15.50
12.	नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग	5.67	—	5.67
13.	वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)	1.18	—	1.18
14.	वित्त मंत्रालय (आर्थिक काय विभाग)	5.09	—	5.09
15.	वित्त मंत्रालय (बैंकिंग स्कन्ध)	36.94	—	36.94
	जोड़	1741.99	525.54	2267.53

1978-79 की वार्षिक योजना में रखे गए परिव्यय

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	उद्यम/स्कीम का नाम	1978-79 के लिए परिव्यय		
		बजट आवंटन	अतिरिक्त बजट संसाधन	योजना परिव्यय
1	2	3	4	5
	1 इस्पात विभाग			
1.	हिन्दुस्तान इस्पात लि०	**180.90**	—	**180.90**
1.1	भिलाई इस्पात संयंत्र	145.00		
1.2	राउरकेला इस्पात सयंत्र	29.00		
1.3	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	10.00		
1.4	मिश्र इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर	6.30		
1.5	केन्द्रीय इकाई	0.10		
2.	बोकारो इस्पात लि०	112.24	—	112.24
3.	सलेम इस्पात लि०	10.00	—	10.00
4.	विजयनगर और विशाखापट्टनम स्थित इस्पात संयंत्र	2.00	—	2.00
5.	मेकोन	0.50	—	0.50
6.	इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी	27.10	—	27.10
7.	इंडियन फायर ब्रिक्स एंड इंसुलेशन कं० लि०	—	0.01	0.01
8.	स्पांज आयरन (इंडिया) लि०	4.00	—	4.00
9.	वी० आई० एस० एल०	0.01	—	0.01
10.	महानदी जलाशय परियोजना	4.50	—	4.50
11.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	15.50	—	15.50
12.	कुद्रेमुख आयरन ओर कं०	200.00	—	200.00
13.	मैंगेनीज और (इंडिया) लि०	0.41	1.07	1.48
14.	लौह अयस्क बोर्ड	0.22	—	0.22
15.	भारत इस्पात प्राधिकरण लि०	0.05		0.05
16.	फैरर क्रोम परियोजना	0.10	—	0.10
17.	हिन्दुस्तान इस्पात कार्य निर्माण लि०	2.50	2.29	4.79
18.	अनुसंधान और विकास	3.60	—	3.60
	जोड़ :	**563.13**	**3.87**	567.00

[1] कोल्ड रोलिंग मिल संयंत्र के लिए 13 करोड़ रु० का परिव्यय शामिल है।

अनुलग्नक 11.1 (जारी)

1	2	3	4	5
	2. खान विभाग			
1.	भारत ऐल्युमीनियम कं. लि.	30.05	2.30	32.35
2.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	15.05	10.98	26.03
3.	हिन्दुस्तान कापर लि.	7.99	6.00	13.99
4.	सुकिन्दा निकल परियोजना	0.10	—	0.10
5.	भारत गोल्ड माइन्स लि.	3.60	—	3.60
6.	भारत भू सर्वेक्षण	12.21	—	12.21
7.	भारतीय खान ब्यूरो	0.56	—	0.56
8.	खनिज अन्वेषण निगम	8.80	3.25	12.05
9.	बंजर जल पूर्ति स्कीम	0.60	—	0.60
10.	विज्ञान और शिल्पविज्ञान कार्यक्रम	1.96	—	1.96
	जोड़	**80.92**	**22.53**	**103.45**
	3. कोयला विभाग			
1.	कोल इंडिया लि.	205.10	—	205.10
2.	सिंगरैनी कोलियरीज कं. लि.	16.11	—	16.11
3.	नेवेली लिग्नाइट निगम	27.53	14.49	42.02
4.	विज्ञान और शिल्प विज्ञान कार्यक्रम	3.73	—	3.73
	जोड़ :	**252.47**	**14.49**	**266.96**
	पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय			
	4. पैट्रोलियम			
1.	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	86.66	289.98	376.64
2.	आयल इंडिया लि.	2.43	32.26	34.69
3.	इंडियन आयल कार्पोरेशन लि.	40.00	95.41	135.14
4.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम निगम	—	6.67	6.67
5.	भारत पैट्रोलियम निगम लि.	—	7.29	7.29
6.	कोचीन तेल शोधक कारखाना लि.	—	0.90	0.90
7.	काल्टेक्स आयल रिफाईनिंग (इंडिया) लि.	—	3.18	3.18
8.	मद्रास तेलशोधक कारखाना लि.	—	2.00	2.0
9.	भारतीय-पैट्रो रसायन निगम लि.	17.66	12.54	30.20
10.	इंजीनियर्स (इंडिया) लि.	—	0.89	0.89
11.	इंडो-बर्मा पैट्रोलियम कं. लि.	—	2.03	2.03
12.	बाल्मेर लारी एंड कं.	—	0.93	0.93
13.	ब्रिज एंड रूफ कं. लि.	1.24	—	1.24
14.	बीको लारी	1.00	—	—
15.	केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और शिल्प विज्ञान संस्थान	0.32	—	0.32
16.	पैट्रोफिल्स कोआपरेटिव लि.	1.53	—	1.53
17.	बोंगाईगांव तेल शोधक कारखाना और पैट्रो-रसायन लि.	18.96	6.00	24.96
	जोड़	**169.80**	**460.08**	**629.88**

अनुलग्नक 11.1 (जारी)

1	2	3	4	5
		पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय		
5.	रसायन और उर्वरक			
1.	भारत उर्वरक निगम लि.	59.98	—	59.98
2.	उर्वरक और रसायन (ट्रावन्कोर) लि.	15.61	—	15-61
3.	राष्ट्रीय उर्वरक लि.	33.53	—	33.53
4.	राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लि.	80.70	—	80.70
5.	हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लि.	43·91	—	43.91
6.	उर्वरक (पी और डी) भारत लि.	1.41	—	1.41
7.	मद्रास उर्वरक लि.	—	1.76	1.76
8.	पाइराइट्स, फास्फेट्स एंड कैमिकल्स लि.	1.27	—	1.27
9.	हिन्दुस्तान ईसेक्टीसाइड्स	9.80	1.23	11.03
10.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.	3.68	2.95	6.63
11.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	5.41	—	5.41
12.	इंडियन ड्रग्ज एंड फार्मेस्युटिकल्स लि.	21.71	—	21.71
13.	बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मेस्युटिकल्स लि.	0.10	—	0.10
14.	स्मिथ स्ट्रेन स्ट्रीट कं. लि.	0.10	—	0.10
	जोड़	277.21	5.92	283.15
6.	औद्योगिक विकास विभाग			
1.	भारतीय सीमेंट निगम लि.	27.52	2.50	30.02
2.	हिन्दुस्तान कागज निगम	98.48	—	98.48
3.	राष्ट्रीय अखबारी कागज और कागज मिल	0.48	—	0.48
4.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम	21.50	—	21.50
5.	इंस्ट्रूमेन्टेशन लि.	0.65	0.25	0.90
6.	राष्ट्रीय उपकरण लि.	0.16	—	0.16
7,	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	0.83	0.35	1.18
8.	भारत आप्थेल्मिक ग्लास लि.	0.10	—	0.10
9.	टेनरी एंड फुटवीयर कार्पोरेशन	1.44	—	1.44
10.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लि.	0.56	2.00	2.56
11.	कृत्रिम अंग निर्माण कम्पनी	0.31	—	0.31
12.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	0.50	0.20	0.70
13.	पिछड़े क्षेत्रों को निवेश सहायता	15.00	—	15.00
14.	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्	0.25	—	0.25
15.	राष्टीय अभिकल्प संस्थान	0.10	—	0.10
16.	पेटेंट सूचना सेवा	0.01	—	0.01
17.	भारत चमड़ा निगम	0.58	—	0.58
18.	साध्यता अध्ययन	0.05	—	0.05
19.	विज्ञान और शिल्प विज्ञान कार्यक्रम	1.77	—	1.77
	जोड़	0.85	—	0.85
		171.14	5.30	176.44

* इसमें सूती और पटसन वस्त्रों के लिए 0.53 करोड़ रु. शामिल हैं।

अनुलग्नक 11.1 (जारी)

1 2	3	4	5
7. भारी उद्योग विभाग			
1. भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि0	56.89	—	56.89
2. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि0	5.20	6.57	11.77
3. स्कूटर्स इंडिया लि0	0.51	1.27	1.78
4. भारी इंजीनियरी निगम	3.80	0.37	4.17
5. खान और संबद्ध मशीन निगम	1.41	—	1.41
6. भारत पंप एंड कम्प्रेसर्स लि0	0.31	—	0.31
7. भारत हैवी प्लेट्स एंड वैसल्स लि0	0.89	—	0.89
8. त्रिवेणी स्टक्चरल्स लि0	0.09	—	0.09
9. रिचर्डसन एंड क्रूडास लि0	0.90	—	0.90
10. जेसप एंड कम्पनी	1.00	—	1.00
11. ब्रिटानिया इंजीनियरिंग वर्क्स	0.10	—	0.10
12. बर्न स्टेंडर्ड कम्पनी	1.10	—	1.10
13. ब्रेथवेट एंड कम्पनी इंडिया लि0	0.20	—	0.20
14. आर्थर बटलर एंड कम्पनी	0.10	—	0.10
15. इंजिनीयरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लि0	0.50	—	0.50
16. विज्ञान और शिल्प विज्ञान कार्यक्रम	1.09	—	1.09
जोड़	**74.09**	**8.21**	**82.30**
8. परमाणु ऊर्जा विभाग			
1. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	1.40	—	1.40
2. नाभिकीय ईंधन परिसर	20.28	—	20.28
3. परमाणु खनिज प्रभाग द्वारा खनन का विकास	0.13	—	0.13
4. हैवी वाटर परियोजनाएं	19.00	—	19.00
5. इंडियन रेयर अर्थ्स लि0	4.00	—	4.00
6. भारतीय इलेक्ट्रानिक्स निगम लि0	1.00	2.20	3.20
7. भारतीय यूरेनियम निगम लि0	0.46	0.63	1.09
जोड़	**46.27**	**2.83**	**49.10**
9. इलैक्ट्रानिकस विभाग			
1. अर्धचालक परिसर	3.00	—	3.00
2. इलेक्ट्रानिक्स व्यापार और शिल्प विज्ञान विकास निगम	0.50	—	0.50
3. अभिकलित्र अनुरक्षण निगम	4.00	—	4.00
4. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र	4.24	—	4.24
5. औद्योगिक इलेक्ट्रानिक्स कार्यक्रम	0.30	—	0.30
6. मुख्यालय	0.30	—	0.30
7. राष्ट्रीय यंत्रोत्तर विकास और अभिकलन तकनीक केन्द्र	0.32	—	0.32
8. क्षेत्रीय अभिकलित्र केन्द्र	1.00	—	1.00
9. मानकीकरण और परीक्षण आधारभूत व्यवस्था कार्यक्रम	1.00	—	1.00

अनुलग्नक 11.1 (जारी)

1	2	3	4
10.	विशेष कल पुर्जों और सामग्री के लिए प्रायोगिक संयंत्र	1.25	—	1.25
11.	यंत्रेत्तर और यंत्र संवर्धन कार्यक्रम	0.10	—	0.10
12.	टी0 वी0 ग्लास शैल्स	—	—	—
13.	विज्ञान और शिल्पविज्ञान कार्यक्रम—			
	(1) शिल्पविज्ञान विकास परिषद्	2.90	—	2.90
	(2) राष्ट्रीय रडार परिषद्	1.85	—	1.85
	(3) रक्षा परियोजनाएं	1.81	—	1.81
	जोड़	**22.57**	—	**22.57**
10.	**नौवहन और परिवहन मंत्रालय**			
	हिन्दुस्तान शिपयार्ड्स लि0			
(1)	चरण 1 क तक एकीकृत विकास कार्यक्रम	2.08	—	2.08
(2)	विकास कार्यक्रम चरण 1 ख और 2	1.00	—	1.00
2.	कोचीन शिपयार्ड्स—			
(1)	मूल परियोजना	9.00	—	9.00
(2)	विस्तार चरण-1	0.50	—	0.50
3.	केन्द्रीय समुद्र अभिकल्प और अनुसंधान संगठन	1.00	—	1.00
4.	जहाज निर्माण के लिए सहायता	6.97	—	6.97
5.	नए पोत प्रांगण	0.80	—	0.80
6.	अन्य योजनाएं	0.95	—	0.95
	जोड़	**22.30**	—	**22.30**
	वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय			
11.	वाणिज्य विभाग			
1.	प्रायोगिक परीक्षण शाला, बंबई	0.05	—	0.05
2.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	1.00	—	1.00
3.	सांताक्रूज इलेक्ट्रानिक्स निर्यात प्रक्रमण क्षेत्र, बंबई	0.41	—	0.41
	बागान	11.75	2.29	14.04
	जोड़ :	**13.21**	**2.29**	**15.50**
	वाणिज्य, नागरिक, पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय			
12.	नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग			
1.	भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी समिति लि0— फूलपुर परियोजना	4.70	—	4.70
2.	मीट्रिक प्रणाली की माप तोल का कार्यान्ययन	0.42	—	0.42
3.	भारतीय मानक संस्था	0.55	—	0.55
	जोड़	5.67	—	5.67
13.	**वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)**			
1.	ऐल्केलाइड परियोजना, नीमच	0.18	—	0.18
2.	चीरे हुए पोस्ते की डोंडी से ऐल्केलाइड निकालने के लिए परियोजना	1.00	—	1.00
	जोड़	**1.18**	—	**1.18**

अनुलग्नक—11.1 (जारी)

1	2	3	4	5
14.	वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)			
1.	भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक--			
(1)	स्टैंप प्रेस का विस्तार और आधुनिकीकरण	0.50	—	0.50
(2)	करेंसी नोट प्रेस का विस्तार और आधुनिकीकरण	0.60	—	0.60
(3)	आवास स्कीम	0.30	—	0.30
	जोड़	**1.40**	—	**1.40**
2.	बैंक नोट प्रैस, देवास--			
(1)	मुख्य परियोजना	0.67	—	0.67
(2)	विस्तार स्कीम	0.27	—	2.27
(3)	आवास स्कीम	0.20	—	0.20
	जोड़	**1.14**	—	**1.14**
3.	भारत सरकार टकसाल-आवास स्कीम	**0.55**	—	0.55
4.	सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद आधुनिकीकरण	2.00	—	2.00
	जोड़	**5.09**	—	**5.09**
15.	वित्त मंत्रालय (बैंकिंग स्कंध) :			
1.	निम्नलिखित के लिए धनराशि का अनिवार्य अंतरण			
(क)	अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ऋण	20.00	—	20.00
(ख)	के० एफ० डब्ल्यू० ऋण	1.94	—	1.94
2.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का विस्तार	10.00	—	10.00
3.	भारतीय औद्योगिक पुनर्वित्त निगम की शेयर पूंजी का विस्तार	5.00	—	5.00
	जोड़	36.94	—	**36.94**
	कुल जोड़	**1741.99**	**525.54**	**2267.53**

अनुलग्नक 11-2

1978-79 की वार्षिक योजना में बड़े और मझौले उद्योग तथा खनिज विकास के लिए परिव्यय

(करोड़ रु०)

क्र० सं०	राज्य	बड़े और मझौले उद्योग	खनिज विकास
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5.95	3.24
2.	असम	1.26	0.60
3.	बिहार	8.01	1.00
4.	गुजरात	7.80	1.50
5.	हरियाणा	1.00	0.07
6.	हिमाचल प्रदेश]	1.11	0.10
7.	जम्मू और कश्मीर	2.95	0.50
8.	कर्नाटक	7.13	0.15
9.	केरल	12.25	0.20
10.	मध्य प्रदेश	4.39	1.13
11.	महाराष्ट्र	22.57	0.35
12.	मणिपुर	0.54	0.05
13.	मेघालय	1.50	0.20
14.	नागालैंड	0.32	0.50
15.	उड़ीसा	1.30	1.60
16.	पंजाब	8.25	0.05
17.	राजस्थान	3.49	2.83
18.	सिक्किम	0.44	0.19
19.	तमिलनाडु	7.81	0.45
20.	त्रिपुरा	0.08	0.02
21.	उत्तर प्रदेश	19.52	1.60
22.	पश्चिम बंगाल	10.15	0.25
	योड़—राज्य	**127.82**	**16.58**

अनुलग्नक 11.2

1	2	3	4
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.01	—
2.	मिजोरम	0.03	—
3.	गोआ, दमण और दीव	0.61	0.04
4.	दिल्ली	0.15	0.35
5.	चंडीगढ़	0.08	—
6.	पांडिचेरी	0.30	—
	जोड़—(संघ राज्य क्षेत्र)	**1.18**	**0.39**
	जोड़—(राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	**129.00**	**16.79**

1976-77 से 1978-79 तक के चुने हुए उद्योगों की क्षमता और उत्पादन

क्रम सं०	उद्योग	इकाई	1976-77		1977-78		1978-79	
			क्षमता (वास्तविक)	उत्पादन	क्षमता (प्रत्याशित)	उत्पादन	क्षमता (लक्ष्य)	उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**खनन**							
	1) कोयला	दस लाख टन	—	101	—	100.9	—	113.5
	2) लिग्नाइट	,,	—	4.02	—	3.6	—	4.2
	3) कच्चा तेल	,,	—	8.9	—	10.77	—	12.8
	4) लौह अयस्क	,,	—	42.2	—	41.0	—	39
2.	**मूल धातुएं**							
	1) बिक्री के लिए कच्चा लोहा	,,	2.02	2.05	2.46	1.64	2.02	1.68
	2) इस्पात पिंड (एकीकृत संयंत्र)	,,	10.18	8.66	10.60	8.63	11.40	9.97
	3) बिक्री के योग्य मृदु इस्पात (-वही-)	,,	7.75	6.92	8.09	6.89	8.73	7.68
	4) मिश्र और विशेष इस्पात	000 टन	650	460	675	540	700	570
	5) एल्यूमीनियम	,,	250	208.7	275	178.5	325	200
	6) तांबा	,,	57.5	23.7	47.5	21.0	47.6	23.8
	7) जस्ता	,,	38	27	95	43.1	95	71.0
	8) सीसा	,,	8	6.2	10	7.5	14	13.0
3.	**धातु उत्पादन**							
	1) इस्पात संचक	,,	169	63	170	65	176	70
	2) इस्पात फोर्जिंग	,,	204	93	204	90	210	100
4.	**अधात्विक खनिज उत्पाद**							
	1) सीमेंट	दस लाख टन	21.63	18.8	21.9	19.3	22.0	21.0
	2) रिफ्रेक्ट्रीज	000 टन	1500	788	1500	790	1520	840
5.	**पैट्रोलियम उत्पादन (चिकनाई सहित)**	दस लाख टन	24.9	21.6	24.9	23.16	27.89	25.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	**मूल रसायन**							
	1) सल्फरिक एसिड	000 टन		1802	3177	2076	3650	2300
	2) कास्टिक सोडा	,,	694	505.5	700	521.1	755	610.0
	3) सोडा ऐश	,,	632.6	568.2	632.6	572.5	773	620.0
	4) मेथानोल	,,	44.1	35	44.1	46	44.1	46
	5) औद्योगिक आक्सीजन	दस लाख घन मीटर	105	73	110.7	74	120	80
7.	**कृषि रसायन**							
	1) उर्वरक (एन.)	'000 टन	2988	1900	3028	2000	3854	2250
	2) उर्वरक ($पी_2 ओ_5$)	,,	801	480	915	670	1080	750
	3) रोगाणुनाशक	,,	49.9	35.8	61.3	42.6	61.3	47.0
	4) बी. एच. सी.	,,	28.9	24.6	31.9	28.5	34.9	31
	5) डी.डी टी.	,,	4.2	4.5	4.2	4.2	4.2	4.4
8.	**तापीय प्लास्टिक और कृत्रिम रबड**							
	1) एल. डी. पोलिथिलीन	,,	33	26	33	19.1	113	45
	2) एच. डी. पोलिथिलीन	,,	20	24.9	30	25.6	30	27
	3)पी. वी. सी.	,,	65.4	46.7	65.4	59.0	77.8	60
	4) पोलिस्ट्रीन	,,	17.5	13.4	17.5	13.0	17.5	17.5
	5. पालिप्रोपिलोन	,,	—	—	—	—	30	7
	6) कृत्रिम रबड़	,,	30	23.2	30	28.3	50	35
9.	**कृत्रिम तंतु और माध्यक**							
	1) डी.एम.टी	,,	24	24.1	24	25.6	24	26
	2) कैप्रोलेक्टम	,,	20	17	20	15.8	20	18
	3) विस्कोस रेशा तंतु	,,	43	41.1	43	42.0	43	42
	4) विस्कोस फिलामेंट सूत	,,	89	83.9	89	85	97.6	90
	5) विस्कोस टायर धागे	,,	21	17.1	21	17.2	21	18
	6) नाइलन फिलामेंट सूत	,,	16.5	15.9	18	16.6	20	20
	7) नाइलन टायर धागे और अन्य औद्योगिक सूत	,,	7.9	6.0	7.9	6.5	7.9	7.0
	8) पोलिएस्टर फिलामेंट रेशे और रेशा तंतु	,,	28.0	22.9	28.0	23.5	28.0	26.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	**औषधियां और भेषज**							
	1) एंटिबायटिक पेसिलोन	एम एम यू	364	273.16	364	312.28	364	327
	2) स्ट्रैप्ट्रोमाइसीन	टन	257	214.85	257	199.92	257	230
	3) मधुमेह निरोधी दवाइया (इन्सूलनि)	एम एम यू	1500	1024	1500	1352	1500	1275
	4) पेचिश निरोधी दवाइयां	टन	568.8	207	718.7	171.4	710	381.7
	5) कोढ़ निरोधी दवाइयां	,,	26	18	26	17	26	20
	6) मलेरिया निरोधी दवाइयां	,,	179.1	87	207	*89	207	98
	7) क्षयरोग निरोधी औषधिया		1697.16	767.15	1766	645	1408	956
	8) विटामिन ए एम एम यू		45	43.21	45	50.19	60	51
11.	**खाद्य सामग्री**							
	1) चीनी	दस लाख टन	4.99	4.8	5.6	6.47	6.0	5.5
	2) वनस्पति	'000 टन	1291	540.5	1291	572.2	1306	600
12.	**वस्त्र$**							
	1) सूती धागे (मिश्रत रेशे सहित)	दस लाख कि.ग्रा.	19.7	1076.1	19.8	1057.5	20	1140
	2) सूती कपड़ा (मिल क्षेत्र)	दस लाख मीटर	2.07	4129.2	2.08	4162.4	2.08	4200
	3) सूती कपड़ा (विकेन्द्रित क्षेत्र)	,,		4288	—	4100	—	4400
	4) जूट उत्पादन	000 टन	1300	1186	1400	1178	1400	1200
	5) कृत्रिम रेशम के रेशे	दस लाख मीटर		1200		1350		1400
13.	**कागज और कागज से बना सामान**							
	1) कागज और गत्ता	'000 टन	1137	898.7	1260	965	1320	1030
	2) अखबारी कागज	,,	75	58	75	56	75	60
14.	**चमड़े और रबड़ का सामान**							
	1) चमड़ के जूते	दस लाख जोडे	23	16	23	13.7	23	15
	2) रबड़ के जूते	,,	58	42.4	57	43	57	45
	3) साइकिल टायर (संगठित क्षेत्र)	दस लाख संख्या	32.4	22.9	32.4	28.3	32.4	30
	4) आटोबाइल टायर	,,	7.13	6.25	7.93	6.2	9.0	6.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	अन्य उपभोक्ता सामान							
	1) साबुन (संगठित क्षेत्र)	000 टन	226	281.2	233	305.5	240	300
	2) कृत्रिम डिटरजेंट्स (संगठित क्षेत्र)	,,	155	87.4	210	107.1	240	115
16.	औद्योगिक मशीनें							
	1) मशीन औजार	करोड़ रु.	153	116.3	153	102.7	160	120
	2) खनन का मशीनें (कोयले की मशीनों सहित)	,,	42	15.41	42	15.40	42	18
	3) धातु कर्म से संबंधित मशीनें (इस्पात संयंत्र उपकरण सहित)	,,	—	52.6	—	28.8	—	50
	4) सीमेंट की मशीनें	,,	—	12.3	—	22.6	—	24.5
	5) रसायन और मषज की मशीनें	,,	84	71.51	84	69.54	90	75
	6) चीनी की मशीनों	,,		40.12		51.32		55
	7) रबड़ की मशीनें	,,	14	10.32	14	6.08	14	8.05
	8) कागज और लुगदी की मशीनें	,,	35.7	15.19	35.7	12.9	36	18
	9) छपाई की मशीनें	,,	5.75	2.95	7.0	3.29	7	4.5
	10) सूती वस्त्र उद्योग की मशीनें	,,	213	148.5	213	136.5	220	150
	11) बायलर (विद्युत् और औद्योगिक)	,,		159		204.1		220
17.	बिजली विद्युत् उपस्कर							
	1) वाष्प टर्बाइन	दस लाख कि.ग्रा.	2.7	1.02	2.7	1.61	2.7	2.11
	2) पन-बिजली टर्बाइन	,,	1.4	1.04	1.4	0.88	1.4	0.78
	3) ट्रांसफारमर	दस लाख कि. वी. ए.	22.2	15.1	22.2	15.6	22.2	19.0
	4) मोटर	दस लाख अश्व शक्ति	5.2	3.8	6.2	4.0	6.2	4.3
18.	निर्माण कार्य की मशीनें							
	1) ग्रालर ट्रेक्टर	संख्या	650	438	650	300	650	350
	2) डंपर और स्केपर	,,	790	320	790	300	790	330
	3) रोड रोलर	,,	1800	187	1800	708	1000	750
19.	कृषि की मशीनें							
	1) ट्रेक्टर	हजार संख्या	47.15	33.2	52	41	52	42
20.	रेल और जल परिवहन							
	1. डीजल लोकोमोटिव	संख्या	150	110	150	142	150	150
	2. इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव	,,	80	55	80	59	80	60
	3. सवारी के डीब्बे	,,	1500	750	1500	850	1500	1000
	4. माल के डिब्बे	हजार ,,	22.5	12	22.5	12.2	22.5	13.0
	5. जहाज निर्माण	हजार जी0 आर0 टी0	80	37.5	80	66.4	80	66.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	**सड़क परिवहन**							
	1. वाणिज्यिक वाहन	हजार संख्या	73	46.4	73	41.08	75	60.0
	2. यात्री मोटर कारें	,,	48.4	36.5	48.4	33.8	48.4	40
	3. जीपें	,,	13	8.4	13	9.15	13	10
	4. स्कूटर, मोटर साइकिलें और मोपेड	,,	450	262.5	450	263	450	310
	5. साइकिलें (संगठित क्षेत्र)	दस लाख संख्या	3.7	2.68	3.7	3.18	3.7	3.5
22.	**मशीनों के संघटक और आम उपयोग का टिकाऊ सामान**							
	1. बाल और रोलर बेयरिंग	दस लाख संख्या	39	28.0	39	26.2	40.5	32
	2. टाइपराइटर	हजार संख्या	90.8	61.2	90.8	65.3	90.8	70.5
	3. सिलाई की मशीनें (संगठित क्षेत्र)	,,	530	385.3	530	364.1	530	390
23.	**बिजली के संघटक और आम उपयोग का टिकाऊ सामान**							
	1. कंडक्टर (ए० सी० एम० आर० आर० एस०)	हजार टन	113.12	84.2	113.12	57.3	113.12	84
	2. तार (पी० बी० सी० और वी० आई० आर०)	दस लाख से.मी.	1281	494	1281	492	1281	550
	3. ड्राई सेल	दस लाख संख्या	1291	616	1291	647.3	1291	675
	4. स्टोरेज बैटरी	दस लाख संख्या	2.46	1.37	2.46	1.47	2.46	1.6
	5. जी० एल० एस० लैम्प	,,	153.1	161.0	219	169.5	220	195
	6. फलूरोसेंट ट्यूब	,,	16.52	16.8	18	18.7	22.0	20.2
	7. बिजली के पंखे		2.99	2.64	3.8	3.4	4.2	3.8

$मेसर्स थोमिस के उत्पादन को छोड़कर

औषधि उत्पादन के आंकड़े (1976-77) कैलेंडर वर्ष से संबंधित है

मिल तकुओं की क्षमता, उत्पादन : मिल कि. ग्रा.

लाख करघा क्षमता, उत्पादन : मिटर ये आंकड़े चीनी-वर्ष से संबंधित है।

@ यह आंकड़े चीनी वर्ष से सम्बन्धित हैं।

अनुलग्नक 12.1

परिवहन और संचार के लिए परिव्यय 1978-79

(करोड़ रु०)

	1977-78 प्रत्याशित व्यय	1978-79 परिव्यय
रेलवे		
केन्द्र	480.00	535.30
सड़कें		
केन्द्र	94.14	103.87
केन्द्रीय प्रायोजित	274.91	310.73
राज्य	23.53	22.67
संघ राज्य क्षेत्र	**392.58**	**437.27**
जोड़		
सड़क परिवहन	3.20	5.55
केन्द्र	102.84	109.30
राज्य	0.74	0.98
संघ राज्य क्षेत्र	**106.78**	**115.83**
जोड़		
बड़े पत्तन	**78.07**	**91.00**
केन्द्र		
छोटे पत्तन	2.16	
केन्द्र	1.48	2.83
केन्द्रीय प्रायोजित	4.22	4.67
राज्य	0.40	1.30
संघ राज्य क्षेत्र	**8.26**	**8.87**
जोड़		
नौवहन	93.16	97.61
केन्द्र	0.57	1.11
संघ राज्य क्षेत्र	**93.75**	**98.72**
जोड़		
अंतर्देशीय जल परिवहन	1.15	0.88
केन्द्र	1.34	2.12
केन्द्रीय प्रायोजित	0.97	1.12
राज्य	0.59	0.27
संघ राज्य क्षेत्र	4.05	4.39
जोड़	2.80	2.75

अनुलग्नक 12.1 (जारी)

1	2	3	4
प्रकाश स्तंभ			
	केन्द्र	**4.98**	**7.00**
फरक्का बराज			
	केन्द्र	72.41	82.02
नागर वायु परिवहन		0.41	0.25
	केन्द्र	0.03	0.23
	राज्य	**72.85**	**82.50**
	संघ राज्य क्षेत्र	**10.36**	**15.76**
	जोड़		
मौसम विज्ञान		6.92	5.48
पर्यटन		10.13	10.97
	केन्द्र	**0.85**	2.17
	राज्य	**17.90**	**18.62**
	संघ राज्य क्षेत्र		
	जोड़		
संचार		**307.21**	**355.10**
	केन्द्र		
प्रसारण		**18.32**	**21.12**
	केन्द्र		
जोड़ : परिवहन और संचार			
	केन्द्र	1117.73	1328.36
	केन्द्रीय प्रायोजित		
	राज्य	393.48	437.04
	संघ राज्य क्षेत्र	26.71	28.83
	जोड़	**1597.92**	**1794.23**

अनुलग्नक—13.1

1977-78 की वार्षिक योजना में शिक्षा पर उप शीर्षवार अनुमोदित परिव्यय और प्रत्याशित व्यय

(करोड़ रु०)

उप-शीर्ष	अनुमोदित परिव्यय			प्रत्याशित परिव्यय		
	केन्द्र	राज्य	जोड़	केन्द्र	राज्य	जोड़
1. प्रारंभिक शिक्षा	*	99.99	99.99	3.52	115.30	118.82
2. माध्यमिक शिक्षा	4.35	65·29	69.64	0.80	58.75	59.55
3. विश्वविद्यालयीन शिक्षा	40.50	21.29	61.79	40.75	23.98	64.73
4. प्रौढ़ शिक्षा	2.00	2.26	4.26	1.95	1.61	3.56
5. खेल-कूद और युवक कल्याण	4.61	6.74	11.35	4.36	7.85	12.21
6. अन्य कार्यक्रम	11.63	4.56	16.19	11.77	6.45	18.22
7. उप-जोड़ सामान्य शिक्षा	**63.09**	**200.13**	**263.22**	**63.15**	**213.94**	**277.09**
8. कला और संस्कृति	5.84	4.93	10.77	6.74	5.20	10.94
9. तकनीकी शिक्षा	22.59	13.37	35.96	23.82	12.53	36.3
10. जोड़—शिक्षा	**91.52**	**218.43**	**309.95**	**92.71**	**231.67**	**324.38**

*माध्यमिक शिक्षा में सम्मिलित हैं।

अनुलग्नक 13.2

1977-78 के प्रारंभिक कक्षा में नामांकन

(नामांकन लाख में)

कक्षाएं/आयु-वर्ग	1977-78 (स्थिति)					
	लक्ष्य			संभावित उपलब्धियां		
	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां
1. प्राथमिक कक्षाएं 1-5 आयु-वर्ग 6-10	714.92	434 09	280.83	709.56	437.65	271.91
2. मिडिल कक्षाएं 6-8 आयु-वर्ग 11-14	185.26	125.14	60.12	182.31	121.87	60.44
3. प्रारंभिक कक्षाएं 1-8 आयु-वर्ग 6-14	900.18	559.23	340.95	891.87	559.52	332.35

अनुलग्नक 13.3

1978-79 के प्रारंभिक कक्षा में नामांकन

(नामांकन लाख में)

कक्षाएं/आयु-वर्ग	1978-79-लक्ष्य					
	वृद्धि			स्थिति		
	कुल जोड़	लड़के	लड़कियां	लकु जोड़	लड़के	लड़कियां
1. प्रारंभिक कक्षाएं 1-5 आयु वर्ग 6-10	26.41	12.92	13.49	735.97	450.57	285.40
				(87)	(104)	(69)
2. मिडिल कक्षाएं 6-6 आयु वर्ग 11-14	12.00	6.08	5.92	194.31	127.95	66.36
				(41)	(52)	(29)
3. प्रारंभिक कक्षाएं 1-8 आयु वर्ग 6-14	38.41	19.00	19.41	930.28	578.52	351.76
				(70)	(85)	(55)

(कोष्टकों में दिए गए आंकड़े संबंधित आयु वर्ग की कुल जनसंख्या में नामांकन के प्रतिशत के सूचक हैं)।

अनुलग्नक 14.1

वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों का विवरण

मद	इकाई	1977-78 लक्ष्य (वृद्धि)	1977-78 प्रत्याशित उपलब्धियाँ (वृद्धि)	1978-79 लक्ष्य (वृद्धि)
1	2	3	4	5
1. **न्यनतम आवश्यकता कार्यक्रम**				
1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	86	54	36
2. उप-केन्द्र	,,	2814	664@	1817
3. ग्रामीण अस्पताल	,,	69	82	97
2. **चिकित्सा शिक्षा**				
1. मेडिकल कालेज	;,	—	—	—
2. वार्षिक दाखिला	('000)	—	0.05	—
3. **जनशक्ति**				
1. डाक्टर	('000)	8	8	8
2. नर्सें	('006)	5	5	5
4. **संक्रामक रोग**				
(क) **सूत्र कृमि रोग नियंत्रण**				
(1) नियन्त्रण इकाइयां	संख्या	26	6	5
(2) सर्वेक्षण इकाइयां	,,			
(3) सूत्र कृमि उपचारालय	,,	14	5	14
(4) ग्रामीण सूत्र कृमि रोग नियंत्रण	,,	51	16	3
		3 जिले (आंध्र प्रदेश, गुजरात और उ. प्र. में एक-एक)	3 जिले) आंध्र प्रदेश गुजरात और उ. प्र. में एक-एक)	
(ख) **राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम**				
(1) प्रारम्भिक टीके लगाना	(दस लाख)	30.38	16.74	31.34
(2) दुबारा टीके लगाना	,,	—	34.15	—
(ग) **कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम**				
(1) नियन्त्रण इकाइयां	संख्या	12	6	8
(2) उन्नत इकाइयां	,,	8	1	9
(3) एस. ई. टी. केन्द्र	,.	1500	1235	800
(4) शहरी कुष्ठ रोग केन्द्र	,,	200	115	31
(5) पुनर्निर्माण सर्वेक्षण इकाइयां	,,	20	8	4
(6) सहायक चिकित्सा कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र	,.	4	2	2
(7) अस्थाई चिकित्सालय आश्रयण वार्ड	,,	80	40	20

अनुलग्नक 14.1 (जारी)

1	2	3	4	5
(घ) क्षयरोग				
(1) जिला क्षय रोग केन्द्र	संख्या	25	4	उपलब्ध नहीं
(2) प्रदर्शन प्रशिक्षण केन्द्र	,,	—	—	,,
(ङ) हैजा नियन्त्रण कार्यक्रम	,,			
हैजा रोकथाम दल	,,	5	6	8
(च) रोहा नियंत्रण कार्यक्रम				
खंड/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	,,	484	347	शून्य
(छ) अंधेपन की रोकथाम कार्यक्रम				
(1) चलती-फिरती इकाइयां	,,	15	15	15
(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	,,	700	700	400
(3) जिला अस्पताल	,,	100	100	50
(4) मेडीकल कालेज	,,	8	8	9
(5) क्षेत्रीय संस्थान	,,	6	4£	2
(6) राष्ट्रीय संस्थान	,,	1	1	—

@ 30 सितम्बर, 1977 तक

* 303 लाख चेचक के टीके पहली बार लगाए जाने के साथ-साथ चेचक का एक भी मामला न होने देना।

£ 1977-78 में सहायता के लिए पता लगाए गए 6 संस्थानों में से केवल 4 को सहायता दी जा सकी, और बाकी 2 को 1978-79 में सहायता दी जाएगी।

अनुलग्नक 14.2

1978-79 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र परिव्यय

(करोड़ रु.)

क्र० सं०	कार्यक्रम	पूर्णतः केंद्रीय	केन्द्रीय प्रायोजित	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	जोड़
	1	2	3	6	5
1,	ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र (परिशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता स्कीम, चिकित्सा शिक्षा में परिवर्तन के जरिए ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और बहु-उद्देश्यीय कार्यकर्त्ताओं की स्कीमें शामिल हैं)	—	31.57	39.72	71.29
2.	अस्पताल और औषधालय	7.48	—	39.68	47.16
3.	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान	8.48	—	29.00	37.48
4.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.02	0.03	1.84	1.98
5.	संचरणीय रोगों का नियंत्रण/उन्मूलन	1.13	91.44	9.13	101.70
6	भारतीय चिकित्सा पद्धतियां और होम्योपेथी	3.64	0.65	7.27	11.56
7.	अन्य कार्यक्रम	1.22	0.81	6.02	8.06
8.	कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम	—	—	2.39	2.39
	जोड़	**21.98**	**124.50**	**135.05**	**281.53**

अनुलग्नक 14.3

1978-79 के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए स्कीमवार परिव्यय

(लाख रु०)

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	स्वीकृत परिव्यय
1	2	3
1.	**ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम**	
1.	बहु-उद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और उनको रोजगार	509.15
2.	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा स्कीम (के.स्वा.का. स्कीम)	2160.39
3.	चिकित्सा शिक्षाओं का पुन: अभिविन्यास और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार	487.60
	जोड़	**3157.14**
2.	**प्रशिक्षण कार्यक्रम**	
4.	भौतिक चिकित्सकों का प्रशिक्षण	3.00
	जोड़	**3.00**
3.	**संचरणीय रोगों पर नियंत्रण उन्मूलन**	
5.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण)	7402.75
6.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (शहरी)	450.00
7.	राष्ट्रीय चेक उन्मूलर कार्यक्रमईपीआई	700.00
8.	कुष्ठ रोग	200.00
9.	क्षय रोग	8.50
10.	रतिज रोग	30.00
11.	हैजा	
12.	रोहे सहित दृष्टिक्षीणता और अंधेपन को रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्कीम	237.25
13.	मूत्र कृमि नियंत्रण कार्यक्रम	115.00
	जोड़	**9143.50**
4.	**भारतीय चिकित्सा पद्धति**	
14.	स्नातकोत्तर विभागों को सहायता (भा.चि.प.)	**40.00**
15.	भारतीय चिकित्सा पद्धति फार्मेसियों की स्थापना	**25.00**
	जोड़	**65.00**
5.	**अन्य कार्यक्रम**	
16.	विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं	15.00
17.	सम्मिलित खाद्य और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं और क्षेत्रीय खाद्य प्रोगशालाएं	60.00
18.	मनोचिकित्सा उपचारालयों की स्थापना	6.00
	जोड़	**81.00**
	कुल जोड़	**12,449.64**

अनुलग्नक 14.4

1978-79 के लिए केंद्रीय स्कीमों के लिए स्कीमवार परिव्यय

(लाख रु०)

क्र०सं०	स्कीम का नाम	स्वीकृत परिव्यय
1	2	3
	अस्पताल और औषधालय	
1.	राम मनोहर लोहिया अस्पताल	40.00
2,	सफदरजंग अस्पताल का विस्तार	40.00
3.	केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची (सी०आई०पी० रांची)	7.50
4.	केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य स्कीम	400.00
5.	स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	42.00
6.	एक-तिहाई के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना	10.00
7.	अखिल भारतीय संभाषण और श्रवण संस्थान, मैसूर	7.50
8.	अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, बंबई	9.28
9.	केसर अनुसंधान और उपचार	115.00
10.	पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्कीम	12.05
11.	अधिविशिष्टताओं के विकास	64.43
	जोड़	**747.76**
2.	**चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान**	
12.	राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय, नई दिल्ली	3.00
13.	सुचेता कृपलानी मेडीकल कालेज और अस्पताल, नई दिल्ली	36.00
14.	दिल्ली विश्वविद्यालय मेडिकल कालेज	1.00
15.	कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली	15.00
16.	कस्तूरबा मेडिकल कालेज को अनुदान	40.00
17.	मेरठ मेडिकल कालेज को सहायता	25.00
18.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	35.00
19.	डा० राजेंद्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा केंद्र	12.00
20.	स्नातकोत्तर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़	25.00
21.	जवाहर लाल संस्थान पांडिचेरी	31.00
22.	स्नातकोत्तर छात्रों को वृत्तिकाएं	10.00
23.	वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान, दिल्ली	10.00
24.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर	29.50
25.	क्षेत्रीय कार्यशालाओं की स्थापना	6.00
26.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् को अनुदान	535.60
27.	अन्य अनुसंधानों के लिए अनुदान	6.00
28.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड	6.00
	जोड़ :	**848.10**

अनुलग्नक 14.4 (जारी)

1	2	3
	3. प्रशिक्षण कार्यक्रम	
29.	राजकुमारी अमृतकौर नर्सिंग कालेज	2.25
	जोड़	**2.25**
	4. संचरणीय रोगों का नियंत्रण/उनका उन्मूलन	
30.	राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान, बंगलौर	4.00
31.	बी.सी.डी. टीका प्रयोगशाला, गुइडी	12.00
32.	रतिज रोगों के प्रशिक्षार्थियों को वृत्तिकाएं	1.00
33.	अंधेपन की रोकथाम—डा. राजेन्द्र प्रसाद संस्था को बढ़ाना	25.00
34.	सी.एल.टी.आर.आई., चिंगलपुट	6.80
35.	पाश्चर संस्थान, कुन्नूर	40.00
36.	राष्ट्रीय संचरणीय रोग संस्थान, दिल्ली	18.00
37.	क्षेत्रीय कुष्ठ रोग संस्थान, आस्का	6.56
	जोड़	**113.36**
	5. भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी	
38.	देशी चिकित्सा पद्धति	315.00*
39.	भारतीय चिकित्सा पद्धति की नई स्कीमें	10.00
40.	होम्योपैथी	39.15
	जोड़	**364.15**
	6. अन्य कार्यक्रम	
41.	विटामिनों और खनिजों का साध्यता परीक्षण, मोटे अनाज का सुरक्षण	1.03
42.	स्वास्थ्य शिक्षा	3.28
43.	गोयटर	12.90
44.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	32.10
45.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में अलग प्रशिक्षण और अनुसंधान स्कंध	12.79
46.	क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, सजफगढ़	4.67
47.	अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता	9.87
48.	औषधि मानकीकरण नियंत्रण	28.00
49.	खाद्य-मिलावट की रोकथाम	13.00
50.	स्वास्थ्य आसूचना	3.52
51.	सेरिओलोजिस्ट और रसायन परीक्षक, कलकत्ता	1.50
	जोड़	**122.66**
	कुल जोड़	**2198.28**

*बाद में, समायोजन द्वारा 7.14 लाख रु. की वृद्धि के लिए सममति दे दी गई थी, इशर्ते कि जोड़ वही अर्थात् 2198.28 लाख रु. ही बना रहे।

अनुलग्नक 14.5

स्वास्थ्य क्षेत्र में परिव्यय—राज्य और संघ राज्य क्षेत्र—1978-79

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	न्यूनतम आवश्यकता कुल कार्यक्रम	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अलावा	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5.57	1.73	3.84
2.	असम	3.80	2.05	1.75
3.	बिहार	11.00	5.11	5.89
4.	गुजरात	3.71	1.11	2.60
5.	हरियाणा	4.66	0.43	4.23
6.	हिमाचल प्रदेश	1.76	0.56	1.20
7.	जम्मू और काश्मीर	6.40	0.65	5.75
8.	कर्नाटक	6.00	2.68	3.32
9.	केरल	3.70	0.88	2.82
10.	मध्य प्रदेश	8.85*	2.30	6.55
11.	महाराष्ट्र	18.67	6.47	12.20
12.	मणिपुर	0.98	0.44	0.54
13.	मेघालय	0.67	0.24	0.43
14.	नागालैंड	0.79	0.19	0.60
15.	उड़ीसा	3.68	1.64	2.04
16.	पंजाब	7.02	0.97	6.05
17.	राजस्थान	7.08	1.48	5.60
18.	सिक्कम	0.71	0.34	0.37
19.	तमिलनाडु	6.25	0.51	5.74
20.	त्रिपुरा	0.90	0.43	0.47
21.	उत्तर प्रदेश	10.65	4.34	6.31
22.	पश्चिम बंगाल	9.50	4.20	83.60
	जोड़—राज्य	**122.35**	**38.75**	**83.60**

अनुलग्नक 14.5 (जारी)

1	2	3	4	5
	संघ राज्य क्षेत्र			
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.20	0.03	0.17
24.	अरुणाचल प्रदेश	0.71	0.37	0.34
25.	चंडीगढ़	0.57	0.07	0.50
26.	दादरा और नगर हवेली	0.06	0.05	0.01
27.	दिल्ली	7.91	0.03	7.88
28.	गोआ, दमण और दीव	1.85	0.15	1.70
29.	लक्षद्वीप	0.09	0.03	0.06
30.	मिजोरम	0.85	0.18	0.67
31.	पांडिचेरी	0.46	0.06	0.40
	जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	**12.70**	**0.97**	**11.73**
	कुल जोड़	**135.05**	**39.72**	**95.33**

*इसमें 1 करोड़ रु. का अतिरिक्त परिव्यय सम्मिलित है जिसके लिए उपाध्यक्ष द्वारा की गई अंतिम बैठक में सहमति दी गई थी ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

(लाख रु०)

स्कीम	परिव्यय 1978-79
1	2
1. सेवाएं और पूर्ति	
1. ग्रामीण और शहरी परिवार कल्याण केन्द्र। परिवार कल्याण उप केन्द्र	4395.00
2. परिवार कल्याण ब्यूरो	575.00
3. लूप लगवाने और स्वेच्छा से नसबंदी कराने के लिए उसकी प्रतिपूर्ति	1500.00
4. प्रसवोत्तर कार्यक्रम	590.00
5. परिवहन	345.00
6. अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के कार्यक्रम	127.00
7. परम्परागत निरोधक (हिन्दुस्तान लेटेक्स सहित)	581.00
8. लूपों और खाने की गोलियों की प्राप्ति	36.60
9. स्वेच्छा से नसबंदी की सुविधाओं की व्यवस्था	252.35
उप-जोड़ (सेवाएं और पूर्ति)	**8401.96**
2. प्रशिक्षण	**747.00**
3. जन शिक्षा	**500.00**
4. अनुसंधान और मूल्यांकन	
1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और आई.पी.एस. सहित जनांकिकीय और संचार अनुसंधान, बंबई	185.50
2. जैव औषधियां	31.00
3. आई.यू.एस.एस.पी. और यू.एन.एफ.पी.ए. को अंशदान	18.93
उप जोड़ (अनुसंधान मूल्यांकनन)	**235.43**
5. भारत जन संख्या परियोजना	**371.00**
6. प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य	
1. प्रतिरक्षण कार्यक्रम	145.00
2. रोग निरोधन की स्कीमें	280.00
उप जोड़	**425.00**
7. संगठन	**266.00**
8. नई स्कीमें	**226.00**
कुल जोड़	**11172.39**

अनुलग्नक 15.1

शहरी विकास के अंतर्गत व्यय और परिव्यय—राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और केन्द्रीय क्षेत्र—(1977-78 और 1978-79)

(लाख रु०)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1977-78 प्रत्याशित		1978-79 अनुमोदित परिव्यय	
		जोड़	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	जोड़	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	239	89	296	100
2.	असम	23	5	24	*
3.	बिहार	82	35	90	35
4.	गुजरात	284	25	325	30
5.	हरियाणा	30	*	305	*
6.	हिमाचल प्रदेश	28	4	32	4
7.	जम्मू और कश्मीर	117	35	190	23
8.	कर्नाटक	41	50	155	100
9.	केरल	140	7	150	10
10.	मध्य प्रदेश	160	45	175	45
11.	महाराष्ट्र	795	280	740	270
12.	मणिपुर	6	2	6	2
13.	मेघालय	10	2	10	5
14.	नागालैंड	20	—	75	—
15.	उड़ीसा	15	10	15	12
16.	पंजाब	700	27	671	—
17.	राजस्थान	62	26	104	30
18.	सिक्किम	12	—	13	—
19.	तमिलनाडु	563	200	675	200
20.	त्रिपुरा	12	3	25	5
21.	उत्तर प्रदेश	160	40	170	40
22.	पश्चिम बंगाल	470	290	471	170
	जोड़—सभी राज्य	4169	1175	4717	1086

अनुलग्नक 6.8 (जारी)

1 2	3	4	5	6
संघ राज्य क्षेत्र				
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	@	—	@	—
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
3. चंडीगढ़	19.84	—	48.00	—
4. दादरा और नगर हवेली	0.10	—	0.15	—
5. दिल्ली	742.91	50	670.00	50
6. गोआ, दमण और दीव	33.17	6	23.00	4
7. लक्षदीप	—	—	—	—
8. मिजोरम	11.00	—	15.00	—
9. पांडिचेरी	35.93	5	40.00	6
जोड़-राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	**843.75**	**61**	**796.15**	**60**
जोड़ : राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	**5012.75**	**1236**	**5513.15**	**1146**
कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण	**2420.00**	—	**2420.00**	—
कुल जोड़—कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	**7432.75**	**1236**	**7933.15**	**1146**
केन्द्रीय क्षेत्र				
1. महानगरीय शहरों और राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों का एकीकृत शहरी विकास	3416.00		4300.00	
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	175.00		300.00	
3. अनुसंधान और नगर आयोजना	7.00		8.00	
जोड़ : केन्द्रीय क्षेत्र	**3598.00**		**4608·00**	
कुल जोड़—केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	**11030.75**	**1236**	**12541.15**	**1146**

* न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में आवास अंतर्गत शामिल है।

@आवास के अंतर्गत शामिल।

अनुलग्नक 15.2

आवास के अंतर्गत 1978-79 के लिए परिव्यय और 1977-78 के व्यय

राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और केन्द्रीय क्षेत्र

(लाख रु0)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1977-78		1978-79	
		कुल	प्रत्याशित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	अनुमोदित परिव्यय न्यूनतम आदश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	736	500	787	500
2.	असम	107	15	224	24*
3.	बिहार	539	70	485	100
4,	गुजरात	1560	35	975	30
5.	हरियाणा	291	20	220	7
6.	हिमाचल प्रदेश	128	Neg.	137	Neg.
7.	जम्मू और कश्मीर	188	10	145	10
8.	कर्नाटक	847	49	1240	50
9.	केरल	635	110	600	130
10.	मध्य प्रदेश	453	80	576	85
11.	महाराष्ट्र	1730	172	1588	130
12.	मणिपुर	25	—	25	5
13.	मेघालय	35	—	45	—
14.	नागालैंड	102	—	165	—
15.	उड़ीसा	324	35	365	50
16.	पंजाब	735	9	800	100
17.	राजस्थान	324	4	267	5
18.	सिक्कम	31	—	40	1
19.	तमिलनाडु	1412	75	900	100
20.	त्रिपुरा	101	4	95	6
21.	उत्तर प्रदेश	1652	60	1475	5
22.	पश्चिम बंगाल	753	149	980	200
	जोड़—राज्य	**12658**	**1397**	**12133**	**1538**

अनुलग्नक 15.2 (जारी)

1	2	3	4	5	6
	संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6.73@	—	10.50@	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	75.34	—	65.00	—
3.	चंडीगढ़	219.38	–	255.80	—
4.	दादरा और नगर हवेली	3.66	—	7.50	—
5.	दिल्ली	599.38	2	1092.60	3
6.	गोआ, दमण और दीव	45.42	1	40.00	1
7.	लक्षद्वीप	9.68	—	19.50	—
8.	मिजोरम	40.00	—	52.00	—
9.	पांडिचेरी	88.89	10	97.12	12
	जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	**1088.48**	**13**	**1639.90**	**16**
	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	**13746.48**	**1410**	**13772.90**	**1554**
	केन्द्रीय क्षेत्र				
1.	सामान्य पूल कार्यालय तथा रिहायशी आवास	1751.00@@		2615.00	
2.	आवास और शहरी विकास निगम	300.00		400.00	
3.	बागान कामगारों के लिए राज सहायता-प्राप्त आवास	210.00		160.00	
4.	राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन	22.00		35.00	
5.	राष्ट्रीय भवन सामग्री विकास निगम	—		—	
6.	हिन्दुस्तान प्रिन्फेब्री. लिमिटेड	—		25.00	
7.	गोदी श्रमिकों के लिए राज सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास स्कीम	1.49		6.00	
8.	अन्य	—		113.00	
	उप जोड़ : केन्द्री क्षेत्र	**2284.49**		**3354.00**	
9.	पुलिस आवास	625.00		725.00	
	जोड़ : केन्द्रीय क्षेत्र	**2909.49**		**4079.00****	
	कुल जोड़ : राज्य संघ राज्य क्षेत्र और केन्द्र	**16655.97**	**1410**	**17851.90**	**1554**

*इसमें गंदी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार शामिल है।

**इसमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मकान बनाने के लिए 27.50 करोड़ रु. की अग्रिम धन राशि का प्रावधान है।

@ इसमें शहरी विकास शामिल है।

@@ अनन्तिम

अनुलग्नक 15.3

जल पूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र व्यय/परिव्यय

(लाख रु०)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रत्याशित व्यय 1977-78		1978-79	
		न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	425.00	1583.00	435.00	1650.00
2.	असम	158.00	280.00	240.00	410.00
3.	बिहार	420.00	625.00	785.00	977.00
4.	गुजरात	800.00	1515.00	810.00	1765.00
5.	हरियाणा	200.00	343.00	450.00	550.00
6.	हिमाचल प्रदेश	163.00	259.00	336.00	486.00
7.	जम्मू और कश्मीर	398.00	614.00	533.00	931.00
8.	कर्नाटक	710.00	1504.00	950.00	1820.00
9.	केरल	117.00	767.00	190.00	825.00
10.	मध्य प्रदेश	382.51	1008.65	600.00	1600.00
11.	महाराष्ट्र	910.05	3531.00	1310.00	3757.00
12.	मणिपुर	49.00	133.00	100.00	185.00
13.	मेघालय	98.00	91.00	41.00	178.00
14.	नागालैंड	100.95	152.95	72.00	157.00
15.	उड़ीसा	323.00	454.00	400.00	526.00
16.	पंजाब	405.00	850.00	450.00	800.00
17.	राजस्थान	769.00	1178.00	912.00	1345.00
18.	सिक्किम	25.00	60.00	30.00	64.00
19.	तमिलनाडु	500.00	2799.32	610.00	2634.00
20.	त्रिपुरा	30.00	60.00	39.00	70.00
21.	उत्तर प्रदेश	1304.00	3478.00	1490.00	4140.00
22.	पश्चिम बंगाल	334.00	706.00	350.00	580.00
	जोड़—राज्य	**8621.51**	**22011.92**	**11133.00**	**25450.00**

अनुलग्नक 15.3 (जारी)

1	2	3	4	5	6
संघ राज्य क्षेत्र					
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20.00	20.00	20.00	23.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	34.00	64.00	60.00	85.00
3.	चंडीगढ़	—	100.04	—	150.00
4.	दादरा और नगर हवेली	2.71	2.71	5.50	5.50
5.	दिल्ली	40.00	1239.00	50.00	1525.00
6.	गोआ, दमण और दीव	22.61	140.13	56.00	214.00
7.	लक्षद्वीप	—	0.30	—	—
8.	मिजोरम	52.07	75.50	38.00	120.00
9.	पांडिचेरी	7.00	81.98	7.00	95.00
	जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	**178.39**	**1723.66**	**286.50**	**2217.50**
	जोड़—राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	**8799.90**	**23735.58**	**11419.50**	**27667.50**
	केन्द्रीय क्षेत्र		3960.00		6220.00
	कुल जोड़	**8799.90**	**27695.58**	**11419.50**	**33937.50**

अनुलग्नक 16.1

1978-79 के लिए परिव्यय

समाज कल्याण : केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें-1977-79 के लिए परिव्यय

(लाख रु.)

क्रम संख्या	कार्यक्रम	1977-78 के लिए व्यय (वास्तविक)	1978-79 के लिए परिव्यय
1	2	3	4
	केन्द्रीय स्कीमें		
1.	**परिवार और बाल कल्याण परियोजनाएं**	**19.87**	**1.00**
2.	**महिला कल्याण**		
	1. कार्यात्मक साक्षरता	31.92	156.00
	2. प्रौढ़ महिलाओं के लिए रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए शिक्षा के संघनित पाठ्यक्रम	80.00	90.00
	3. सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम	120.00	150.00
	4. कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल	120.63	200.00
3.	**विकलांगों का कल्याण**		
	1. अन्धे, बहरे, मानसिक रूप से अल्पविकसित और शारीरिक रूप से विकलांगों के राष्ट्रीय संस्थानों का विस्तार और सुधार	27.83	125.00*
	2. छात्रवृत्तियों, अनुसंधान, प्रशिक्षण, आश्रयी रोजगार और स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान।	116.85	135.50
4.	**आयोजना, अनुसंधान. प्रशिक्षण और मूल्यांकन**		
	1.राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान	5.50	**
	2.राष्ट्रीय जन सहकारिता और बाल विकास संस्थान	11.10	**
	3.सामाजिक कार्य शिक्षा तथा प्रशिक्षण	33.22	85.38
	4.आयोजना, अनुसंधान, मूल्यांकन और प्रबोधन	12.86	15.00
5.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान तथा इसके क्षेत्रीय संगठनों को बढ़ाना	**210.00**	**250.00**
6.	अखिल भारतीय स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	**18.60**	**25.00**
7.	दिन में देखभाल केन्द्र/शिशु गृह	**45.00**	**50.00**
8.	नशाबंदी के लिए शिक्षा कार्य	**3.66**	**15.00**
	जोड़ : केन्द्र	**857.04**	**1297.88**

* विकलांगों के पांच संस्थानों, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, राष्ट्रीय जन सहकारिता और बाल विकास संस्थान तथा सामुदायिक विकास के लिए एक मुश्त व्यवस्था।

* अंधों, बहरों आदि के लिए संस्थानों के कार्यक्रम में दिखाए गए 125.00 लाख रुपये की एक मुश्त व्यवस्था में शामिल हैं।

अनुलग्नक 16.1 (जारी)

1	2	3	4
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें			
1.	**बाल कल्याण**		
	1.देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सेवाएं	227.88	285.00
	2.एकीकृत बाल देखभाल सेवाएं	129.47	362.20
2.	**महिला कल्याण**		
	1.निराश्रित महिलाओं और बालकों का कल्याण	10.56	30.00
3.	**विकलांगों का कल्याण**		
	1-एकीकृत शिक्षा	10.38	15.00
	2.विशेष रोजगार कार्यालयों के जरिए विकलांगों को रोजगार और सामान्य रोजगार कार्यालयों में विशेष अधिकारियों की नियुक्ति	4.99	20.00
	जोड़ : केन्द्रीय प्रायोजित	**383.28**	**712.20**
ब. नई स्कीमें		—	1.00
	कुल जोड़ :	**1240.32**	**2011.08**

अनुलग्नक 16.3

1978-79 की वार्षिक योजना—पोषाहार कार्यक्रम

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	स्कीम	क्षेत्र	1978-79 के परिव्यय
1.	राज्य योजना परिव्यय	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	28.52
2.	केन्द्रीय खाद्य विभाग की अल्पाहार और पोषाहार स्कीमें	केन्द्रीय	3.41
3.	केन्द्रीय ग्रामीण विकास विभाग की स्कीमें अनुप्रयुक्त पोषाहार कार्यक्रम	केन्द्रीय प्रायोजित	3.93
	जोड़		35.86

टिप्पणी :— स्वास्थ्य पर आधारित पोषाहार स्कीमों के लिए 28.0 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रसूतिका और शिशु स्वास्थ्य स्कीमों के अन्तर्गत दिखाया गया है।

समाज कल्याण—राज्य और संघ राज्य क्षेत्र — 1978-79 के लिए परिव्यय

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1977-78 अनुमानित व्यय	1978-79 परिव्यय
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	61.00	59.00
2.	असम	10.00	16.00
3.	बिहार	10.00	12.00
4.	गुजरात	20.00	23.00
5.	हरियाणा	3.00	7.00
6.	हिमाचल प्रदेश	5.00	11.00
7.	जम्मू और कश्मीर	18.00	20.00
8.	कर्नाटक	124.00	120.00
9.	केरल	17.00	20.00
10.	मध्य प्रदेश	29.00	32.00
11.	महाराष्ट्र	52 00	86.00
12.	मणिपुर	4.00	5.00
13.	मेघालय	5.00	6.00
14.	नागालैंड	5.00	10.00
15.	उड़ीसा	3.00	6.00
16.	पंजाब	49.00	71.00
17.	राजस्थान	10.00	11.00
18.	सिक्किम	3.00	4.00
19.	तमिलनाडु	80.00	125.00
20.	त्रिपुरा	3.00	3.00
21.	उत्तर प्रदेश	31.00	54.00
22.	पश्चिम बंगाल	46.00	46.00
	जोड़—राज्य	**588.00**	**747.00**

अनुलग्नक 16.2 (जारी)

1 2	3	4
संघ राज्य क्षेत्र		
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.40	2.20
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—
3. चंडीगढ़	1.59	3.26
4. दादरा और नगर हवेली	1.23	2.00
5. दिल्ली	67.88	96.07
6. गोआ, दमण और दीव	4.34	5.00
7. लक्षद्वीप	0.50	1.63
8. मिजोरम	7.00	10.00
9. पांडिचेरी	10.40	15.00
जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	**93.34**	**135.16**
कुल जोड़	**681.34**	**874.16**

अनुलग्नक 17.1

पिछड़े वर्गों का विकास—1977-78 के परिव्यय और व्यय और 1978-79 के परिव्यय

(लाख रु०)

क्रम सख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रत्याशित व्यय 1977-78	परिव्यय 1978-79
	राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	826	832
2.	असम	118	140
3.	बिहार	308	423
4.	गुजरात	290	1225
5.	हरियाणा	26	38
6	हिमाचल प्रदेश	35	41
7.	जम्मू और कश्मीर	38	25
8.	कर्नाटक	469	580
9.	केरल	168	172
10.	मध्य प्रदेश	446	495
11.	महाराष्ट्र	788	979
12.	मणिपुर	31	34
13.	मेघालय	—	—
14.	नागालैंड	—	—
15.	उड़ीसा	100	115
16.	पंजाब	254	255
17.	राजस्थान	61	75
18.	सिक्किम	2	4
19.	तमिलनाडु	481	900
20.	त्रिपुरा	52	82
21.	उत्तर प्रदेश	329	415
22.	पश्चिम बंगाल	163	200
	जोड़	4995	7030

अनुलग्नक 17.1 (जारी)

1	2	3
संघ राज्य क्षेत्र		
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.00	7.30
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—
3. चंडीगढ़	—	—
4. दिल्ली	—	—
5. दादरा और नगर हवेली	78.20	104.00
6. गोआ, दमण और दीव	13.00	13.00
7. लक्षद्वीप	—	—
8. मिजोरम	1.50	2.27
9. पांडिचेरी	38.62	50.00
जोड—संघ राज्य क्षत्र	**139.32**	**176.57**
कुल जोड़	**5134.32**	**7206.57**

अनुलग्नक 17.2

1977-78 के लिए स्कीमवार प्रत्याशित व्यय और 1978-79 के लिए परिव्यय—केन्द्रीय क्षेत्र—पिछड़े वर्गों का कल्याण

(लाख रु०)

क्रम सं०	स्कीमें	1977-78 प्रत्याशित व्यय	1978-79 परिव्यय
1	2	3	4
1.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	1585.00	2000.00
2.	अनुसूचित जातियों से इतर अस्वच्छ व्यवसायों में लगे हुए लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्तियां	15.00	15.00
3.	लड़कियों के लिए होस्टल	82.00	93.00
4.	अनुशिक्षण और संबद्ध स्कीमें	30.00	37.00
5.	अनुसंधान और प्रशिक्षण	20.00	30.00
6.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	70.00	80.00
7.	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए व्यवस्था	15.00	50.00
8.	पुस्तक बैंक	—	50.00
9.	अनुसूचित जातियों का आर्थिक विकास	—	50.00
	जोड़	**1817.00**	**2405.00**
	जनजातीय उप-योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	6000.00	7000.00
	कुल जोड़	**7817.00**	**9405.00**

अनुलग्नक 18.1

विज्ञान और शिल्पविज्ञान—योजना परिव्यय

(करोड़ रु०)

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग/अभिकरण	1977-78 (प्रत्याशित व्यय)	1978-79 (बजट अनुमान)
	क. विज्ञान और शिल्पविज्ञान अभिकरण		
1.	परमाणु ऊर्जा	30.24	35.26
2.	अंतरिक्ष	28.64	32.08
3.	विज्ञान और शिल्प विज्ञान विभाग***	16.02	27.87
4.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्	18.49	22.73*
5.	पूर्ति (राष्ट्रीय परीक्षण शाला)	0.44	0.70
	जोड़ क	**93.83**	**118.64**
	ख. मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत विज्ञान और शिल्प विज्ञान संघटक	7.60	9.44
6.	भारी उद्योग	2.83	3.27
7.	औद्योगिक विकास***	1.97	3.30
8.	इस्पात	1.61	1.96
9.	खान	1.17	1.83
10.	विद्युत्	1.25	2.23
11.	कोयला	6.23	3.24
12.	पैट्रोलियम	1.11	1.07
13.	रसायन	6.00	6.56
14.	इलेक्ट्रानिक्स	6.43	7.74
15.	संचार	0.09	0.41
16.	सूचना और प्रसारण	0.79@	1.34
17.	नौवहन और परिवहन	0.37	—
18.	निर्माण और आवास	—	0.05
19.	श्रम	6.45	15.97
20.	पर्यटन और नागर विमानन—भारत मौसम विभाग और संस्थान	4.85	5.36

1	2	3	4
21.	स्वास्थ्य—भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्	38.74	55.00
22.	कृषि—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्@@		
	—वन अनुसंधान संस्थान@@	1.16	2.00
23.	खाद्य	0.63	0.90
24.	सिंचाई	0.62	0.85
25.	शिक्षा—विश्वविद्यालय	6.00	6.25
	जोड़ ख	95.90	128.77
	कुल जोड़	189.73	247.41

@भारतीय मानक संस्थान को सहायता अनुदान ।

@@शिक्षा और प्रशिक्षण सहित ।

*विज्ञान में अनुसंधान और उच्च अध्ययन, शोधवृत्तियों, अभिकलित्र और क्षेत्रीय उपकरण सुविधाओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमानित अनुदान । इनमें भारतीय शिल्पविज्ञान संस्थानों के अंतर्गत अनुसंधान और विकास शामिल नहीं हैं ।

***देशमें पटसन और वस्त्रों से संबंधित सहायता अनुदान स्कीमें शामिल हैं जिसके लिए धनराशि की व्यवस्था 1977-78 तक वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की गई ।

***केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत प्रमुख निर्माण कार्यों पर व्यय शामिल है ।

†अन्य विभागों को अंतरित की गई राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था शामिल है :

अनुलग्नक 18.2

विज्ञान और शिल्पविज्ञान—योजनेतर व्यय

(करोड़ रु०)

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग/अभिकरण	1977-78 (प्रत्याशित व्यय)	1978-79 (बजट अनुमान)
क.	विज्ञान और शिल्पविज्ञान अभिकरण		
1.	परमाणु ऊर्जा	32.89	34.45
2.	अंतरिक्ष	15.78	16.30
3.	विज्ञान और शिल्पविज्ञान विभाग	24.52	25.51
4.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्	29.60	34.91
5.	पूर्ति (राष्ट्रीय परीक्षणशाला)	0.69	0.71
	उ जोड़	103.48	111.88
ख.	मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत विज्ञान और शिल्प विज्ञान संघटक		
6.	भारी उद्योग	12.00*	11.50
7.	औद्योगिक विकास$$	1.00	1.50
8.	विद्युत्	0.60	0.68
9.	पैट्रोलियम	2.54	3.38
10.	रसायन	0.66	0.70
11.	इलेक्ट्रानिक्स	1.32	—
12.	संचार	4.26*	4.65
13.	सूचना और प्रसारण	0.11	0.12
14.	पर्यटन और नागर विमानन भारत मौसम विभाग और संस्थान	10.38	12.13
15.	कृषि—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	20.17	22.00*
	-वन अनुसंधान संस्थान	1.60**	1.70**
16.	खाद्य (राष्ट्रीय गन्ना संस्थान+जी एस टी सी)	0.45	0.50
17.	रेलवे—अनुसंधान और अभिकल्प मानक संगठन	4.71	5.25
	जोड़ ख	59.80	64.11
	कुल जोड़	163.28	175.99

$बजट अनुमान। $$अनंतिम

टिप्पणी : सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अनुसंधान और विकास संबंधी राज्य व्यय शामिल है जिसे उन्होंने अपने आंतरिक संसाधनों से पूरा किया है।

1978-79 की वार्षिक योजना—पुनर्वास—वित्तीय परिव्यय

(करोड़ रु०)

स्कीमें	पांचवीं योजना परिव्यय	1974-75 वास्तविक व्यय	1975-76 व्यय	1976-77 अनुमोदित परिव्यय	1977-78 प्रत्याशित व्यय	1978-79 स्वीकृत	1978-79 सहमत परिव्यय
1. पश्चिम बंगाल में प्रवासी	6.10	0.05	1.06	0.67	1.00	0.71	
2. पश्चिम बंगाल से बाहर प्रवासी							
(क) दंडकारण्य और अंडमान और निकोबार के अलावा							2.12
1) खेतिहर	6.52	0.99	1.38	1.98	2.12	1.64	
2) गैर-खेतिहर	4.99	0.40	0.77	1.33	1.41	1.07	
(ख) दंडकारण्य	25.54	3.13	4.78	5.31	6.00	10.86	14.75
(ग) अंडमान	3.78	0.66	0.98	0.77	0,63	0.60	0.60
3. श्री लंका	28.17	3.00	4.60	6.04	5.16	5.19	8.50
4. बर्मा	4.25	0.48	0.62	1.00	1.08	1.07	1.00
5. छम्ब	11.00	0.39	1.21	1.16	1.85	0.98	1.90
6. उगांडा, जेरे और सैगोन	1.46	0.04	0.10	0.11	0.14	0.09	0.15
7. आर०आई० निगम		—	—	—	0.01	—	—
8. पश्चिम बंगाल के शरणार्थियों की अवशिष्ट समस्याएं			—	—	0.01	0.01	0.18
9. पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय बस्तियां	0.80	—	—	0.40	0.38	0.12	0.20
10. पश्चिम बंगाल के शरणार्थियों की अवशिष्ट समस्याएं		—	—	—	—	—	—
(क) लघुकृषक विकास अभिकरण/ सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक	6.00	—	—	—	—	—	—
(ख) विस्थापितों की बस्तियों का विकास*	2.68	—	—	—	—	—	—
(ग) चिकित्सा सुविधाएं	1.52	—	—	0.25	0.50	0.50	0.60
11. 1971 के भारत-पाक युद्ध के समय भारत लौट आने वाले व्यक्तियों के स्थाई पुनर्वास की व्यवस्था	—	—	—	—	—	—	4.00@
जोड़	*102.81*	*9.77*	*15.50*	*19.32*	*20.29*	*22.84*	*34.00*

*पुनर्वास विभाग की योजना में शामिल नहीं है।

@इस स्कीम का प्रस्ताव पुनर्वास विभाग द्वारा अप्रैल, 1978 में 1978-79 की वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद किया गया था।

1978-79 की वार्षिक योजना—पुनर्वास

परिवारों का पुनर्वास

(परिवारों की संख्या)

स्कीम	पांचवीं योजना लक्ष्य	उपलब्धियां 1974-77 (वास्तविक)	उपलब्धियां 1977-78 (प्रत्याशित)	1978-79 लक्ष्य
1. दंडकारण्य और अंडमान के अलावा क्षेत्रों में प्रवासी				
(1) खेतिहर	6463	4814	700	1050
(2) गैर-खेतिहर	4700	3634	2975	550
2. दंडकारण्य	9120	3276	1476	2830
3. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2370	142	81	78
4. श्री लंका से लौटाए गए	28434	21224	9772	12450
5. बर्मा से लौटाए गए	8015	3143	696	500
6. छम्ब से विस्थापित हुए व्यक्ति	4600	2922	101	550
7. उगांडा, जैरे और वियतनाम से लौटाए गए	800	400	64	200
8. भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान की भारतीय बस्तियों से लौटे प्रवासी	731	242	270	219
9. गुजरात और राजस्थान में पाकिस्तान (सिंध) से विस्थापित हुए व्यक्ति	—	—	—	4000
जोड़	**65233**	**39797**	**16135**	**22427**

योजना आयोग
Planning Commission
प्राप्ति सं. C-16877
Acc. No.
तारीख 19/5/14
Date
पुस्तकालय
LIBRARY